ृ माला, खंड 12, अंक 20

मंगलवार, 23 अगस्त, 2005
1 भाद्र, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 59
Dated 31/8/05

(खंड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 12, पांचवां सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 20, मंगलवार, 23 अगस्त, 2005/01 भाद्र, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	
रेल मंत्रालय के कार्यकरण में बिहार के राज्यपाल द्वारा कथित हस्तक्षेप किये जाने के बारे में	1–16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 381 से 400	16–58
अतारांकित प्रश्न संख्या 3927 से 4136	57–304
सभा पटल पर रखे गए पत्र	305–312, 320
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	312
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
चौथा प्रतिवेदन	312
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
नब्बेवां प्रतिवेदन	312
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	313–317, 320–321
(एक) शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री गुलाम नबी आजाद	313–314
(दो) उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 146वें, 147वें, 153वें, 154वें, 155वें और 159वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री महावीर प्रसाद	314–316
(तीन) सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पी.आर. किन्डिया	316–317
(चार) विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
राव इन्द्रजीत सिंह	320–321

विषय	कॉलम
कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव.	318
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी.	318–320
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) हिम्मतनगर गुजरात के आकाशवाणी केन्द्र को चालू करने के लिए तकनीकी और कार्यक्रम स्टाफ नियुक्त किए जाने की आवश्यकता	
श्री मधुसूदन मिस्त्री	322
(दो) देश में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय प्रशिक्षकों की भर्ती को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता	
श्री के.सी. सिंह ''बाबा''	322
(तीन) उज्जैन-आगरा-सोयात-झालावाड़-रामगंज मंडी क्षेत्र में नई रेलवे लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
श्री थावरचन्द गेहलोत	323
(चार) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में बांस के लट्ठों के प्रभावी उपयोग और बेहतर विपणन के लिए उद्योग विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश चन्देल	323–324
(पांच) देश के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाने के लिए, नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर पड़े स्टाम्प पेपर की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	324
(छह) भारतीय खाद्य निगम के कर्मकारों को विशेषकर केरल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री लोनाप्पन नम्बाडन	324–325
(सात) हाल ही में शुरू किए गए मदुरै-विल्लुपुरम यात्री रेलगाड़ी को यात्रियों की सुविधा के लिए दिन के समय चलाने के लिए इसके समय को बदलने की आवश्यकता	
श्री पी. मोहन	325–326
(आठ) कोल जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किए जाने और उत्तर प्रदेश के राज्य विधान मंडल में उनके लिए सीट आरक्षित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रेवती रमन सिंह	326
(नौ) चित्रकूट धाम में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए चित्रकूट में हवाई पट्टी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजनरायन बुधौलिया	326–327
(दस) पश्चिम बंगाल के स्वर्णरेखा बैराज परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए इसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत लिए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रबोध पाण्डा	327–328

विषय	कॉलम
(ग्यारह) मिट्टी के जमा होने के कारणों का पता लगाने के लिए महाबलेश्वर-पंचगनी पठार का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	328
(बारह) छपरा-कप्तानगंज-थावे-सिवान रेल लाइन के आमान परिवर्तन को आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रभुनाथ सिंह	328–329
(तेरह) सिलीगुड़ी से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 और 31ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पूर्व और पश्चिम कारीडोर के अंतिम संरेखण का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता	
श्री जोवाकिम बखला	329
(चौदह) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34 के सुधार के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री अधीर चौधरी	329–330
(पन्द्रह) गुजरात के बलसाड़ शहर और खेलगांव को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री किसनभाई वी. पटेल	330–331
(सोलह) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर-महाराजगंज निचलौल-ठूठीबांरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पंकज चौधरी	331
(सत्रह) नवजीवन एक्सप्रैस को चेन्नई से पांडिचेरी तक विस्तारित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	331–332
राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक, 2004	332–369
विचार करने के लिए प्रस्ताव	332
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	332–347, 350–352
खंड 2 से 34 और 1	352–366
पारित करने के लिए प्रस्ताव	369
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	369–395
(एक) निजी और असंगठित क्षेत्रों में श्रम कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति	369–396
श्री सुनील खां	369–371
श्री के. चन्द्रशेखर राव	372–375, 387–395
श्री बसुदेव आचार्य	375–378

विषय	कॉलम
श्री गुरूदास दासगुप्त	378–383
श्री वरकला राधाकृष्णन	383–384
चौधरी लाल सिंह	384–385
श्री राजाराम पाल	385
श्री लक्ष्मण सेठ	385–386
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	386
श्री सांताश्री चटर्जी	386
(दो) देश में फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एक प्रभावी कानून बनाये जाने की आवश्यकता	396–403
श्री रामजीलाल सुमन	396, 397–400
श्री अर्जुन सिंह	396–397, 402–403
श्री पी. करूणाकरन	400
डा. चिन्तामोहन	400
प्रो. रामगोपाल यादव	400–401
श्री शैलेन्द्र कुमार	401
प्रो. रासासिंह रावत	401–402
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005.	403–432
विचार करने के लिए प्रस्ताव	403
श्रीमती कांति सिंह	403–407
श्रीमती सुमित्रा महाजन	407–418
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	418–424
श्रीमती मिनाती सेन	424–426
श्री शैलेन्द्र कुमार	427–430
श्री आलोक कुमार मेहता	430–431
अनुबंध I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	457
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	458–464
अनुबंध II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	465–466
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	465–466

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 23 अगस्त, 2005/1 भाद्र, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

सदस्यों द्वारा निवेदन

रेल मंत्रालय के कार्यकरण में बिहार के राज्यपाल द्वारा कथित हस्तक्षेप किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष जी, हमने कार्य स्थगन का नोटिस दिया है। बिहार के राज्यपाल ने पत्र लिखकर रेल मंत्री को प्रभावित करने का प्रयत्न किया है ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक के बाद एक कहें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): बिहार के राज्यपाल द्वारा अधिकारियों के तबादलों के लिये पत्र लिखे जा रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सूचना प्राप्त हो गई है परन्तु अभी यह समय नहीं है। माननीय नेताओ, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कोई समय नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हरिन भाई, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। श्री नीतीश जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे प्रश्न काल को स्थगित करने तथा स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सूचनाएं मिली हैं, मैं उनसे निपट लूंगा, जहां तक स्थगन प्रस्ताव का संबंध है, उस पर प्रश्न काल के पश्चात सोचा जायेगा। जहां तक स्थगन का प्रश्न है, चूंकि स्थगन प्रस्ताव भी इसी विषय से संबंधित है अत: मैं इस पर अपनी टिप्पणी दूंगा। अत: प्रश्न काल चलता रहे।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैंने सूचना दी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं, सभी को नहीं सुन सकता। कृपया आप अपने सदस्यों को बैठने के लिए कहें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया सदस्य को सुनें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, आप हमें सुन लीजिए। मैंने प्रश्नकाल को सस्पैंड करने का जो नोटिस दिया है उसमें कहा है कि क्वेश्चन-आवर को इसलिए सस्पैंड किया जाए, क्योंकि रेल मंत्री जी ने जिस तरह से यह घोषणा की है कि मैंने बिहार के राज्यपाल को छांटा, मैंने उनको नॉमिनेट कराया, मैंने उनकी नियुक्ति कराई, संविधान की धारा 155 के मुताबिक:

[अनुवाद]

"राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा।"

[हिन्दी]

राष्ट्रपति द्वारा ही उन्हें एपाइंट किया जा सकता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सुनने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सर, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: नियम 352 के अंतर्गत मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: काश मेरे पास इतनी शक्ति तथा क्षमता होती कि मैं सभी को अलग से सुन सकता क्योंकि सभी लोग एक साथ बोल रहे हैं। मैं भी एक इंसान हूं। मेरे पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। यदि आप एक के बाद एक बोलेंगे तो मैं अपना, जो भी निर्णय है, वह दे सकूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, बिहार के राज्यपाल ने माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिखा है और उसमें एक आदमी की सिफारिश की है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा साहेब, क्या मैं निवेदन कर सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अभी माननीय सदस्य ने प्वाइंट ही नहीं रखा, तो प्वाइंट ऑफ आर्डर कहां से आ गया? ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम आपके प्वाइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुनिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप एक वरिष्ठ, समझदार तथा एक जिम्मेदार सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। अगर जरूरत होगी, तो आपकी बात सुनेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, आपकी सूचना में कहा गया है:

"मैं, माननीय अध्यक्ष से प्रश्न-काल स्थगित करने का अनुरोध करता हूं..."

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: नीतीश जी, आप इसे छोड़िए।

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा): ठीक है, छोड़ दिया।

अध्यक्ष महोदय: हमें भी थोड़ा पकड़कर रखिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपकी सूचना में कहा गया है:

"मैं, माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा करने हेतु आप आज के प्रश्न काल को स्थगित करें ..."

मैं, सभी सदस्यों की सम्पूर्ण जानकारी के लिए उस प्रस्ताव को पढ़ता हूं। जिसमें कहा गया है:

"यह सभा रेल मंत्रालय के कार्यकरण में बिहार के राज्यपाल के अवांछित तथा अनुचित हस्तक्षेप का निरनुमोदन करती है तथा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती है कि वे उन्हें तत्काल वापस बुला लें।"

अत: यह मामला राज्यपाल महोदय से संबंधित है कि वे रेल मंत्रालय के कार्यकरण में हस्तक्षेप कर रहे हैं तथा उन्हें वापस बुला लिया जाए, जो कि इस प्रकार से नहीं किया जा सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, आप इसे देख लीजिए। यह रेल मंत्री जी से संबंधित है। आप इसे पढ़ लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं, आपकी सूचना पढ़ रहा हूं। अत: यह अनुमेय नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, कुछ माननीय सदस्य संसद में नयी परम्परा स्थापित करना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपको स्थानापन्न प्रस्ताव देना होगा। हम लोग निर्णय लेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, उन्होंने जो नोटिस आपको दिया है, उसमें लिखा है:

[अनुवाद]

"यह सभा रेल मंत्री की टिप्पणी, कि उन्होंने बिहार के राज्यपाल को नियुक्त किया है, की कड़े शब्दों में निंदा करती है तथा यह सिफारिश करती है कि दोनों, रेल मंत्री तथा बिहार के राज्यपाल के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाए।"

अध्यक्ष महोदय: यह स्थगन प्रस्ताव के संबंध में है। अब आप प्रश्न काल को निलंबित करने के संबंध में कह रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यह आपकी सूचना है जिस पर आपके हस्ताक्षर हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, उसमें दोनों बातें शामिल हैं - पहली बात यह कि प्रश्न काल को सस्पेंड किया जाए क्योंकि बिहार के गवर्नर ने श्री लालू प्रसाद जी को एक पत्र लिखा है और यह भी कहा है कि दोबारा फिर लिखेंगे। एक आदमी जिसके खिलाफ विजिलेंस का केस है और उसे, एक मलाईदार जगह पर एप्वाइंट करने के लिए कहा जा रहा है। वह कह रहे हैं कि फिर ऐसा पत्र लिखेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको उचित प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। यदि मैं वह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं करता हूं तो आप मामला उठा सकते हैं।

प्रश्न काल के संबंध में स्थगन सूचना में आपने राज्यपाल के आचरण के बारे में उल्लेख किया है तथा उन्हें वापस बुलाने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्लीज आप बैठिए, एक-एक करके बोलिए। हम आपके लीडर की बात सुन रहे हैं। सुशील जी, यह ठीक बात नहीं है।

[अनुवाद]

यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके उपनेता को, जो कि आपके दल के एक प्रमुख नेता हैं, सुन रहा हूं। जब मैं उन्हें सुन रहा हूं तो आप हस्तक्षेप कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, गवर्नर अगर इस प्रकार का काम करे, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इस प्रकार से राज्यपाल के कार्यकरण के संबंध में चर्चा नहीं कर सकते। आप यह अच्छी तरह जानते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अगर गवर्नर संविधान की हत्या करे और फिर कहें कि ऐसा दोबारा भी करें, तो इसकी कठोर शब्दों में निन्दा होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि उन्हें रिकॉल किया जाए। *...(व्यवधान)* बिहार से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपना नोटिस दे दीजिए।

[अनुवाद]

मुझे खेद है, यदि आप सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते हैं तो बात अलग है। परन्तु यदि आप अध्यक्ष को सदन नहीं चलाने देंगे तो वह ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

मोदी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके नोटिस में लिखा है:

"महोदय, प्रश्नकाल को बिहार की स्थिति पर विचार करने के लिए स्थगित किया जाए।"

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या कोई नोटिस इस तरह दी जाती है? आप अपने लीडर से पूछिए कि क्या कोई नोटिस ऐसे दिया जाता है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जिनके नोटिस में गड़बड़ थी, हमने उनकी भी बात सुनी है, लेकिन आपका तो कोई नोटिस ही नहीं है।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: श्री लालू प्रसाद ने और गवर्नर महोदय ने जो कुछ किया है, उसकी वजह से बिहार में चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हो सकते हैं। इसलिए वहां निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए इन दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: निश्चित रूप से सभी लोगों का, विशेषकर चुनाव आयोग तथा सरकार चाहे वह केन्द्रीय या राज्य सरकार हो, यह कर्त्तव्य है कि वे वह देखें कि चुनाव ठीक ढंग से हो। सभी लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि चुनाव ठीक ढंग से हो। इस पर कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। मुझे ऐसा विश्वास है कि सरकार को इसकी जानकारी है। निर्वाचन आयोग एक सक्षम निकाय है। मुझे विश्वास है कि निर्वाचन आयोग ठीक ढंग से चुनाव करायेगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, रेलवे मंत्री जी कह रहे हैं

[अनुवाद]

''राज्यपाल को मैंने नियुक्त किया है'' ऐसा कैसे हो सकता है? *...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: यह अत्यधिक आपत्तिजनक है, रेल मंत्री ने साक्षात्कार में यह कहा है कि उन्होंने राज्यपाल को नियुक्त किया है। यह अत्यधिक आपत्तिजनक है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हरिन जी, यह ऐसा समय है कि हम उचित चर्चा नहीं कर सकते। आप उचित सूचना दीजिए, मैं आपको अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक: उन्होंने कहा कि उन्होंने राजयपाल को नियुक्त किया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: राज्यपाल के विरुद्ध कही गई कोई भी बात कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं की जायेगी।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा न कहें। मैं किसी को भी नहीं बचा रहा। मैं आपसे केवल यही अनुरोध कर रहा हूं कि आप नियमानुसार प्रस्ताव दें। मैंने आपको रोका नहीं। आपने इस सत्र में पहले से ही दो स्थगन प्रस्तावों तथा नियम 189 के तहत दो एवं नियम 193 के अधीन कई मामलों पर चर्चा कर ली है। माननीय सदस्यों ने जिन मामलों को उठाना चाहा है मैंने उन्हें इस सभा में उठाने के लिए रोका नहीं। मैं, आपसे केवल अनुरोध कर रहा हूं। जैसे आप लोग नियमों से बंधे हैं वैसे ही मैं भी बंधा हूं। मैंने यह भी कहा है कि राज्यपाल के मामले के संबंध में आप एक पृथक प्रस्ताव दे सकते हैं। मैं निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। आप ऐसा न कहें कि मैं किसी को बचा रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): आप गवर्नर को प्रोटैक्ट कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः लाल मुनी जी, यह सही नहीं है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं राज्यपाल को बचा रहा हूं। मैं राज्यपाल को नहीं बचा रहा हूं। मैंने एक भी शब्द नहीं कहा है।

[हिन्दी]

आप क्या बोल रहे हैं? क्या मैं गवर्नर को प्रोटैक्ट कर रहा हूं?

...(व्यवधान)

श्री लाल मुनी चौबेः मैं बिहार के बारे में एक सवाल उठाना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप मोशन दीजिए। आपने एक मोशन भी नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः क्या राज्यपाल महोदय लालू जी के मनोनीत व्यक्ति हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, सभी लोग मुझसे भी अधिक बेहतर जानते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप अपने स्थान पर बैठिए। मैंने उन्हें अपने स्थान पर बैठने के लिए कहा है। अन्यथा यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। सभी लोग जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमारः यही तो प्वाइंट है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अतः यदि कोई माननीय मंत्री व्यक्तिगत तौर पर श्रेय लेना चाहते हैं तो मेरे विचार से कोई भी व्यक्ति इतनी गंभीरता से नहीं लेगा कि आप स्थगन प्रस्ताव चाहते हैं। माननीय राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करने के हकदार हैं। नीतीश जी, आप अच्छी तरह जानते हैं। अतः आप इस मामले को क्यों उठा रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमारः इनके मंत्री बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी को छोड़िए।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमारः कैसे छोड़ें। *...(व्यवधान)* इनकी सरकार के मंत्री बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः नजरंदाज कर दीजिए। इनके दुस्साहस को नजरंदाज कीजिए यह मात्र दुस्साहस है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंहः अध्यक्ष महोदय, इतने गंभीर सवाल पर चर्चा नहीं होगी तो किस पर होगी? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप मोशन दीजिए। हम चर्चा कराएंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंहः आप हमारी बात सुनिए, हमने क्या नोटिस दिया है। हम आपको बता देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः नहीं-नहीं, यह आपका स्थान नहीं है।

[हिन्दी]

मुझे यहां से अपकी बात सुनायी नहीं दे रही है। आप पहले अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि क्या गवर्नर के कंडक्ट पर हाउस में चर्चा हो सकती है? *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि आज तक राज्यपाल का मनोनयन राष्ट्रपति जी द्वारा हुआ है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। यह मैं भरोसा दिला सकता हूं। कोई भी माननीय सदस्य जो अपने निर्धारित स्थान से नहीं बोल रहा है उसके भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अभी-अभी दो नए मामले सामने आए हैं। जब से बिहार के राज्यपाल, श्री बूटा सिंह बिहार में गए हैं चाहे खंग से जंग का मामला हो, चाहे अच्छे-बुरे पदाधिकारियों का ट्रांसफर और पद:स्थापन का मामला हो, श्री बूटा सिंह बराबर श्री लालू यादव के इशारे पर वहां गलत कार्य कर रहे हैं। श्री बूटा सिंह ने स्वयं आज तक चैनल में सीधी बातचीत में स्वीकार किया है कि राज्यपाल को हमने मनोनीत करवाया है। हम कहना चाहते हैं कि एक मंत्री को गैर-जिम्मेदारीपूर्ण बयान नहीं देना चाहिए। यह बिल्कुल गैरजिम्मेदाराना बयान है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह के असंवैधानिक कार्य के लिए श्री लालू यादव को भी डिसमिस करवाइए और श्री बूटा सिंह को वापस कराइए। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इसी प्रश्न पर सदन का कार्य स्थगित करके चर्चा कराइए। हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए, हम उनको सुनना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या यह प्रश्न-काल है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: ये लोग राजनैतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। कोई भी प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सुनना नहीं चाहते हैं। आप जानबूझकर राजनीति *...(व्यवधान)* नियम 352 *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, आपने हमें पुकारा है, नियम 352 में *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। पहले जिन लोगों ने नोटिस दिया है, उनको सुनिए। उसके बाद आगे की बात होनी चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम 352 के तरह खंडिका (5) में दिया है कि 'उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप न करेगा जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो।' यहां 'उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों' का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है, जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अंतर्गत केवल उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, इनका प्रस्ताव बिल्कुल गलत है। इसके आगे लिखा है कि 'या ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा अध्यक्ष की राय में, उसके द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर की जानी चाहिए।' *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, 352 की खंडिका (6) में दिया गया है कि 'वाद-विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति के नाम का उपयोग नहीं करेगा।'

अध्यक्ष महोदय, इसलिए इनका प्रस्ताव बिल्कुल गलत है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि दो बजे बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लिस्टेड हैं, इसलिए सदन को दो बजे तक स्थगित कर दिया जाए और दो बजे विधेयक पर चर्चा की जाए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट। माननीय सदस्यो, कृपया शान्त रहें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अत: आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, आपकी मदद के लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। यहां से, इस तरफ से कतिपय माननीय सदस्य ने कहा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोगों को क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

यह सब क्यों हो रहा है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, नोटिस सस्पेंशन ऑफ क्वैश्चन ऑवर के लिए भी है और एडजर्नमेंट मोशन के लिए भी है। *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज, आप बैठ जाईए।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि सस्पेंशन ऑफ क्वैश्चन ऑवर का नोटिस ठीक नहीं है, वह आउट ऑफ आर्डर है, लेकिन एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस तो इन ऑर्डर है। हम आपसे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने इन ऑर्डर अभी तक बोला नहीं है। बोलने का मौका बारह बजे आएगा। बारह बजे बोलना है आप सब कुछ जानते हैं।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि आप एडजर्नमेंट मोशन के नोटिस को सस्पेंशन ऑफ क्वैश्चन ऑवर नोटिस के रूप में लेकर सबको बोलने का मौका दीजिए। सब लोग अपनी बात यहां रखेंगे। हम लोग ही नहीं रखेंगे बल्कि सदन के दूसरे सदस्यों को भी मौका मिलेगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभी लोग बोल रहे हैं। हमारी बात सुन रहे हैं? आप भी तो बोल रहे हैं, बोलते रहिए। हम क्या करें? सुझाव तो दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह नहीं किया जा सकता। स्थगन प्रस्ताव को प्रश्न काल के स्थगन हेतु नोटिस के रूप में नहीं माना जा सकता।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सुझाव दीजिए।

...(व्यवधान)

प्रो. राम गोपाल यादव: स्थगन प्रस्ताव इन्होंने दिया है। दो बजे एक महत्वपूर्ण विधेयक लिस्टेड है, जिसमें मंत्री जी ने उत्तर देना है और विधेयक पास होना है। यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। यहां ऐसे नहीं चल सकता। ये रोकना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि दो बजे तक सदन स्थगित कर दें और दो बजे के बाद उस विधेयक पर चर्चा करें। *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): अध्यक्ष जी, जैसा प्रो. राम गोपाल जी ने सुझाव दिया है कि बिल का रिप्लाई 2 बजे करवा दीजिये, जहां तक बिल का सवाल है, यह बिल बहुत ही जरूरी है जिसे पास किया जाना उतना ही जरूरी है। कल रात को 11.30 बजे तक इधर के और उधर के माननीय सदस्यों ने इस बिल पर चर्चा की है। मेरा निवेदन है कि जो सदस्य देर रात तक चर्चा में भाग लेने के लिये

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बैठे रहे, अगर उस बिल का रिप्लाई, 2.00 बजे नहीं होता है, तो उन लोगों के साथ बेइन्साफी होगी। इसलिये हम प्रो. राम गोपाल जी के सुझाव के साथ सहमत हैं कि हाउस 2 बजे तक स्थगित कर दिया जाए और फिर बिल पर रिप्लाई करा दिया जाये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे भी एक बार बोलने दीजिये। मैंने क्वैश्चन ऑवर अभी सस्पैंड नहीं किया है। 22 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा।

[अनुवाद]

वस्तुत: प्रश्न काल स्थगित हुआ है हालांकि मैंने इसकी घोषणा नहीं की है।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो भी टिप्पणी की है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। मैं उन सभी सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं, जिन्होंने लगभग मध्य रात्रि तक बैठकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। इनसे उनकी सभा के कार्यकरण और संसदीय लोकतंत्र में प्रतिबद्धता झलकती है। अत: हम सभी को लोकतांत्रिक सिद्धांतों में अपनी प्रतिबद्धता की और अति महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की उनकी रुचि की प्रशंसा करनी चाहिए और मेरा विश्वास है कि पूरी सभा मेरा इस बात पर समर्थन करेगी। इसलिए मैं जिस अच्छे ढंग से सभी ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया उसकी अत्यंत प्रशंसा करता हूं, जिसे मेरे ख्याल से सभी दलों का समर्थन प्राप्त होता है। प्रो. राम गोपाल यादव समाजवादी दल के माननीय नेता ने सभा को दो बजे तक स्थगित करने का सुझाव दिया है।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): अध्यक्ष महोदय, मैंने रात को 10 बजे भाषण किया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने आपको भी एप्रिशिएट किया है।

प्रो. महादेवराव शिवनकर: मेरी आपसे गुजारिश है कि राष्ट्रपति रोजगार गारंटी बिल पर रिप्लाई बाद में हो सकता है, लेकिन बिहार की डैवलपमैंट्स मुख्य विषय है, पहले इस पर चर्चा कराई जाये।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, बिल का रिप्लाई 2 बजे होगा। आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

इसलिए, मैं यह समझता हूं कि इस सभा के दोनों पक्ष, सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि उत्तर दो बजे दिया जाए। जहां तक प्रश्न काल का संबंध है, वस्तुत: इसे स्थगित किया गया है। यदि आप चाहते हैं कि सभा दो बजे तक स्थगित की जाए, तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं क्योंकि सभा के सभी पक्ष इससे सहमत लग रहे हैं। माननीय विपक्ष के नेता भी इससे सहमत हैं। इसलिए, माननीय मंत्री दो बजे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक पर चर्चा का उत्तर देंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्साहन

***381. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु कुछ योजनाओं को स्वतंत्र योजनाओं के रूप में जारी रखने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है; और

(घ) इन योजनाओं से प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी सहायता मिलेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) प्रारंभिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए जिन योजनाओं को भारत सरकार द्वारा समर्थन दिया जा रहा है वे निम्नवत हैं:

* सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)
* जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)
* प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (माध्यह्न भोजन)
* कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) योजना
* शिक्षक शिक्षा (टी.ई.) योजना, और
* महिला सामाख्या (एम.एस.) योजना।

ऊपर उल्लिखित सभी योजनाएं विशेष रूप से स्कूली अवसंरचना, बालिका शिक्षा के संवर्द्धन, स्कूलों में बच्चों के अवधारण

को बढ़ावा देने और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए सम्पूरक हैं। उपर्युक्त योजनाओं में से सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्राथमिक कार्यक्रम और महिला समाख्या को विदेशी स्रोतों से निधियन प्राप्त हुआ है। इन योजनाओं के लिए विदेशी सहायता प्रतिपूर्ति आधार पर प्राप्त होती है जिसके संबंध में 2002-03 से 2004-05 की अवधि के लिए ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सर्वशिक्षा अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और महिला समाख्या कार्यक्रम के लिए विदेशी सहायता

(रु. करोड़ में)

योजना का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
सर्वशिक्षा अभियान	-	812.47	3198.93
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	863.52	742.36	666.84
महिला समाख्या	7.50	10.30	13.51

[हिन्दी]

महिला समाख्या कार्यक्रम

***382. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी राज्यों में महिला समाख्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और सरकार द्वारा इस कार्यक्रम हेतु किसी राज्य का चयन करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा महिला समाख्या कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महिला समाख्या कार्यक्रम अपने अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त कर पाया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (च) महिला समाख्या कार्यक्रम देश के 9 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में कार्यान्वित किया जा रहा है।

महिला समाख्या महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तीकरण का कार्यक्रम है। इसे 1989 में उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में शुरू किया गया था। कार्यक्रम को कार्यान्वित करने, समर्थन देने और उसे जारी रखने की राज्य सरकारों की इच्छाशक्ति महिला समाख्या कार्यक्रम को शुरू करने का महत्वपूर्ण मानदंड है। दसवीं योजनावधि से इस कार्यक्रम का ध्यान देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों पर केंद्रित किया जा रहा है।

राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं। राज्य और भारत सरकार के स्तर पर भी समय-समय पर कार्यक्रम की प्रगति की नियमित समीक्षाएं की जाती हैं।

2005 में महिला समाख्या कार्यक्रम का राष्ट्रीय मूल्यांकन यह दर्शाता है कि इसमें ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण पर समग्र रूप से सकारात्मक प्रभाव डाला है।

[अनुवाद]

अपराध संबंधी सूचना का आदान-प्रदान

***383. श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में अपराधों के बारे में सूचना के आदान-प्रदान हेतु देश के सभी पुलिस थानों को आपस में जोड़ने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। इस समय समन्वय निदेशालय, पुलिस वायरलेस (डी सी पी डब्ल्यू), नई दिल्ली के माध्यम से उपग्रह आधारित पुलिस दूरसंचार प्रणाली पोलनेट, जो 576 जिलों और राज्य मुख्यालयों तथा राष्ट्रीय राजधानी को जोड़ने के अतिरिक्त देश के 11502 पुलिस स्टेशनों को जोड़ेगी, कार्यान्वयनाधीन है।

पुलिस स्टेशनों को कॉमन इंटीग्रेटिड पुलिस एप्लीकेशन साफ्टवेयर (सी आई पी ए), जिसे इस समय विकसित किया जा रहा है, के साथ कम्प्यूटरों के माध्यम से जोड़ने का भी प्रस्ताव है। दोनों ही स्कीमों को पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत धन राशि दी जा रही है।

(ग) पोलनेट परियोजना के, इसकी वर्तमान अनुमोदित संख्या के साथ, 2005-06 तक पूरा हो जाने की संभावना है। सभी पुलिस स्टेशनों का कंप्यूटरीकरण 2007-08 तक पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

*384. **डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:***
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश का केन्द्रीयकृत लेखा-जोखा रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश की समीक्षा के लिए क्या विधि अपनाई जाती है;

(घ) पिछली ऐसी समीक्षा का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का वर्तमान अनिवासी भारतीय निवेश प्रक्रिया की समीक्षा करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) चूंकि अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा किये गये निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के रूप में माना जाता है, इसलिए अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक समस्त एफ.डी.आई. निवेशों का रिकार्ड रखता है।

(ग) से (च) केन्द्र सरकार भारत में होने वाले विदेशी निवेशों की लगातार समीक्षा करती है। अधिक मात्रा में निवेशों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ऐसे निवेशों के संवर्धन के लिए नीति एवं प्रक्रियाओं को और अधिक निवेशक-अनुकूल बनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

रासायनिक हथियार

*385. **श्री निखिल कुमार:***
श्री अधीर चौधरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर घाटी और पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न आतंकवादी समूहों के पास रासायनिक हथियार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रासायनिक हथियारों को प्रयोग करने वाले आतंकवादी समूहों से निपटने के लिए कोई रणनीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) देश में आतंकवादी ग्रुपों के पास रासायनिक हथियार होने के बारे में कोई पुष्ट रिपोर्ट नहीं है।

(ग) और (घ) रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करके किए जाने वाले आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए मानक कार्रवाई प्रक्रिया (एस ओ पी) तैयार की गई है। मानक कार्रवाई प्रक्रिया (एस ओ पी) में, आतंकवादी ग्रुपों द्वारा रासायनिक हथियारों का प्रयोग करके किए जाने वाले हमलों से निपटने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा उठाए जाने वाले अपेक्षित कदम, संक्षेप में लेकिन स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

*386. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड पारिवारिक समस्याओं के समाधान हेतु पारिवारिक काउंसिलिंग केन्द्र चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों का ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;

(ग) देश में राज्यवार ऐसे कुल कितने केन्द्र चल रहे हैं;

(घ) क्या ऐसे केन्द्रों की स्थापना राज्यों के सभी जिला मुख्यालयों में की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो पूरे देश में इस योजना को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का इरादा लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु लोक अदालत प्रणाली अपनाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जी, हां। परिवार परामर्श केन्द्र स्कीम स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से वर्ष 1984 से क्रियान्वित की जा रही है। ये केन्द्र परिवारों को, विशेषकर महिलाओं को, जो कुसामंजस्य, अत्याचार तथा अपराधों से पीड़ित हैं, निवारक तथा पुनर्वास परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं।

(ग) देश में 681 परिवार परामर्श केन्द्र चलाए जा रहे हैं। केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

(घ) और (ङ) परिवार परामर्श केन्द्र राज्यों के अधिकांश जिला मुख्यालयों में स्थापित किए गए हैं। तथापि, लगभग 130 जिला मुख्यालयों में ये केन्द्र अभी नहीं खोले गए हैं। देश में हर वर्ष लगभग 60-80 परामर्श केन्द्र खोले जाते हैं।

(च) और (छ) लोक अदालतें न्याय प्रणाली पर आधारित हैं, जबकि परिवार परामर्श केन्द्र रोगी/परिवार के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य पर केन्द्रित हैं। परामर्श विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं नैदानिक तकनीकों पर आधारित होता है। ये दोनों प्रणालियां अलग-अलग हैं तथा उन व्यक्तियों को, जिन्हें इनकी आवश्यकता है, समान रूप से उपलब्ध हैं।

विवरण

31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार परिवार परामर्श केन्द्रों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	
		नए	पुराने
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2	36
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	02
3.	असम	2	16
4.	बिहार/झारखंड	2	52
5.	गोवा	–	02
6.	गुजरात	–	43
7.	हरियाणा	1	14
8.	हिमाचल प्रदेश	1	06
9.	जम्मू-कश्मीर	1	07
10.	कर्नाटक	1	51
11.	केरल	1	34
12.	मध्य प्रदेश	1	50
13.	महाराष्ट्र	2	58
14.	मणिपुर	–	08
15.	मेघालय	–	01
16.	मिजोरम	–	02
17.	नागालैण्ड	2	02
18.	उड़ीसा	3	30
19.	पंजाब	2	10
20.	राजस्थान	3	28
21.	सिक्किम	–	03
22.	तमिलनाडु	3	47
23.	त्रिपुरा	–	08
24.	उत्तर प्रदेश	7	50
25.	पश्चिम बंगाल	–	35
26.	अण्डमान व निकोबार	2	–
27.	दिल्ली	2	29
28.	चण्डीगढ़	1	03
29.	लक्षद्वीप	–	–
30.	पाण्डिचेरी	–	04
31.	छत्तीसगढ़	1	04
32.	उत्तरांचल	1	05
	कुल	41	640

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना

***387. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत एक आवासीय इकाई की कितनी निर्माण लागत निर्धारित की गई है;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के कारण उक्त योजना के अंतर्गत लागत सीमा में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) एक मांग आधारित केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जिसका वित्तपोषण केन्द्र और राज्यों के बीच 50 : 50 के आधार पर किया जाता है। इसका उद्देश्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी स्लम वासियों हेतु सफाई सुविधाओं सहित रिहायशी यूनिटों के निर्माण और उन्नयन को आसान बनाना है। लाभार्थियों के लिए आरक्षण/प्रतिशतता इस प्रकार है:

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	–	50% से कम नहीं
2. पिछड़े वर्ग	–	30%
3. अन्य कमजोर वर्ग	–	15% (अन्य पिछड़े वर्ग पिछड़े वर्ग आदि)
4. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	–	5%

"निर्मल भारत अभियान" नामक एक सफाई परियोजना वाम्बे का अभिन्न घटक है। निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य सामुदायिक शौचालय का निर्माण करके स्वस्थ और अनुकूल शहरी पर्यावरण मुहैया कराना है।

(ख) वाम्बे के अंतर्गत रिहायशी यूनिटों की निर्माण लागत सामान्य शहरों के लिए 40,000 रु., मैट्रो शहरों के लिए 50,000 रु. और मेगा शहरों के लिए 60,000 रु. है। पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के लिए इस सीमा को 12.5% तक बढ़ाया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्यों और अन्य पणधारियों की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने रिहायशी यूनिटों की लागत में संशोधन सहित वाम्बे दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुलिस को उपकरण/हथियार देना

*388. **श्री राजनरायन बुधौलिया:**
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुलिस को नवीनतम उपकरण/हथियार देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ इस क्षेत्र के राज्यों को कितनी धनराशि प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान। सरकार, दिल्ली पुलिस तथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा राज्यों जिनके कुछ जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ते हैं को उनके पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत उन्नत हथियार/उपकरण प्रदान करती रही है। राष्ट्रीय राधानी क्षेत्र में पड़ने वाले इन राज्यों से अपनी पुलिस व्यवस्था को दिल्ली जैसी ही बनाने और ऐसे आधुनिकीकरण हेतु अपनी वार्षिक योजनाओं में पर्याप्त प्रावधान करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) से (घ) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत गत दो वर्षों के लिए हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राजयों को निम्नलिखित निधियां जारी की जाती हैं:

(रु. करोड़ में)

राज्य का नाम	2003–04		2004–05	
	जारी की गईं केन्द्रीय निधियां	उपयोग की गईं केन्द्रीय निधियां	जारी की गईं केन्द्रीय निधियां	उपयोग की गईं केन्द्रीय निधियां
हरियाणा	20.00	20.00	22.13	10.82
राजस्थान	43.10	3.94	42.42	11.62
उत्तर प्रदेश	65.02	21.72	108.56	54.05

जिन मदों के लिए निधियां जारी की गईं, उनमें उन्नत गतिशीलता, आधुनिक हथियार, सुरक्षा के लिए उपकरण/असूचना/यातायात प्रबंधन/ आधुनिक जांच-पड़ताल संबंधी औजार, रिहायशी और गैर-रिहायशी इमारतें, संचार/निगरानी उपकरण इत्यादि शामिल हैं।

अंतर्राज्यीय व्यापार परिषद

*389. **श्री वाई. जी. महाजन:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्राज्यीय व्यापार परिषद का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या अंतर्राज्यीय व्यापार परिषद के गठन के परिणामस्वरूप व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसा कोई तंत्र विकसित किया है जो यह सुनिश्चित कर सके कि व्यापार देश भर में समान रूप से प्रोत्साहित हो; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) अंतर्राज्यीय व्यापार परिषद का गठन 24 जून, 2005 को किया गया है।

(ख) इसे व्यापार सुविधा के संबंध में विभिन्न राज्यों में एक समान प्रथाएं तैयार करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए एक समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों को शामिल करने और उन्हें क्षमता निर्माण तथा अवसंचरना विकास से संबंधित कार्य में लगाने की दृष्टि से गठित किया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए समग्र रूप से सहायता करने वाली नीति और आर्थिक वातावरण तैयार किए जा सकें।

(ग) से (च) अंतर्राज्यीय व्यापार परिषद का उद्देश्य अंतर्राज्यीय व्यापार नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संवर्धन करना है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अंतर्राज्यीय व्यापार में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

चाय उत्पादक

*390. **श्री एस. अजय कुमार:**
श्री ए.वी. वेल्लारमिन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चाय पत्ती प्रसंस्करण संयंत्रों और इन संयंत्रों को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधा का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में चाय के मूल्यों में भारी गिरावट आने के कारण लघु चाय उत्पादक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं जैसा कि दिनांक 25 जुलाई, 2003 के "स्टेट्समैन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा लघु चाय उत्पादकों के कष्टों को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार चाय पत्ती उगाने के लिए लघु चाय उत्पादकों को राजसहायता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) देश में 14 इंस्टैंट चाय कारखानों सहित 1577 चाय पत्ती प्रसंस्करण संयंत्र हैं जो चाय बोर्ड के पास पंजीकृत हैं। प्रदान की जा रही सुविधाओं में आधुनिक प्रसंस्करण मशीन, पैकेजिंग और मिश्रण मशीन खरीदने तथा गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए सब्सिडी। इन कारखानों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) हरी पत्ती की कीमतें पिछले महीनों की तुलना में जुलाई, 2005 में सभी चाय उपजकर्त्ता क्षेत्रों में कम हो गई थी। कीमतों में इस गिरावट का कारण आंशिक रूप से तोड़ी गई चाय पत्तियों की घटिया गुणवत्ता और हरी पत्ती की अत्यधिक वृद्धि है जिसके फलस्वरूप प्रसंस्करण कारखानों को अधिक आपूर्ति हुई। उत्तरी बंगाल में 11-25 जुलाई, 2005 तक हुई उद्योग-व्यापी हड़ताल के कारण हरी पत्ती जो एस्टेट कारखानों को भेजी जाती है, को निजी क्रीत पत्ती कारखानों (बी एल एफ) को भेज दिया गया था। इसलिए क्रीत पत्ती कारखानों के पास हरी पत्ती की उपलब्धता उनकी अपनी सामान्य आवक से बहुत अधिक थी। पश्चिम बंगाल में हड़ताल उत्पादक संघों के साथ वेतन वार्ताएं टूट

जाने के कारण हुई थी। श्रमिक संघों और नियोक्ता एसोसिएशनों के बीच दिनांक 25.7.2005 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और हड़ताल को वापस ले लिया गया है।

लघु चाय उपजकर्त्ताओं की सहायता करने के लिए उठाए गए कदमों में दिनांक 1.4.2004 से चाय विपणन नियंत्रण आदेश, 2003 के अंतर्गत अधिसूचित एक कीमत भागीदारी फार्मूला, वर्ष 2004 में चार महीने की अवधि के लिए एक कीमत सब्सिडी स्कीम का कार्यान्वयन और दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चाय की उत्पादकता, गुणवत्ता और विपणनीयता बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की गई विभिन्न विकास स्कीमें शामिल हैं।

(घ) और (ङ) इस समय कीमत सब्सिडी प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी कीमत सब्सिडी स्कीम को लागू करने से तब तक छोटे उपजकर्त्ताओं को संभवत: वांछित राहत प्राप्त नहीं हो सकती जब तक उपजकर्त्ताओं द्वारा घटिया तरीके से पत्ती तोड़ने और कारखानों में पुन: प्रसंस्करण की मर्ज का उचित रूप से निदान न किया जाए। पी एफ ए अधिनियम के अंतर्गत गुणवत्ता मानक हैं जिन्हें चाय उत्पादकों द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है और कारखानों द्वारा ऐसे मानकों का उचित अनुपालन करना जरूरी है। चाय बोर्ड ने कार्य स्थल और कारखाने में भी उत्तम कृषि प्रथाएं तथा विनिर्माण प्रथाएं अपनाने की उपयोगिता के संबंध में उपजकर्त्ताओं और विनिर्माताओं के बीच अनेक गुणवत्ता जागरूकता अभियान शुरू किए हैं।

विवरण

देश में कार्यरत चाय पत्ती प्रंसस्करण इकाईयों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	कारखानों की संख्या
1	2
असम	685
पश्चिम बंगाल	355
तमिलनाडु	328
केरल	119
कर्नाटक	11
हिमाचल प्रदेश	27
त्रिपुरा	30
सिक्किम	1
उत्तरांचल	4
अरुणाचल प्रदेश	12
उड़ीसा	1
नागालैंड	1
मेघालय	1
बिहार	2
जोड़	1577*

* में 14 इंस्टैंट चाय कारखाने शामिल हैं।

निरक्षर महिलाओं हेतु महिला शिक्षण केन्द्र

*391. **श्री अनन्त गुड़े:**
श्री मदन लाल शर्मा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निरक्षर महिलाओं हेतु महिला शिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे महिला शिक्षण केन्द्रों से राज्यवार कुल कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में महिला शिक्षण केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ङ) महिला शिक्षण केन्द्र 'महिला समाख्या' की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत खोले जाते हैं। इनका उद्देश्य सघन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना तथा पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षित और जागरूक महिलाओं का एक कैडर तैयार करना है।

महिला शिक्षण केन्द्रों की संख्या तथा उनसे लाभान्वित होने वालों की संख्या विवरण में दी गई है।

राज्य महिला समाख्या कार्यक्रमों की वर्ष 2005-2006 की वार्षिक कार्य योजनाओं में 8 अतिरिक्त महिला शिक्षण केन्द्रों को अनुमोदित किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान महिला शिक्षण केन्द्रों तथा उनसे लाभान्वित होने वालों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	महिला शिक्षण केन्द्रों की संख्या	लाभग्राहियों की संख्या		
			2002–2003	2003–04	2004–05
1.	आंध्र प्रदेश	11	449	483	380
2.	बिहार	8	993	1251	1272
3.	गुजरात	8	54	104	175
4.	झारखंड	6	186	177	282
5.	कर्नाटक	1	36	44	50
6.	उत्तर प्रदेश	12	245	414	636
	कुल	46	1963	2473	2795

[हिन्दी]

उद्योगों का आधुनिकीकरण

***392. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
मोहम्मद शाहिद:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा दसवीं योजना के दौरान उद्योगों का आधुनिकीकरण करने हेतु कोई योजना बनाई गई है/बनाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कुल निर्यात में विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात का हिस्सा कितने प्रतिशत था;

(घ) इन वस्तुओं के निर्यात में गत वर्ष की तुलना में अभी तक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान विनिर्मित वस्तुओं का सबसे अधिक निर्यात किन देशों का किया गया; और

(च) उद्योगों के आधुनिकीकरण के माध्यम से विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण स्कीम" नामक एक योजना स्कीम तैयार की है। इस स्कीम में प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए उद्योगों को पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी देने की परिकल्पना की गयी है। इसे योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक असूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) विभिन्न वस्तुओं के लिए भारतीय व्यापार वर्गीकरण (आई टी सी) सुमेलीकृत प्रणाली (एच एस) कोड के आधार पर व्यापार आंकड़ों का संकलन करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत विनिर्मित वस्तुओं का कोई अलग वर्गीकरण नहीं किया जाता है। तथापि, डी जी सी आई एंड एस द्वारा मुख्य श्रेणियों जैसे वस्त्र, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरी, रसायन, चमड़ा आदि परन्तु इसमें पेट्रोलियम उत्पाद शामिल नहीं हैं, के लिए प्रयोग आंकड़े भी प्रकाशित किए गए थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय निर्यात में विनिर्मित वस्तुओं का हिस्सा 70 प्रतिशत से अधिक था। उपर्युक्त विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 2004–05 के दौरान 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ङ) मुख्य देशों को किए गए निर्यात का कुल मूल्य संलग्न विवरण–II में दिया गया है। देशवार निर्यातित विनिर्मित माल की मात्रा उपलब्ध नहीं है।

(च) विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास करती है जिसके फलस्वरूप पर्याप्त सकारात्मक मूल्यवर्धन

होता है। विनिर्माण कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गयी नीतियों में प्रौद्योगिकीय और अवसंरचनात्मक उन्नयन व्युत्क्रमित शुल्क ढांचे को सुधारना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि मुक्त व्यापार करारों/क्षेत्रीय व्यापार करारों से घरेलू उद्योग को कोई हानि न हो। सरकार की स्कीमें जैसे टेक्सटाईल और जूट उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टी यू एफ एस), औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आई आई यू एस), समेकित चमड़ा विकास स्कीम (आई एल डी एस) आदि विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात को और बढ़ाने के लिए पहले ही चलाई जा रही है।

विवरण I

भारत के निर्यातों का वस्तु संबंधी संघटन

(कुल निर्यातों में % हिस्सा)

	2002-03	2003-04	2004-05
1. प्राथमिक उत्पादक	16.0	15.5	15.2
कृषि एवं संबद्ध	12.8	11.8	10.0
कोयले को छोड़कर, अयस्क एवं खनिज	3.8	3.7	5.2
2. विनिर्मित वस्तुएं	76.6	76.0	73.6
हस्तशिल्प एवं गलीचों सहित टेक्सटाईल्स	21.1	19.0	16.3
रत्न एवं आभूषण	17.2	16.6	17.3
इंजीनियरी सामान	17.2	19.4	20.7
रसायन एवं संबंधित उत्पाद	14.2	14.8	16.0
चमड़ा एवं विनिर्माण	3.5	3.4	2.9
3. पेट्रोलियम, कच्चा एवं उत्पाद	4.9	5.6	8.6
4. अन्य	1.9	2.9	2.6
कुल निर्यात	100.0	100.0	100.0

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2004-2005 एवं डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता

नोट: कुछेक विनिर्माण कार्यकलापों को प्राथमिक उत्पादों और कच्चे एवं पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। हाल के वर्षों में कच्चे और पेट्रोलियम उत्पादों में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है।

विवरण II

वर्ष 2004-2005 के लिए निर्यातों के मूल्य के अनुसार चुने गए शीर्ष 15 देश (मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	देश	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	अमरीका	10895.76	11490.11	13265.60
2.	संयुक्त अरब अमीरात	3327.48	5125.61	7098.14
3.	चीन जन. गण.	1975.48	2955.10	4586.28

1	2	3	4	5
4.	सिंगापुर	1421.58	2124.84	3795.51
5.	हांगकांग	2613.33	3261.83	3651.33
6.	यू के	2496.41	3023.27	3544.69
7.	जर्मनी	2106.68	2544.57	2644.10
8.	बेल्जियम	1661.84	1805.73	2442.09
9.	इटली	1357.08	1729.41	2160.83
10.	जापान	1864.03	1709.30	1977.59
11.	फ्रांस	1074.09	1280.89	1609.11
12.	बांग्लादेश जन. गण.	1176.00	1740.75	1586.18
13.	नीदरलैंड	1047.91	1289.12	1518.06
14.	सऊदी अरब	940.74	1123.31	1369.76
15.	श्रीलंका डी एस आर	920.98	1319.20	1353.75
	कुल जोड़	52719.43	63842.97	79247.05

स्रोत: डी जी सी आई एंड एस

[अनुवाद]

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास

***393. श्री जुएल ओराम:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना अवधि के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य को अब तक कितनी धनराशि आबंटित/ जारी की गई है;

(ग) क्या सभी राज्यों ने इस धनराशि का उपयोग कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) वित्तीय सहायता का उपयोग करने से औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) दसवीं योजनावधि के दौरान, विशिष्ट रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास हेतु निधियों का योजना-वार आवंटन इस प्रकार है:

क्र.सं.	योजना	दसवीं योजना के लिए निर्धारित की गई निधियां (रुपये करोड़ में)
1.	परिवहन राजसहायता योजना	100
2.	विकास केन्द्र योजना	30
3.	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर की औद्योगिक नीति हेतु एकमुश्त प्रावधान	200
4.	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के विशेष श्रेणी राज्यों के लिए पैकेज	11
	कुल जोड़	341

(ख) से (घ) योजना-वार और राज्य-वार आवंटित की गई, जारी की गई एवं उपयोग की गई राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ङ) जारी की गई निधियों के अल्प उपयोग के प्रमुख कारण हैं भूमि अधिग्रहण की कठिनाइयां, अपेक्षित औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में लगने वाला लंबा समय तथा कुछ राज्यों द्वारा निधियां जारी करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं के कारण विलंब।

(च) संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, विकास केन्द्र योजना के अधीन 1074 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है जिनमें 36,887 व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ पूर्वोत्तर की औद्योगिक नीति, 1997 के तहत 681 इकाइयों को लाभ पहुंचा है जिनमें लगभग 30,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। विशेष श्रेणी वाले राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के लिए योजनाओं ने 4876 इकाइयों की स्थापना को प्रेरित किया है जिनमें लगभग 2.19 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ।

विवरण I

(क) दसवीं योजना के दौरान परिवहन राजसहायता योजना के तहत राज्यवार एवं वर्षवार जारी की गई राशि

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	2002-2003	2003-04	2004-05	कुल योग	उपयोग की स्थिति
1.	असम					
2.	मणिपुर					
3.	त्रिपुरा	*9497.45	*224.09	*5401.58	*15123.12	उपयोग किया
4.	अरुणाचल प्रदेश					15094.12
5.	मेघालय					
6.	नागालैण्ड					
7.	मिजोरम					
8.	सिक्किम					
9.	हिमाचल प्रदेश	1174.45	1045.17	1081.43	3301.05	2701.05 उपयोग किया
10.	जम्मू और कश्मीर	191.03	450.00	500.00	1141.03	840.03 उपयोग किया
11.	उत्तरांचल	–	–	442.08	442.08	शून्य
12.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.81	0.83	0.91	2.55	2.55 उपयोग किया
13.	लक्षद्वीप	–	–			
14.	पश्चिम बंगाल (जिला दार्जिलिंग)	36.26	–	36.00	72.26	72.26 उपयोग किया
योग		10900.00	1720.09	7462.00	20082.09	18710.01

*पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मई, 2000 से नॉडल एजेंसी, अर्थात पूर्वोत्तर विकास वित्तीय विकास निगम, गुवाहाटी को निधियां जारी की जा रही हैं, जो पात्र औद्योगिक एककों को सीधे राजसहायता संवितरित करती है।

(ख) दसवीं योजना के दौरान विकास केन्द्र योजना हेतु जारी केन्द्रीय सहायता

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विकास केन्द्र का नाम (राज्य-वार)	2002-03	2003-04	2004-05	योग	उपयोग की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
I.	**आंध्र प्रदेश**					
1.	हिन्दुपुर			50	50	50 उपयोग की गई
2.	जेडचरेला			195	195	195 उपयोग की गई
3.	विजयनगरम-बोबिली			50	50	50 उपयोग की गई
4.	अंगोले	110	110		210	210 उपयोग की गई
	योग	110	100	295	505	505 उपयोग की गई
II.	**अरुणाचल प्रदेश**					
5.	निकलॉग गोरलंग	320	200		520	520 उपयोग की गई
	योग	320	200		520	520 उपयोग की गई
III.	**असम**					
6.	चारिद्वार	450	66	200	716	516 उपयोग की गई
7.	मटिया	450			450	450 उपयोग की गई
8.	छायागांव		500		500	500 उपयोग की गई
	योग	900	566	200	1666	1466 उपयोग की गई
IV.	**बिहार**					
9.	बेगुसराय	200			200	शून्य
10.	भागलपुर	–	–	–	–	
11.	छपरा	–	–	–	–	
12.	दरभंगा	–	–	–	–	
13.	मुजफ्फरपुर	–	–	–	–	
	योग	200			200	शून्य
V.	**छत्तीसगढ़**					
14.	बोराई	100	107		207	207 उपयोग की गई
15.	सिलतारा					
	योग	100	107		207	207 उपयोग की गई

1	2	3	4	5	6	7
VI.	**गोवा**					
16.	इलेक्ट्रॉनिक सिटी		176		176	शून्य
	योग		176		176	शून्य
VII.	**गुजरात**					
17.	गांधीधाम	200			200	शून्य
18.	पालनपुर	100			100	शून्य
19.	वागरा					
	योग	300			300	शून्य
VIII.	**हरियाणा**					
20.	वावल					
21.	शाह	450			450	450 उपयोग की गई
	योग	450			450	450 उपयोग की गई
IX.	**हिमाचल प्रदेश**					
22.	कांगड़ा	153	500		653	653 उपयोग की गई
	योग	153	500		653	653 उपयोग की गई
X.	**जम्मू एवं कश्मीर**					
23.	लस्सीपोरा	175	500		675	675 उपयोग की गई
24.	सांभा	100	500		600	600 उपयोग की गई
	योग	275	1000		1275	1275 उपयोग की गई
XI.	**झारखंड**					
25.	हजारीबाग		200		200	शून्य
	योग		200		200	शून्य
XII.	**कर्नाटक**					
26.	धारवाड़					
27.	रायचूर					
28.	हसन					
	योग					

1	2	3	4	5	6	7
XIII.	**केरल**					
29.	अलपुज्झा - मालापुरम					
30.	कन्नुर - कोजिकोड़					
	योग					
XIV.	**मध्य प्रदेश**					
31.	चैनपुरा	150		300	450	325 उपयोग की गई
32.	घिरोंगी					
33.	खेड़ा					
34.	सतलापुर	100	365		465	465 उपयोग की गई
	योग	250	365	300	915	790 उपयोग की गई
XV.	**महाराष्ट्र**					
35.	अकोला					
36.	चन्द्रपुर					
37.	धूले		200		200	200 उपयोग की गई
38.	नांदेड़		90		90	90 उपयोग की गई
39.	रत्नागिरी					
	योग		290		290	290 उपयोग की गई
XVI.	**मणिपुर**					
40.	लामलेई-नापेट					
	योग					
XVII.	**मेघालय**					
41.	मेंदीपथर		500		500	शून्य
	योग		500		500	शून्य
XVIII.	**मिजोरम**					
42.	लोंगमाल	180	400		580	580 उपयोग की गई
	योग	180	400		580	580 उपयोग की गई
XIX.	**नागालैंड**					
43.	गणेशनगर					
	योग	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
XX.	**उड़ीसा**					
44.	छतरपुर					
45.	कलिंगनगर - डुबुरी	240	160		400	400 उपयोग की गई
46.	झारसुगुड़ा		68	100	168	168 उपयोग की गई
47.	केसिंगा			50	50	50 उपयोग की गई
	योग	240	228	150	618	618 उपयोग की गई
XXI.	**पांडिचेरी**	250			250	250 उपयोग की गई
48.	पोलागा					
	योग	250			250	250 उपयोग की गई
XXII.	**पंजाब**					
49.	भटिण्डा					
50.	पठानकोट					
	योग					
XXIII.	**राजस्थान**					
51.	आबू रोड़					
52.	खाड़ा	170		200	370	370 उपयोग की गई
53.	भीलवाड़ा			300	300	300 उपयोग की गई
54.	धौलपुर	680			680	680 उपयोग की गई
55.	झालावाड़			300	300	300 उपयोग की गई
	योग	850		800	1650	1650 उपयोग की गई
XXIV.	**सिक्किम**					
56.	सामलिक मारचक		500		500	500 उपयोग की गई
	योग		500		500	500 उपयोग की गई
XXV.	**तमिलनाडु**					
57.	इरोड़					
58.	त्रिरुनेलवेली					
59.	ओरामादम					
	योग					

1	2	3	4	5	6	7
XXVI.	**त्रिपुरा**					
60.	बोधजंग नगर	500	430		930	680 उपयोग की गई
	योग	500	430		930	680 उपयोग की गई
XXVII.	**उत्तरांचल**					
61.	सिग्गडी		1000		1000	500 उपयोग की गई
	योग		1000		1000	500 उपयोग की गई
XXVIII.	**उत्तर प्रदेश**					
62.	बिजौली					
63.	जमौर			100	100	100 उपयोग की गई
64.	पाकबड़ा	50	150		200	200 उपयोग की गई
65.	डिबियापुर			200	200	200 उपयोग की गई
66.	जैनपुर			350	350	350 उपयोग की गई
67.	सथारिया	200			200	शून्य
68.	सहजनवा					
	योग	250	150	650	1050	850 उपयोग की गई
XXIX.	**पश्चिम बंगाल**					
69.	बोलपुर	100		200	300	300 उपयोग की गई
70.	जलपाईगुडी	100		200	300	300 उपयोग की गई
71.	मालदा	100			100	100 उपयोग की गई
	योग	300		400	700	700 उपयोग की गई
	कुल योग	5628	6712	2795	15135	12,234 उपयोग की गई

विवरण II

दसवीं योजनावधि के दौरान, निवेश राजसहायता योजना, ब्याज राजसहायता योजना और व्यापक बीमा योजना के तहत राज्यवार और वर्षवार जारी की गई निधियां:

योजनाएं

निवेश राजसहायता योजना

(रुपये करोड़ में)

राज्य का नाम	2002–2003	2003–04	2004–05	योग	प्रयुक्त की गई
1	2	3	4	5	6
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	17	5	15	37	29.80
जम्मू-कश्मीर	–	2	–	2	0.35

1	2	3	4	5	6
हिमाचल प्रदेश	2.5	–	–	2.5	2.21
उत्तरांचल	2.5	–	–	2.5	–
कुल योग	22	7	15	44	32.36
		ब्याज राजसहायता योजना			
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	2	–	8.50	10.50	7.73
जम्मू-कश्मीर	–	1.75	–	1.75	–
हिमाचल प्रदेश				योजना लागू नहीं	
उत्तरांचल				योजना लागू नहीं	
कुल योग	2	1.75	8.50	12.25	7.73
		व्यापक बीमा योजना			
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	0.80	0.60	2.00	3.40	3.40
जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	योजना लागू नहीं				
उत्तरांचल	योजना लागू नहीं				
कुल योग	0.80	0.60	2.00	3.40	3.40

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में लघु उद्योगों को बढ़ावा

***394. श्री कमला प्रसाद रावत:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग श्रम प्रधान हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) मार्च, 2005 के अंत की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 118.59 लाख पंजीकृत और अपंजीकृत लघु उद्योगों (एस एस आई) द्वारा अनुमानित 282.91 लाख रोजगार सृजन किया गया है।

लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं। तथापि, केन्द्र सरकार सम्पूर्ण देश में, जिसमें जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) सम्मिलित हैं, अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर उनका सहयोग करती है तथा उनके प्रयासों को अनुपूरित करती है।

केन्द्र सरकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित), जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में लघु उद्योगों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत आधारिक संरचना (आई आई डी) योजना के अंतर्गत आई आई डी केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुमोदित लागत के 80 प्रतिशत (अधिकतम 4 करोड़ रुपए) तक केन्द्रीय अनुदान प्रदान करती है। अन्य राज्यों के लिए यह अनुदान 40 प्रतिशत (अधिकतम 2 करोड़ रुपए) है।

इसके अतिरिक्त, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण (क्रेडिट) को बढ़ाने के लिए 10 अगस्त, 2005 को घोषित पॉलिसी पैकेज में यह प्रावधान है कि क्रेडिट गारंटी फंड योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) और जम्मू और कश्मीर के पात्र केसों के ऋण (लोन) की गारंटी पर एकमुश्त गारंटी शुल्क को 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्माल इंडस्ट्रीज (सी जी टी एस आई) को सलाह दी जाए।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए निर्धारित धनराशियों का दुरुपयोग

*395. **प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ आंगनवाड़ी केन्द्र ठीक ढंग से नहीं चलाये जा रहे हैं और ऐसे केन्द्रों के लिए आबंटित सामग्रियों एवं धनराशियों का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य पद्धति पर अंकुश लगाने तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) इस प्रकार का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। आगंनवाड़ी केन्द्रों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में और सुधार करने के लिए निम्नलिखित अनुदेश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुन: भेजे गए हैं:

* अन्य संबंधित स्कीमों के साथ संकेन्द्रण सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर समन्वय समितियों को सुदृढ़ बनाया जाए;

* इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से समुदाय को शामिल किया जाए;

* दवाओं और स्कूल-पूर्व किटों को नियमित खरीद और आपूर्ति की जाए;

* पूरक पोषण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता; तथा

* पर्यवेक्षण और प्रबोधन तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाए।

[अनुवाद]

कांपैक्ट रिवोल्यूशनरी जोन

*396. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सलवादियों ने देश में बिहार से नेपाल सीमा और दंडकारण्य क्षेत्र तक फैला हुआ एक कांपैक्ट रिवोल्यूशनरी जोन (सी आर जेड) बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कट्टर भूमिगत संगठनों, हथियारों और बिना लाइसेंस वाले स्वदेशी हथियारों की संख्या के संबंध में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में नक्सलवादियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि नक्सलवादी गुट नेपाल सीमा से बिहार और दंडकारण्य क्षेत्र से होकर आंध्र प्रदेश तक फैला एक 'कांपैक्ट रिवोल्यूशनरी जोन' (सी आर जैड) बनाने का प्रयास करते रहे हैं।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में कट्टर भूमिगत कॉडरों की मौजूदा संख्या लगभग 9300 है उनके पास लगभग 6300 नियमित हथियार और बड़ी मात्रा में देश में निर्मित शस्त्र शामिल हैं।

(ङ) केन्द्र सरकार ने नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए बहु-आयामी रणनीति अपनाई है जिसमें (1) प्रभावित राज्यों द्वारा जब कभी संभव हो उन नक्सली ग्रुपों के साथ शांति वार्ता करना जो हिंसा का मार्ग त्यागने के इच्छुक हों, (2) राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और उन्हें मजबूत बनाना, (3) अर्द्ध-सैनिक बलों की लम्बे समय तक तैनाती करना, (4) नक्सलवादी नेताओं, कॉडरों और उनके आधारभूत ढांचे के विरुद्ध आसूचना आधारित

सु-समन्वित आपरेशन तेज करना, (5) प्रभावित क्षेत्रों के समन्वित विकास पर ध्यान केन्द्रित करना और (6) लोक शिकायत निवारण प्रणाली को सक्रिय बनाना और स्थानीय प्रतिरोध ग्रुपों का सृजन करना शामिल है।

स्वावलंबन कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता

*397. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वावलंबन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) वर्ष 2004-2005 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी सहायता से राज्यवार कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई;

(घ) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों की भागीदारी बढ़ाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई/कितनी लंबित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) स्कीम का उद्देश्य निर्धन तथा जरूरतमंद महिलाओं को प्रशिक्षण देना और उनके कौशलों का विकास करना है, ताकि वे रोजगार अथवा स्व-रोजगार प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। स्कीम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आदि जैसे कमजोर वर्गों की महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करती है।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है

(घ) और (ङ) जी, हां। वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तावों की संवीक्षा एवं उन्हें संस्तुत करने के लिए प्रत्येक राज्य में सचिव, महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण की अध्यक्षता में एक राज्य-स्तरीय अधिकार-प्राप्त समिति की स्थापना की गई है। परियोजनाओं के प्रबोधन एवं मूल्यांकन में राज्यों को शामिल किया जाता है। निधि निर्मुक्ति हेतु समस्त अनुरोध राज्यों की संस्तुतियों से अग्रेषित किए जाते हैं।

(च) दूसरी किस्त के मामलों सहित 507 प्रस्ताव वर्ष 2004-2005 के दौरान अनुमोदित किए गए। 1.4.2006 से स्वावलम्बन स्कीम को राज्यों को हस्तान्तरित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप, बाकी प्रस्तावों को राज्यों को लौटा दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान स्वावलम्बन स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई सहायता तथा लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	प्रस्तावों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	05	4.62	165
2.	असम	20	18.83	460
3.	छत्तीसगढ़	01	1.14	50
4.	दिल्ली	02	1.50	80
5.	गुजरात	05	9.81	260
6.	हरियाणा	39	65.60	2070
7.	हिमाचल प्रदेश	02	2.75	150
8.	जम्मू-कश्मीर	14	15.66	595
9.	झारखंड	01	1.14	50

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	16	71.43	2490
11.	केरल	16	49.14	1380
12.	मध्य प्रदेश	24	27.27	1200
13.	महाराष्ट्र	38	57.43	1810
14.	मणिपुर	58	81.30	2970
15.	मेघालय	03	2.60	100
16.	नागालैण्ड	03	2.90	110
17.	मिजोरम	1	3.03	60
18.	उड़ीसा	58	90.14	3930
19.	पंजाब	04	3.69	110
20.	राजस्थान	02	2.63	90
21.	तमिलनाडु	08	10.22	330
22.	उत्तर प्रदेश	124	132.56	5450
23.	उत्तरांचल	13	24.22	690
24.	पश्चिम बंगाल	50	108.27	3190
	कुल	507	787.88	27790

तंबाकू

*398. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तंबाकू का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सिगरेट, बीड़ी और धूम्रपान के अन्य तरीकों आदि पर प्रतिबंध लगाने से तंबाकू उत्पादकों के हितों पर प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश के तंबाकू उत्पादकों के सामने आ रही समस्याओं को हल करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) पिछले चार वर्षों के दौरान होने वाले तम्बाकू के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले चार वर्षों के दौरान हुआ तम्बाकू का उत्पादन निम्नलिखित है:

फसल वर्ष	उत्पादन (मिलियन किग्रा.)
2001-02	177.72
2002-03	190.92
2003-04	221.67
2004-05	243.35

सर्वशिक्षा अभियान का विस्तार

***399. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने सर्वशिक्षा अभियान का वर्तमान कक्षा आठ से कक्षा दस तक विस्तार करने अथवा सर्वशिक्षा अभियान की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा के लिए एक मिशन की स्थापना करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा दसवीं योजना के अपने मध्यावधि मूल्यांकन में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र ने माध्यमिक शिक्षा की तरफ अब तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने योजना आयोग के सुझावों पर विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) इन सुझावों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) योजना आयोग ने दसवीं योजना के अपने माध्यावधि मूल्यांकन में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि, "सर्वशिक्षा अभियान के तहत पूर्ण अथवा लगभग पूर्ण प्रतिधारण के लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा के व्यापक विस्तार हेतु योजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ सर्वशिक्षा अभियान की तरह से माध्यमिक शिक्षा हेतु एक नए मिशन पर विचार किया जाना चाहिए।"

(ग) से (च) माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने हेतु कुछ केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीमें लागू की गई हैं।

प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप माध्यमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण संबंधी एक रूप-रेखा तैयार करने हेतु सितम्बर, 2004 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति गठित की गई थी। इस समिति की रिपोर्ट जुलाई, 2005 में प्राप्त हुई है।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति और योजना आयोग की सिफारिशों की जांच की जा रही है। इन सिफारिशों को ग्यारहवीं योजना अवधि तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

नवोदय विद्यालयों द्वारा छात्र व्यय

***400. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवोदय विद्यालयों द्वारा प्रति छात्र भोजन, वस्त्र और अन्य चीजों के लिए प्रति माह प्रदान की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन माडल स्कूलों में प्रदान किया जाने वाला भोजन कई मायनों में घटिया स्तर का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) नवोदय विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन, वस्त्र आदि जैसी विभिन्न मदों के लिए प्रत्येक माह दी जाने वाली राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

मद	राशि (प्रति माह)	राशि (प्रति वर्ष)
मेस (भोजन)	600/- रुपए (9 माह के लिए)	5400/- रुपए
वर्दी (वस्त्र)	75/- रुपए (गर्म क्षेत्रों में) 100/- रुपए (ठंडे क्षेत्रों में)	900/- रुपए 1200/- रुपए
पाठ्यपुस्तकें	12.50/- रुपए	150/- रुपए
दैनिक उपयोग वाली मदें	29/- रुपए (लगभग)	350/- रुपए
लेखनसामग्री, यात्रा, चिकित्सा व्यय, के.मा.शि. बोर्ड शुल्क आदि	46/- रुपए (लगभग)	550/- रुपए
		कुल: (क) 7350/- रुपए (गर्म क्षेत्रों में) (ख) 7650/- रुपए (ठंडे क्षेत्रों में)

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

निजी विद्यालयों को मान्यता

3927. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित निजी विद्यालयों के नाम और पते क्या हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास कृषि भूमि में स्थित निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने की कोई नीति है; और

(ग) यदि हां, तो इन निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय विपदाओं और आपदाओं के अध्ययन हेतु राष्ट्रीय केन्द्र

3928. श्री बापू हरी चौरे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय विपदाओं और आपदाओं के अध्ययन हेतु राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार तथा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन विश्वविद्यालय, नासिक, महाराष्ट्र से, इन विश्वविद्यालयों में आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा परिचालित की जा रही मौजूदा स्कीम के अंतर्गत, आपदा प्रबंधन संकाय के संचालन हेतु राज्य सरकारों द्वारा नामित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों अथवा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को प्रति वर्ष पंद्रह लाख रुपए से अनधिक तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में 28 राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा नामित तेजपुर विश्वविद्यालय, असम, नामक एक विश्वविद्यालय तथा 28 प्रशिक्षण संस्थानों को स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

बिहार राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय पर भी आपदा प्रबंधन संकाय के सृजन हेतु बिहार में एक संस्थान को नामित करते समय, विचार किया जाए। तथापि, राज्य सरकार ने आपदा न्यूनीकरण और प्राकृतिक

आपदाओं के लिए एक केन्द्र की स्थापना करने हेतु, भारत सरकार से वित्तीय सहायता की प्राप्ति हेतु प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहार को नामित करने का निर्णय लिया है।

महाराष्ट्र के मामले में, आपदा प्रबंधन संकाय के संचालन हेतु भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक संस्थान को पहले ही नामित किया जा चुका है। यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन विश्वविद्यालय, जिसे आपदा प्रबंधन के संस्थान की स्थापना हेतु पंद्रह करोड़ रुपए की सहायता की आवश्यकता थी, को सूचित कर दिया गया था कि स्कीम के अंतर्गत सीमित धनराशि की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए, प्रस्तावित संस्थान की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, इस मंत्रालय के लिए संभव नहीं होगा।

[अनुवाद]

दहेज उत्पीड़न के मामले

*3929. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक दिल्ली में दहेज उत्पीड़न के मामलों और इन मामलों में दिल्ली पुलिस के कई कार्मिकों के संलिप्त होने की खबरों की ओर आकृष्ट किया गया है जैसाकि दिनांक 20 अगस्त, 2004 के 'दी हिन्दुस्तान टाईम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई छानबीन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दहेज उत्पीड़न के मामलों में किसी पुलिस कार्मिक को संलिप्त पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त पुलिस कार्मिक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। वर्ष 2002, 2003, 2004 तथा 31 जुलाई, 2005 तक के दौरान दहेज उत्पीड़न संबंधी मामलों में शामिल पुलिस कार्मिकों की संख्या तथा 20 अगस्त, 2004 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार मद में उल्लिखित मामले सहित उनके विरुद्ध पंजीकृत मामलों की स्थिति, नीचे दी गई है:

वर्ष	शामिल पुलिस कार्मिकों की संख्या	पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध पंजीकृत मामलों की स्थिति		
		जांच-पड़ताल के लिए लम्बित	विचारण के लिए लम्बित	न्यायालय द्वारा बरी/ न्यायालय द्वारा रद्द मामले
2002	18	3	11	4
2003	16	5	10	1
2004	12	5	7	–
2005 (31 जुलाई तक)	6	6	–	–

[हिन्दी]

उद्यम केन्द्र

3930. **श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उद्यम केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे केन्द्रों के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा इन केन्द्रों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) से (घ) उद्योगों की वृद्धि में उद्यमिता विकास की अहम भूमिका को स्वीकारते हुए, भारत सरकार ने उद्यमिता विकास के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की है/उनकी सहायता की है।

लघु उद्योग मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्तर के 3 स्वायत्तशासी प्रशिक्षण संस्थान हैं अर्थात गुवाहाटी में भारतीय उद्यमिता संस्थान

(आईआईई), हैदराबाद में राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएसआईईटी) और नोएडा में राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यवसाय विकास बोर्ड संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) जो उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं।

लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई) योजना के तहत, मौजूदा ई.डी.आई. की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए और नये संस्थानों की स्थापना करने के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा भवन, उपकरण, प्रशिक्षण सहायक-सामग्री आदि के लिए संस्थानों को एक ही बार एक करोड़ रुपये तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। शेष राशि संबंधित राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की किसी वित्तीय संस्था द्वारा, समान योगदान के रूप में, उलब्ध करायी जाती है। अब तक राज्य स्तर की 22 उद्यमिता विकास संस्थाओं को 13.94 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई हैं। लघु उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2005-2006 के अपने बजट अनुमानों में ई.डी.आई. स्कीम के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

उत्तर प्रदेश में बड़े शहरों का विकास

3931. श्री संतोष गंगवार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश राज्य में बरेली, लखनऊ, कानपुर, आगरा इत्यादि जैसे बड़े शहरों का विकास करने हेतु इस राज्य को वित्तीय सहायता जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को यह धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(ग) इसके सफल क्रियान्वयन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ महानगर में नागरिक सुविधाओं संबंधी अवसंरचना का विकास करने और इसे सुदृढ़ करने हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय योजना आयोग से अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो संस्वीकृत केन्द्रीय सहायता की धनराशि कितनी है और इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं। तथापि, इस मंत्रालय ने शहरी अवस्थापना के विकास के लिए सुधार से जुड़ी सहायता मुहैया कराने के लिए चुने गये नगरों के लिए राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एनयूआरएम) तथा अन्य नगरों व कस्बों के लिए छोटे व मझोले कस्बों के अवस्थापना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी) प्रस्तावित की है। वे योजनाएं अभी सरकार द्वारा अनुमोदित की जानी हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) योजना आयोग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 18,230 करोड़ रु. के आर्थिक पैकेज के एक भाग के रूप में लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर नगरों में शहरी अवस्थापना के विकास हेतु 500 करोड़ रु. के लिए अनुरोध किया था और पंचवर्षीय योजना के तहत वर्तमान कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से आश्वासन दिए जाने पर अलग-अलग राज्य की जरूरत के अनुसार वितरण किया जाता है।

शहरी योजनाकार (एमसीडी) द्वारा साइट की आयोजना

3932. श्री बालेश्वर यादव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के वजीरपुर फेज-IV में बुनकर कालोनी में झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को आवंटित वैकल्पिक भू-खण्ड की साइट आयोजना की प्रक्रिया गत एक वर्ष से रुकी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त प्रक्रिया को कब तक पुन: शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार निर्माण हेतु अंतिम निर्धारित तिथि को बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खादी ग्रामोद्योग आयोग का उत्पादन संवर्द्धन

3933. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र के उत्पादन में कोई वृद्धि दर्ज की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के मुकाबले में दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग (के.वी.आई.) सेक्टर में उत्पादन के मूल्य में वृद्धि हुई है, जिसे नीचे सारणी में सारणीबद्ध किया गया है:

के.वी.आई. सेक्टर में उत्पाद का मूल्य (करोड़ रु. में)

नौवी पंचवर्षीय योजना

वर्ष	मूल्य
1997-1998	4519.31
1998-1999	5112.37
1999-2000	6165.35
2000-2001	6923.26
2001-2002	7557.21
दसवीं पंचवर्षीय योजना	
2002-2003	8569.37
2003-2004	9681.78
2004-2005	11234.64*

*अनंतिम।

शिशु संबंधी राष्ट्रीय दिशा-निर्देश

3934. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सभी राज्यों को शिशु और दूध पीते बच्चों के संबंध में दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये सभी दिशा-निर्देश सभी राज्यों द्वारा सख्ती से कार्यान्वित किये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने शिशुओं एवं छोटे बच्चों के आहार सम्बन्धी राष्ट्रीय दिशा-निर्देश 6 अगस्त, 2004 को जारी किए। इन दिशा-निर्देशों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है।

(ग) से (ङ) बिहार, दादर व नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों ने शिशुओं एवं छोटे बच्चों के आहार संबंधी राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए विशेष प्रयास किये हैं। इन दिशा-निर्देशों को आई.सी.डी.एस. कर्मियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम

3935. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ एजेन्सी के विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए कुछ राज्यों में आईसीडीएस परियोजनाओं के अंतर्गत पूरक पोषाहार हेतु खाद्य सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ भी ऐसा ही एक राज्य है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) जी, हां। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एवं उत्तरांचल राज्यों के 19 जिलों में आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण हेतु खाद्य सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा खाद्य सहायता सीमित है। इसका प्रसार संसाधनों की उपलब्धता तथा सुविधाजनक परिचालन पर आधारित है।

रामजन्म भूमि

3936. श्री सुबोध मोहिते: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिये राम जन्म भूमि विवाद को सुलझाने का विचार त्याग दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित चार स्वामित्व वाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष लंबित हैं। स्वामित्व वादों में रोजाना सुनवाई चल रही है। भारत सरकार इनमें से किसी भी वाद में पक्षकार नहीं है।

सरकार का यह मत है कि अयोध्या विवाद या तो संबंधित सभी पक्षों के बीच आपसी सहमति, जिसे आगे कानूनी मंजूरी प्राप्त हो, या न्यायपालिका के निर्णय के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। सरकार इस विवाद का सौहार्दपूर्ण हल ढूंढ़ने के सभी प्रयासों में मदद करेगी।

प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता

3937. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों विशेषकर राजस्थान सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-2006 में उक्त प्रयोजनार्थ राज्यों के लिए राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) भारत सरकार प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सर्वशिक्षा अभियान और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक रूप से निधियां संस्वीकृत करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के तहत 2005-2006 के लिए संस्वीकृत राश्यिां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

2005-2006 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना और बजट

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सर्व शिक्षा अभियान	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	72697.75	7061.288
2.	अरुणाचल प्रदेश	6578.48	
3.	असम	28000	
4.	बिहार	90002.02	15648.76
5.	छत्तीसगढ़	55068.11	
6.	गोवा	1206.46	
7.	गुजरात	30332.222	1461.782
8.	हरियाणा	24988.51	
9.	हिमाचल प्रदेश	11961.83	
10.	जम्मू-कश्मीर	28345.16	
11.	झारखंड	62306.07	5816.109
12.	कर्नाटक	43222.664	
13.	केरल	17542	
14.	मध्य प्रदेश	142279.62	
15.	महाराष्ट्र	88216.71	
16.	मणिपुर	5015.98	
17.	मेघालय	2252.829	
18.	नागालैंड	3385.13	
19.	उड़ीसा	65443.74	10213.6
20.	पंजाब	22581.99	
21.	राजस्थान	85422.3	15807.8
22.	सिक्किम	1989.87	

1	2	3	4
23.	तमिलनाडु	48781.94	
24.	त्रिपुरा	9534.84	
25.	उत्तर प्रदेश	264189	2634
26.	उत्तरांचल	16851	969
27.	पश्चिम बंगाल	101242.15	7061.288
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	833.49	
29.	चंडीगढ़	1469.68	
30.	दादरा और नगर हवेली	734.7	
31.	दमन और दीव	352.65	
32.	दिल्ली	6688.51	
33.	लक्षद्वीप	93.32	
34.	पांडिचेरी	1244.4	

[हिन्दी]

हिन्दी विश्वविद्यालय का विकास

3938. श्री सुरेश वाघमारे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के वर्धा स्थित 'हिन्दी विश्वविद्यालय' के विकास के लिए क्या कार्य किए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय को हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन देने के संबंध में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान हिन्दी विश्वविद्यालय के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) कार्यालय और विश्वविद्यालय चलाने वाले स्टॉफ संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय ने पिछले दो वर्षों के दौरान, परिसर सम्बंधी अवसंरचना, जैसे छात्रों के लिए होस्टल, शिक्षकों तथा स्टाफ के लिए रिहायशी आवास तथा अन्य सुविधाओं के निर्माण का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा है।

(ख) 10वीं योजनावधि (2002-07) के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय को हिन्दी भाषा के संवर्द्धन के लिए 1291.50 लाख रु. का आवंटन किया है जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी में साहित्य/प्रकाशनों/अनुसंधान जर्नलों के परस्पर तथा बहुपक्षीय आदान-प्रदान के लिए वित्तीय सहायता शामिल है ताकि हिन्दी में शिक्षण/अनुसंधान/प्रकाशन आदि कार्यों में लगी सभी भारतीय संस्थाओं को सहायता/सलाह/मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके और हिन्दी तथा अन्य भाषाओं, गांधीवादी दर्शन आदि के क्षेत्र में कार्यरत सभी संबंधित संस्थाओं के सामूहिक विवेक को एकीकृत किया जा सके।

(ग) वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय की योजना तथा गैर-योजना शीर्ष के अंतर्गत क्रमश: 142.29 लाख रु. तथा 360.66 लाख रु. की राशि जारी की है।

(घ) विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस समय विश्वविद्यालय में कुल 64 कर्मचारी शिक्षण/शिक्षणेत्तर/संविदा आधार पर कार्यरत है।

डीडीए के खाली फ्लैट

3939. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकतर फ्लैटों को अभी तक आवंटित नही किया गया है;

(ख) यदि हां, तो खाली पड़े ऐसे फ्लैटों का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक इन फ्लैटों को आबंटित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार उक्त फ्लैटों के आबंटन की प्रक्रिया को कब तक शुरू करने का है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि जैसे ही मूलभूत सुविधाओं के साथ निर्मित फ्लैट निपटान हेतु उपलब्ध होते हैं, उन्हें आबंटित कर दिया जाता है। तथापि, आवंटियों द्वारा कब्जा न लिए जाने अथवा निरस्त/वापस

किए जाने के कारण हो सकता है फ्लैट खाली रहे हों, जो एक सतत प्रक्रिया है।

नमक

3940. श्री ब्रजेश पाठक: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देश में नमक का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ और कितना उपभोग हुआ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान देशवार नमक की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नमक के उत्पादन और उपभोग के राज्यवार/वर्षवार ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नमक के निर्यात तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे विवरण-III संलग्न हैं।

विवरण I

वर्ष 2002, 2003, 2004 तथा वर्तमान वर्ष के दौरान नमक का राज्य वार/वर्ष वार उत्पादन

('000 टन में)

क्र.सं.	राज्य	2002 (जनवरी से दिसम्बर)	2003 (जनवरी से दिसम्बर)	2004 (जनवरी से दिसम्बर)	2005 (मई तक)
1.	आंध्र प्रदेश	274.1	306.4	291.4	172.6
2.	गोवा	2.4	2.8	1.5	2.6
3.	गुजरात	13107.8	10585.9	10587.6	9197.1
4.	हिमाचल प्रदेश	1.9	1.0	3.8	0.6
5.	कर्नाटक	15.3	23.4	13.5	17.8
6.	महराष्ट्र	197.8	193.3	180.7	180.3
7.	उड़ीसा	6.2	37.9	19.6	28.3
8.	राजस्थान	1658.0	1324.9	1622.7	510.2
9.	तमिलनाडु	2585.4	2385.8	2026.7	304.8
10.	पश्चिम बंगाल	5.3	16.9	13.3	2.3
11.	दमन और दीव	25.0	4.1	0.4	0.3
	कुल	17879.2	14882.4	14761.2	10416.9

विवरण II

वर्ष 2002, 2003, 2004 तथा वर्तमान वर्ष के दौरान नमक का राज्य-वार/वर्ष-वार उपभोग

('000 मीट्रिक टन)

क्र.सं.	राज्य	2002 (जनवरी से दिसम्बर)	2003 (जनवरी से दिसम्बर)	2004 (जनवरी से दिसम्बर)	2005 (मई तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	802.4	738.3	732.2	378.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.9	2.6	7.0	2.3

1	2	3	4	5	6
3.	असम	243.1	232.7	273.4	125.6
4.	बिहार	351.0	425.9	512.3	249.0
5.	छत्तीसगढ़	105.5	136.6	144.2	95.2
6.	दिल्ली	273.0	210.0	205.5	95.1
7.	गोवा	3.1	3.6	3.8	3.1
8.	गुजरात	5244.4	5544.4	5957.6	2448.7
9.	हरियाणा	91.5	100.7	57.8	32.5
10.	हिमाचल प्रदेश	8.7	10.2	7.7	2.4
11.	जम्मू-कश्मीर	27.0	26.0	19.8	11.1
12.	झारखंड	229.9	244.3	268.8	112.0
13.	कर्नाटक	191.3	221.1	255	115.6
14.	केरल	414.7	450.3	405.6	204.7
15.	मध्य प्रदेश	478.8	450.7	430.0	185.8
16.	महाराष्ट्र	416.1	398.8	560.0	177.3
17.	मणिपुर	2.3	4.7	2.3	4.7
18.	मिजोरम	0.9	4.6	4.6	2.3
19.	मेघालय	8.5	7.0	4.7	–
20.	नागालैंड	9.2	11.4	9.1	4.7
21.	उड़ीसा	176.9	182.5	185.1	93.4
22.	पंजाब	160.4	161.8	199.3	105.0
23.	राजस्थान	275.8	252.5	188.3	109.4
24.	सिक्किम	3.0	2.6	6.9	2.4
25.	तमिलनाडु	491.8	719.3	886.5	353.0
26.	त्रिपुरा	14.3	33.0	21.1	6.6
27.	उत्तर प्रदेश	1090.4	1012.4	930.5	442.0
28.	उत्तरांचल	4.3	1.9	2.4	0.8
29.	पश्चिम बंगाल	613.9	728.6	686.1	341.9
30.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0.5	0.4	0	0.2

1	2	3	4	5	6
31.	चंडीगढ़	45.6	37.6	19.9	4.1
32.	दमन और दीव	–	–	0.1	–
33.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
34.	पांडिचेरी	55.7	62.2	100.2	50.0
35.	रक्षा	4.5	7.9	8.9	4.4
	कुल	11845.4	12427.8	13096.7	5763.7

विवरण III

वर्ष 2002, 2003, 2004 तथा 2005 के दौरान नमक का विदेशों को किया गया आयात तथा उससे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा

(मात्रा टन में)
(मूल्य रुपये लाख में)

क्र.सं.	देश का नाम	2002 (जनवरी से दिसम्बर)		2003 (जनवरी से दिसम्बर)		2004 (जनवरी से दिसम्बर)		2005 (मई तक)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. समुद्र द्वारा									
1.	बंग्लादेश	107417	366.47	100898	295.87	15200	68.40	71838	345.25
2.	बहरीन	0	0	0	0	42	7.37	28	0.83
3.	कांगो	0	0	262	4.59	12	0.66	14	0.75
4.	चीन	0	0	0	0	995042	4591.83	1153407	5682.28
5.	मलावी (केन्द्रीय अफ्रीका)	0	0	0	0	152	1.37	0	0
6.	पूर्वी तिमूर	0	0	0	0	134	3.39	0	0
7.	फिजी	0	0	28	1.07	0	0	0	0
8.	ओमान	21000	91.56	885	9.87	23800	69.73	0	0
9.	घाना	0	0	0	0	27	0.39	0	0
10.	हांगकांग	0	0	144	3.54	377	13.25	48	1.25
11.	इंडोनेशिया	295577	1426.09	50269	200.38	0	0	41011	193.98
12.	जापान	364530	1366.76	559905	1595.84	580124	1799.90	245282	1029.21
13.	कोरिया	0	0	41747	382.36	15290	144.89	15732	143.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	लाइबेरिया	2110	69.42	1120	43.74	1960	56.07	840	26.57
15.	लेबनान	0	0	25	0.67	0	0	0	0
16.	मलेशिया	46616	365.87	42267	275.28	60579	329.82	4671	50.29
17.	मालदीव	844	10.02	2004	28.31	2372	38.42	1059	18.39
18.	मारीशस	100	3.21	240	8.53	22	0.29	52	1.07
19.	मोजांबीक	0	0	250	5.41	0	0	0	0
20.	न्यू गिनी	8634	42.32	1722	40.70	1976	44.24	504	10.70
21.	न्यूजीलैंड	0	0	0	0	76	2.59	37	1.13
22.	फिलीपींस	124701	511.53	46789	116.90	800	13.85	1755	24.63
23.	कतर	0	0	57830	232.91	170717	764.69	122588	575.64
24.	सिंगापुर	52	0.87	4	0.28	65	1.67	577	6.75
25.	श्रीलंका	6585	98.07	6541	91.57	7669	130.13	4781	61.74
26.	सिएरालोन	196	6.22	140	4.52	0	0	0	0
27.	शारजहा	0	0	1300	46.19	0	0	0	0
28.	ताईवान	0	0	586	11.60	2050	43.83	0	0
29.	थाईलैंड	81200	331.86	28850	72.82	24050	71.77	0	0
30.	संयुक्त अरब अमीरात	5915	158.13	9063	98.12	10486	206.66	5922	178.13
31.	संयुक्त राष्ट्र अमरीका	32500	78.00	79407	182.64	70451	314.09	0	0
32.	वियतनाम	85699	359.26	47705	205.07	60822	215.51	67929	262.89
33.	कुवैत	550	19.200	0	0	0	0	0	0
34.	कीनिया	0	0	0	0	0	0	56	1.12
35.	सिशेल्स	0-	0	0	0	0	0	78	3.98
36.	आस्ट्रेलिया	0	0	0	0	0	0	116	2.36
	कुल (समुद्र द्वारा)	1184226	5303.85	1079971	3958.77	2044295	8934.81	1738325	8622.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. रेल द्वारा									
1.	भूटान	2344	12.86	2345	9.38	2337	10.52	2430	12.15
2.	बंग्लादेश	0	0	7748	31.84	15081	62.05	0	0
3.	नेपाल	179555	1030.70	132332	817.44	142885	928.30	147837	1027.05
	कुल (रेल द्वारा)	181699	1043.56	142425	858.66	160303	1000.87	150267	1039.20
	कुल जोड़ (I + II)	1365925	6347.41	1222396	4817.43	2204598	9935.68	1888592	9661.67

[अनुवाद]

पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन

3941. श्री गिरिधर गमांग: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवीं अनुसूची क्षेत्र रखने वाले राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत निर्धारित जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परिषद में कितने सदस्य हैं तथा परिषद की स्थापना की तिथि के बाद से आज की तारीख तक इस परिषद की राज्यवार कितनी बैठकें हुई हैं;

(ग) क्या परिषद के चुने गए सभी प्रतिनिधि अनुसूचित जनजाति के हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी, हां। पांचवीं अनुसूची क्षेत्र वाले राज्यों ने जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया है।

(ख) से (घ) संबंधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि में वृद्धि

3942. श्री शिशुपाल पाटले: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही धनराशि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बेरोजगार युवाओं को दी जा रही धनराशि का कोई आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी. एम. आर. वाई.) के तहत निधियों के आबंटन का संबंध स्कीम के अंतर्गत नियत किए गए वार्षिक लक्ष्यों से है। इन वर्षों के दौरान उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए पी. एम. आर. वाई. के तहत निधियों के आबंटन में वृद्धि की गई है, जिसका ब्यौरा निम्नोक्त है:

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य स्वरोजगार यूनिटें (लाखों में)	निधियों का आबंटन (करोड़ रु. में)
1.	2003-04	2.20	169.00
2.	2004-05	2.50	218.90
3.	2005-06	2.50	218.50

(ग) और (घ) पी. एम. आर. वाई. के तहत दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में सरकार तथा बैंकों द्वारा बेरोजगार युवाओं को क्रमश: प्रदान की गई सब्सिडी की राशि तथा ऋण राशि निम्नोक्त है:

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	सब्सिडी	ऋण
1.	2002-03	152.55	1198.47
2.	2003-04	147.63	1361.43
3.	2004-05	190.48	1173.97*

*अनन्तिम

[अनुवाद]

वनस्पति का आयात

3943. श्री अनन्त नायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अतिरिक्त उत्पादन होने के बावजूद श्रीलंका से वनस्पति का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को वनस्पति इकाइयों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) मार्च, 2000 से लागू भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आई एस एफ टी ए) के अनुसार श्रीलंका से शून्य शुल्क पर वनस्पति का आयात किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) सरकार को वनस्पति इकाइयों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और तदनुसार भारत-श्रीलंका एफ टी ए के अधीन बनाए गए उद्गम संबंधी नियमों के तहत मूल्यवर्धन के मानदण्डों का आकलन करने के लिए एक अंतरमंत्रालयीन तकनीकी दल श्रीलंका भेजा गया था जिसमें राजस्व विभाग, वनस्पति निदेशालय, वाणिज्य विभाग एवं विदेश मंत्रालय के अधिकारी तथा घरेलू वनस्पति एसोसिएशनों के प्रतिनिधि शामिल थे। तकनीकी दल ने श्रीलंका के वनस्पति उत्पादक इकाइयों का दौरा किया और यह सूचना दी कि इन इकाइयों ने भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों को पूरा किया है। सरकार ने घरेलू वनस्पति इकाइयों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने के लिए एक अंतरमंत्रालयीय दल का गठन भी किया है।

सरकारी आवासों का नियमितीकरण

3944. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के सामने ऐसा कोई उदाहरण आया है जिसमें सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ने विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार सरकारी आवास को अपने बच्चों/आश्रितों के नाम पर नियमित कराने हेतु न्यायालय की शरण ली हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और न्यायालयों में लंबित मामलों का विवरण क्या है; और

(ग) सरकार का इस मामले में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के कब्जे वाले सरकारी आवास के आवंटन को उसके बच्चे/पति/पत्नी के नाम पर नियमित करने के लिए प्रावधान पहले से विद्यमान हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी की जायें।

विवरण

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के बच्चों/पति/पत्नी के नाम पर सरकारी आवास को नियमित कराने के लिए अदालतों में लंबित मामलों के ब्यौरों का विवरण

क्र.सं.	आबंटीत का नाम सर्वश्री/श्रीमती	आवास के ब्यौरे	अदालती मामले की स्थिति
1	2	3	4
1.	ओ.पी. शर्मा	215/एस-4/टाईप-2 आर के पुरम	दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला लंबित है।
2.	ललित कुमार	837/एस-4/टाइप-2 आर के पुरम	दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला लंबित है।

1	2	3	4
3.	ए.एस. मैथ्यू	359/एस-5/टाइप-2 आर के पुरम	तीस हजारी में मामला लंबित है।
4.	पीताम्बर दत्त	871/एस-6/टाइप-2 के पुरम	तीस हजारी में मामला लंबित है।
5.	पी डी शर्मा	1319/टाइप-2 लक्ष्मीबाई नगर	दिल्ली उच्च न्यायालय में मामल दायर किया गया है।
6.	नाथू राम गुप्ता	32-बी/एस-6/टाइप-2 डीआईजेड एरिया, गोल मार्किट	दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला लंबित है।
7.	इंद्रजीत गुप्ता	ए-244/टाइप-2 किदवई नगर (ईस्ट)	दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला लंबित है।
8.	किशन सिंह	1213/टाइप-2 लक्ष्मीबाई नगर	दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला लंबित है।
9.	राज कुमार	एच-267/टाइप-2 नानक पुरा	दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है।
10.	गुरमैल सिंह	29-एक्स/टाइप-3 चित्र गुप्ता रोड	दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला लंबित है।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

3945. श्री गणेश प्रसाद सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी स्वतंत्रता सेनानी द्वारा न्यायालय/कारागार प्रमाण-पत्र खोये जाने के मामले में उसे दो अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिया गया सहबंदी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कराये जाने संबंधी व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त व्यवस्था के अंतर्गत राज्यवार ऐसे कितने प्रतिशत स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980" के प्रावधानों के अनुसार, कोई आवेदक जो कारागार में सजा भोगने का दावा करता है, सम्मान पेंशन पाने का पात्र है, बशर्ते कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:

कारावास की सजा भोगने:-कोई व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम छह माह (महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के स्वतंत्रता सेनानी के मामले में 3 माह) की सजा भोगी है उसे निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगें:

(1) *प्राथमिक साक्ष्य:*-दी गई सजा की अवधि, जेल जाने की तिथि, रिहा होने की तिथि, मामले के तथ्यों और रिहा होने संबंधी कारणों को दर्शाते हुए सबंधित जेल प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार से सजा/निरुद्धि प्रमाणपत्र।

(2) *द्वितीय साक्ष्य:*- प्राथमिक रिकार्ड-आधारित साक्ष्य के अभाव में, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने कम से कम एक साल की कारावास की सजा भोगी हो और जो जेल में आवेदक के साथ रहा हो, से दो सह-बंदी प्रमाणपत्र (सी पी सी) के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से रिकार्ड अनुपलब्धता प्रमाणपत्र (एन ए आर सी), पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, दावे और उसकी वास्तविकता का यथोचित सत्यापन करने के पश्चात यह प्रमाणित करता है कि सजा के दावे के समर्थन में सरकारी रिकार्ड्स से दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। यदि प्रमाणकर्ता वर्तमान में या भूतपूर्व संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य है, तब उसे इन दो प्रमाणपत्रों के स्थान पर केवल एक प्रमाणपत्र देना होगा। आई एन ए के भाग लेने वालों के मामलें में केवल एक सी पी सी की जरूरत है।

'एन ए आर सी' को केवल तभी मान्य माना जाता है जब यह निम्नलिखित रूप में राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है:

> "राज्य सरकार के उन सभी संबंधित प्राधिकारियों, जिनके पास आवदेक के दावे के संबंध में संगत रिकार्ड हो सकते हैं, से परामर्श किया गया है और यह पुष्टि हो गई है कि संगत समय के सरकारी रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं"।

(ख) भारत सरकार, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्रता सेनानियों को संस्वीकृत पेंशन के आंकड़े नहीं रखती है।

[अनुवाद]

शहरी नवीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता

3946. श्री पवन कुमार बंसल: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने शहरी नवीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में मलिन बस्तियों के कितने निवासी पुनर्वास कालोनियों में वास-गृहों के आबंटन के हकदार है और क्या वे अपनी झुग्गियां तोड़े जाने के बाद ऐसे आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(घ) ऐसे आबंटन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यदि कोई हैं तो वे क्या हैं;

(ङ) उक्त प्रयोजनार्थ कितना समय लिए जाने की संभावना है; और

(च) वैकल्पिक स्थानों/वासगृहों के उचित आबंटन के बाद चंडीगढ़ को मलिन बस्ती रहित बनाने के लिए योजनाएं क्या है, यदि कोई हों तो?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (च) प्रस्तावित शहरी नवीकरण मिशन अभी गठित नहीं किया गया है। इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा-मुजिब समझौते का कार्यान्वयन

3947. श्री हितेन बर्मन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1974 के इन्दिरा-मुजिब समझौते के अनुसार दक्षिणी बेरुबारी क्षेत्र को विघटित कर दिया गया था और जलपाईगुड़ी जिले के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले कुछ गांवों की भारत के अभिन्न अंग के रूप में स्थायी घोषणा की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी;

(ग) क्या इन गांवों को भारत के मानचित्र में दर्शाया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारत के मानचित्र में इन गांवों को दर्शाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) 1974 के भू सीमा समझौते के अनुसार, दक्षिणी बेरुबारी यूनियन संख्या 12 का आधा दक्षिणी हिस्सा और समीपवर्ती एनकलेव भारत के पास रहेंगे और इसके बदले में बांग्लादेश दाहाग्राम और अंगरपोटा एनकलेवों को रखेगा। बांग्लादेश के पनभरी मौजा के साथ दाहाग्राम को जाने लिए भारत, तीन बीघा के पास के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को शाश्वतिक पट्टे पर देगा। इस प्रकार भारत के पास दक्षिणी बेरुबारी के नकटवर्ती क्षेत्रों के साथ दक्षिणी बेरुबारी यूनियन सं. 12 का आधा दक्षिणी हिस्सा है। तथापि, दक्षिणी बेरुबारी में कुछ छितरे हुए क्षेत्र हैं जो बांग्लादेश के प्रतिकूल कब्जे में है।

(ख) से (ङ) यह क्षेत्र भारत का अखण्ड हिस्सा है और वितरीत कब्जे वाले क्षेत्रों और बेरुबारी के निकटवर्ती दाई खाटा के असीमांकित हिस्से को छोड़कर, इसे तदनुसार मानचित्रों में दर्शाया गया है।

वितरीत कब्जे वाले क्षेत्र सहित दक्षिणी बेरुबारी क्षेत्र में स्ट्रिप मानचित्र की तैयारी के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। तथापि, अभी तक इन मानचित्रों को न तो अन्तिम रूप प्रदान किया गया है और न ही इनका आदान-प्रदान किया गया है।

सीमा स्तम्भों का भी निर्माण नहीं किया गया है परन्तु इनकी स्थिति को स्ट्रिप शीटस पर दर्शाया गया है। दाहाग्राम-अंगरपोटा क्षेत्र में सर्वेक्षण और सीमा स्तम्भों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और नौ स्ट्रीप मानचित्रों में से आठ पूरे हो चुके हैं, मुद्रित हो चुके हैं तथा बांग्लादेश के साथ इनका आदान-प्रदान किया जा चुका है।

[हिन्दी]

वी.आई.पी. सुरक्षा हेतु निजी सुरक्षा अधिकारी (पी.एस.ओ.)

3948. श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा': क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास संसद सदस्यों और केन्द्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पी.एस.ओ. उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा इस समय कितने संसद सदस्यों और मंत्रियों को निजी सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध कराये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनके द्वारा धारित पदों के

आधार पर सुरक्षा प्रदान की जाती है। संसद सदस्यों को सुरक्षा, केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आकलित खतरे की आशंका के आधार पर प्रदान की जाती है। इस समय, सुरक्षा के प्रयोजनार्थ 70 संसद सदस्यों और 64 केन्द्रीय मंत्रियों को पी एस ओ प्रदान किए गए हैं।

[अनुवाद]

पिछली समिति की सिफारिश

3949. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए गठित सभी पिछली समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए समिति गठित की थी;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समीक्षा समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गयीं; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) और (घ) समिति ने पूर्व आयोगों/समितियों की कार्रवाई योग्य 49 सिफारिशों का पता लगाया है जिन्हें राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा मामले में आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए भेजा गया है क्योंकि अधिकांश सिफारिशों का संबंध उनसे था। जहां तक केन्द्र सरकार की सिफारिशों का संबंध है, इनकी प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी अड़चनों की जांच की जा रही है।

सी.आर.पी.एफ. में पदोन्नति के अवसर

3950. श्री गणेश सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.आर.पी.एफ. द्वारा आई.पी.एस. अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सी.आर.पी.एफ. में तैनात आई.पी.एस. अधिकारियों के पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.पी.एस. अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के कारण सी.आर.पी.एफ. अधिकारियों की पदोन्नति के अवसर कम हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सी.आर.पी.एफ. द्वारा सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों के संवर्ग की पदोन्नति में गतिरोध को ध्यान में रखते हुए सी.आर.पी.एफ. नियम 1955 में उचित संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार सी.आर.पी.एफ. में अधिकारियों को पदोन्नति में गतिरोध की समस्या से किस प्रकार निपटेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) इन रैंकों में कुल स्वीकृत 87 पदों के मुकाबले सी आर पी एफ में महानिदेशक, अपर महानिदेशक, महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक के रैंकों में इस समय 29 आई पी एस अधिकारी पद धारण किए हुए हैं।

(ग) से (च) सी आर पी एफ अधिकारियों की पदोन्नति में गतिरोध की जांच 'संवर्ग संवीक्षा' अथवा बल के 'पुनर्गठन' के समय की जाती है। पिछला पुनर्गठन सितम्बर, 2004 में किया गया था जिसमें पर्यवेक्षक रैंकों में 486 पद स्वीकृत किए गए थे।

[हिन्दी]

उल्फा की गतिविधियां

3951. श्री मोहन सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक आतंकवादी संगठन उल्फा बांग्लादेश में कम-से-कम सात होटल चला रहा है और बांग्लादेश में बैंक खाते भी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने बांग्लादेश सरकार के सहयोग से इन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) सरकार के पास यह सुझाने वाली कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है कि बांग्लादेश में यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) के होटल और बैंक खाते हैं। तथापि, रिपोर्टें, बांग्लादेश क्षेत्र में भारतीय राष्ट्र विरोधी ग्रुपों (आई आई जी) के कैम्पों की मौजूदगी इंगित करती है।

(ग) सरकार ने इस मामले को बांग्लादेश सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर विभिन्न मंचों पर उठाया है।

मलिन बस्तियों का पुनर्विकास

3952. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने तटीय विनियमन जोन के अंतर्गत आने वाली मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या योजना तैयार की है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार से इस जोन के अंतर्गत आने वाली मलिन बस्तियों के पुनर्विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी स्लम वासियों हेतु सफाई सुविधा सहित रिहायशी यूनिटों के निर्माण और उन्नयन को आसान बनाने के उद्देश्य से शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वाम्बे) नामक मांग आधारित केन्द्र प्रायोजित योजना महाराष्ट्र सहित अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम को केन्द्र और राज्यों द्वारा 50 : 50 वित्तपोषण पद्धति पर कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) और (ग) वाम्बे के अंतर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि उन्हें जमात-ए-जम्हूरिया सहकारी आवास समिति लिमिटेड के मैसर्स पैरामिड डैवलपर्स द्वारा महिम बांद्रा रिक्लेमेशन एरिया, मुंबई के प्लॉट सीटीएस सं. 791 (पी.टी.) में स्लम पुनर्वास स्कीम के संबंध में नियो माडर्न आर्किटेक्ट्स से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के अनुसार उपर्युक्त स्लम पुनर्विकास स्कीम में 18142.16 वर्ग मी. क्षेत्र शामिल है। महाराष्ट्र सरकार ने बहुत ही अस्वच्छ असुरक्षित स्थितियों में रह रहे 681 स्लम टेनमेन्टों और स्लम वासियों का 225 वर्ग फुट के उचित रिहायशी मकानों में पुनर्वास करने का प्रस्ताव किया था। परियोजना के तहत 225 वर्ग फुट के कुल 780 फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा। उपर्युक्त परियोजना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) 1.5 था जो कि 19.2.1991 (तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 जारी होने की तारीख) में प्रचलित था। संदर्भाधीन भूमि तटीय विनियमन जोन-2 थी और प्रस्तावित विकास, मौजूदा डीपी रोड के भूमि की ओर वाली तरफ पड़ता है। परियोजना की लागत 19.7 करोड़ रुपये थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने परियोजना की जांच के पश्चात, 19.2.1991 की स्थिति के अनुसार एफ एस आई के प्रतिबंधों सहित कुछ शर्तों के साथ तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 के तहत परियोजना को 22.6.2005 को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की।

[अनुवाद]

उद्योग

3953. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया:
श्री हरीश रावत:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र में राज्यवार और स्थानवार कितने उद्योग हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों के औद्योगिक शहरों में भारी उद्योगों के लिए कोई बड़ा उद्योग लगाने अथवा औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, स्थानवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) अगस्त, 1991 से जून, 2005 तक दायर किये गये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएमएस) तथा जारी किये गये आशय-पत्र (एलओआई)/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस (डीआईएल) की संख्या 63491 थी जिसमें 706087 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित था। इनमें से दायर किये गये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन तथा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जारी किये गये आशय पत्रों/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या 769 थी जिसमें 76729 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित था। अगस्त, 1991 से निवेश प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उदारीकृत औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने संबंधी निर्णय उद्यमी के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करता है जो फिर राज्य सरकार द्वारा मूल आधारभूत सुविधाएं तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करके की जा रही पहलों पर भी आधारित होता है। औद्योगिक विकास मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विशेष रूप से औद्योगिक रूप से अलाभकारी क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता/प्रोत्साहन प्रदान करके इसके प्रयासों में सहायता करती है।

विवरण

अगस्त, 1991 से जून, 2005 तक की अवधि के लिए राज्यवार निवेश प्रस्ताव (आईईएम+एलओआई+डीआईएल)

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	संख्या		प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये)	
	कुल	केन्द्र और राज्य पीएसयू द्वारा	कुल	केन्द्र और राज्य पीएसयू द्वारा
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार	9	0	332	0
आंध्र प्रदेश	4451	51	161440	1646
अरुणाचल प्रदेश	28	0	285	0
असम	385	19	9063	2537
बिहार	190	8	4812	881
चंडीगढ़	40	2	459	78
छत्तीसगढ़	1396	10	108368	145
दादरा और नगर हवेली	1879	8	26971	40
दमन और दीव	871	1	5570	6
दिल्ली	509	3	6553	9
गोवा	582	4	7610	4
गुजरात	7799	82	292183	8840
हरियाणा	3565	22	45529	10675
हिमाचल प्रदेश	652	6	14738	86
जम्मू-कश्मीर	377	4	5433	47
झारखंड	567	4	31637	45
कर्नाटक	2591	64	88875	9967
केरल	592	63	11628	2913
लक्षद्वीप	1	0	4	0
मध्य प्रदेश	2351	29	59654	2564
महाराष्ट्र	11894	61	268363	3606
मणिपुर	3	0	10	0
मेघालय	203	0	2036	0
मिजोरम	0	0	0	0

1	2	3	4	5
नागालैंड	14	0	16244	0
उड़ीसा	881	14	99846	2537
पांडिचेरी	624	7	8509	203
पंजाब	2664	93	62145	23715
राजस्थान	2848	22	44807	348
सिक्किम	20	3	294	11
तमिलनाडु	5628	57	130417	2421
त्रिपुरा	31	0	2134	0
उत्तर प्रदेश	5584	76	109859	2956
उत्तरांचल	739	10	11082	152
पश्चिम बंगाल	3499	46	68791	297
एक से अधिक राज्य में स्थापना स्थल	24	0	406	0
कुल	63491	769	1706087	76729

पूर्वोत्तर में विकास कार्य

3954. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर से संबंधित विकास के मुद्दों पर पूर्वोत्तर संसद सदस्य फोरम से 18 दिसम्बर, 2004 को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसका अनुस्मारक बाद में 13 मई, 2005 को दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ज्ञापन में उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर विषय-वार क्या कार्रवाई की गयी है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में सड़क, रेल, हवाई संपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, जल संसाधन, औद्योगिक नीति, अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एन एल सी पी आर), रोजगार, प्रधान मंत्री पैकेज आदि जैसे सैक्टरों से संबंधित विभिन्न विकासात्मक मुद्दे शामिल थे।

(ग) ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र	अभ्युक्तियां
1	2	3
1.	सड़क	उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राज्य राजधानियों का चार लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ संपर्क या तो एन एच डी पी, एन एच डी पी-III के तहत पूर्व-पश्चिम गलियारे में या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस ए आर डी पी) में शामिल किया गया है। एस ए आर डी पी में राष्ट्रीय राजमार्गों को महत्वपूर्ण सीमा बिंदुओं तक दो लेन में करना भी शामिल हैं। ब्रह्मपुत्र और बैराक नदी पर चार लेन के अतिरिक्त नए पुल का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बोगीबील पर चार लेन पुल निर्माणाधीन है और गुवाहाटी के निकट मौजूद सरायघाट पुल को चार लेन वाला किया जा रहा है।
2.	रेल	जिरिबाम-इम्फाल और कुमारघाट-अगरतला नई लाईन परियोजनाएं और लमडिंग-

1	2	3
		सिलचर-जिरिबाम गेज परिवर्तन, हाल ही में राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित की गई हैं। इन तीन परियोजनाओं को दी गई बजटीय सहायता के अतिरिक्त और अधिक निधियां प्रदान की जाएंगी ताकि इन्हें क्रमश: मार्च 2010, मार्च 2007 और मार्च 2009 तक पूरा किया जा सके। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन पहले से ही मौजूद है।
3.	हवाई	वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए गुवाहाटी हवाई अड्डा पूरी तरह से अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में क्रियाशील है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) ने लीलाबाड़ी, इम्फाल अगरतला, दीमापुर और तेजपुर हवाई अड्डों पर ए-320/बी-737-800 प्रकार के हवाई जहाजों के लिए विकासात्मक कार्य पूरा कर लिया है। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर विद्यमान सुविधाएं देशीय एयरलाइनों का क्षेत्रीय हब स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं। इंडियन एयरलाइन्स और निजी आपरेटर गुवाहाटी और दिल्ली के बीच चार दैनिक सेवाएं प्रचालित करते हैं। इंडियन एयरलाइन्स मौजूदा कोलकाता-गुवाहाटी-बैंकाक के लिए सप्ताह में दो उड़ानें प्रचालित कर रहा है।
4.	दूरसंचार	पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं: (क) गुवाहाटी में नेशनल इंटरनेट बैकबोन का उन्नयन (ख) बिलिंग और एक्टीवेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए गुवाहाटी में पृथक सर्वर स्थापित करना। (ग) सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और सुदूर क्षेत्रों को शामिल करने के लिए बेस ट्रांसिविंग स्टेशनों में वृद्धि करना। (घ) क्षेत्र में नदी द्वीप समूहों सहित अगम्य सुदूर क्षेत्रों को शामिल करने के लिए लोकल लूप नेटवर्क में बेतार का क्षेत्र बढ़ाना
5.	जलमार्ग	भारत सरकार ने निम्नलिखित के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया था: बाढ़ नियंत्रण, किनारा कटाव और ब्रह्मपुत्र और बैराक घाटियों में जल निकासी सुधार करने और सिंचाई, पनबिजली, नौकायन और अन्य लाभदायी इस्तेमाल के लिए, तद्नुसार ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने मास्टर प्लान बनाना शुरू किया। बोर्ड द्वारा तैयार किए गए और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसे 34 मास्टर प्लान कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को भेजे गए।
6.	विद्युत	विद्युत मंत्रालय ने बड़ी परियोजनाओं जिनके लिए डी पी आर तैयार किये जा चुके हैं, का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है। निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं सक्रिय रूप में विचाराधीन हैं: (क) तिपाईमुख पन बिजली (बहुउद्देश्यीय) परियोजना (ख) कमेंग पन बिजली परियोजना (600 मे.वा.) (ग) सुबानसिरी लोअर (2000 मे.वा.) (घ) तुरियाल पन बिजली-परियोजना (60 मे.वा.) (ङ) लकवा डब्ल्यू एच आर यू, 38 मे.वा. (च) नामरूप विस्तार टी पी पी (गैस आधारित) 100 मे.वा. (छ) बोंगाईगांव टीपीएस (ज) गारो पहाड़ियां (3 × 120 मे.वा.)
7.	औद्योगिक नीति	पैकेज को निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति के संशोधन के लिए प्रारूप मंत्रिमंडल टिप्पणी, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई है।
8.	एनएलसीपीआर और 10% बजटीय सहायता	बजटीय आबंटन में वृद्धि करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने इसका अनुरोध वित्त मंत्रालय और योजना आयोग को अग्रेषित कर दिया है।

1	2	3
9.	आर्थिक विकास	कोर अवस्थापना क्षेत्रों में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपीज) को विकास के प्रमुख साधनों के रूप में मान्यता दी गई है। हाल के महीनों में डोनर मंत्रालय ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा एन ई क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। इसमें सड़कों, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, एशियन विकास बैंक द्वारा शहरी विकास और विश्व बैंक द्वारा प्राकृतिक संसाधन एवं जल प्रबंधन सहित कोर क्षेत्रों में 'दृष्टिकोण पत्र' शामिल है।
10.	रोजगार	शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, 1.12.1997 से उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित अखिल भारतीय स्तर पर स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) नामक रोजगार उन्मुख केन्द्रीय प्रायोजित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है।
11.	प्रधानमंत्री का पैकेज	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में असम और मणिपुर में घोषित सामाजिक-आर्थिक पैकेजों के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है।
12.	योजना आयोग जैसे राष्ट्रीय स्तर के निकायों में उत्तर पूर्व का प्रतिनिधित्व	इस मामले को आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु योजना आयोग को अग्रेषित कर दिया गया है।
13.	संस्थागत सहायता	मानव संसाधन विकास मंत्री ने 14-16 जून, 2004 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) स्थापित करने की घोषणा की है।

भारत के लिए अमरीकी मानवाधिकार प्रवर्तन रिकार्ड

3955. श्री रायापति सांबासिवाराव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के लिए अमरीकी मानवाधिकार प्रवर्तन रिकार्ड बहुत खराब है और इसमें सुधार की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के मुख्य मुद्दे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो भारत ने इस रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को किस सीमा तक स्वीकार किया है और असहमति के मुद्दों के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) यू एस स्टेट डिपार्टमेंट ने वर्ष 2005 के लिए, मानवाधिकार की स्थिति पर 'कन्ट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राईट्स प्रैक्टिसिस' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। भारत से संबंधित खण्ड में, भारत की लोकतांत्रिक साख और इसके लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती को स्वीकार करते हुए, उपचारी उपायों; जहां कहीं भी कार्यपालिका/न्यायपालिका या अन्य अधिकरणों/आयोगों द्वारा किये गये, के साथ-साथ कथित रूप से मानवाधिकार उल्लंघनों की घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है।

ऐसी रिपोर्टों पर कार्रवाई या प्रतिक्रिया व्यक्त करना भारत सरकार की नीति नहीं है। सम्पन्न लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया, मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर मुखर सभ्य समाज और आयोगों के साथ भारत में यह सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र है कि इसके नागरिकों के मानवाधिकारों को संरक्षण दिया जाता है।

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक जोन में अपराध

3956. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेष आर्थिक जोनों में अपराध रोकने के लिए विशेष कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों में विशेष अदालतें स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार में आई.पी.एस. अधिकारियों की कमी

3957. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार के लिए आई.पी.एस. अधिकारियों के वार्षिक कोटे को कम कर दिया है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बिहार को केवल पांच आई.पी.एस. अधिकारी दिये गये जिसके परिणामस्वरूप कुल, 193 पदों में से 30 पद कम हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत दस वर्षों के लिए यह संख्या कितनी थी; और

(घ) सरकार का कब तक बिहार के लिए आई.पी.एस. अधिकारियों के कोटे को बढ़ाने का इरादा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) बिहार सहित किसी भी राज्य के आई पी एस संवर्ग के लिए कोई वार्षिक कोटा निर्धारित नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान पांच आई.पी.एस. अधिकारी और गत दस वर्षों के दौरान 42 आईपीएस अधिकारी बिहार को आवंटित किये गये हैं।

बिहार में आई पी एस अधिकारियों की मौजूदा कमी इस कारण से है कि दिसम्बर, 2004 में संवर्ग समीक्षा के बाद 30 पद बढ़ गए हैं। आने वाले वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा से तदनुरूप आईपीएस अधिकारी बिहार संवर्ग को आबंटित किये जायेंगे।

[अनुवाद]

पंजाब में बलात् गायब किये जाने के मामले

3958. श्री लोनाप्पन नम्बाडन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने पंजाब में बलात् गायब किये जाने की जांच करने के कानूनी आदेश को पूरा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने एन.एच.आर.सी. को पंजाब के अमृतसर जिले में गैर-कानूनी दाहसंस्कार के 2097 मामलों की जांच करने का कानूनी आदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच की स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अमृतसर के पुलिस जिलों, पंजाब में अमृतसर जिले के मजीठा और तरनतारन में पंजाब पुलिस द्वारा 2097 शवों के अंतिम संस्कार की जांच करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय से एक प्रतिप्रेषण प्राप्त हुआ है। प्रतिप्रेषण के अग्रसरण में आयोग ने अभी तक 109 मामलों में मुआवजा प्रदान किया है। आयोग ने दिनांक 11.11.2004 की अपनी कार्यवाही के तहत 109 मृत व्यक्तियों, प्रत्येक के नजदीकी रिश्तेदार को 2.50 लाख रुपये के हिसाब से कुल 2,72,50,000 रुपये की राशि का मुआवजा प्रदान किया है। मृतक, मृत्यु के समय पंजाब पुलिस की हिरासत में थे।

[हिन्दी]

आयात शुल्क

3959. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क की निम्न दर लगाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत पर आयात शुल्क की दरों को और कम करने के लिए दबाव डाला है; और

(घ) वर्ष 2004-2005 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से कितनी वस्तुओं का आयात किया गया है और उन पर आयात शुल्क के रूप में कितनी धनराशि संग्रहित की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, नहीं। अमरीका से होने वाले आयातों पर आयात शुल्क की वही दर लागू होती है जो परम मित्र राष्ट्र (एम एफ एन) स्तर के किसी अन्य देश से होने वाले आयात पर लागू की जाती है।

(ग) अमरीका ने अपने व्यापार प्रतिनिधि द्वारा जारी विदेश व्यापार बाधाओं से संबंधित 2005 राष्ट्रीय व्यापार अनुमान रिपोर्ट में उल्लिखित टैरिफों और दरों सहित अधिक टैरिफों और दरों के बारे में चिन्ताएं व्यक्ति की हैं और बाजार खोलने के अवसरों के लिए अनुरोध किया है।

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान अमरीका से भारत को 6291.49 मिलियन अम.डा. (अनंतिम) का आयात हुआ है। वसूल किये गये शुल्क की राशि से संबंधित देशवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त विकास योजनाएं

3960. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक राज्य में छोटे मझौले शहरों में केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कितनी केन्द्रीय सहायता प्राप्त विकास योजनाएं चलायी जा रही हैं;

(ख) धनराशि की कमी के कारण कुल कितने राज्यों में उपरोक्त योजनाएं बंद कर दी गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) देश के राज्यों में छोटे और मझौले कस्बों में विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए इस मंत्रालय की कोई केन्द्रीय सहायता प्राप्त विकास योजना नहीं है। इस मंत्रालय की स्कीमें शहरों और कस्बों में समग्र रूप से अवस्थापना विकास के लिए है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुड़गांव में आंतरिक सुरक्षा अकादमी

3961. श्री किन्जरपु येरनन्नायडु: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गुड़गांव में आंतरिक सुरक्षा अकादमी की विस्तार शाखा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है है ताकि सीधे तौर पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करके अंतत: अकादमी को माउंट आबू से बाहर स्थानांतरित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ स्थान और अन्य बुनियादी सुविधाओं की पहचान कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) सरकार ने, सीधी भर्ती वाले राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) और अन्य केन्द्रीय पुलिस बलों (सी आर पी एफ) के अधिकारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु, सी आर पी एफ ग्रुप सेंटर, गुड़गांव के परिसर में एक स्वतंत्र यूनिट के रूप में, सी आर पी एफ अकादमी की स्थापना का अनुमोदन किया है। इस पर, कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। सितम्बर, 2005 के पहले सप्ताह में, सीधे भर्ती वाले सहायक कमांडेंट के लिए प्रथम बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है।

आंतरिक सुरक्षा अकादमी को माउंट आबू से स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोयंबटूर के लिए विशेष अवसंरचना विकास योजना

3962. श्री के. सुब्बारायण: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केवल कोयंबतूर के लिए विभिन्न वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अत्यधिक अवसर देने वाली विशेष अवसंरचना विकास योजना आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीमाओं के लिए हाइटेक निगरानी प्रणाली

3963. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीमा के लिए रात में देख सकने वाले उपकरण के साथ हाइटेक निगरानी प्रणाली स्थापित करने के किसी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली के माध्यम से कवर की जाने वाली सीमाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रणाली की अनुमानित लागत और मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) सरकार ने 436.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश, भारत-चीन तथा भारत-म्यांमार सीमाओं पर रात में देख सकने वाले उपकरणों (नाइट विजन डिवाइसेस) सहित हाइटेक इलैक्ट्रोनिक निगरानी उपकरणों की चरणबद्ध रूप से शुरुआत करने हेतु एक प्रस्ताव अनुमोदित किया है। इन उपकरणों की तैनाती से सीमा चौकसी बलों की सीमा मानिटरिंग क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी। सरकार ने उपकरणों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

बावरिया जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया जाना

3964. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बावरिया जाति पूरे देश में फैली हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस जाति की कितनी जनसंख्या है;

(ग) क्या किसी आयोग ने बावरिया जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) बावरिया समुदाय कई राज्यों में पाये जाते हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में इस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या क्रमश: 41536, 220, 78429 एवं 600 है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, पंजाब सरकार ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निदेशानुसार इस समुदाय को पंजाब की अधिसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का एक प्रस्ताव भेजा है।

(घ) प्रस्ताव पर अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की गई है।

खतरनाक मदों का आयात

3965. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पीवीसी, जिंक ऐश, जिंक रेजिड्युअल/स्क्रैप, लैड रेजिड्युअल, लैड ऐश/स्क्रैप और बैटरियों जैसी खतरनाक मदों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कया कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. ईलेंगोवन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में पी.वी.सी. जिंक ऐश, जिंक रेजिड्यूअल (स्क्रैप, लेड रेजिड्यूअल, लैड ऐश/स्क्रैप और बैटरियों के आयातों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियमावली 1989 और 2002 तथा 2003 में उसमें किये गये संशोधनों के अनुसार कतिपय अपशिष्टों के आयात की अनुमति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पंजीकृत इकाइयों द्वारा पुन: प्रसंस्करण और पुन: प्रयोग के लिए है। ये अपशिष्ट खतरनाक अपशिष्ट (एच डब्ल्यू) नियमावली की सूची ''क'' और सूची ''ख'' के अंतर्गत अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट हैं। देश में इस प्रकार के अपशिष्टों के आयात की अनुमति एच डब्ल्यू नियमावली के नियम 12, 13 और 14 के अनुसार सरकार द्वारा और विदेश व्यापार नीति के जरिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा दी जाती है। बैटरी (प्रबंध एवं प्रहस्तन) नियमावली, 2001 के अनुसार केवल नई लेड एसिड बैटरियों के आयात की अनुमति है।

(ग) से (ङ) सरकार खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियमावली, 1989 और वर्ष 2000 और 2003 में इसमें किये गये संशोधनों तथा बैटरी (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियमावली, 2001 को अधिसूचित करके अपशिष्ट के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाए हैं। एच डब्ल्यू नियमावली की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध उनतीस अत्यधिक खतरनाक अपशिष्टों का आयात पुन: प्रसंस्करण के प्रयोजनार्थ भी पूर्णरूपेण निषिद्ध है।

विवरण

एच एस कोड	वस्तु	मात्रा की इकाई	2004-05	
			मात्रा	मूल्य लाख रुपये में
390410	अन्य के साथ अमिश्रित पॉलि (विनाइल क्लोराइड)	किग्रा.	50268.27	20187.94
790200	जिंक अपशिष्ट एवं स्क्रैप	किग्रा.	37523.44	10112.02
262019	मैनाइल जिंक युक्त अन्य ऐश एवं अपशिष्ट	किग्रा.	2749.15	4454.95
780200	लेड अपशिष्ट एवं स्क्रैप	किग्रा.	17530.31	4382.22
850610	300 सी सी बाह्य वाल्यूम वाले मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्राथमिक सैल एवं बैटरियां	संख्या	11110.44	793.73
850630	300 सी सी बाह्य वाल्यूम के मरक्यूरिक एक्साइड की प्राथमिक सैल एवं बैटरियां	संख्या	188.97	21.47
850640	300 सी सी बाह्य वाल्यूम वाले सिल्वर ऑक्साइड की प्राथमिक सैल एवं बैटरियां	संख्या	1266.09	134.86
850680	300 सी सी से अधिक बाह्य वाल्यूम की प्राथमिक सैल एवं बैटरियां	संख्या	101899.51	9167.36
850690	प्राथमिक सैल एवं बैटरियां के हिस्से-पुर्जे	किग्रा.	379.24	1508.20
85481010	बैटरी स्क्रैप इसरी कोड्स-रेल्स रैक्स	किग्रा.	131.93	22.22
85481020	बैटरी वेस्ट इसरी कोड्स-रैन्स, रिंक, रोनोरोपर, वौन्ट	किग्रा.	1.61	11.20
	जोड़			50762.75

सोनिया विहार जलशोधन संयंत्र

3966. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोनिया विहार, दिल्ली स्थित जल शोधन संयंत्र के कार्य को पूरा करने में 16 महीने के विलंब के कारण इसकी लागत में करोड़ों रुपये की वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार छह महीने पहले पूरे हो चुके उक्त संयंत्र के लिए जल उपलब्ध नहीं करा पा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फ्रांसीसी फार्म को दिये जाने वाले जुर्माने के कारण सरकार को कितना घाटा उठाना पड़ रहा है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र का कार्य 4 जून, 2004 तक पूर्ण किया जाना था। तथापि, विलंब के कारण लागत वृद्धि के संबंध में ठेकेदार से कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टिहरी बांध जलाशय से संयंत्र के लिए कच्चा पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है। तथापि, सरकार/दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कोई पैनल्टी देय नहीं है। संयंत्र के चालू हो जाने के पश्चात यदि कच्चा पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसके लिए ठेके में निर्दिष्ट कुछ विशिष्ट प्रभारों के भुगतान की व्यवस्था है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अभी तक ऐसे किसी विशिष्ट प्रभार का भुगतान नहीं किया गया है।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात

3967. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा और निर्यात का प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) निर्यात कई प्रकार के कारकों पर निर्भर करते हैं। अत: कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। तथापि, निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उपाय किये जा रहे हैं। जैसाकि निर्यात संबंधी निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है, पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रसंस्कृत फलों एवं सब्जियों, मांस एवं कुक्कुट उत्पादों तथा अन्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों सहित प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है:

(मूल्य: करोड़ रुपए में)

2002-03	2003-04	2004-05
4727	5467	5800

(स्रोत: एपीडा)

(घ) और (ङ) जी, हां। प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात को बढ़ाने के अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा कई पहलें की जा ही हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण समूहों में आम बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान;

(2) बाजार विकास, परिवहन सहायता, गुणवत्ता विकास आदि के लिए अपनी स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(3) निर्यात हेतु पैकेजिंग मानकों का विकास;

(4) अंडों की धुलाई एवं ग्रेडिंग की सुविधाओं के लिए सहायता का प्रावधान और अंडा उत्पादों के लिए अवशिष्ट निगरानी योजना का कार्यान्वयन; तथा

(5) मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मसाला बोर्ड को वित्तीय सहायता

3968. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मसाला बोर्ड को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वनिला निर्यात पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है; और

(ग) मसाला बोर्ड को सहायता देने से वनिला उत्पादकों को कितनी सहायता मिलेगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने मसाला बोर्ड को वर्ष 2004-05 में 25.36 करोड़ रुपये और वर्ष 2005-06 में 30.00 करोड़ रुपये के योजना बजट का आवंटन किया है। मसाला बोर्ड द्वारा मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की अनुसूची के अंतर्गत आने वाले वनीला समेत सभी मसालों के निर्यातों का संवर्धन करने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाता है। किसी विशेष मसाले के निर्यात संवर्धन के लिए किसी विशिष्ट तिथि का आबंटन नहीं किया जाता है।

(ग) वनीला उपजकर्त्ताओं की सहायता करने के लिए मसाला बोर्ड वनीला की गुणवत्तायुक्त पौधारोपण सामग्री की आपूर्ति और वनीला उपचार इकाइयों की स्थापना के लिए वनीला उपजकर्त्ताओं की सहायता कर रहा है। वर्ष 2004-05 में इन कार्यकलापों पर 42.46 लाख रुपये का खर्च किया गया था।

संयुक्त उद्यम

3969. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई देशों ने चाय, काफी और कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम की स्थापना में रुचि दर्शाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी देश ने पिछले छः माह के दौरान भारत के साथ किसी संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) विभिन्न देशों के निवेशकों ने चाय, कॉफी तथा कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए रुचि प्रदर्शित की है।

(ख) देश-वार अनुमोदनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) किसी अनुमोदन की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। संयुक्त उद्यमों पर देश द्वारा नहीं बल्कि निवेशकों द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं।

विवरण

अगस्त, 1991 से मई, 2005 तक संयुक्त उद्यमों के लिए देशवार अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

	देश का नाम	अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
चाय	श्रीलंका	2.25
	सिंगापुर	2.5
कॉफी	मलेशिया	0.01
कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्र	आस्ट्रेलिया	11.14
	बेल्जियम	4.3
	ब्रिटिश वर्जीनिया	0.25
	बुल्गारिया	1.91
	कनाडा	0.65
	साइप्रस	0.44
	डेनमार्क	6.14
	फ्रांस	2.6
	जर्मनी	6.9
	इजराइल	50.75
	इटली	1
	जापान	4.13
	कुवैत	14.95
	मलेशिया	9.27
	मारीशस	174.28
	नीदरलैंड	261.28
	नार्वे	13.95
	फिलीपींस	1.84
	सिंगापुर	6.14
	दक्षिण अफ्रीका	3.43
	श्रीलंका	1.52
	स्विटजरलैंड	0.46
	ताइवान	3.25
	थाईलैंड	30.1
	यूएई	30
	यूके	47.34
	यूएसए	108.65
	इंगित न किए गए देश	2.86
	योग	804.29

*एनआरआई निवेशों को शामिल नहीं किया गया है।

*संयुक्त उद्यम जिनमें एफडीआई में 100 प्रतिशत इक्विटी है, शामिल नहीं किए गए हैं।

*तकनीकी संयुक्त उद्यमों को छोड़ दिया गया है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय

3970. श्री प्रहलाद जोशी: क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग का विचार सुसमन्वित और प्रभावी प्रशासन के मद्देनजर अपने नेटवर्क का विस्तार करने हेतु देश में और अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षकों को प्रशिक्षण

3971. डा. के. धनराजू: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा आयोग की अनुमति से प्रत्येक राज्य में स्थापित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/बी.एड. कालेजों से कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण मिला;

(ख) क्या सरकार ने देश में योग्यता प्राप्त शिक्षकों की आवश्यकता/उपलब्धता का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित प्रवेश-क्षमता के साथ-साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या के संबंध में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि, विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त/उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा आंकड़ा नहीं रखा जा रहा है।

(ख) और (ग) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक और माध्यमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण विषय पर गठित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समितियों ने देश में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या तथा अनुमोदित प्रवेश-क्षमता के बारे में राज्यवार सूचना

क्र.सं.	राज्य का नाम	मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या और अनुमोदित प्रवेश क्षमता		
		वर्ष	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	2002-2003	0	0
		2003-2004	0	0
		2004-2005	1	50
2.	असम	2002-2003	3	250
		2003-2004	0	0
		2004-2005	15	1440
3.	बिहार	2002-2003	20	1050
		2003-2004	2	100
		2004-2005	2	150

1	2	3	4	5
4.	झारखंड	2002-2003	8	610
		2003-2004	5	400
		2004-2005	7	700
5.	मणिपुर	2002-2003	1	200
		2003-2004	2	200
		2004-2005	1	25
6.	मेघालय	2002-2003	1	194
		2003-2004	1	100
		2004-2005	0	0
7.	मिजोरम	2002-2003	0	0
		2003-2004	0	0
		2004-2005	1	30
8.	नागालैंड	2002-2003	1	100
		2003-2004	0	0
		2004-2005	0	0
9.	उड़ीसा	2002-2003	0	0
		2003-2004	2	100
		2004-2005	3	66
10.	सिक्किम	2002-2003	0	0
		2003-2004	2	150
		2004-2005	0	0
11.	त्रिपुरा	2002-2003	0	0
		2003-2004	0	0
		2004-2005	3	100
12.	पश्चिम बंगाल	2002-2003	6	902
		2003-2004	5	500
		2004-2005	4	250

1	2	3	4	5
13.	चंडीगढ़	2002-2003	0	0
		2003-2004	1	100
		2004-2005	0	0
14.	दिल्ली	2002-2003	4	325
		2003-2004	9	1185
		2004-2005	14	1645
15.	हरियाणा	2002-2003	6	300
		2003-2004	0	0
		2004-2005	17	1700
16.	हिमाचल प्रदेश	2002-2003	6	560
		2003-2004	20	1700
		2004-2005	2	650
17.	पंजाब	2002-2003	3	550
		2003-2004	9	900
		2004-2005	19	2375
18.	राजस्थान	2002-2003	8	1170
		2003-2004	11	790
		2004-2005	11	1250
19.	उत्तर प्रदेश	2002-2003	88	8660
		2003-2004	116	11240
		2004-2005	206	27490
20.	उत्तरांचल	2002-2003	0	0
		2003-2004	0	0
		2004-2005	3	350
21.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2002-2003	0	0
		2003-2004	0	0
		2004-2005	0	0
22.	आंध्र प्रदेश	2002-2003	83	8249
		2003-2004	132	13211
		2004-2005	21	2200

1	2	3	4	5
23.	कर्नाटक	2002-2003	6	503
		2003-2004	0	0
		2004-2005	491	39715
24.	केरल	2002-2003	10	1533
		2003-2004	6	445
		2004-2005	148	16895
25.	पांडिचेरी	2002-2003	1	100
		2003-2004	0	0
		2004-2005	6	600
26.	तमिलनाडु	2002-2003	0	0
		2003-2004	45	285
		2004-2005	176	9150
27.	छत्तीसगढ़	2002-2003	1	110
		2003-2004	6	550
		2004-2005	9	950
28.	दमन और दीव	2002-2003	0	0
		2003-2004	0	0
		2004-2005	0	0
29.	गुजरात	2002-2003	71	4680
		2003-2004	92	6600
		2004-2005	2	150
30.	गोवा	2002-2003	0	0
		2003-2004	0	0
		2004-2005	59	4450
31.	मध्य प्रदेश	2002-2003	3	380
		2003-2004	48	4235
		2004-2005	54	4400
32.	महाराष्ट्र	2002-2003	8	400
		2003-2004	39	8230
		2004-2005	53	4750
		कुल	2219	203378

[हिन्दी]

काष्ठ आकृति केन्द्रों का स्थानान्तरण

3972. श्री रशीद मसूद: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में इमारती लकड़ी उद्योग में कार्यरत कारीगर अस्वास्थ्यकर स्थितियों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इमारती लकड़ी के कारीगरों के विकास हेतु आवंटित धनराशि का अन्य प्रयोजनों में उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और धनराशि का अन्यत्र उपयोग न हो, यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सहारनपुर में स्थित काष्ठ आकृति और डिजाइन केन्द्र को दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग पर स्थानांतरित किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार को इस संबंध में काष्ठ आकृति संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (ज) वुड क्राफ्ट डिजाइन एंड कॉमन फेसिलिटी सेंटर की स्थापना दिल्ली रोड पर जिला उद्योग केन्द्र सहारनपुर के परिसर में की जा रही है। वुड कार्विंग मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, सहारनपुर से जिलाधीश, सहारनपुर के नाम एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। चूंकि परियोजना लागत में भूमि की लागत शामिल नहीं थी और अम्बाला रोड पर कोई नि:शुल्क भूमि उपलब्ध नहीं थी, अत: इस केन्द्र को जिला उद्योग केन्द्र के परिसर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जो अम्बाला रोड, सहारनपुर से लगभग 6-8 कि.मी. की दूरी पर है।

[अनुवाद]

पौध रोपण हेतु डी.डी.ए. द्वारा भुगतान

3973. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने गत वर्ष 2.5 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया था और इसके लिए भुगतान भी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वास्तव में मात्र 10 हजार पौधरोपण ही किया गया था जिनकी उचित देखभाल नहीं की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिना कोई जांच कराए पौधरोपण के लिए पहले भी भुगतान किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए कितने अधिकारी दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि वर्ष 2004-2005 के दौरान 1,57,844 पेड़ों और 2,89,156 झाड़ियों सहित 4,47,000 पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य के अनुसार वृक्षारोपण कर दिया गया है। पेड़ों के लिए 1,57,844 पौध में से 90,634 पौध लगभग 23 लाख रुपए की लागत पर खरीदी गई थी। शेष वृक्षारोपण, विभागीय पौधशालाओं से प्राप्त पौध के जरिए पूरा किया गया था।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि सहायक निदेशक द्वारा पौधों की पैमाइश की जांच और उपनिदेशक द्वारा परीक्षण जांच के पश्चात रोपे गए पेड़ों की वास्तविक संख्या के आधार पर भुगतान किया जाता है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खुदरा बाजार में निजी निवेश

3974. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुदरा बाजार में निजी क्षेत्र द्वारा भारी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने खुदरा बाजार में निजी क्षेत्र द्वारा इस पूंजी निवेश के प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार शहरों और महानगरों में भी खुदरा बाजार श्रृंखला स्थापित करने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का है; और

(च) यदि हां, तो किराया, भूमि उपयोग, सम्पत्ति अधिग्रहण और बैंक वित्त पोषण नीतियों आदि से संबंधित नियमों में प्रस्तावित परिवर्तनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) भारतीय खुदरा बाजार का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है और 2 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में है। भूमि और भवनों में निवेश को छोड़कर असंगठित क्षेत्र में खुदरा व्यवसाय करने के लिए मामूली निवेश की आवश्यकता है क्योंकि वस्तुएं उधार लायी जाती हैं और नकद आधार पर बेची जाती हैं।

(ग) और (घ) उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किये गये "भारत में खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश" के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध (आईसीआरआईईआर) अध्ययन रिपोर्ट से संबंधित भारतीय अनुसंधान परिषद् के अनुसार भारतीय खुदरा बाजार की मात्रा का वर्ष 2002 में 7,40,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। औसत के आधार पर इस क्षेत्र में वर्ष 1999-2002 के दौरान 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हुई है। भारत में खुदरा क्षेत्र सबसे बड़ा उद्योग है और कृषि के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। संगठित खुदरा बाजार में वृद्धि होने से खुदरा व्यापारी आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन, प्रौद्योगिकी में निवेश कर इन्हें विनिर्माताओं से सीधे प्राप्त कर रहे हैं और इस प्रकार लागत में कमी कर रहे हैं।

(ङ) और (च) खुदरा क्षेत्र की बढ़ोत्तरी के लिए योजना आयोग (दसवीं पंचवर्षीय योजना में) ने और आईसीआरआईईआर रिपोर्ट में उपायों की सिफारिश की गयी है जिनमें कराधान कानूनों को खुदरा व्यापार को उद्योग के स्तर के अनुसार सरल बनाना, कानूनों की समीक्षा करना (एपीएमसी अधिनियम सहित) तथा उचित क्षेत्र निर्धारण कानून बनाना शामिल हैं।

महिलाओं के लिए समानता

3975. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा नियमों में बदलाव के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को सम्बोधित 20 जून, 2005 के पत्र में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में की गयी प्रतिबद्धता के अनुसरण में कृषि भूमि एवं सम्पत्ति पर उत्तराधिकार सहित सभी मामलों में महिलाओं हेतु सम्पूर्ण विधिक समानता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया था।

(ग) राज्य सभा द्वारा मानसून सत्र, 2005 के दौरान पारित हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2004 के अनुसार, कृषि भूमि सहित सम्पत्ति के उत्तराधिकार के मामले में महिलाओं के प्रति भेदभावपरक प्रावधानों को हटा दिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना में ग्वालियर को शामिल किया जाना

3976. **डा. राम लखन सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में आबादी को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को शामिल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो मुख्य शहर के रूप में ग्वालियर शहर के विकास हेतु एनसीआरपीबी द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई और इसकी ब्याज दर कितनी है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्राप्त ऋण में से कितनी राशि का उपयोग किया गया और तत्संबंधी कितनी प्रगति हुई;

(घ) राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्राप्त ऋण में से मूल और ब्याज राशि के भुगतान का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ङ) हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पहले से ही चयनित ग्वालियर शहर को शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या यह निर्णय मध्य प्रदेश के विकास के विपरीत है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने यह बताया है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समान सुविधायुक्त क्षेत्र (काउंटर मैग्नेट एरिया) के रूप में क्षेत्रीय योजना-2001 में शामिल किया गया है। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार से ग्वालियर समान सुविधायुक्त क्षेत्र के लिए एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एसएडीए) का गठन किया है।

(ख) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ग्वालियर समान सुविधायुक्त क्षेत्र में विभिन्न अवस्थापना परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा ऋण के रूप में 89 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई है। ऋण तथा ब्याज दर जिस पर ऋण दिया गया है, का विवरण संलग्न है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने कुल 115.70 करोड़ रु. का व्यय सूचित किया है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा ऋण के रूप में दी गई 89 करोड़ रु. की राशि भी शामिल है। एक परियोजना पूरी हो गई है और तीन परियोजनाएं चल रही हैं।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार ने 31.3.2005 तक मूलधन के रूप में 18.25 करोड़ रु. और ब्याज के रूप में 14.668 करोड़ रु. का भुगतान किया है।

(ङ) से (छ) हालांकि, ग्वालियर को समान सुविधायुक्त क्षेत्र के रूप में क्षेत्रीय योजना 2001 में शामिल किया गया है। तथापि, राज्य सरकार ने 1992 में ग्वालियर समान सुविधायुक्त क्षेत्र के लिए एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एसएडीए) का गठन किया और उपर्युक्त क्षेत्र को "ग्वालियर विशेष क्षेत्र" का नाम दिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राज्य सरकार को बताया है कि ग्वालियर शहर को समान सुविधायुक्त क्षेत्र के रूप में भी अधिसूचित करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जानी है।

विवरण

रा.रा. क्षेत्र में राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया ऋण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परियोजना	बोर्ड द्वारा दिया गया ऋण	बोर्ड द्वारा ऋण देने की तारीख	बोर्ड द्वारा ऋण देने की तारीख को लागू ब्याज दर	राज्य सरकार/ विशेष विकास क्षेत्र द्वारा 31 मार्च, 2005 तक दी गई मूल राशि	राज्य सरकार/ एसएडीए द्वारा 31 मार्च, 2005 तक दिया गया ब्याज
1	2	3	4	5	6	7
1.	सुविधायुक्त क्षेत्र	1.00	30.3.1992	10.75%	1.000	0.590
	ग्वालियर का विकास	10.74	30.3.2000	13.00%	4.027	4.010
	(पहला फेज)	19.26	30.3.2002	13.00%	7.220	4.068

1	2	3	4	5	6	7
2.	सुविधायुक्त क्षेत्र ग्वालियर में 6 लेन वाली परिधीय सड़क का निर्माण	18.00 18.00	26.3.2002 23.2.2004	10.00% 7.50%	3.600 0.00	3.600
3.	सीएमए ग्वालियर में 132 केवी पावर स्टेशन का निर्माण	12.00	30.3.2002	10.00%	2.400	2.400
4.	सीएमए, ग्वालियर में जल आपूर्ति योजना (फेज-1)	10.00	17.12.2004	7.00%	0.000	0.000
	योग	89.00			18.25	14.668

नोट: सभी ऋणों के लिए ब्याज दर 24.11.2004 से 7.00% प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है।

[अनुवाद]

डी.डी.ए. के लंबित अदालती मामले

3977. डा. एम. जगन्नाथ: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के बड़ी संख्या में मामले अदालतों में लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पांच वर्षों से अधिक समय से कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) इन मामलों को तेजी से निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि लगभग 14000 मामले सुनवाई के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं जिनमें से लगभग 3200 मामले पांच वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन हैं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि इन सभी विचाराधीन मामलों के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हेतु कार्रवाई की गई है ताकि उनका बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। उन क्षेत्रों में जो मुकदमेबाजी के कारण बनते हैं, प्रक्रियाओं और नीतियों को सुचारू बनाने तथा शिकायत निवारण तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कदम भी उठाए गए हैं ताकि मुकदमेबाजी की गुंजाइश को कम किया जा सके।

सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण

3978. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में भूमि केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में है;

(ख) यदि हां, तो क्या सड़कों के दोनों ओर सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण बिना किसी रोक के तेजी से बढ़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संबंधित क्षेत्रों में होने वाले अतिक्रमण के लिए थाना प्रभारियों को जवाबदेह ठहराने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण का पता लगाना और उसके विरुद्ध कार्रवाई करना एक सतत प्रक्रिया है, जो इस विषय संबंधी विभिन्न अधिनियमों और नियमों के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है। सरकार, समय-समय पर, भू-स्वामी एजेंसियों से अपनी भूमि को अतिक्रमणों से मुक्त करने के लिए कड़े उपाय करने पर जोर देती रही है।

[हिन्दी]

द्वारका में "हज हाउस" का निर्माण

3979. श्री सज्जन कुमार: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हज तीर्थ यात्रियों के समक्ष आ रही समस्याओं के मद्देनजर द्वारका में "हज हाउस" के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त "हज हाउस" का निर्माण कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि द्वारका में "हज हाउस" के लिए भूमि चुनने की प्रक्रिया शुरू की गयी है।

एन.एस.टी.एफ.डी.सी. में भेदभाव की घटनाएं

3980. श्री तूफानी सरोज: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.एस.टी.एफ.डी.सी. में अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को एन.एस.टी.एफ.डी.सी. में कार्यरत अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों के उत्पीड़न के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आवास परियोजनाएं

3981. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में आवास समस्या के समाधान हेतु आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड की योजनाओं और नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान में हडको द्वारा पूरी की गई आवास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान में आवास समस्या के समाधान हेतु कोई अन्य परियोजनाएं हडको के विचाराधीन हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) देश के विभिन्न भागों में आवास समस्या के समाधान हेतु आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड की योजनाओं और नीतियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्थान में हडको द्वारा वित्तीय सहायता के लिए मंजूर की गयी आवास परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिया गया है। राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा ऋण लेकर परियोजनाएं पूरी की जाती हैं।

(ग) इस तिथि तक राजस्थान राज्य से प्राप्त कोई आवास परियोजना मंजूरी के लिए हडको के पास लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दो मिलियन आवास कार्यक्रम सहित सामान्य आवास

शहरी तथा ग्रामीण—दोनों क्षेत्रों में विभिन्न आय वर्गों वाली श्रेणियों अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.), मध्यम आय वर्ग (एम.आई.जी.) उच्च आय वर्ग (एच.आई.जी.) के लिए आवासों/फ्लैटों के निर्माण तथा प्लाटों के विकास हेतु सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की ऋण लेने वाली एजेंसियों को हडको से वित्त उपलब्ध कराया जाता है।

लाभार्थियों तक सीधे पहुंचने के अपने उद्देश्यों के एक भाग के रूप में, हडको अपना घर या प्लॉट लेने में समर्थ बनाने के लिए अलग-अलग परिवार को वित्तीय सहायता दे रहा है।

उपर्युक्त के अलावा, हडको आवास समस्या के समाधान के लिए वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना जैसी सरकारी योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है।

विवरण II

राजस्थान में कार्य

शहरी आवास (राजस्थान)

(करोड़ रुपये)

वर्ष	परियोजनाओं की सं.	ऋण राशि	मंजूर किये गये आवंटन
2002-03	1	0.62	18
2003-04	5	15.41	832
2004-05	4	98.72	12338
2005-06 (30 जून, 2005 तक)	0	0	0

[अनुवाद]

फ्लैटों के आबंटन में घोटाला

3982. श्री उदय सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण के "टू बेडरूम हाउसिंग स्कीम-2004" और "द फेस्टिवल हाउसिंग स्कीम-2004" के अंतर्गत फ्लैटों के आवंटन में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजधानी में प्रोपर्टी डीलरों की दि.वि.प्रा. के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद: (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि उन्हें कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें "टू बेडरूम हाउसिंग स्कीम-2004" और "दी फेस्टिवल हाउसिंग स्कीम-2004" के अंतर्गत फ्लैटों के आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। तथापि, जांच करने पर इस संबंध में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी थी। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक ने गलत सूचना दी है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन की शर्तों और निबंधनों के अनुसार आवंटन को रद्द करने हेतु कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त सिस्टम में पारदर्शिता लाने तथा धोखेबाजी की किसी संभावना का निराकरण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न संगठनों और मीडिया से स्वतंत्र निर्णायकों की उपस्थिति में कम्प्यूटर के जरिए फ्लैटों के ड्रा निकाले जाते हैं। इस प्रक्रिया को बड़े परदे पर साथ-साथ प्रदर्शित भी किया जाता है। ड्रा के परिणामों को तत्काल स्वागत क्षेत्र में नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है, वेबसाइट पर दे दिया जाता है तथा समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर दिया जाता है। इन सब व्यवस्थाओं का अच्छा प्रभाव पड़ा है तथा किसी शिकायत की गुंजाइश काफी कम हो गई है। इस प्रक्रिया में यथा समय सुधार लाने हेतु इसकी सतत रूप से समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

आतंकवादियों को वित्तीय सहायता

3983. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री वी.के. दुग्गर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आतंकवादियों को किन स्रोतों से वित्तीय सहायता मिल रही है;

(ख) वर्ष 2004 के दौरान और तत्पश्चात् इस संबंध में सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) उपलब्ध रिपोर्टें यह दर्शाती हैं कि जम्मू और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी गुटों को धन मुख्य रूप से घुसपैठ करने वाले ग्रुपों, हावला और अन्य माध्यमों (कानडिट्स)/वार्ताहरों द्वारा नकद प्रदान किया जाता है।

देश के विभिन्न हिस्सों में निष्क्रिय किये गये माड्यूलों में हवाला कारोबार और आतंकवादियों को धन मुहैया कराने वाले भी शामिल हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस संबंध में संगत कानूनों के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए वर्ष 2004 और 2005 (जून तक) के दौरान 20 से अधिक लोग गिरफ्तार किये गये हैं।

पशुओं का निर्यात

3984. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पशुओं का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने पशुओं का निर्यात किया गया और इससे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी है;

(घ) क्या देश में पशुओं के निर्यात से बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) पशुओं के निर्यात को निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2004-2009 की अनुसूची-2 में यथानिहित निर्यात नीति द्वारा शासित किया जाता है, जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। वर्तमान में पशुओं के निर्यात हेतु नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित पशुओं की संख्या तथा इससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:

	2002-03		2003-04		2004-05 (अनुमानित)	
	संख्या हजार में	मूल्य करोड़ रु. में	संख्या हजार में	मूल्य करोड़ रु. में	संख्या हजार में	मूल्य करोड़ रु. में
निर्यात	4710	6.28	4388	20.63	2616	22.40

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित पशुओं के देशवार ब्यौरों से संबंधित सूचना वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी खण्ड 1 (निर्यात)-वार्षिक अंक" में देखी जा सकती है, जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) निर्यात नीति में लगाए गए निषेधों और प्रतिबंधों का उद्देश्य देश में किसी प्रतिकूल प्रभाव को रोकना है।

[अनुवाद]

ट्यूशन फी की दरों में बढ़ोत्तरी

3985. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रियायती दर पर भूमि का आवंटन करने के लिए निर्धारित निबंधन व शर्तों के विरुद्ध बड़ी संख्या में स्कूलों द्वारा "ट्यूशन फी" में बढ़ोत्तरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्कूलों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या दि.वि.प्रा. स्कूलों को भूमि के आबंटन हेतु निर्धारित निबंधन व शर्तों के अनुपालन की निगरानी करता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह

सूचित किया है कि स्कूलों के लिए भूमि के आबंटन की शर्तों में एक शर्त यह शामिल है कि स्कूल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना शिक्षा शुल्क की दरों में वृद्धि नहीं करेगा और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम/नियम, 1973 (डीएसईए) के प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों का पालन करेगा।

शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा डीडीए को जब भी आवंटन शर्तों का कोई उल्लंघन होने की सूचना दी जाती है, डीडीए द्वारा पट्टा शर्तों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम

3986. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के विस्तार और बच्चों के खाद्य पदार्थों को पोषक बनाने हेतु खाद्य और पोषाहार बोर्ड द्वारा तैयार की गयी नयी नीति/कार्यक्रम क्या है;

(ख) क्या देश में खाद्यान्न और दलहन में बढ़ोत्तरी के परिणामत: आंगनवाड़ियों हेतु आवंटन को बढ़ाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) जी, नहीं। खाद्य एवं पोषण बोर्ड ने ऐसी कोई नयी नीति/कार्यक्रम निरूपित नहीं किया है। खाद्य एवं पोषण बोर्ड मुख्य रूप से पोषण शिक्षा, प्रशिक्षण एवं समर्थन, पोषण से संबंधित जन-जागरूकता अभियानों, शिशुओं एवं छोटे बच्चों हेतु इष्टतम आहार पद्धतियों के संवर्धन तथा वर्ष 1993 में सरकार द्वारा अंगीकृत की गयी राष्ट्रीय पोषण नीति के निर्देशों के पालन में संलग्न है।

(ख) और (ग) देश में खाद्यान्नों तथा दालों के उत्पादन में वृद्धि का आंगनवाड़ियों हेतु आवंटन से कोई संबंध नहीं है। तथापि, सरकार ने आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण हेतु वित्तीय मानकों को संशोधित कर एक रुपये से दो रुपये प्रति लाभार्थी प्रति दिन कर दिया है।

प्राचीन भाषा

3987. श्री एम. अप्पादुरई: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार द्वारा "प्राचीन भाषा' का दर्जा प्राप्त तमिल भाषा के पाठन की व्यवस्था कराने के लिए भारत सरकार की सहायता की मांग करते हुए लातीनी अमरीकी देशों और अन्य देशों में बसे भारतीय मूल और तमिल मूल के लोगों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या 'एन.सी.ई.आर.टी.' ने देश के विभिन्न भागों में पढ़ाए जाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु केवल चार भारतीय भाषाओं का चयन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस देश की प्राचीन भाषा तमिल को इस पाठन तकनीक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आरंभ में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में और सभी विश्वविद्यालयों में 'यू.जी.सी.' के माध्यम से 'तमिल चेयर और रिसर्च एंड टीचिंग' की व्यवस्था करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार तमिल भाषा शिक्षण की व्यवस्था करने हेतु भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए लैटिन अमरीकी देशों में बसे भारतीय मूल और तमिल मूल के लोगों ने कोई विशेष अनुरोध नहीं किया है। तथापि, मॉरीशस में रह रहे भारतीय और तमिल मूल के लोगों के एक अनुरोध पर विचार किया गया है और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मोका, मॉरीशस के सहयोग से एक भाषा संसाधन केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के माध्यम से एक करोड़ रु. आवंटित किये गए हैं और प्रथम किस्त के रूप में 30 लाख रु. पहले ही जारी किये जा चुके हैं।

इस संस्थान ने विश्व भर के ऐसे लोगों, विशेष रूप से तमिल मूल के लोगों की सहायतार्थ ऑन-लाइन तमिल शिक्षण/अधिगम का एक कार्यक्रम शुरू किया है। भाषा मंदाकिनी परियोजना के तहत द्वितीय/विदेशी भाषा के रूप में तमिल शिक्षण के लिए एक टेलीविजन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू माध्यम में स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करती है। संबंधित राज्य शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा हेतु अन्य

भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें तैयार करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 के प्रारूप को अन्य भाषाओं के साथ-साथ तमिल में भी अनूदित किया गया है।

(ङ) भाषा की प्रोन्नति के लिए विश्वविद्यालयों में तमिल भाषा शिक्षण के लिए यू.जी.सी. ने किसी पीठ का सृजन नहीं किया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

हाथ से बनी ईंट निर्माताओं पर कर

3988. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कन्याकुमारी में हाथ से बनी ईंट के निर्माताओं पर लगाये जा रहे अवहनीय कर की जानकारी है जिसके कारण लाख से भी अधिक कामगार अपना रोजगार गंवा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) तमिलनाडु सरकार ने बताया है कि उसने कन्याकुमारी जिले में हस्तनिर्मित ईंट उत्पादकों पर लगाए जा रहे अविवेकपूर्ण और अवहनीय कर के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं किया है। सरकार ने यह भी बताया है कि राज्य में ईंटों पर सामान्य बिक्री कर की दर 4 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु धनराशि का आवंटन

3989. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास और विस्तार के लिए एक योजना के कार्यान्वयन हेतु धनराशि का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत गत कई वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उपयोग की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि समीक्षा के दौरान इस क्षेत्र के लिए आवंटित धनराशि में बढ़ोत्तरी करने के लिए कोई निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) माध्यमिक शिक्षा सेक्टर में "विकास तथा विस्तार" नाम की कोई स्कीम नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सैक्टर (शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना सहित, जिसे कि तकनीकी शिक्षा सेक्टर के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया है) हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन 4325.00 करोड़ रु. है। इस सैक्टर हेतु वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक योजनागत आवंटन 875 करोड़ रु. है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों, संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रत्येक स्कीम के अंतर्गत पहले जारी की गई निधियों की उपयोगिता की प्रगति को ध्यान में रखकर अनुदान जारी किया जाता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के दौरान माध्यमिक शिक्षा सैक्टर हेतु आवंटित निधि को बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

पुलिस कार्यकरण में लोक भागीदारी

3990. श्री गिरिधारी यादव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुलिस कार्यकरण में लोक भागीदारी हेतु राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में बनाए गए संस्थागत तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्य में किसी गैर-सरकारी संगठन को भी शामिल किया गया है;

(घ) क्या सरकार पुलिस को जन हितैषी और पुलिस के कार्यकरण को पारदर्शी बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी पर कोई विधान लाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। पुलिस व्यवस्था में सामुदायिक भागीदारी सुशासन का एक अनिवार्य हिस्सा है। अपराध के निवारण और पता लगाने में समुदाय की सहायता लेने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों से गैर-सरकारी संगठनों की सहायता लेने सहित पुलिस-जनता बातचीत और सहयोग को प्रोत्साहित करने को कहा गया है।

(घ) और (ङ) नए पुलिस अधिनियम के माध्यम से पुलिस व्यवस्था में लोक भागीदारिता सहित पुलिस सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट

3991. श्री राजेन गोहेन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के प्रति विभिन्न अपराधों को रोकने के लिए कोई रिपोर्ट हाल ही में सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि उसने हाल ही में सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाजार का स्वामित्व अधिकार

3992. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संपदा निदेशालय के अंतर्गत बड़ी संख्या में बाजारों को स्वामित्व अधिकार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने बाजारों को अब भी स्वामित्व अधिकार दिया जाना शेष है;

(घ) क्या सरकार का ऐसे बाजारों को स्वामित्व देने का इरादा है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रक्रिया के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसे बाजारों को स्वामित्व अधिकार नहीं देने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी हां। संपदा निदेशालय के नियंत्रण में 47 मार्किट है। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 26 मार्किटों के दुकानदारों को स्वामित्व अधिकार दे दिए जाएं।

(घ) से (च) शेष मार्किटों में दुकानों को स्वामित्व अधिकार अनेक कारणों से नहीं दिया गया जैसे कि भूतल पर सरकारी दुकानों और ऊपरी तलों पर सामान्य पूल रिहायशी परिसर/कार्यालय परिसर का होना; उनका आंचलिक विकास योजना के अनुरूप न होना आदि। तथापि, अब यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में खाली होने वाली सभी दुकानों को पट्टा आधार पर नीलामी के जरिए निपटाया जाए।

अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार की स्थिति

3993. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत-रूस, भारत-अमरीका, चीन-भारत और भारत-ब्रिटेन के व्यापार की स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता से उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत-रूस, भारत-अमरीका, भारत-चीन तथा भारत-यूके व्यापार के आंकड़े इस प्रकार हैं:

मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

देश	निर्यात			आयात		
	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
रूस	704.00	713.76	597.43	592.61	959.63	1265.38
यूएसए	10895.76	11490.11	13265.60	4443.58	5034.86	6291.49
चीन	1975.48	2955.10	4586.28	2792.04	4053.23	6746.66
यूके	2496.41	3023.27	3544.69	2777.01	3234.35	3431.35

(ख) और (ग) रूस, अमरीका, चीन और यूके के साथ भारत के व्यापार का विस्तार करना सरकार का अनवरत और सतत प्रयास है। इन देशों के साथ विभिन्न व्यापार संवर्धन उपायों जैसे- बाजार अनुसंधान, व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान के जरिए उच्चतम स्तर पर वार्ताओं के संवर्धन, संयुक्त आयोग/कार्यदल/उप-दल तंत्र के जरिए निरन्तर समीक्षक संयुक्त व्यापार परिषदों, सूचना के आदान-प्रदान के जरिए व्यापार का विस्तार और विविधीकरण करने के लिए सतत आधार पर कदम उठाये जा रहे हैं। रूस को सीआईएस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के व्यापार को विकसित करने और बढ़ाने पर लक्षित फोकस-सीआईएस कार्यक्रम के वर्तमान चरण में फोकस देश के रूप में शामिल किया गया है।

सोसायटी फॉर एप्लाइड रिसर्च इन एजुकेशन एण्ड डेवलपमेंट द्वारा अनुसंधान अध्ययन

3994. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बच्चों की शिक्षा पर व्यय में बढ़ोत्तरी के मद्देनजर केन्द्र तथा राज्य स्तर पर बच्चों पर व्यय के संकलन हेतु सोसायटी फॉर एप्लाइड रिसर्च इन एजुकेशन एण्ड डेवलपमेंट द्वारा अनुसंधान अध्ययन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रिपोर्ट का सारांश क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों का प्रतिशत हिस्सा केन्द्र स्तर की तुलना में अधिक है, जो कि 85% से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पासपोर्ट का सत्यापन

3995. श्री काशीराम राणा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के कारण पासपोर्ट के सत्यापन में विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध राज्यवार कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय, भारतीय पारपत्र जारी करने पर विचार करने से पहले राज्य पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से आवेदकों के पूर्ववृत्त, राष्ट्रीयता और रिहायशी पतों को सत्यापित करवाते हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 11 जुलाई, 2005 को सलाह भेजी गई कि वे अधिक से अधिक तीन हफ्ते की अवधि के अंदर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भेजने के लिए कोई उपाय निकालने की प्रक्रिया पर विचार करें।

(ङ) केन्द्रीय आधार पर ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली में फाइव स्टार होटलों के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन

3996. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में 40 फाइव स्टार होटलों के निर्माण हेतु जल्दी ही भूमि आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) होटलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि दिल्ली में 40 पांच सितारा होटलों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने होटलों के लिए विभिन्न श्रेणी के लगभग 19 स्थलों की पहचान की है जिन्हें नीलामी द्वारा निपटाया जाएगा।

''एजुसेट'' केन्द्रों की स्थापना

3997. डा. के.एस. मनोज: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों विशेषकर केरल सरकार से एजुसेट समीक्षा केन्द्रों (रिवीविंग सेन्टर्स) की स्थापना करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) एजुसेट का कार्यान्वयन करने वाले राष्ट्रीय कोर ग्रुप द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्य सरकारों से 'एजुसेट राज्य नेटवर्क' के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

1. आंध्र प्रदेश
2. बिहार
3. छत्तीसगढ़
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. हिमाचल प्रदेश
7. जम्मू-कश्मीर
8. झारखंड
9. केरल
10. मध्य प्रदेश
11. मेघालय
12. मिजोरम
13. नागालैंड
14. उड़ीसा
15. राजस्थान
16. सिक्किम
17. तमिलनाडु
18. त्रिपुरा
19. उत्तरांचल
20. उत्तर प्रदेश

अंतरिक्ष विभाग के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने केरल में राज्य नेटवर्क पहले ही चालू कर दिया है। 'इसरो' राज्यों को स्वयं अपने टर्मिनल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'सेटेलाइट इन्टरेक्टिव टर्मिनल' हेतु एक 'हब' और 10 टर्मिनल नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों हेतु सरलतापूर्वक ऋण संवितरण

3998. श्री मनोज कुमार: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा कोई समीक्षा मॉडल विकसित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त मॉडल को कब तक लागू किया जाएगा?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एनएसआईसी) द्वारा कोई विशिष्ट समीक्षा मॉडल विकसित नहीं किया गया है। तथापि, एन.एस.आई.सी. ने लघु उद्योगों को ऋणों की स्वीकृति के लिए अपनी प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया है।

[अनुवाद]

निर्यात में राज्यों की भागीदारी

3999. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:**
श्री अविनाश राय खन्ना:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यात व्यापार में राज्यों की समान भागीदारी पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केन्द्रों (आर.टी.पी.सी.) का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने हेतु समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों को शामिल करने के लिए अंतरराज्यीय व्यापार परिषद की स्थापना की गई है। अंतरराज्यीय व्यापार परिषद के गठन की अधिसूचना 24 जून, 2005 को जारी की गई थी। अंतरराज्यीय व्यापार परिषद की पहली बैठक अभी बुलायी जानी है।

(ङ) चेन्नई तथा बंगलौर स्थित व्यापार संवर्धन केन्द्र इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन तथा संबंधित राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किये गये हैं। इसी प्रकार के केन्द्र कोलकाता तथा गुवाहाटी में भी स्थापित किये जा रहे हैं।

लू लगने से मृत्यु

4000. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से राज्य में प्रतिवर्ष लू लगने से बड़ी संख्या में होने वाली मौतों के मद्देनजर लू लगने को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) उड़ीसा राज्य सरकार ने आपदा राहत निधि (सी आर एफ) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) की राहत योजनाओं के अधीन वित्तीय सहायता के लिए पात्र होने हेतु राष्ट्रीय आपदाओं की सूची में लू को शामिल करने के वास्ते भारत सरकार और 12वें वित्त आयोग को एक प्रस्ताव भेजा था।

12वें वित्त आयोग ने उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया था लेकिन उपरिलिखित राहत योजनाओं के अधीन वित्तीय सहायता के लिए पात्र प्राकृतिक आपदाओं की सूची में लू को शामिल किए जाने की सिफारिश नहीं की।

पाटन रोधी शुल्क

4001. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री गणेश सिंह:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ के बाजारों में विद्यमान प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों के कारण समुद्री उत्पादों के निर्यात में निरन्तर गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के समुद्री खाद्य क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इन देशों को देशवार कितनी मात्रा में समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया;

(घ) इन देशों के समग्र निर्यात हिस्से में किस सीमा तक गिरावट आई है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन देशों को समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) शिपिंग बिलों और बीजकों के

आधार पर समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा संकलित निर्यात आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003-04 के 1830.76 मिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यातों की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान 1478.48 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात हुआ था।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष जून, 2005 तक) के दौरान अमरीका, जापान तथा यूरोपीय संघ को समुद्री उत्पादों का निर्यात और समग्र समुद्री उत्पादों के निर्यात में उनका हिस्सा निम्नानुसार है:

(मात्रा टन में तथा मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में)

		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06 (जून, 05 तक) (अनंतिम)	
		निर्यात	%हिस्सा	निर्यात	%हिस्सा	निर्यात	%हिस्सा	निर्यात	%हिस्सा
अमरीका	मात्रा	61703	13.20	53153	12.90	50045	10.85	10648	12.32
	मूल्य	424.51	29.79	365.84	27.49	345.52	23.37	69.45	21.48
जापान	मात्रा	54916	11.75	50020	12.14	57832	12.54	16719	19.34
	मूल्य	317.17	22.26	253.86	19.08	266.96	18.06	67.05	20.74
यूरोपीय संघ	मात्रा	94541	20.23	96284	23.37	117742	25.52	27492	31.81
	मूल्य	287.84	20.20	319.95	24.04	405.40	27.42	98.95	30.61
भारत से कुल निर्यात	मात्रा	467297	100	412017	100	461329	100	86432	100
	मूल्य	1424.90	100	1330.76	100	1478.48	100	323.26	100

(ङ) समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाये जा रहे हैं जिनमें समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करना; स्वच्छता एवं गुणवत्ता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन हेतु कदम उठाना; जल कृषि का विस्तार; उत्तम प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए जल कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करना; निर्यात के लिए मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन हेतु सहायता; और विपणन सहायता शामिल हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

4002. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र राज्य की जनजातियों में असंतोष बढ़ रहा है चूंकि अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु पहचान के लिए सन् 1951 के पहले के दस्तावेज जरूरी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनजातीय संगठनों ने राज्य सरकार द्वारा लागू किये जा रहे पूर्व 1951 की शर्तों को रद्द करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकार को मार्गनिर्देश जारी किये गये हैं/किये जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

4003. डा. राजेश मिश्रा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागरिकता संशोधन अध्यादेश प्रख्यापित किये जाने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में भारतीय

मूल के व्यक्ति (पी.आई.ओ.) कार्डधारकों से अनिवासी भारतीयों के समान व्यवहार किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) क्षेत्र संबंधी नीतिगत अपेक्षाओं की शर्तों के अध्यधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की दृष्टि से भारतीय मूल के व्यक्तियों को अनिवासी भारतीयों के समकक्ष ही माना जाता है। नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करने से इस स्थिति में बदलाव नहीं आया है।

असम में नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी

4004. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 और 246 तथा एन.आर.सी. नियम 2003 का उल्लंघन कर नागरिकों को राष्ट्रीय पंजी का उन्नयन करने हेतु निदेशक नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) असम समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 5.5.2005 को आयोजित त्रिपक्षीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार समयबद्ध तरीके से नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को अद्यतन करेगी। उक्त निर्णय के अनुसरण में, असम सरकार ने एन आर सी को अद्यतन करने का कार्य देखने के लिए राज्य के एक अधिकारी को निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार का एक प्रशासनिक निर्णय है और यह नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना), नियमों 2003 के उपबंधों के अंतर्गत नहीं की गई है।

[हिन्दी]

विकास कार्य में प्रगति

4005. श्री मो. ताहिर:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में विकास कार्य में प्रगति और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य विकास कार्यों में पिछड़े हुए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे राज्यों को उनकी परियोजनाओं हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक की गई जांच के क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या सरकार पिछड़े राज्यों के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय होने के कारण राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति राज्य सरकारों का दायित्व है। लोक व्यवस्था भंग होने की गम्भीर घटनाओं के मामले में, केन्द्र सरकार भी संबंधित राज्यों के सहयोग से स्थिति की समीक्षा और प्रबोधन करती है। जहां तक विकासात्मक स्कीमों का संबंध है, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में नियमित समीक्षा की प्रणाली है और जब कभी स्कीमों के कार्यान्वयन को सुधारने की आवश्यकता होती है, वे कदम उठाते हैं।

(ङ) और (च) इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने पिछड़े क्षेत्र अनुदान कोष की स्थापना की घोषणा की है। वर्ष 2005-06 के लिए इस योजना में 5000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और अगले चार वर्षों में प्रति वर्ष इतनी ही राशि आवंटित की जाएगी।

[अनुवाद]

अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में गरीबी उपशमन योजनाएं

4006. श्री मनोरंजन भक्त: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में सुनामी प्रभावित लोगों के लिए कोई गरीबी उपशमन योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा द्वीपसमूह में बेरोजगारी की समस्या दूर करने हेतु क्या प्रयास किये गये?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के सुनामी प्रभावित लोगों के लिए कोई नई गरीबी उपशमन स्कीम आरंभ नहीं की गई है। शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय पहले ही दिनांक 1.12.1997 से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सहित अखिल भारत आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक एक रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत, स्कीम की शुरुआत से अंडमान व निकोबार प्रशासन को 261.06 लाख रु. की केन्द्रीय धनराशि जारी की जा चुकी है। इस स्कीम के अंतर्गत संचित रूप से 26 लाभार्थियों को लघु उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता दी गई है और मजदूरी रोजगार घटक के अंतर्गत 3.69 लाख श्रम दिवसों का सृजन किया गया है।

सरकारी कालोनियों में नवीकरण कार्य

4007. श्रीमती निवेदिता माने: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई सरकारी कालोनियों में नवीकरण कार्य किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तत्काल कार्यवाही हेतु कुछ कालोनियों का चयन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कालोनीवार विशेषकर लोधी कालोनी का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(च) क्या स्वीकृति धनराशि केवल इस प्रयोजन हेतु अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सामान्य व्यय हेतु खर्च की जाएगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) अधिकतर सरकारी कालोनियां 40-50 साल पहले बनी थी। उनके सौंदर्यकरण के लिए निम्नलिखित कार्य करने का प्रस्ताव है:

1. जहां कहीं व्यवहारिक हो, पिछवाड़े की लेनों, पहुंच मार्गों, हरित क्षेत्रों, वृक्षारोपण तथा भूदृश्यांकन का सुधार करना
2. इमल्शन पेंट से बाहरी फिनिशिंग व पेंटिंग करना
3. मुख्य सड़क से कालोनी तक के पहुंच मार्ग का सुधार करना
4. चारदीवारी की मरम्मत।

(ग) से (छ) बजटीय प्रतिबंधों के कारण सभी कालोनियों में एक साथ कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित कालोनियों का चयन किया गया है:

ब्रिगेडियर होशियार सिंह रोड के साथ-साथ लोधी कालोनी, सरोजिनी नगर, और अफ्रीका एवेन्यू व रिंग रोड के साथ-साथ नानकपुरा, नार्थ वेस्ट मोती बाग, लक्ष्मी बाई नगर, किदवई नगर, एन्डूजगंज, सादिक नगर, कस्तूबा नगर, श्रीनिवास पुरी, पुष्प विहार, एमआईजी फ्लैट मायापुरी तथा आर.के. पुरम सेक्टर-1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 व 13

नवीनीकरण कार्य पर कुल 196.66 लाख रु. की राशि खर्च होने का प्रस्ताव है।

औद्योगिक लाइसेंस नीति

4008. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अनिवार्य लाइसेंस नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अनिवार्य लाइसेंस हेतु राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए/स्वीकृत किए गए; और

(घ) सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंसिंग हेतु आवेदनों को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (घ) औद्योगिक लाइसेंसिंग संबंधी नीति की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है। जनवरी, 2002 से जून, 2005

तक औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए 476 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 377 आवेदनों को निपटा दिया गया था। राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

प्रक्रियाओं को और सरल बनाने के उपाय के रूप में, जिसकी घोषणा दिनांक 10.10.2003 के प्रैस नोट सं. 4 (2003 श्रृंखला) द्वारा की गई थी, आशय-पत्र (एल ओ आई) पहले जारी करने और इसे औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करने की बजाय औद्योगिक लाइसेंस आवेदन करने पर सीधे ही मंजूर किये जा रहे हैं। यह प्रक्रिया लघु क्षेत्र में ही अनन्य उत्पादन के लिए आरक्षित मदों के विनिर्माण संबंधी आवेदनों पर लागू नहीं होती हैं, जहां पहले आशय पत्र जारी किया जाता है और फिर निर्यात दायित्व का वचन देने पर इसे औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित किया जाता है।

विवरण

जनवरी, 2002 से जून, 2005 तक की अवधि के दौरान प्राप्त और निपटाए गए औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदनों की राज्यवार स्थिति

राज्य का नाम	प्राप्त आवेदन	निपटाए गए आवेदन
1	2	3
आंध्र प्रदेश	67	49
असम	3	1
छत्तीसगढ़	9	6
दादरा और नगर हवेली	10	9
दमन और दीव	5	4
गोवा	2	2
गुजरात	32	28
हरियाणा	20	17
हिमाचल प्रदेश	1	1
जम्मू-कश्मीर	2	1
झारखंड	5	3
कर्नाटक	25	20
केरल	9	9
मध्य प्रदेश	9	5
महाराष्ट्र	59	44
मेघालय	2	2
उड़ीसा	3	0
पंजाब	48	41
राजस्थान	3	1
तमिलनाडु	103	92
उत्तर प्रदेश	19	14
उत्तरांचल	1	0
पश्चिम बंगाल	22	15
स्थापना स्थल एक से अधिक राज्यों में	15	11
आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया	2	2
जोड़	476	377

[हिन्दी]

लघु उद्योग क्षेत्र में ऋण प्रवाह हेतु नई योजना

4009. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लघु उद्योगों में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए नई योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को कितना ऋण प्रदान किया गया; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) सरकार ने "लघु एवं मध्यम

उद्यमों (एस एम ईज) ,को क्रेडिट स्थापना के लिए नीतिगत पैकेज'' की हाल ही में घोषणा की है। एस एम ईज (लघु उद्योगों [एस एस आई] सहित) की क्रेडिट की मात्रा बढ़ाने के लिए नीतिगत पैकेज के उपायों में शामिल है: (1) एस एम ई क्षेत्र को क्रेडिट में वर्ष-प्रति-वर्ष न्यूनतम 20 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने के लिए एस एम ईज फंडिंग के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित करना, (2) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एक पारदर्शक रेटिंग सिस्टम अपनाया जाना, जिसमें क्रेडिट की लागत, उद्यम की क्रेडिट रेटिंग से जुड़ी हुई है। (3) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनी प्रत्येक अर्द्ध-शहरी/शहरी शाखाओं में प्रति वर्ष कम से कम 5 नई अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यमों को औसत पर क्रेडिट कवर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किया जाना। (4) क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत (क) 2 लाख रु. तक के ऋण (ख) पात्र महिला उद्यमियों, और (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) तथा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित पात्र उधारकर्ताओं, (5) एस एम ईज वित्तपोषण के लिए क्लॉस्टर आधारित मार्ग अपनाने के लिए बैंकों; सभी को विशेष छुटकारा।

(ग) सरकार लघु उद्योगों को ऋण प्रदान नहीं करती है। लघु उद्योगों को ऋण बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार मार्च, 2003 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदान किये गये बकाया ऋण क्रमश: 10,071.42 करोड़ रु. तथा 4,203.88 करोड़ रु. थे।

(घ) सरकार द्वारा घोषित किये गये नीतिगत पैकेज में यह परिकल्पना की गई है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एस एम ईज की फंडिंग के लिए स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित करेंगे, ताकि एस एम ईज, जिसमें लघु उद्योग शामिल हैं, क्रेडिट में वर्ष-प्रति-वर्ष न्यूनतम 20 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त कर सकें।

[अनुवाद]

राज्यों के महिला आयोग

4010. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों द्वारा अब तक राज्यों में महिला आयोगों का गठन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए तथा उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए कोई वैकल्पिक प्रणाली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) महिला एवं बाल विकास विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार गुजरात, झारखण्ड तथा मणिपुर राज्यों ने राज्य महिला आयोगों का गठन नहीं किया है।

(ख) और (ग) महिला एवं बाल विकास विभाग को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना

क्र.सं.	राज्य का नाम, जिसमें राज्य महिला आयोग का गठन नहीं हुआ	राज्य महिला आयोगों के गठन की स्थिति/ राज्य में उपलब्ध वैकल्पिक तंत्र की प्रकृति
1	2	3
1.	गुजरात	राज्य महिला आयोग का गठन अभी किया जाना है, किन्तु महिला विकास/ कल्याण हेतु राज्य में वैकल्पिक तंत्र के रूप में एक अलग विभाग तथा कमिशनरेट है, समग्र विकास प्रक्रिया में महिला-पुरुष, समानता के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु महिला संसाधन केन्द्र है तथा महिलाओं के आर्थिक उन्नयन हेतु गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम है।
2.	झारखण्ड	राज्य महिला आयोग का गठन अभी किया जाना है किन्तु वैकल्पिक तंत्र के रूप में राज्य ने वर्ष 2001 एवं 2004 में क्रमश: झारखण्ड महिला विकास समिति

1	2	3
		तथा झारखण्ड राज्य समाज सलाहकार बोर्ड की स्थापना की है। सरकार के अन्य संबंधित विभागों, बोर्डों तथा समितियों के साथ-साथ ये दो संस्थान भी झारखण्ड में महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु कार्य कर रहे हैं।
3.	मणिपुर	मणिपुर सरकार ने मणिपुर राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005 के माध्यम से राज्य महिला आयोग के गठन का अनुमोदन कर दिया है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत निशक्त

4011. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य कर रहे निशक्त तथा महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक सरकारी उपक्रम में बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनमें ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) अशक्त व्यक्ति (अवसरों की समानता, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में अशक्त व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान है जिसमें से एक-एक प्रतिशत आरक्षण, (1) नेत्रहीनता अथवा अल्प दृष्टि; (2) श्रवण विकार, (3) चलने-फिरने में अक्षमता अथवा मस्तिष्क घात से पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। तदनुसार, सरकार के दिशा-निर्देशों में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से यह अपेक्षा की गई है कि किसी वर्ष विशेष में बनने वाली रिक्तियों में से 3% तक का आरक्षण अशक्त व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित किया जाए। इन निर्देशों का कार्यान्वयन और निगरानी सीपीएसई से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान सीपीएसई में कार्यरत अशक्त व्यक्तियों और महिला कर्मचारियों की संख्या के संबंध में केन्द्रीय रूप से कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में गैर-जनजातीय लोगों को भूमि का हस्तांतरण

4012. श्री गिरिधर गमांग: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-जनजातीय लोगों तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के बीच भूमि के हस्तांतरण पर रोक के संबंध में पांचवीं अनुसूची में आने वाले क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 244(1) में निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ग) ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) "भूमि" एवं उसका प्रबंधन एकांतिक रूप से राज्यों के विधायी एवं प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है जैसाकि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 में उपबंधित है। भूमि सुधारों के क्षेत्र में भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय सलाहकार एवं समन्वयकर्ता की भूमिका निभाता है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अभी तक जनजातीय भूमि हस्तांतरण के 3.75 लाख मामले पंजीकृत किये गये हैं, जिसमें 8.55 लाख एकड़ भूमि शामिल है, जिसमें से 1.62 लाख मामलों का निपटारा जनजातियों के पक्ष में कर दिया गया है, जिसमें कुल 4.47 लाख एकड़ भूमि शामिल है। 1.54 लाख मामले, जिसमें 3.63 लाख एकड़ भूमि शामिल है, अदालतों द्वारा विभिन्न आधारों पर अस्वीकृत कर दिए गए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

राज्य सरकारों ने आमतौर पर जनजातियों से गैर-जनजातियों को भूमि हस्तांतरण निषेध की नीति को स्वीकार कर लिया है तथा आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने जनजातीय भूमि का हस्तांतरण रोकने के कानून लागू कर दिए हैं।

विवरण

जनजातीय भूमि के हस्तांतरण एवं पुन:स्थापन के बारे में राज्यवार सूचना

(मार्च, 2004 के अनुसार)
(क्षेत्रफल एकड़ में)

क्र.सं.	राज्य	न्यायालय में दाखिल मामलों की संख्या	क्षेत्रफल	न्यायालय द्वारा निस्तारित मामले	क्षेत्रफल	अस्वीकृत मामले	क्षेत्रफल	जनजातियों के पक्ष में निर्णीत मामले	क्षेत्रफल	मामले जिसमें भूमि जनजातियों को वापस की गई	क्षेत्रफल	न्यायालय में लंबित मामले	क्षेत्रफल
1.	आंध्र प्रदेश	65875	287776	58212	256452	31737	150227	26475	106225	23383	94312	7663	31324
2.	असम	2042	4211	50	19	–	–	50	19	50	19	1992	4192
3.	बिहार*	86291	104893	76518	95151	31884	49730	44634	45421	44634	45421	9773	9742
4.	गुजरात	47926	140324	40400	120691	119	497	40281	120194	39503	118259	7526	19633
5.	हिमाचल प्रदेश					नगण्य							
6.	कर्नाटक	42582	130373	38521	115021	16687	47159	21834	67862	21834	67862	4061	15352
7.	मध्य प्रदेश$	53806	158398	29596	97123	29596	97123	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	24210	61275
8.	महाराष्ट्र	45634	एनआर	44624	99486	24681	एनआर	19943	99486	19943	99486	1010	एनआर
9.	उड़ीसा	1431	1712	594	816	152	204	442	612	212	455	837	896
10.	राजस्थान	651	2300	240	774	53	187	187	587	187	587	411	1526
11.	त्रिपुरा	28926	25295	28888	25274	20084	18366	8804	6908	8551	6732	38	21
	कुल	375164	855282	317643	810807	154993	363493	162650	447314	158297	433133	57521	143961@

@समाविष्ट आंकड़े
*झारखंड सहित
$छत्तीसगढ़ सहित

क्रोम अयस्क का निर्यात

4013. **श्री जुएल ओराम:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान क्रोम अयस्क की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा इससे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) इन देशों को क्रोम अयस्क का निर्यात किस दर पर किया जाता है;

(ग) किस वचनबद्धता/समझौते के अंतर्गत क्रोम अयस्क का निर्यात किया जा रहा है;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रोम अयस्क का मूल्य देश से इसके निर्यात मूल्य से काफी अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान क्रोम अयस्क की निर्यातित मात्रा तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:

(मात्रा लाख मीट्रिक टन में; मूल्य करोड़ रु. में)

देश	2002-03		2003-04		2004-05 (अनंतिम)	
	मात्रा	मूल्य*	मात्रा	मूल्य*	मात्रा	मूल्य*
चीन	11.35	उपलब्ध नहीं	9.16	उपलब्ध नहीं	9.73	उपलब्ध नहीं
जापान	1.23	उपलब्ध नहीं	1.01	उपलब्ध नहीं	1.43	उपलब्ध नहीं
यूरोप	0.31	उपलब्ध नहीं	1.74	उपलब्ध नहीं	0.54	उपलब्ध नहीं
कुल	12.89	277.77	11.91	861.21	11.70	888.70

*मूल्य अनुमानित एफ.ओ.बी. (पोतपर्यन्त नि:शुल्क) के आधार पर निकाला गया है इसलिए देश वार मूल्य उपलब्ध नहीं है।

(ख) एमएमटीसी लिमिटेड, जो एक निर्दिष्ट राज्य व्यापार उद्यम है, भारतीय क्रोम अयस्क उत्पादकों के साथ विचार-विमर्श कर तथा प्रतिस्पर्धी देश एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों को ध्यान में रखते हुए पोतपर्यन्त नि:शुल्क (एफओबी) आधार पर फ्राएबल क्रोम अयस्क के विभिन्न ग्रेडों के निर्यात हेतु त्रैमासिक रूप से कीमतें निर्धारित करता है। तथापि, क्रोम सान्द्रण जो कि मुक्त रूप से निर्यात योग्य है, के मामले में कीमतें आपूर्तिकर्ता-दर-आपूर्तिकर्ता अलग-अलग हो सकते हैं।

(ग) मौजूदा विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत फ्राएबल क्रोम का निर्यात राज्य व्यापार प्रणाली के अंतर्गत आता है तथा इसका निर्यात निर्दिष्ट राज्य व्यापार उद्यम अर्थात् एमएमटीसी लिमि. के जरिए मात्रा एवं गुणवत्ता संबंधी प्रतिबंधों के साथ किया जाता है। क्रोम सान्द्रण मुक्त रूप से निर्यात योग्य है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

वी.के.यू.वाई. के अंतर्गत काजू के निर्यात का प्रभाव

4014. श्री अनन्त नायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विशेष कृषि उपज योजना (वी.के.यू.आई.) शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा तथा उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना का काजू के निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) काजू निर्यातकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) इस स्कीम का उद्देश्य फलों, सब्जियों, पुष्पों, लघु वनोत्पादों, डेयरी, कुक्कुट तथा उनके मूल्यवर्द्धित उत्पादों के निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करके ऐसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना है। इस स्कीम का ब्यौरा "दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार अद्यतन की गई विदेश व्यापार नीति 2004-09" नामक पुस्तक में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। काजू एक ऐसी मद है जिसके लिए अपरिष्कृत गिरी का भारी मात्रा में आयात किया जाता है जिनका प्रसंस्करण करने के बाद पुन: निर्यात किया जाता है। वाणिज्य विभाग के आयात-निर्यात संबंधी उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि अप्रैल, 2004 से दिसम्बर, 2004 तक की अवधि के लिए इस जिंस का आयात लगभग 1431 करोड़ रु. का हुआ था तथा इसी अवधि में इस जिंस का निर्यात लगभग 1741 करोड़ रुपये का हुआ था। विदेश व्यापार नीति में इस जिंस के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

इलाहाबाद कृषि संस्थान में बीपीटी पाठ्यक्रम

4015. श्री संतोष गंगवार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद कृषि संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) वर्ष 2002 से पूरे भारत में फैले अपने अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से बीपीटी पाठ्यक्रम चला रहा है तथा हजारों छात्र इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर इसका अध्ययन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इलाहाबाद कृषि संस्थान का बीपीटी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित है तथा इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा इस पाठ्यक्रम को शुरू करने से पहले अनुमोदन लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले हजारों छात्रों का भविष्य क्या होगा;

(ङ) क्या सरकार द्वारा छात्रों द्वारा दी गई फीस को लौटाने के लिए कोई निदेश जारी किये गये हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा यूजीसी से अनुमोदन के बिना विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे ऐसे पाठ्यक्रमों को बंद करने के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस संस्थान ने वर्ष 2002 में अपने दूरस्थ शिक्षा केन्द्र शुरू किये थे और ये देश भर में 150 से भी अधिक केन्द्रों पर फिजियोथेरेपी में स्नातक पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है जिसमें 4215 छात्रों का नामांकन किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दूरस्थ शिक्षा परिषद ने दूरस्थ प्रणाली द्वारा फिजियोथेरेपी में स्नातक पाठ्यक्रम आयोजित करने हेतु इलाहाबाद कृषि संस्थान को अपना अनुमोदन नहीं दिया है।

(च) और (छ) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देश में उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखने और समन्वित करने का कार्य सौंपा गया है और दूरस्थ शिक्षा परिषद दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से शिक्षा के स्तर को बनाए रखती है। आयोग ने सभी संस्थाओं और समविश्वविद्यालयों को अन्य बातों के साथ-साथ इस विषय पर अपने दिशानिर्देशों का अनुपालन करने का लिखित रूप में सुझाव दिया है।

फार्मेक्सिल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल

4016. श्री अधीर चौधरी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फार्मेक्सिल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल द्वारा जून, 2005 में हुई सीपीएचआई, चीन के आयोजकों को इसके द्वारा लिये गये स्थान के लिए बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) फार्मेक्सिल के सदस्यों से अपर्याप्त उत्तर प्राप्त होने के कारण वह सीपीएचआई, चीन में जून, 2005 में भाग नहीं ले सका और चूंकि इस संबंध में आयोजकों को सूचित कर दिया गया था इसलिए कोई भुगतान नहीं किया गया।

[हिन्दी]

भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक सहयोग

4017. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक सहयोग पर कोई बातचीत की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत और म्यांमार के बीच व्यापार की क्या स्थिति है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) भारत और म्यांमार ने यंगून में 14 जुलाई, 2003 को संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की स्थापना के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके पश्चात् 15 जुलाई, 2003 को जेटीसी की उद्घाटन बैठक हुई थी। भारत-म्यांमार जेटीसी की दूसरी बैठक निकट भविष्य में होने की संभावना है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत और म्यांमार के बीच व्यापार की स्थिति निम्न प्रकार है:

(मूल्य: मिलियन अम. डालर)

वर्ष	निर्यात	आयात
2002-03	75.07	336.04
2003-04	89.64	409.01
2004-05	109.73	397.07

[अनुवाद]

कनाडा के साथ व्यापार

4018. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कनाडा के साथ व्यापार को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कौन-कौन से आर्थिक संबंध स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय फर्मों को कनाडा की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संबंध बनाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे आर्थिक संबंधों से कितना व्यापार बढ़ने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कनाडा के साथ व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करना एक सतत् एवं निरंतर प्रक्रिया है। निवेशों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगों को प्रोत्साहित करने, बाजार अनुसंधान, सूचना के प्रचार-प्रसार, क्रेता-विक्रेता बैठकों, महत्वपूर्ण व्यापार मेलों में भागीदारी आदि जैसे विभिन्न व्यापार संवर्द्धन उपायों के जरिए व्यापार का विस्तार एवं विविधीकरण करने के लिए नियमित रूप से प्रयास किये जाते हैं।

(ङ) यद्यपि वृद्धि की सही मात्रा बताना व्यवहार्य नहीं है तथापि, यह उम्मीद है कि उपर्युक्त कदमों से दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार में पर्याप्त वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

महिलाओं का दुर्व्यापार

4019. श्री अवतार सिंह भड़ाना:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में राजधानी में लड़कियों/महिलाओं के दुर्व्यापार के मामलों में वृद्धि हुई है जैसाकि दिनांक 8 अगस्त, 2005 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इन महिलाओं का यौन शोषण उन बिचौलियां द्वारा किया जाता है जो उन्हें रोजगार दिलाने के नाम पर लाते हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अनैतिक दुर्व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) महिलाओं एवं लड़कियों के अवैध व्यापार पर कराए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि महानगरों में, जो कि अवैध देह व्यापार के प्रमुख गंतव्य क्षेत्र हैं, लड़कियों का अवैध व्यापार होता है।

(ग) और (घ) वेश्यालयों से छुड़ाई गई लड़कियों ने बताया है कि उन्हें रोजगार, विवाह आदि के बहाने लाया गया था।

(ङ) महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार एवं व्यावसायिक यौन शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के उपबंधों को अवैध व्यापारियों के लिए और अधिक कठोर बनाने तथा पीड़ितों को और अधिक परेशान होने से बचाने हेतु इस अधिनियम में संशोधन। संशोधित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर अवैध देह-व्यापार निरोधी उपायों के लिए एक केन्द्रक प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है।

(2) सरकार स्व-शक्ति, स्वयंसिद्धा, बालिका समृद्धि योजना, किशोरी शक्ति योजना आदि जैसे महिला सशक्तिकरण, शिक्षा तथा जागरूकता विकास कार्यक्रम और किशोरियों हेतु विशेष कार्यक्रम चला रही है।

(3) भारत सरकार ने टी.वी., रेडियो तथा पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से एक व्यापक प्रचार अभियान तैयार किया है। इसके अतिरिक्त, सरकारें तथा गैर-सरकारी संगठन दोनों समर्थन और कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। 15 मिनट की अवधि का "आकाश हमारा है" नामक एक रेडियो प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दो को उजागर किया जाता है। इन मुद्दों में महिलाओं और बच्चों का अवैध देह व्यापार भी शामिल है। अक्तूबर-नवम्बर, 2004 में क्रिकेट टैस्ट मैच श्रृंखला के दौरान तथा शाम को अंग्रेजी व हिन्दी समाचारों से पहले दूरदर्शन से 30 सैकेंड के स्पॉट का प्रसारण किया गया, जिसमें मादा भ्रूण हत्या, कार्य स्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, बाल यौन शोषण, महिलाओं का घटता अनुपात, महिला सशक्तिकरण तथा अवैध व्यापार जैसे मुद्दों को उठाया गया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, गुजरात, उड़ीसा, बिहार, हैदराबाद शहर, त्रिवेन्द्रम शहर तथा चैन्नई में होर्डिंग्ज लगाकर तथा बसों के पीछे संदेश लिखकर बाह्य प्रचार अभियान चलाया गया। बच्चों को उनके अधिकार दिलाने तथा उनसे संबंधित कानूनों और कार्यक्रमों को कारगर तरीके से लागू करने के लिए विभाग राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग बना रहा है।

(4) अवैध व्यापार की रोकथाम, अवैध व्यापार एवं व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों का उद्धार एवं पुनर्वास करने हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्य योजना (1998) तैयार की गई तथा केन्द्रीय सलाहकार समिति गठित की गयी और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूती प्रदान करने के लिए कानूनी एवं विधि प्रवर्तन प्रणालियों को सक्रिय बनाया गया। इस समिति की अध्यक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव हैं। सरकार के संबंधित विभागों, राज्य सरकारों तथा इस क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। केन्द्रीय सलाहकार समिति ने पीड़ितों के बचाव तथा पुनर्वास पर सुझाव देने के लिए तीन उप-समितियां गठित की हैं। महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सभी संबंधित अधिकरणों द्वारा उठाए गए कदमों तथा उनके सम्मुख आने वाली कठिनाइयों की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति की तिमाही आधार पर बैठक होती है।

(5) राज्यों में मुख्य सचिवों/अपर मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में अवैध व्यापार पर राज्य सलाहकार समितियां गठित की गयी हैं, जो अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्यों से अधिक संसाधन जुटाने की मांग करती हैं।

(6) सरकार ने राज्यों को ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि वे कार्य योजना का कारगर कार्यान्वयन करें तथा राज्यों द्वारा किये जाने वाले कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा भी की जाती है।

(7) सरकार ने अवैध व्यापार के अंतरराज्यीय मामलों के अन्वेषण हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तरों के अधिकारियों को अवैध व्यापार रोकथाम पुलिस अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया है।

(8) सरकार ने पर्यटन हेतु वैश्विक आचार नीति संहिता को कार्यान्वित करने का संकल्प लिया है। इस संहिता में यौन पर्यटन हेतु बच्चों के यौन शोषण का निषेध किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महासचिवों तथा महानिदेशक (पर्यटन) से भी अनुरोध किया गया है कि वे सभी होटलों, लॉजों/बोर्डिंग हाउसों के लिए अपने स्वागत पटल पर अवैध व्यापार विरोधी संदेश एवं यौन शोषण के लिए दांडिक प्रावधानों को सुस्पष्ट अक्षरों में दर्शाना कानूनी रूप से आवश्यक बनायें।

(9) भारत स्थित यूनिसेफ कार्यालय के सहयोग से भारत सरकार पुलिस बल के लिए संचेतना नियमावली तैयार कर रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग भी यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्वावधान में महिलाओं एवं बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण हेतु अवैध व्यापार विषय पर जिला एवं तालुका स्तरीय न्यायिक अधिकारियों के लिए संचेतना नियमावली तैयार कर रहा है। इस नियमावली से तालुका एवं जिला-स्तरीय न्यायाधीशों को अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम को पहले से अधिक कारगर तरीके से कार्यान्वित करने में सहायता मिलेगी। व्यावसायिक यौन शोषण हेतु अवैध व्यापार के पीड़ितों तथा बाल यौन उत्पीड़न के चिकित्सा-विधिक मामलों से जुड़े

चिकित्सा अधिकारियों तथा देह व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ित बच्चों हेतु कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए नियमावलियां चिकित्सा अधिकारियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को ऐसी स्थितियों से निपटने के सही तरीकों को समझने में समर्थ बनाती हैं।

(10) भारत सरकार अवैध देह व्यापार को रोकने के लिए अल्पावास गृह, स्वाधार स्कीम तथा प्रायोगिक परियोजनाएं चला रही है।

[अनुवाद]

राजभाषा के रूप में हिन्दी और पंजाबी

4020. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में हिन्दी तथा पंजाबी को राजभाषा बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है और इसलिए, समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है।

निकोबार में गैर-जनजातीय लोगों का रहना

4021. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निकोबार जिले के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे गैर-जनजातीय लोगों के परिवारों की कुल संख्या कितनी है तथा 26.12.2004 को सूनामी त्रासदी से पहले उनकी जनसंख्या कितनी थी·

(ख) कार निकोबार, नन्कोरी, कचाल, चौरा तथा टेरेसा द्वीपसमूहों में सूनामी से पहले गैर-जनजातीय लोगों द्वारा चलाई जा रही दुकानों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) वर्तमान में यहां रह रहे लोगों की कुल संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) 26.12.2004 को सुनामी त्रासदी से पहले कुल 1081 गैर-आदिवासी परिवारों के कुल 2238 लोग निकोबार जिले के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे थे।

(ख) सुनामी से पहले इन क्षेत्रों में गैर-आदिवासियों द्वारा चलायी जा रही दुकानों के कुल संख्या 100 थी, जिसका ब्यौरा नीचे दिया है:

कारनिकोबार	47
नैनकावरी	32
कचल	20
टेरेसा	01

(ग) सुनामी के बाद कार निकोबार और टेरेसा द्वीप समूहों की लगभग पूरी गैर-जनजातीय जनसंख्या तथा अन्य नैनकावरी द्वीप समूहों की ऐसी जनसंख्या का एक बड़ा भाग या तो साउथ अंडमान स्थानांतरित हो गया या वे मुख्य भूमि में चले गए। निकोबार जिले से हटाए गए दो सौ छियासठ ऐसे गैर-आदिवासी लोगों को साउथ अंडमान में पुन: बसा दिया गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता

4022. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ खंडों के निरंतर बने रहने के कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और केन्द्रीय सतर्कता अधिनियम सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा उपयुक्त विधायी हस्तक्षेप के माध्यम से इन अड़चनों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) दंड प्रक्रिया संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उपबंध, भ्रष्टाचार रोकने और निर्दोष तथा ईमानदार सरकारी कर्मचारियों की झूठे और कष्टदायी आरोपों से रक्षा करने में पूरी तरह प्रभावी हैं। तथापि, जब कभी जरूरत होती है, सरकार, संविधियों के कार्यकरण की पुनरीक्षा करती है। हाल में, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन किया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उच्च टाइप के सरकारी आवास का आवंटन

4023. श्री बापू हरी चौरे: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई, महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों को उनकी वास्तविक हकदारी के बदले उच्च टाइप के सरकारी आवास आवंटित किये गये हैं/किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी टाइप-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किये ऐसे आवंटनों का टाइप-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

क्वार्टर का प्रकार	वर्ष 2002	वर्ष 2003	वर्ष 2004
टाइप-I	शून्य	शून्य	शून्य
टाइप-II	शून्य	शून्य	शून्य
टाइप-III	शून्य	शून्य	251
टाइप-IV	शून्य	शून्य	शून्य
टाइप-V	शून्य	शून्य	22

(ग) मुंबई में सरकारी कर्मचारियों को पात्रता से ऊपर का वास केवल उन श्रेणियों में आबंटित किया गया था, जहां सरप्लस वास उपलब्ध था।

[अनुवाद]

शुक्ल आयोग की सिफारिशें

4024. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर में आधारित संरचना तथा विकास में अन्तर कम करने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष पैकेजों 1996 तथा 1999 के सन्दर्भ में शुक्ल आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर अंतिम रूप दी गई कार्य योजना के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं; और

(ग) आयोग की उन शेष सिफारिशों की स्थिति क्या है जिन्हें अभी क्रियान्वित किया जाना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) अक्टूबर 1996 में प्रधानमंत्रीजी ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए नई पहलों की घोषणा की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ "अवसंरचना में अन्तर और बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में बैकलॉग का पता लगाने के लिए आयोग" भी शामिल था। इसे देखते हुए उत्तर पूर्वी राज्यों में अन्य बातों के साथ-साथ अवस्थापना विकास में अन्तर और मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के बैकलॉग के संबंध में जांच के लिए शुक्ल आयोग नियुक्त किया गया था। क्षेत्र में अन्तर को पाटने के लिए वित्तीय संसाधन एकत्र करने की आवश्यकता थी। अत: छूट प्राप्त को छोड़कर सभी मंत्रालयों/विभागों को अपने बजटीय आबंटन का कम से कम 10% प्रावधान अनिवार्य रूप से उत्तर पूर्वक्षेत्र के लिए रखना था। सरकार ने एक अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एन एल सी पी आर) का भी सृजन किया जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एन ई आर) के लिए अनिवार्य रूप से किये गये 10% बजटीय आबंटन में से शेष बची हुई निधियां शामिल थीं, जिन्हें केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपनी संबंधित स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए खर्च नहीं कर पाए। इस पूल से प्राप्त राशि एन ई राज्यों में सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना के उन्नयन के लिए इस्तेमाल की जाती है। 31.3.2005 तक इस पूल से क्षेत्रवार जारी की गई राशियों का विवरण संलग्न है। 1999 में किसी पैकेज की घोषणा नहीं की गई है।

विवरण

31.3.2005 की स्थिति के अनुसार एनएलसीपीआर से क्षेत्रवार जारी राशियां

क्षेत्र	करोड़ रुपयों में कुल जारी
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	20.71
शिक्षा	377.97
बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई	305.93
स्वास्थ्य	139.08
विद्युत	1030.76
सड़कें और पुल	547.57
खेल	88.05
जल आपूर्ति	343.14
अन्य	217.39
कुल	3070.60

दिल्ली मैट्रो रेल परियोजना

4025. श्री किन्जरपु येराननायडु: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के इस द्वितीय चरण को स्वीकृति दे दी है जो दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली को विद्यमान मेट्रो कोरीडोर से जोड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वृद्धों तथा महिलाओं को विशेषरूप से महिलाओं के साथ छेड़खानी किए जाने की स्थिति में उनको मुहैया करायी जा रही सुरक्षा व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में मेट्रो रेल किस प्राधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है;

(ङ) मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण को समय पर पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(च) वर्ष 2005-2006 में दिल्ली मेट्रो रेल को कितना राजस्व अर्जित होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी तक महिलाओं के साथ छेड़खानी किये जाने या वृद्धों को परेशान किये जाने की कोई सूचना नहीं है। प्रत्येक मेट्रो स्टेशन पर पुलिसवालों की तैनाती की गयी है तथा सामान्यतया प्रत्येक ट्रेन में एक पुलिसवाला होता है। मेट्रो ने सभी स्टेशनों पर यात्रियों को निर्देश तथा सहायता देने के लिए एक निजी सुरक्षा एजेंसी को भी काम में लगा रखा है।

(घ) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन पर भारत सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का संयुक्त स्वामित्व है तथा यह उनके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

(ङ) टेंडरों, इत्यादि की तैयारी के प्राथमिक एवं प्रारंभिक कार्य शुरू किये जा चुके हैं।

(च) लगभग 140 करोड़ रुपये।

कॉयर बोर्ड का बंद होना

4026. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉयर बोर्ड को बंद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

टायरों का निर्यात

4027. डा. के. धनराजू: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने टायरों का निर्यात किया गया तथा इनसे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या कुछ विदेशी टायर निर्माता कंपनियां अपने उत्पाद भारतीय बाजार में भारी मात्रा में उतार रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन टायरों की क्वालिटी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) आटो टायरों और ट्यूबों के देशवार निर्यात के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(मूल्य मिलियन अम. डा. में)*

आयातक देश	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
यूएसए	39.42	42.11	35.90
यूएई	19.74	19.53	32.05
पाकिस्तान	13.00	14.04	24.99
फिलीपींस	14.45	15.32	22.57
ईरान	16.74	12.80	14.70

1	2	3	4
बांग्लादेश	7.73	25.19	12.30
नीदरलैंड्स	5.21	6.61	11.84
जर्मनी	6.55	7.40	11.01
आस्ट्रेलिया	4.92	7.1	9.52
मिस्र	7.39	5.1	8.70
अफगानिस्तान	13.03	6.9	7.19
पेरू	4.62	5.1	7.14
वियतनाम	7.21	-	6.97
नाइजीरिया	5.45	7.1	6.92
केन्या	-	5.92	6.60
सऊदी अरब	4.46	-	6.59
सिंगापुर	7.69	21.8	6.57
सीरिया	4.08	5.10	6.06
यूके	-	8.4	-
श्रीलंका	-	6.74	-
म्यांमार	3.98	-	-
अन्य	71.96	103.60	111.16
महायोग	257.63	328.00	348.78

(*स्रोत: कैपेबिलस्ट)

(ख) से (घ) दी आटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) ने बताया है कि चीन से कम कीमत वाले बस/ट्रक टायरों के आयात से घरेलू विनिर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तथापि, किसी देश द्वारा भारत में टायरों के पाटन का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग से पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश से प्रस्ताव

4028. श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
श्री गणेश सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जबाली योजना (वैश्यावृत्ति के उन्मूलन के लिए कार्य योजना), बालिका समृद्धि योजना, स्वयंसिद्धा योजना, राष्ट्रीय शिशु सिद्धि से अनुदान, अल्पकालीन आवास गृह संचालन, कार्यरत महिला छात्रावास तथा स्वधारा योजना के अंतर्गत भेजे गए विभिन्न प्रस्ताव लम्बे समय से केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) से (ग) महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के निपटान में देरी के कारण निम्नलिखित हैं:

(1) गैर-सरकारी संगठन तथा राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी की अनुपलब्धता:

(2) अधूरे प्रस्ताव राज्य सरकार को वापस भेज दिये जाते हैं:

(3) अपेक्षित प्रक्रिया में राज्य सरकारें तथा तकनीकी विभाग शामिल होते हैं। इसलिए प्रस्तावों के निपटान की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती;

(4) जिन प्रस्तावों पर वर्ष के दौरान विचार नहीं किया जा सका, उन पर अगले वर्ष विचार किया जाता है;

(5) राशि की कमी; तथा

(6) स्कीम के मानकों में संशोधन।

विनियामक प्राधिकरण

4029. श्रीमती नीता पटैरिया: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वन्य उत्पाद व्यापार में जनजातीय लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर किसी विनियामक प्राधिकरण का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव

इस मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। तथापि, लघु वन उत्पाद के प्रापण एवं अन्य क्रियाकलापों संबंधी प्रयासों को बढ़ाने के लिए यह मंत्रालय, राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को अनुदान उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय सहकारी विपणन विकास निगम लि. (ट्राइफेड) नामक एक शीर्षस्थ सहकारी समिति, जो इस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, अपने नए उपनियमों के अनुसार जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास का कार्य करती है।

[अनुवाद]

मदरसों की गतिविधियां

4030. **श्री निखिल कुमार:**
श्री अधीर चौधरी:
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ मदरसे देश में अनन्यवाद तथा कट्टरवाद की शिक्षा दे रहे हैं जैसाकि दिनांक 31 जुलाई, 2005 के 'द पायनीयर' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में ऐसे मदरसों की अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति कुछ मदरसों के बारे में धार्मिक कट्टरवाद सहित अवैध क्रियाकलापों की प्रतिकूल रिपोर्ट मिली हैं।

जिन राज्य सरकारों की पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं हैं उन्हें सलाह दी गई है कि जहां कहीं ऐसे उपासना स्थल/धार्मिक संस्थान, अवैध क्रियाकलापों में लिप्त पाये जाते हैं, तो वहां धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई करें।

कांट्रेक्चुअल मैरिजेज

4031. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी निर्धन युवा लड़की का किसी विदेशी के साथ कांट्रेक्चुअल आधार पर विवाह करने का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसी अत्यधिक परेशान लड़कियों का पुनर्वास करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को फिर से होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) से (ग) राष्ट्रीय महिला आयोग को जुलाई, 2004 में महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अवयस्क बालिका को उसकी निकट महिला संबंधी द्वारा 10,000 रुपये में शादी के बहाने तथाकथित रूप से एक यमन नागरिक को बेचने की घटना का पता चला और आयोग ने इस मामले की जांच की।

(घ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मामले में संलिप्त लगभग सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

(ङ) और (च) जैसाकि महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है, यदि ऐसी लड़कियों को संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष लाया जाता है, तो उन्हें बाल गृह में पुनर्वास हेतु रखा जा सकता है।

(छ) विदेश मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, खाड़ी देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों से वीजा प्राप्त करने वालों के दौरों के उद्देश्य की सच्चाई का पता लगाने के लिए गुप्त रूप से प्रबोधन करने के लिए मिशनों को कहा गया है। खाड़ी देशों के दूतावासों को उनके खाड़ी प्रभाग के साथ विचार-विमर्श के दौरान इस मुद्दे के बारे में सूचित कर दिया गया है।

गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, जहां तक लॉजों एवं होटलों पर विदेशियों विषयक अधिनियम के प्रवर्तन का सम्बन्ध है, सभी होटलों/लॉजों के प्रबंधकों को उनके होटल में किसी भी विदेशी के आने पर 24 घंटे के अन्दर पुलिस

को रिपोर्ट करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रबंधकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विदेशियों का विवरण अर्थात् नाम, नागरिकता, पासपोर्ट संख्या, आदि प्राप्त करना अपेक्षित है।

पुलिस सुधार

4032. **श्री एस. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए गठित विभिन्न आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या धर्मवीर आयोग तथा उसके पश्चात गठित आयोगों की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) पुलिस राज्य का विषय होने के कारण, पुलिस सुधारों हेतु गठित विभिन्न आयोगों/समितियों की सिफारिशों पर राज्यों द्वारा विचार किया गया है और उनकी कुछेक सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है। तथापि, कई सिफारिशें विभिन्न कारणों से अभी भी कार्यान्वित करने के लिए पड़ी हुई हैं।

(ग) और (घ) श्री धर्मवीर की अध्यक्षता में गठित आयोग ने फरवरी 1979 से मई 1981 तक की अवधि के दौरान कई सिफारिशों के साथ आठ रिपोर्टें प्रस्तुत की, जिन्हें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों, दोनों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। आयोग की रिपोर्टें सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को भेज दी गई। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की विभिन्न सिफारिशें जिन्हें केन्द्र सरकार ने कार्यान्वित किया है, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत पुलिस कार्मिकों के आवास हेतु और अधिक निधियां प्रदान करने, पुलिस संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने, राज्य पुलिस बल में कंप्युटरीकरण हेतु सहायता देने, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की स्थापना, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों हेतु सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में प्रबंधन संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करने, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी), पुलिस बेतार समन्वय निदेशालय (डी सी पी डब्ल्यू) और लोकनायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान संस्थान (एल एन जे एन एन आई सी एफ एस) के ढांचे को सुव्यवस्थित करने, व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश जारी करने आदि से संबंधित हैं। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की कुछेक महत्वपूर्ण सिफारिशें जो राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित नही की गई हैं, वे राज्य सुरक्षा आयोग के गठन, राज्य के पुलिस महानिदेशक के चयन के लिए प्रक्रिया और उनके कार्यकाल निर्धारित करने, पुलिस अधिनियम 1861 को बदलने से संबंधित हैं।

(ङ) कार्यान्वित न की गई सिफारिशों पर समय-समय पर राज्यों और केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया गया है और 2004 में सरकार द्वारा गठित पुनरीक्षा समिति ने राज्यों और केन्द्र सरकार ने पुनर्विचार हेतु ऐसी 49 सिफारिशों की सूची बनाई है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आवंटित किये जाने वाले फ्लैटों के आबंटन में अनियमितताएं

4033. **श्री एस. अजय कुमार:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आवंटित किये जाने वाले फ्लैटों के आबंटन में कतिपय अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि आरक्षण नीति में अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों को फ्लैटों का 17.5% तथा अनुसूचित जन जाति श्रेणी को फ्लैटों का 7.5% का आवंटन करने की व्यवस्था है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र न्यायाधीशों की उपस्थिति में कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से ऐसा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी स्तर पर, यह पाया जाता है कि सही विवरण नहीं दिया गया है अथवा तथ्यों को छिपाया गया है तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन की शर्तों और निबन्धनों के अनुसार आवंटन को रद्द करने हेतु कार्रवाई की जाती है।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद तथा दिल्ली नगर निगम के पार्किंग स्थल

4034. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद तथा दिल्ली नगर निगम अपने पार्किंग स्थलों से वित्तीय संसाधन जुटाने में समर्थ नहीं है क्योंकि उनका समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पार्किंग स्थलों का ब्यौरा क्या है तथा इससे नई दिल्ली नगर पालिका परिषद तथा दिल्ली नगर निगम को कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि उसके क्षेत्र में 97 पार्किंग स्थलों की पहचान की गई और उन सभी के टेंडर दे दिए गए हैं। कोई भी पार्किंग स्थल छोड़ा नहीं गया है। इसलिए, इससे उसे कोई घाटा नहीं हुआ है।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि अनधिकृत पार्किंग स्थल चलने के संबंध में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई है, उनमें से कुछेक को अब देय पार्किंग स्थलों में बदल दिया गया है। अव्यवस्थित पार्किंग को सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत से नए पार्किंग स्थल बनाए गए है। परन्तु स्थानीय निवासियों, मार्केट एसोशिएशनों इत्यादि द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और कुछ ने न्यायालय की शरण ली है।

मानसिक रूप से नि:शक्त बच्चों के लिए शिक्षा

4035. श्री अनंत गुढ़े:
श्री मदन लाल शर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मानसिक रूप से नि:शक्त बच्चों को 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मानसिक रूप से नि:शक्त बच्चों के 18 वर्ष के होने पर उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। मानसिक रूप से मन्द बच्चों सहित विकलांग बच्चों को अठारह वर्ष की आयु तक व्यवसायोन्मुख शिक्षा सहित नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1992 में यथा संशोधित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्रावधानों तथा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (पी डब्ल्यू डी एक्ट, 1995) के प्रावधानों को कार्यान्वित करने का दायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपा गया है। इस संबंध में यह विभाग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पत्र लिखता रहा है। इस विभाग की विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सहायक तंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना तथा प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मानसिक रूप से मन्द बच्चों सहित विभिन्न श्रेणियों के विकलांग बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता उपलब्ध करवा रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है जहां विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए, राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम कम ब्याज दरों पर ऋण मुहैया करता है। इसके अतिरिक्त, नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में दाखिले में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। व्यापक कार्रवाई योजना (मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा राज्य सभा में दिनांक 21.3.05 को घोषित) के अंतर्गत विकलांग बच्चों तथा युवकों के लिए एक संशोधित समेकित शिक्षा योजना की परिकल्पना की गई है जिसके तहत विकलांगों के लिए व्यवसायोन्मुख शिक्षा हेतु उपयुक्त व्यवसायों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं की पहचान करने के उद्देश्य से 18 वर्ष से भी अधिक आयु के मानसिक रूप से मंद बच्चों सहित विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस द्वारा शिकायतें दर्ज न करना

4036. श्री हरि केवल प्रसाद:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपराध के आंकड़े कम करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा शिकायतें दर्ज न करने के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा शिकायतें दर्ज न करने के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा इनके कारण किन-किन पुलिस अधिकारियों को निलम्बित किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) इस संबंध में प्राप्त अधिकांश शिकायतें सिद्ध नहीं हुई थीं। वर्ष 2002, 2003, 2004 और 31 जुलाई, 2005 तक के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या, उन पर की गई कार्रवाई और इस संबंध में पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई नीचे दर्शाई गई है:

वर्ष	2002	2003	2004	2005 (31 जुलाई तक)
प्राप्त शिकायतों की संख्या	352	505	538	349
सही पाई गई शिकायतें	15	25	43	27
सिद्ध नहीं हुई शिकायतें	337	480	495	321
उन शिकायतों की संख्या जिनमें जांच लंबित है	–	–	–	1
उन पुलिस अधिकारियों की संख्या जिन्हें सलाह संबंधी ज्ञापन जारी किया गया	2	–	–	–
उन पुलिस कार्मिकों की संख्या जिन्हें चेतावनी जारी की गई	2	2	5	1
निलंबित किए गए पुलिस कार्मिकों की संख्या	–	–	2	–
उन पुलिस कार्मिकों की संख्या जिन पर सेवा के समपहरण संबंधी दंड लगाया गया	–	2	1	–
उन पुलिस कार्मिकों की संख्या जिनकी वेतन वृद्धि रोक दी गई	–	1	–	–
उन पुलिस कार्मिकों की संख्या जिनके विरुद्ध कारण बाताओ नोटिस/परिनिन्दा जारी की गई है	15	14	48	35
उन पुलिस कार्मिकों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित है	–	–	5	2

यह भी उल्लेख किया जाता है कि दिल्ली पुलिस ने ऐसी शिकायत के संबंध में दो कार्मिकों को निलंबित भी किया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार

4037. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री पवन कुमार बंसल:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत से आयात की जाने योग्य वस्तुओं की सूची में कुछ और वस्तुओं को सम्मिलित करने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पाकिस्तान को कौन सी वस्तुएं निर्यात की गई थीं और इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार वस्त्रों, फलों एवं मेवों के आयात पर छूट देने का है जैसाकि दिनांक 8 अगस्त, 2005 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(च) क्या पाकिस्तान ने इस संबंध में सरकार से अनुरोध किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चर्चा के क्या परिणाम निकले;

(ज) उक्त छूट के बाद दक्षिणी एशियाई देशों के साथ व्यापार में कितनी वृद्धि होगी;

(झ) भारत और पाकिस्तान के बीच कितने मूल्य का व्यापार किया गया है;

(ञ) इस संबंध में वास्तविक संभावनाएं कितनी हैं;

(ट) क्या उन्होंने हाल में पाकिस्तान का दौरा किया है; और

(ठ) यदि हां, तो व्यापार में वृद्धि करने हेतु की गई चर्चाओं के क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) दिनांक 9-10 अगस्त, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त वार्ता के कार्यढांचे के भीतर आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग संबंधी भारत-पाकिस्तान की वार्ताओं के दूसरे दौर के पश्चात जारी किए गए एक संयुक्त वक्तव्य में पाकिस्तानी पक्ष ने यह सूचित किया था कि पिछले वर्ष भारत से आयात के लिए अनुमत्य मदों की सकारात्मक सूची में 83 मदों को शामिल किया गया था जिसमें अब कुल 771 मदें शामिल हैं। पाकिस्तानी पक्ष ने सकारात्मक सूची में कुछ और मदों को शामिल करने के लिए भारतीय पक्ष के अनुरोध पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की थी।

(ग) इससे संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (ज) पाकिस्तान टेक्सटाइल और क्लोदिंग क्षेत्र में विशिष्ट शुल्क के मुद्दे को उठाता रहा है क्योंकि इससे पाकिस्तानी वस्तुओं के लिए किसी सार्थक बाजार पहुंच का निषेध होता है। ''दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र करार (साफ्टा) के अंतर्गत विशिष्ट शुल्क हटाने के संबंध में टेक्सटाइल और क्लोदिंग में भारत में आयातों का प्रभाव'' से संबंधित वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक अध्ययन कराया गया था। अध्ययन के अनुसार, भारत टेक्सटाइल और क्लोदिंग क्षेत्र में 271 टैरिफ लाइनों पर विशिष्ट शुल्क लगाता है। विशिष्ट शुल्कों में इन 271 टैरिफ लाइनों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है अर्थात न्यूनतम खतरा, मामूली खतरा, मध्यम खतरा और गंभीर खतरा। इसमें यह सिफारिश की गयी थी कि न्यूनतम खतरे और मामूली खतरे की श्रेणियों में टैरिफ लाइनों को दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) की संवेदनशील सूची से हटा दिया जाना चाहिए और न्यूनतम खतरे वाली श्रेणी से समस्त विशिष्ट शुल्क को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और मामूली खतरे वाली श्रेणी पर 3 वर्ष (50%, 75% तथा 100% की दर से) में शुल्क समाप्त कर देना चाहिए। इसी प्रकार मध्यम और गंभीर खतरे वाली श्रेणी जो साफ्टा मुक्त सूची के अंतर्गत आती है, में 7 और 8 लाइनों पर विशिष्ट शुल्क समाप्त किया जाना चाहिए। 271 टैरिफ लाइनों की विशिष्ट शुल्क को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। कार्यान्वित होने के बाद इस छूट से पाकिस्तान से होने वाले आयातों में वृद्धि होने की संभावना है किन्तु वास्तविक मात्रा का आकलन करना कठिन है। जहां तक फलों अर्थात आम, सेब, संतरों का संबंध है पाकिस्तान ने साफ्टा के अंतर्गत हमारी सांकेतिक संवेदनशील सूची में से इन मदों को हटाने का अनुरोध किया था, किन्तु भारत ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था। मेवों के संबंध में कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ था।

(झ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दर्शाने वाला एक विवरण नीचे दिया गया है:

भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार

(मूल्य: मिलि अम. डालर में)

वर्ष	पाकिस्तान को निर्यात	पाकिस्तान से आयात	कुल व्यापार	व्यापार संतुलन	भारत के निर्यातों में % वृद्धि	पाकिस्तान के निर्यातों में % वृद्धि
2002-2003	206.16	44.85	251.01	161.31		
2003-2004	286.94	57.65	344.59	229.29	39	29
2004-2005	505.44	95.33	600.77	410.11	76	65

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

(ञ) उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार की मात्रा में सकारात्मक वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 के दौरान व्यापार की मात्रा वर्ष 2003-2004 के दौरान 344.59 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 600.77 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की रही थी जिसमें 74% की वृद्धि हुई थी। आशा है कि यह सकारात्मक रूझान जारी रहेगा लेकिन वास्तविक मात्रा का आकलन करना कठिन है।

(ट) और (ठ) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 22-23 नवंबर, 2004 को इस्लामाबाद में आयोजित सार्क वाणिज्य मंत्रियों की चौथी बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। इस बैठक के साथ-साथ पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री के साथ अपनी बैठक के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए एक कार्यनीति अपनाने हेतु अन्य बातों के साथ-साथ भारत तथा पाकिस्तान के वाणिज्य सचिव स्तर पर एक संयुक्त अध्ययन दल (जेएसजी) गठित करने का निर्णय लिया गया था। जेएसजी ने फरवरी, 2005 में नई दिल्ली में आयोजित अपनी पहली बैठक में 2 कार्यदलों- (1) सीमाशुल्क सहयोग एवं व्यापार सुगमीकरण उपायों के बारे में तथा (2) गैर-टैरिफ बाधाओं के बारे में, का गठन किया था। जेएसजी के गठन से द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होने की आशा है क्योंकि दोनों देश अन्य बातों के साथ-साथ गैर टैरिफ बाधाओं एवं सीमाशुल्क सहयोग से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे।

विवरण

वाणिज्य विभाग

भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े (प्रमुख वस्तुएं एवं देश)
निर्यात, सभी वस्तुओं का देशवार

(पाकिस्तान)

दिनांक 18.8.2005

(मूल्य: मिलि.अम.डा. में)

क्र.सं.	वस्तु	मार्च 2004	मार्च 2005	% वृद्धि	अप्रैल-मार्च 2004	अप्रैल-मार्च 2005	% वृद्धि देश: पाकिस्तान भारतीय रुपया
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रंजक/मध्यवर्ती एवं कोलतार रसायन	17.15	0.84	-95.08	69.13	148.64	115.01
2.	पेट्रोलियम: कच्चा एवं उत्पाद	0.01	0.10	1,051.33	0.02	59.45	300,621.79
3.	औंषधि, भेषजीय एवं उत्तम रसायन	2.96	32.79	1,007.55	26.87	55.91	108.10
4.	तेल खाद्य	4.93	5.33	8.04	26.19	40.47	54.53
5.	प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद	0.67	0.93	38.06	6.86	38.30	458.38
6.	फुटवियर को छोड़कर रबड़ उत्पाद	1.87	1.96	4.69	14.39	27.34	49.93
7.	लौह अयस्क	0.77	2.07	168.61	8.39	22.38	166.71
8.	अकार्बनिक/कार्बनिक/कृषि रसायन	3.21	1.40	-56.48	17.94	17.38	-3.09
9.	प्राथमिक एवं अर्ध परिष्कृत लौह एवं इस्पात	1.64	1.47	-10.76	5.08	10.57	107.92
10.	मसाले	0.16	0.37	127.76	2.36	9.43	299.51
11.	अपशिष्ट समेत कपास	8.76	5.96	-31.97	43.87	8.03	-81.69

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	धातु विनिर्माण	0.55	0.87	57.99	5.90	7.71	30.58
13.	अन्य वस्तुएं	0.57	1.02	80.39	17.21	6.75	-60.76
14.	सूती धागा, वस्त्र, विनिर्मितयां, आदि	2.17	0.91	-57.77	7.89	5.75	-27.08
15.	मशीन और औजार	0.45	0.71	58.16	2.92	5.43	85.81
16.	चाय	0.47	0.80	69.53	6.57	5.10	-22.35
17.	फेरो अलॉय	0.84	0.87	3.30	1.83	5.00	173.39
18.	दालें	0.01	2.10	22,101.07	0.20	4.31	2,021.45
19.	अवेशष रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	0.31	1.03	229.73	2.66	4.30	61.75
20.	पेंट्स/इनामेल्स/वार्नीश आदि	0.16	0.42	158.70	1.99	3.18	59.95
21.	कागज/काष्ठ उत्पाद	0.51	0.17	-67.44	3.04	2.59	-14.79
22.	चावल (बासमती को छोड़कर)				0.37	2.33	524.03
23.	फल एवं सब्जियों के बीज	0.23	0.19	-17.79	1.13	2.14	89.09
24.	अन्य अनाज	0.05	1.35	2,585.89	0.20	1.51	674.64
25.	डेयरी उत्पाद		0.11		0.07	1.15	1,642.98
26.	प्रसंस्कृत खनिज	0.06	014	151.65	0.36	1.10	208.47
27.	कपड़ा	0.10	0.09	-4.86	0.68	1.03	50.85
28.	इलैक्ट्रॉनिक सामान	0.00	0.03	9,498.51	0.09	0.94	913.82
29.	सौन्दर्य/प्रसाधन आदि	0.12	0.05	-62.13	0.59	0.90	52.00
30.	ताजी सब्जियां	0.04	0.74	1,763.79	0.20	0.87	336.11
31.	लौह एवं इस्पात की छड़ें आदि	0.13			0.36	0.79	118.83
32.	विविध प्रसंस्कृत मदें	0.01	0.01	63.23	0.07	0.61	828.86
33.	चीनी	0.05	0.41	682.16	3.86	0.53	-86.34
34.	ग्लास/ग्लासवेयर/सिरेमिक/रिफटर्स/सीमेंट	0.35	0.01	-98.08	1.16	0.46	-60.43
35.	ग्वारगम खाद्य	0.21	0.03	-83.27	0.73	0.45	-39.03
36.	अलौह-धातुएं		0.10		0.07	0.38	436.83
37.	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	0.02	0.04	110.14	0.06	0.35	524.77
38.	परिवहन उपकरण	0.00			0.13	0.20	58.91

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	अन्य अयस्क एवं खनिज	0.00	0.04	12,535.23	1.37	0.15	-88.89
40.	आर एम जी ऊन					0.15	
41.	खेलकूद का सामान	0.01	0.02	65.58	0.17	0.15	-12.39
42.	हस्तशिल्प (मानव निर्मित कालीन को छोड़कर)	0.03	0.01	-79.18	0.15	0.11	-26.17
43.	अरण्डी का तेल				0.08	0.11	38.00
44.	मानव निर्मित यार्न, वस्त्र विनिर्मितियां	0.00	0.01	1,884.04	0.16	0.09	-40.62
45.	समुद्री उत्पाद				0.04	0.09	99.38
46.	अवशेष इंजीनियरिंग मदें	0.02	0.01	-68.31	0.05	0.08	57.32
47.	स्पिरिट एवं पेय पदार्थ					0.08	
48.	मूंगफली					0.07	
49.	मांस और उससे बनी वस्तुएं		0.00			0.07	
50.	अन्य उत्पादों को छोड़कर एल्यूमिनियम				0.23	0.06	-75.63
51.	काजू				0.16	0.05	-67.03
52.	सहायक उपकरणों समेत आर एम जी कॉटन	0.00	0.00	-69.26	0.54	0.05	-90.87
53.	जूट हेशियन					0.05	
54.	ताजे फल				0.18	0.05	-74.92
55.	परिष्कृत चर्म				0.29	0.03	-89.25
56.	मशीनी औजार	0.00			0.01	0.03	378.30
57.	कॉयर एवं कॉयर विनिर्माण	0.03	0.01	-45.24	0.06	0.03	-53.26
58.	जूट यार्न					0.02	
59.	ऊनी धागा, वस्त्र, विनिर्मितियां आदि				0.06	0.02	-68.42
60.	कुक्कुट उत्पाद		0.02			0.02	
61.	अभ्रक					0.02	
62.	कालीन (रेशम को छोड़कर) हस्त निर्मित		0.00		0.00	0.01	1,450.52
63.	रत्न एवं आभूषण				0.08	0.01	-82.56
64.	प्राकृतिक रेशम, धागा, वस्त्र, विनिर्मितियां आदि				0.01	0.01	-32.81
65.	चर्म का सामान				0.01	0.01	15.24

1	2	3	4	5	6	7	8
66.	चर्म के फुटवियर					0.01	
67.	रबड़/कैनवास आदि के फुटवियर		0.01			0.01	
68.	गेहूं					0.00	
69.	भौतिक रूप में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर				0.00	0.00	136.06
70.	प्रसंस्कृत सब्जियां				0.47	0.00	-99.36
71.	अन्य वस्त्र सामग्री का आर एम जी					0.00	
72.	प्रसंस्कृत फल एवं जूस				0.01	0.00	-69.11
73.	आर एम जी मानव निर्मित वस्त्र				0.00	0.00	1.85
74.	पुष्पोत्पाद				0.00	0.00	-51.78
75.	चावल-बासमती				1.22		
76.	तिल के बीज	0.11			0.12		
77.	आर एम जी रेशम				0.00		
78.	रेशम कालीन	0.00			0.00		
79.	परियोजना सामान	0.00			0.00		
	जोड़	49.76	65.53	31.70	286.94	505.44	76.15
	विनिमय दर: (1 अम.डालर = रुपए)	45.0179	43.6905		43.9513	44.9315	

आंकड़ा स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता

वाणिज्य विभाग

भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े (प्रमुख वस्तुएं एवं देश)

निर्यात: सभी वस्तुओं का देशवार

दिनांक: 18.8.2005

मूल्य: मिलि.अम.डा. में

क्र.सं.	वस्तु	मार्च 2002	मार्च 2003	% वृद्धि	अप्रैल-मार्च 2002	अप्रैल-मार्च 2003	% वृद्धि देश: पाकिस्तान भारतीय रुपया
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद	3.20	0.03	-99.10	22.12	27.49	24.27
2.	औषधि, भेषजीय एवं उत्तम रसायन	1.78	2.26	27.24	18.39	21.89	18.99

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	रंजक मध्यवर्ती एवं कोलतार रसायन	0.60	1.08	78.69	7.38	18.68	153.17
4.	पेट्रोलियम: कच्चा एवं उत्पाद		0.00		0.01	17.79	47,527.10
5.	लौह अयस्क		1.75		4.72	16.34	245.80
6.	अकार्बनिक/कार्बनिक/कृषि रसायन	1.21	1.25	2.96	6.76	16.28	141.03
7.	अन्य वस्तुएं	0.26	0.39	52.44	4.06	13.59	235.09
8.	फुटवियर को छोड़कर रबड़ उत्पाद	1.07	1.05	-1.13	8.16	13.57	66.45
9.	तेल खाद्य		0.04		4.41	7.42	68.35
10.	प्राथमिक एवं अर्ध परिष्कृत लौह एवं इस्पात		0.11		0.28	6.78	2,297.99
11.	चीनी	0.45			42.75	6.38	-85.08
12.	चाय	0.29	0.19	-32.77	3.02	4.18	38.36
13.	मशीन और औजार	0.21	0.18	-14.29	2.91	3.67	26.15
14.	अवेशष रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	0.23	0.19	-17.44	2.77	3.57	28.54
15.	मसाले	0.84	0.38	-55.01	3.23	3.53	9.13
16.	धातु विनिर्माण	0.12	0.42	241.16	1.75	2.85	62.45
17.	मानव निर्मित यार्न, वस्त्र विनिर्मितियां	0.00			0.06	2.38	3,777.36
18.	सहायक उपकरणों समेत आर एम जी कॉटन				0.37	2.29	514.09
19.	फल/सब्जियों के बीच	0.15	0.20	33.38	0.74	1.93	159.97
20.	पेंट्स/इनामेल्स/वार्निश आदि	0.17	0.11	-33.46	1.70	1.84	8.47
21.	गेहूं		1.32			1.54	
22.	अन्य अयस्क एवं खनिज	0.02			1.04	1.43	37.34
23.	कागज एवं काष्ठ उत्पाद	0.01	0.03	413.73	0.45	1.24	174.85
24.	सूती धागा, वस्त्र, विनिर्मितियां, आदि	0.19	0.10	-48.22	0.85	1.18	39.58
25.	अन्य उत्पादों को छोड़कर एल्यूमिनियम		0.01		0.00	1.08	26,119.04
26.	ताजी सब्जियां	0.10			0.11	0.96	783.88
27.	सौन्दर्य/प्रसाधन आदि	0.05	0.02	-58.84	0.37	0.72	92.59
28.	अरण्डी का तेल				0.06	0.63	964.08

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	कपड़ा	0.03	0.00	-80.87	0.38	0.58	52.78
30.	विविध प्रसंस्कृत मदें		0.00		0.01	0.51	3,981.37
31.	ग्लास/ग्लासवेयर/सिरेमिक/रिफटर्स/सीमेंट	0.01	0.04	484.77	0.44	0.49	11.57
32.	चावल (बासमती को छोड़कर)		0.04			0.44	
33.	फेरो मिश्र धातु		0.03		0.65	0.31	-52.15
34.	अलौह धातुएं				0.07	0.30	309.70
35.	लौह एवं इस्पात की छड़ें आदि	0.01			0.15	0.26	79.95
36.	परियोजना सामान				0.08	0.25	234.62
37.	खेलकूद का सामान	0.01			0.08	0.19	150.71
38.	इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं	0.00	0.02	8,181.89	0.23	0.18	-21.28
39.	परिवहन उपकरण	0.08	0.03	-60.83	0.19	0.17	-10.23
40.	समुद्री उत्पाद				0.08	0.13	65.77
41.	प्रसंस्कृत खनिज	0.00			0.09	0.12	36.09
42.	डेयरी उत्पाद		0.07		0.01	0.10	660.09
43.	मशीन उपकरण	0.00			0.01	0.10	1,109.45
44.	ग्वारगम खाद्य		0.08		0.06	0.09	56.43
45.	परिष्कृत चर्म		0.00		0.01	0.09	1099.66
46.	कॉयर एवं कॉयर विनिर्माण				0.11	0.09	-17.66
47.	तम्बाकू अविनिर्मित					0.09	
48.	तिल के बीज				0.12	0.07	-38.38
49.	हस्तशिल्प (हस्तशिल्प कालीन को छोड़कर)	0.01	0.01	58.68	0.19	0.06	-68.68
50.	चर्म सामान					0.05	
51.	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर				0.10	0.04	-62.30
52.	कॉफी				0.01	0.03	262.05
53.	अवेशष इंजीनियरिंग मदें	0.00	0.00	63.15	0.03	0.03	8.09
54.	मूंगफली					0.02	

1	2	3	4	5	6	7	8
55.	ऊनी धागा, वस्त्र, विनिर्मितियां आदि				0.02		
56.	पुष्पोत्पाद				0.01	0.02	251.20
57.	अन्य अनाज		0.02			0.02	
58.	स्पिरिट एवं पेय				0.02	0.02	-17.99
59.	प्रसंस्कृत सब्जियां				0.48	0.01	-97.37
60.	प्राकृतिक रेशम, धागा, फैब्रिक, विनिर्मितियां				0.00	0.01	245.11
61.	आर एम जी मानव निर्मित वस्त्र				0.08	0.01	-88.89
62.	चावल-बासमती					0.01	
63.	अन्य टैक्सटाइल मेटेरियल का आरएमजी					0.01	
64.	प्रसंस्कृत फल एवं जूस				0.00	0.00	-1.39
65.	अन्य जूट विनिर्माण	0.01			0.03	0.00	-90.69
66.	कालीन हस्तनिर्मित (रेशम को छोड़कर)				0.03	0.00	-95.17
67.	रेशम अवशिष्ट					0.00	
68.	रत्न एवं आभूषण	0.00			0.01	0.00	-91.01
69.	आरएमजी रेशम				0.02	0.00	-96.31
70.	मांस और मांस से तैयार की गयी वस्तुएं					0.00	
71.	ताजे फल				0.21		
72.	दालें				1.07		
73.	तम्बाकू विनिर्मित				0.02		
74.	सीरा				0.47		
75.	चर्म परिधान				0.01		
76.	भौतिक रूप में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर				0.00		
77.	आरएमजी ऊन				0.00		
	जोड़	11.12	11.49	3.35	144.01	206.16	43.16
	विनिमय दर: (1 अम.डालर = रुपए)	48.7371	47.6395		47.6919	48.3953	

आंकड़ा स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता

दिल्ली में व्यापार संबंधी मूलभूत सुविधाएं

4038. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अन्य बड़े नगरों की तुलना में दिल्ली में व्यापार संबंधी मूलभूत सुविधाओं का अभाव हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली व्यापार संबंधी मूलभूत सुविधाओं के मामले में अन्य राज्यों से पीछे चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) विकसित देशों के बड़े नगरों के बीच दिल्ली का क्रम क्या है; और

(ङ) दिल्ली के क्रम में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली मास्टर प्लान 2001 तथा प्रारूप दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में, शहर में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु किए जाने वाले पर्याप्त उपायों का उल्लेख है। इसमें 5000 और उससे अधिक की आबादी के लिए एकीकृत ढंग से मैट्रोपोलिटन सिटी सेन्टर अथवा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर तथा सुविधाजनक शॉपिंग सेंटर सहित एक पांच स्तरीय वाणिज्यिक क्रियाकलाप प्रणाली का प्रावधान है। इसके अलावा प्रारूप दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में शहरी विस्तार क्षेत्रों में सेवा बाजारों की स्थापना, नियोजित विकास क्षेत्रों में अनौपचारिक बाजारों व साप्ताहिक बाजारों का एकीकरण तथा नए थोक बाजारों की स्थापना, जिनका प्रस्तावित एकीकृत माल परिसर (फ्रेट कंपलेक्स) के साथ संपर्क हो, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए मौजूदा वाणिज्यिक केन्द्रों का पुनर्विकास करने इत्यादि का भी प्रस्ताव है। अत: जहां तक व्यापारिक सुविधाओं का संबंध है, दिल्ली अन्य राज्यों से पीछे नहीं है।

(घ) और (ङ) यह मंत्रालय विकसित देशों के शहरों के क्रम संबंधी ब्यौरे नहीं रखता।

[अनुवाद]

सरकारी आवासों की कमी

4039. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के हैदराबाद स्थित कर्मचारी सरकारी आवासों की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में हैदराबाद में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने आवास उपलब्ध हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार हैदराबाद में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कुछ और क्वार्टरों का निर्माण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकारी आवास के संबंध में कर्मचारियों की मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान में कोई भी अधिकारी किसी भी श्रेणी के आवास के आवंटन के लिए प्रतीक्षारत नहीं है।

(ग)	टाइप-I	184
	टाइप-II	416
	टाइप-III	224
	टाइप-IV	32
	टाइप-V	36
	होस्टल	32

(घ) और (ङ) टाइप-VI के दस क्वार्टरों के निर्माण का एक प्रस्ताव है क्योंकि वर्तमान में हैदराबाद में इस श्रेणी का आवास नहीं है।

अल्प विश्राम गृहों का निर्माण

4040. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं के लिए अल्प-विश्राम गृहों के निर्माण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु कितना धन नियत किया गया है;

(ग) अब तक निर्मित अल्प-विश्राम गृहों की वर्ष-वार और राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) जी, नहीं। महिला एवं बाल विकास विभाग की महिलाओं तथा बालिकाओं हेतु अल्पावास गृह स्कीम में भवन निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठाता।

[हिन्दी]

लघु उद्योग के संबंध में एस एम आई अध्ययन

4041. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के संबंध में तृतीय भारतीय एस एम आई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों में औद्योगिक रूग्णता और निवेश के बीच असमानता पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस असमान निवेश को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने 31.3.2001 तक पंजीकृत लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) की संदर्भ वर्ष 2001-02 के परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय गणना आयोजित की। गणना के साथ इसी संदर्भ वर्ष के लिए गैर पंजीकृत लघु उद्योग यूनिटों का एक सैम्पल सर्वे भी किया गया था। तीसरी अखिल भारतीय गणना के मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) औद्योगिक रूग्णता और निवेश के बीच आवश्यक संबंध नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषित रूग्ण लघु उद्योग यूनिटों के सम्बंध में डाटा का संकलन करता है। आर.बी.आई. द्वारा प्रस्तुत किए गए अखिल भारतीय सांख्यिकी के अनुसार मार्च, 2004 के अंत तक 1,38,811 रूग्ण लघु उद्योग यूनिटें थी। कार्यकारी ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर आर.बी.आई. ने रूग्ण लघु उद्योग यूनिटों के पुनर्वास के संबंध में संशोधित मार्गदर्शी-सिद्धांत बनाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ रूग्ण लघु उद्योग यूनिटों की परिभाषा में परिवर्तन, उनकी जीवनक्षमता के निर्णय के संबंध में मानदण्ड, रियायती वित्त, इत्यादि शामिल हैं। आर.बी.आई ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अनुपालन हेतु संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों को 16 जनवरी, 2002 को परिचालित कर दिया है।

विवरण

तीसरी गणना के मुख्य निष्कर्ष

संदर्भ अवधि: 2001-2002

	विशेषताएं	पंजीकृत ल.उ. सेक्टर	गैर-पंजीकृत सेक्टर	कुल ल.उ. सेक्टर
	1	2	3	4
1.	सेक्टर का आकार	13,74,974	91,46,216	1,05,21,190
2.	ग्रामीण यूनिटों की संख्या	6,09,537 (44.33%)	51,98,822 (56.8%)	58,08,359 (55%)
3.	शहरी यूनिटों की संख्या	7,65,437 (55.67%)	39,47,394 (43.16%)	47,12,831 (44.79%)
4.	ल.उ. की संख्या	9,01,291 (65.55%)	35,44,577 (38.75%)	44,45,868 (42.26%)
5.	लघु सेवा तथा बिजनेस (उद्योग सम्बद्ध) उद्यम (एस.एस.एस.बी.ई.)	4,73,683 (34.45%)	56,01,639 (61.25%)	60,75,322 (57.74%)

1		2	3	4
6.	अनुषंगी यूनिटों की संख्या (लघु उद्योगों की संख्या का प्रतिशत)	45,797 (5.08%)	86.516 (2.44%)	1,32,313 (2.98%)
7.	लघु उद्योगों में अति लघु यूनिटों की संख्या	8,82,496 (97.9%)	35,43,091 (99.9%)	44,25,587 (99.5%)
8.	महिला उद्यमियों की संख्या	1,37,534 (10%)	9,26,187 (10.13%)	10,63,721 (10.11%)
9.	कार्यकलाप की प्रकृति विनिर्माण/एसेम्बलिंग/प्रोसेसिंग/रिपेयरिंग तथा अनुरक्षण सेवाएं	8,72,449 (63.45%) 28,843 (2.10%) 4,73,682 (34.45%)	33,03,366 (36.12%) 16,92,663 (18.50%) 41,50,187 (45.38%)	41,75,815 (39.69%) 17,21,506 (16.36%) 46,23,869 (43.95%)
10.	संगठन का प्रकार			
	प्रोपराइटरी	12,21,702 (88.85%)	88,62,548 (96.9%)	1,00,84,250 (95.8%)
	पार्टनरशिप	99,190 (7.21%)	1,03,662 (1.13%)	2,02,852 (1.9%)
	प्राईवेट कंपनी	33,284 (2.42%)	38,153 (0.42%)	71,437 (0.68%)
	को-आपरेटिव	4,715 (0.34%)	9,854 (0.11%)	14,569 (0.14%)
	अन्य	16,083 (1.17%)	1,31,999 (1.44%)	1,48,082 (1.41%)
11.	31.3.2002 की स्थिति अनुसार उन यूनिटों की संख्या जिनकी ओर बकाया ऋण हैं।	2,76,333 (20.1%)	5,01,306 (5.48%)	7,77,639 (7.39%)
12.	कुल नियोजन	61,63,479	1,87,69,284	2,49,32,763
13.	प्रति यूनिट नियोजन	4.48	2.05	2.37
14.	संयंत्र और मशीनरी का कुल ओरिजनल मूल्य (लाख रुपये में)	30,32,868	24,56,492	54,89,360
15.	संयंत्र और मशीनरी का प्रति यूनिट ओरिजनल मूल्य (लाख रुपये में)	2.21	0.27	0.52
16.	कुल नियत निवेश (लाख रुपये में)	91,79,207	62,55,660	1,54,34,867
17.	प्रति यूनिट नियत निवेश (लाख रुपये में)	6.68	0.68	1.47

	1	2	3	4
18.	कुल निवल उत्पादन (लाख रुपये में)	2,03,25,462	79,01,536	2,82,26,998
19.	प्रति यूनिट निवल (लाख रुपये में)	14.78	0.86	2.68
20.	निर्यातक यूनिटों की संख्या	7.344	43,262	50,606
21.	निर्यातों का मूल्य (लाख रुपये में)	12,30,826	1,89,130	14,19,956
22.	एक लाख रुपये से नियोजन	0.67	3.00	1.62
23.	उत्पादों की संख्या/प्रति ए.एस. आई.सी.सी. उत्पादित सेवाएं/ल.उ. सेक्टर को प्रदान की गई	5,983	2,680	6,003
24.	ल.उ. सेक्टर में उत्पादित आरक्षित उत्पादों की संख्या (31.3.2001 को प्रभावी आरक्षित सूची के अनुसार)	877	382	878

अमरीका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अपनाना

4042. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका पर्यावरण और पेटेन्ट जैसे अनेक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन नहीं कर रहा है, जैसा कि दिनांक 8 जुलाई, 2005 के ''राजस्थान पत्रिका'' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व व्यापार संगठन समझौते के उल्लंघन के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) राजस्थान पत्रिका के 8 जुलाई, 2005 के सम्पादकीय में अमरीका द्वारा विभिन्न विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) करारों में शामिल पर्यावरणीय और पेटेंट संबंधी मामलों को विनियमित करने वाले किन्हीं विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में संधि के पक्षकारों के बीच विवाद निपटान की विशिष्ट व्यवस्था है, तथा सरकार द्वारा मामले के गुण-दोष के आधार पर डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय के जरिए कार्यवाही किए जाने समेत इन प्रावधानों को लागू किया जाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संगठनों को भूमि की बिक्री

4043. श्री गिरिधारी यादव:
श्री वी.के. ढुम्मर:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यावसायिक और शैक्षणिक संस्थानों को भूमि बेची है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक संस्थान को बेची गई भूमि का ब्यौरा क्या है और इसका मूल्य कितना है;

(ग) क्या भूमि का मूल्य निर्धारण बाजार मूल्य से कम पर किया गया है;

(घ) यदि हां, तो भूमि के कम मूल्य निर्धारण के क्या कारण हैं;

(ङ) यदि हां, तो कम मूल्य निर्धारण हेतु अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह

सूचित किया है कि विभिन्न श्रेणी के सार्वजनिक संस्थानों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर सरकार द्वारा जोन के हिसाब से अनुमोदित दरों पर भूमि आवंटित की जाती है।

विभिन्न श्रेणी के संस्थानों के लिए भूमि के आवंटन की ये दरें भिन्न-भिन्न हैं जो कि 1 रुपया प्रतिवर्ष की दर (सरकार और अन्य स्थानीय निकायों से ली जानी है) से शुरु होकर जोन के हिसाब से निर्धारित दरों अर्थात 97.85 लाख रुपए से 223.65 लाख रुपए प्रति एकड़ (वर्ष 2004-05 के लिए यथा अनुमोदित) तक हैं जो निजी सोसाइटियों से ली जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तीन श्रेणियों अर्थात अस्पतालों, क्लबों और उच्च एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भूमि के निपटान की नीलामी प्रणाली शुरु की है। सामुदायिक हालों के लिए यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित स्थलों की पेशकश मुख्य रूप से स्थानीय निकायों को की जाएगी तथा शेष स्थलों, यदि कोई हों, की नीलामी की जायेगी।

वर्ष 2002 से विभिन्न श्रेणियों की संस्थाओं के लिए भूमि के निपटान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	विवरण	2002	2003	2004	2005	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	सामुदायिक हाल	29	03	–	04	36
2.	धार्मिक	06	–	–	–	06
3.	अस्पताल	–	–	–	–	–
4.	संस्थाएं	19	–	–	–	19
5.	क्लब	–	–	–	–	–
6.	सरकारी कालेज	–	–	–	–	–
7.	सरकारी स्कूल	23	–	–	01	24
8.	सरकारी सीनियर सेकेन्ड्री एवं प्राइमरी स्कूल	06	–	04	–	10
9.	निजी सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल	13	12	–	02	27
10.	प्राइवेट नर्सरी स्कूल	42	27	–	–	69
11.	कंम्पस/रिहायशी भूखंड (सरकारी)/अन्य केन्द्र सरकार के आवंटन	01	–	–	01	02
12.	दिल्ली नगर निगम आवंटन	23	–	09	05	37
13.	अस्पताल/राज्य/केन्द्र/डीटीटीडीसी/डीएचएस/सामाजिक कल्याण/विधि विभाग	22	–	04	01	27
14.	डीटीसी बस टर्मिनल	02	–	–	–	02
15.	पुलिस स्टेशन	07	01	01	01	10
16.	एमटीएनएल	05	–	–	–	05
17.	डीएमएस	12	–	–	–	12

1	2	3	4	5	6	7
18.	मदर डेयरी	28	–	–	–	18
19.	बीएसईएस/टांस्को/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	07	–	64	12	83
20.	सरकारी उद्यम/डीएएमबी	02	01	–	–	03
21.	ईएसआई औषधालय	–	–	–	–	–
22.	डीएमआरसी	02	11	–	–	13
	कुल	249	55	82	27	413

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक जोन

4044. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री अनंत गुढे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रिमंडल द्वारा विशेष आर्थिक जोन विधेयक को मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसे संसद में कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) अब तक नए विशेष आर्थिक जोनों का गठन करने हेतु राज्य-वार और जोन-वार कितनी केन्द्रीय सहायता संस्वीकृत/जारी की गई है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 (2005 का 28) को 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गयी थी।

(ग) और (घ) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्कीम में नए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए किसी केन्द्रीय सहायता की कोई परिकल्पना नहीं की गयी है और इन क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों अथवा राज्य सरकार के साथ मिलकर संयुक्त क्षेत्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा स्वयं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु कल्याण कोष

4045. श्री एन.एस. वी. चित्तन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कल्याण कोष का गठन कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संरक्षण देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में "आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना" 1.4.2004 से शुरु कर दी गयी है।

दिल्ली में सी.सी.टी.वी. कैमरे

4046. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.सी.टी.वी. प्रणाली अपराधियों का पता लगाने का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपराधियों को पकड़ने के लिए दिल्ली में और अधिक संख्या में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) क्लोज सर्किट टेलिविजन प्रणाली (सी.सी.टी.वी.) अपराधियों

का पता लगाने, उन पर चौकसी रखने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रदर्शनों पर निगरानी रखने आदि के लिए उपयोगी है। सी.सी.टी.वी. के माध्यम से की गई रिकार्डिंग भी अपराधियों की पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए उपयोगी है। दिल्ली पुलिस ने अब तक अपने सभी पुलिस स्टेशनों, लाइसेंसिंग शाखा और पुलिस मुख्यालयों में सी.सी.टी.वी. प्रणालियां स्थापित कर दी हैं। इसने करोलबाग क्षेत्र और संसद मार्ग में भी एक-एक, कुल दो सी.सी.टी.वी. प्रणालियां स्थापित की हैं। दिल्ली पुलिस की भावी योजनाओं में सदर बाजार, दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र और तीस हजारी में जिला न्यायालय परिसर में ऐसी प्रणालियां स्थापित करना शामिल है।

'क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी' संबंधी योजना

4047. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी' संबंधी योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में इसे लागू किए जाने के बाद से इस योजना से कितनी लघु उद्योग इकाईयों को लाभ प्राप्त हुआ है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार लघु उद्योग मंत्रालय (एसएसआई) में लघु उद्योग के प्रौद्योगिकी संवर्धन के लिए 1 अक्टूबर, 2000 से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) नाम से एक योजना प्रचालित कर रही है। योजना के अंतर्गत चुनिंदा उपक्षेत्रों/ एवं अनुमोदित उत्पादों में सुव्यस्थित और सुधरी हुई प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए लघु उद्योग इकाइयों द्वारा प्राप्त किए गए संस्थानिक वित्त पर अति लघु इकाइयों सहित लघु इकाइयों को 12 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की उपयुक्त राशि की गणना वास्तविक ऋण राशि पर की गई है जो 40 लाख रुपए से अधिक नहीं है। नई लघु उद्योग इकाइयां जो संबंधित राज्य उद्योग निदेशालयों से पंजीकृत हैं और जिन्होंने अपनी इकाइयों को उचित प्रौद्योगिकियों के आधार पर स्थापित किया है, भी इस योजना में शामिल किए जाते हैं।

(ग) सीएलसीएसएस के अंतर्गत, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं

(1) योजना के अंतर्गत पूंजी सब्सिडी केवल उन्हीं परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगी जहां पात्र प्राइमरी लेंडिंग संस्थानों (पीएलआई) द्वारा आवधिक ऋण 1 अक्टूबर 2000 को अथवा उसके बाद संस्वीकृत किए गए हैं।

(2) प्रौद्योगिकी संवर्धन के लिए पात्र पी एल आई द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता आश्यकता के आधार पर होगी। तथापि, 12 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी सहायता नीचे दी गई सारणी में दिखाई गई ऋण राशियों तक सीमित होगी:

क्र.सं.	निवेश सीमा	सहायता के लिए पात्र अधिकतम ऋण सीमा*	योजना के अंतर्गत उपलब्ध अधिकतम सब्सिडी
1.	संयंत्र और मशीनरी में 10 लाख रुपए से कम निवेश वाली अति लघु इकाइयां	8 लाख रुपए	0.96 लाख रुपए
2.	संयंत्र और मशीनरी में 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच निवेश वाली अति लघु इकाइयां	20 लाख रुपए	2.40 लाख रुपए
3.	संयंत्र और मशीनरी में 25 लाख रुपए से अधिक निवेश वाली लघु इकाइयां	40 लाख रुपए	4.80 लाख रुपए

*पात्र सब्सिडी की गणना वास्तविक ऋण राशि अथवा सब्सिडी के लिए पात्र ऋण पर अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, पर की जाएगी।

(3) सीएलसीएसएस के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने वाली इकाइयां केन्द्र/राज्य/संघ राज्य सरकार से प्रौद्योगिकी संवर्धन के लिए कोई और सब्सिडी प्राप्त नहीं करेंगी। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र की इकाइयां भी जो क्षेत्र में सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन/सब्सिडी प्राप्त कर रही हैं, सीएलसीएसएस के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र होंगी।

(4) इस स्कीम के अंतर्गत, विद्यमान उपस्कर/प्रौद्योगिकी को उसी प्रकार उपस्कर/प्रौद्योगिकी के साथ बदलना सब्सिडी के लिए उचित नहीं होगा। यह योजना पुरानी मशीनरी के साथ अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत करने वाली इकाइयों पर भी लागू नहीं।

(घ) योजना के आरंभ से सी.एल.सी.एस.एस. के अंतर्गत सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या (उत्तर प्रदेश वाली इकाईयों को मिलाकर) का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	इकाइयों की संख्या*
1.	आंध्र प्रदेश	74
2.	बिहार	05
3.	छत्तीसगढ़	16
4.	दिल्ली	46
5.	गोवा	02
6.	हरियाणा	38
7.	झारखंड	02
8.	कर्नाटक	66
9.	केरल	02
10.	मध्य प्रदेश	20
11.	महाराष्ट्र	90
12.	गुजरात	28
13.	उड़ीसा	02
14.	पंजाब	59
15.	राजस्थान	56
16.	तमिलनाडु	309
17.	उत्तर प्रदेश	42
18.	पश्चिम बंगाल	08
	कुल	865

*जुलाई, 2005 के अंत तक

जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत तहसील को सम्मिलित करना

4048. श्री दुष्यंत सिंह: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत और दस तहसीलों को सम्मिलित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान सरकार ने जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही एवं पाली जिलों में 10 और तहसीलें शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) राज्य सरकार को अभी संपूर्ण सूचना प्रस्तुत करनी है, जिसे भेजने के लिए उनसे कहा गया था।

एन.वी.एस./के.वी.एस. में यौन उत्पीड़न

4049. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन वी एस/के वी एस के अध्यापक वर्ग और गैर-अध्यापक वर्ग के महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न किए जाने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नवोदय विद्यालय समिति से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के संबंध में ब्यौरे (श्रेणी-वार तथा राज्य-वार) जिनमें प्राप्त की गई, निपटाई गई शिकायतों की संख्या तथा की गई कार्रवाई शामिल है।

क्र.सं.	क्षेत्र	वर्ष	प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	राज्य	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7
1.	चंडीगढ़	2002-03	1	1	संघ राज्य क्षेत्र	निवारण समिति के माध्यम से जांच की गई और आरोप साबित नहीं हुए थे।
		2003-04	शून्य	शून्य		
		2004-05	शून्य	शून्य		
2.	पटना	2002-03	शून्य	शून्य	बिहार	–
		2003-04	शून्य	शून्य		
		2004-05	शून्य	शून्य		
3.	पुणे	2002-03	शून्य	शून्य	महाराष्ट्र	–
		2003-04	शून्य	शून्य		
		2004-05	शून्य	शून्य		
4.	जयपुर	2002-03	शून्य	शून्य	राजस्थान	(1) स्नातकोत्तर शिक्षक (अंग्रेजी) द्वारा प्रधानाचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय फरीदाबाद के विरुद्ध आरोप लगाए गए। प्रथम दृष्टया, जांच रिपोर्ट से शिकायत-कर्त्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में कुछ तथ्य प्रतीत होते हैं। प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु की गई है।
		2003-04	शून्य	शून्य		
		2004-05	3	1		(2) जवाहर नवोदय विद्यालय, चुरु (राजस्थान) की स्टाफ नर्स द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय चुरु (राजस्थान) के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं। प्रथम दृष्टया जांच रिपोर्ट से शिकायतकर्त्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में कुछ तथ्य प्रतीत होते हैं। समिति की रिपोर्टों के आधार पर प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु की गई है। (3) समिति द्वारा अवर श्रेणी लिपिक, जवाहर नवोदय विद्यालय, जालौर (राजस्थान) के विरुद्ध लगाए गए आरोप साबित नहीं किए गए थे।

1	2	3	4	5	6	7
5.	भोपाल	2002-03 2003-04 2004-05	1 शून्य शून्य	1 शून्य शून्य	मध्य प्रदेश	एक महिला शिक्षक द्वारा कला शिक्षक, जवाहर नवोदय विद्यालय, शहडोल के विरुद्ध लगाए गए आरोप समिति द्वारा साबित नहीं किए गए थे।
6.	हैदराबाद	2002-03 2003-04 2004-05	शून्य शून्य 1	शून्य शून्य शून्य	आंध्र प्रदेश	प्रधानाचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, कृष्णा, आंध्र प्रदेश के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे। प्रथम दृष्टतया जांच रिपोर्ट से इन आरोपों में कुछ तथ्य पाए गए थे। प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु कर दी गई है।
7.	लखनऊ	2004-05	1	शून्य	उत्तर प्रदेश	जवाहर नवोदय विद्यालय, झांसी के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (गणित) द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय, फर्रुखाबाद के अवर श्रेणी लिपिक तथा लाइब्रेरीयन के विरुद्ध आरोप लगाए गए। प्रथम दृष्टया, जांच रिपोर्ट से इन आरोपों में कुछ तथ्य प्रतीत होते है। अवर श्रेणी लिपिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

[हिन्दी]

लाइसेंस फीस

4050. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 जुलाई, 1992 से सरकारी आवास के लिए काटी गई लाइसेंस फीस से संबंधित ब्यौरा संपदा निदेशालय को भेज दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जुलाई, 1992 से पहले की अवधि से संबंधित लाइसेंस फीस को दिल्ली के सभी सरकारी आवासों के लिए समायोजित माना जायेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या आज की तिथि तक जुलाई, 1992 से काटी गई लाइसेंस फीस का ब्यौरा इसकी प्राप्ति के बाद पुन: नहीं मांगा जाएगा;

(ङ) क्या सभी आबंटियों को इस आशय का समायोजन प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि धनराशि को विधिवत समायोजित कर दिया गया है;

(च) यदि हां, तो भविष्य में लाइसेंस फीस किस प्रकार समायोजित की जायेगी: और

(छ) सेवानिवृत्ति के बाद आबंटी द्वारा मांगा गया बेबाकी प्रमाण पत्र और उसका ब्यौरा कब तक प्रदान कर दिया जायेगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, नहीं। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उन कर्मचारियों के वेतन से लाइसेंस फीस काटने के लिए जिम्मेवार हैं जिन्हें सामान्य पूल रिहायशी आवास आवंटित किया गया है। संपदा निदेशालय को उक्त ब्यौरे देना भी उनकी ही जिम्मेवारी है। उक्त ब्यौरे आंशिक रूप से भेजे गये हैं और भेजे गए ब्यौरों को समय-समय पर संपदा निदेशालय की खाता बही में दर्ज किया जाता है।

(ग) और (घ) उस लाइसेंस फीस को समायोजित कर दिया गया है जिसकी वसूली के बारे में संपदा निदेशालय को सूचित किया गया।

(ङ) आवंटितियों द्वारा अनुरोध किये जाने पर वसूल की जा चुकी तथा प्राप्त हो चुकी लाइसेंस फीस के लिए समायोजन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(च) संबंधित विभागों से संपदा निदेशालय में ई-मेल के जरिए प्राप्त हुई मासिक वसूली को व्यक्ति विशेष के लाइसेंस फीस खाते में समायोजित किया जायेगा।

(छ) आवंटितियों को एक माह के भीतर बेबाकी प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं बशर्ते आवास खाली कर दिया गया हो तथा की गई वसूली के ब्यौरे संपदा निदेशालय में प्राप्त हो चुके हों।

इण्डोनेशिया के साथ व्यापार

4051. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
मोहम्मद शाहिद:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री मो. ताहिर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और इण्डोनेशिया के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और व्यापार क्षेत्र क्या है;

(ग) उक्त समझौते का कार्यकाल कितना है और उक्त समझौते के अंतर्गत कितने मूल्य का व्यापार होगा;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इंडोनेशिया के साथ कितना आयात-निर्यात हुआ और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ङ) चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इंडोनेशिया के साथ व्यापार में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) भारत और इंडोनेशिया के बीच दिनांक 3 जून, 1978 को एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार में यह व्यवस्था है कि दोनों देश परस्पर उस अनुकूल व्यवहार से कम व्यवहार प्रदान नहीं करेंगे जो किसी अन्य देश को विशेष रूप से सीमाशुल्क नियमों और औपचारिकताओं, सीमाशुल्क तथा अन्य प्रकार के प्रभारों तथा माल/वस्तुओं के निर्यात और आयात को विनियमित करने वाले विनियमनों में दिया जाता है। करार की अवधि प्रारंभ में 1 वर्ष थी जो इसके समाप्त न किए जाने पर प्रतिवर्ष स्वत: बढ़ती जाएगी।

(घ) ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(मूल्य: मिलियन अम.डा. में)

वर्ष	आयात	निर्यात
2002-2003	1380.87	826.06
2003-2004	2122.08	1127.21
2004-2005	2508.71	1290.69

(ङ) जनवरी-मार्च, 2005 के दौरान इंडोनेशिया से भारत को आयातों और यहां से निर्यातों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमश: 14.99% और 28.32% की वृद्धि दर्ज की गई थी।

[अनुवाद]

मॉडल पुलिस अधिनियम

4052. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की पुराने पुलिस अधिनियम, 1861 को मॉडल पुलिस अधिनियम से प्रतिस्थापित करने से संबंधित 8वीं रिपोर्ट को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को भेजा है;

(ख) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस अधिनियम, 1861 को प्रतिस्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मॉडल पुलिस अधिनियम से सहमत हो गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ निरन्तर नए राज्य पुलिस अधिनियम अधिनियमित करने के मामले को उठाती रही है। भारतीय पुलिस के समक्ष नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को पुन: परिचालित करने हेतु नये मॉडल पुलिस अधिनियम का मसौदा बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

डब्ल्यूटीओ में भारत अमेरिका व्यापार सुविधा

4053. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन को व्यापार सुविधा और बेहतर सूचना विनिमय के संबंध में संयुक्त पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार सुविधा संबंधी पूर्व विवादों का किस सीमा तक समाधान होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। सदस्यों के बीच सूचना का आदान-प्रदान करने और उसका प्रहस्तन करने के लिए एक बहुपक्षीय तंत्र स्थापित करने हेतु डब्ल्यूटीओ के व्यापार सुगमीकरण संबंधी वार्ताकारी दल को भारत और अमरीका द्वारा एक संयुक्त दस्तावेज (डब्ल्यूटीओ दस्तावेज संख्या टीएन/टीएफ/डब्ल्यू/57 दिनांक 22 जुलाई, 2005) प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2004 के जुलाई कार्यढांचा करार में व्यापार सुगमीकरण पर वार्ताएं शुरु किए जाने पर स्पष्ट सहमति हुई थी। व्यापार सुगमीकरण वार्ताओं का लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ, व्यापार सुविधा और सीमाशुल्क मुद्दों के संबंध में सीमा शुल्क विभागों अथवा अन्य किन्हीं उचित प्राधिकारियों के बीच कारगर सहयोग की व्यवस्था करना है।

(ग) डब्ल्यूटीओ में सिंगापुर मुद्दों को शामिल करने के बारे में विगत में मतभेद था। सिंगापुर के चारों मुद्दे व्यापार और निवेश; व्यापार और प्रतिस्पर्धा नीति; सरकारी खरीद में पारदर्शिता और व्यापार सुगमीकरण हैं। 1 अगस्त, 2004 के जुलाई कार्यढ़ांचा करार में व्यापार सुगमीकरण और दोहा कार्यक्रम से तीन अन्य सिंगापुर मुद्दों को अलग करने के बारे में वार्ता शुरु करने के लिए स्पष्ट सहमति हुई थी।

हडको के पास गुजरात की लंबित परियोजनाएं

4054. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड के पास ऋण/वित्तीय सहायता के लिए गुजरात सरकार की लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं के माध्यम से विकसित किए जाने वाले शहरों और कस्बों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित परियोजनाओं को कब, मंजूरी प्रदान की जायेगी?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड के पास ऋण/वित्तीय सहायता के लिए गुजरात सरकार से प्राप्त आवास एवं शहरी अवस्थापना की कोई स्कीम स्वीकृति के लिए लंबित नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

शिल्पकार कल्याण न्यास

4055. **श्री एम. अंजन कुमार यादव:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी ग्रामोद्योग द्वारा देश में कितने शिल्पकार कल्याण न्यास का गठन किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आज की तिथि तक इनके द्वारा कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने खादी शिल्पकारों के लिए किसी बीमा कवर की शुरुआत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत आज की तिथि के अनुसार कितने लोगों को शामिल किया गया है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत शिल्पकारों द्वारा कितनी धनराशि का अंशदान किया जाना है और किसी दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे की धनराशि कितनी है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की पहल पर खादी संस्थाओं द्वारा 20 राज्य स्तरीय आर्टिसन वेलफेयर फण्ड ट्रस्ट (ए डब्ल्यू एफ टी) स्थापित किए गए हैं, जबकि ऐसा एक फण्ड केरल राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान ए डब्ल्यू एफ टी के प्रति खादी संस्थाओं से एकत्र की गई राशियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	अवधि/वर्ष	अवधि/वर्ष के दौरान एकत्र की गई राशि (लाख रु. में)	एकत्रित संचयी राशि (लाख रुपयों में)
1.	31.3.2003 तक	928.82	928.82
2.	2003-04	148.27	1077.07
3.	2004-05	171.45	1247.54

(ग) और (घ) सरकार ने 15 अगस्त, 2003 को खादी कामगारों/कारीगरों के लिए "खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना" नाम से एक समूह बीमा योजना आरंभ की थी। योजना में कातने वाले (स्पिनर), बुनकर, कताई-पूर्व कारीगर और बुनाई पश्चात कारीगर शामिल हैं। प्रति कारीगर, प्रति वर्ष 200 रुपए बीमा किस्त देय है।

(ङ) 15 अगस्त, 2005 की स्थिति के अनुसार, 2 लाख व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए हैं।

(च) प्रति कारीगर कुल 200 रुपए बीमा किस्त में से 25 रुपए संबंधित कारीगर देगा और शेष राशि निम्नलिखित स्त्रोतों से पूरी की जाएगी:

भारत सरकार की समाज सुरक्षा निधि	–	100 रुपए
के.वी.आई.सी.	–	25 रुपए
संबंधित खादी संस्था	–	50 रुपए

विभिन्न दुर्घटनाओं की स्थिति में दिए जाने वाले मुआवजे के बारे में ब्यौरा निम्नानुसार है-

(1)	स्वाभाविक मृत्यु	20,000/- रुपए
(2)	दुर्घटनावश मृत्यु	50,000/- रुपए
(3)	स्थायी पूर्ण विकलांगता:	50,000/- रुपए
(4)	स्थायी आंशिक विकलांगता	25,000/- रुपए

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना

4056. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों के लिए एक विशेष विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर बीएसएफ में नियुक्ति

4057. श्री अधीर चौधरी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर बी.एस.एफ. में बहुत बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हुई हैं जैसाकि दिनांक 10.8.2005 के 'द स्टेट्समेन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से इस घोटाले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें संलिप्त पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) कांस्टेबल मुकेश कुमार, जिसके मामले का सी बी आई द्वारा पता लगाया गया है, के अलावा सीमा सुरक्षा बल में जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर दो कांस्टेबल भर्ती हुए पाए गए हैं।

(घ) सरकार ने, जाली/नकली प्रमाणपत्रों पर रोजगार प्राप्त करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध, ऐसे गंभीर कदाचार के लिए

विभागीय कार्रवाई के अलावा अपराधिक मामले दायर करके कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ करने के बारे में निर्देश जारी किए हैं।

एम.सी.सी. सदस्य

4058. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चंडीगढ़ नगर निगम (एम सी सी) में प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों की संख्या में वृद्धि के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

एनडीएमसी द्वारा आवास कर एकत्र करना

4059. श्री जुएल ओराम: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान एन.डी.एम.सी. की आवास कर एकत्र करने में विफल रही है और अमीर चूककर्ताओं के प्रति नरम रवैया अपनाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। पिछले दो वर्षों की तुलना में 2004-05 में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा एकत्र की गई आवास कर की राशि में वृद्धि देखी गई है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, कर की राशि के संबंध में विवाद और लंबित न्यायालय मामलों आदि के कारण नई संपत्तियों के बारे में आवास कर एकत्र नहीं कर सकी है।

[हिन्दी]

नगरों के समेकित विकास संबंधी परियोजना रिपोर्ट

4060. श्री ब्रजेश पाठक: क्या शहरी विकास मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों ने नगरों के विशेषकर राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में समेकित विकास संबंधी परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार नगरों का विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) कुल परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और निरस्त करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में भी विभिन्न राज्यों से समेकित विकास संबंधी परियोजनायें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार विदेशी विकास एजेंसियों के माध्यम से देश के पिछड़े क्षेत्रों में नगरों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) 5 लाख तक की आबादी वाले छोटे एवं मझोले कस्बों को छोटे एवं मझोले कस्बों के समन्वित विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना (आई डी एस एम टी) के तहत दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता दी जाती है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा कस्बों को प्राथमिकता और स्वीकृति दी जाती है। योजना में राज्यों के पिछड़े तथा अन्य क्षेत्रों के कस्बे शामिल किए जाते हैं। केवल पिछड़े क्षेत्रों में स्वीकृत कस्बों की सूचना मंत्रालय में अलग से नहीं रखी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 682 नई परियोजनाएं (कस्बे) प्राप्त तथा अनुमोदित की गई। इस अवधि के दौरान शामिल किए गए कस्बों, अनुमोदित परियोजना लागत तथा दी गई केन्द्रीय सहायता को राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। किसी पात्र परियोजना को नामंजूर नहीं किया गया।

(घ) और (ङ) आई डी एस एम टी योजना को प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एनयूआरएम) तथा छोटे एवं मझोले कस्बों की शहरी अवस्थापना विकास की योजना में शामिल किया जाएगा, अत: राज्य सरकारों को कहा गया है कि वर्तमान आई डी एस एम टी योजना के तहत पूर्व वर्षों के दौरान स्वीकृत चालू परियोजनाओं के संबंध में अपनी वचनबद्धता, जो कि उपयोग प्रमाणपत्र तथा प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी, को पूरी करने के अलावा वर्ष 2005-06 के दौरान किसी नई परियोजना पर विचार नहीं किया जाएगा।

(च) देश के पिछड़े इलाकों के कस्बों के विकास हेतु विदेशी विकास एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के पास नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2002-03 से 2004-05 तक) के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. के तहत जारी की गई परियोजना लागत तथा केन्द्रीय सहायता के साथ शामिल किए गए नए कस्बों का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2002-2003		2003-2004		2004-2005		कस्बे	कुल परियोजना लागत	केन्द्रीय सहायता
		कस्बे	केन्द्रीय सहायता	कस्बे	केन्द्रीय सहायता	कस्बे	केन्द्रीय सहायता			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	7	325.50	13	760.00	17	666.50	37	11772.25	1752.00
2.	अरुणाचल प्रदेश		0.00	8.	192.00		0.00	8	1002.79	192.00
3.	असम	7	168.00		0.00	21	344.84	28	4299.71	512.84
4.	बिहार	1	90.00	8	317.00	7	323.83	16	3500.04	730.83
5.	छत्तीसगढ़	5	238.00	5	186.82	10	333.00	20	4848.07	757.82
6.	गोवा		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
7.	गुजरात	4	147.00	25	611.00	15	219.85	44	7596.47	977.85
8.	हरियाणा	2	90.00	8	302.00	6	30.00	16	3798.58	422.00
9.	हिमाचल प्रदेश	5	141.00	2	28.00	2	10.00	9	1263.76	179.00
10.	जम्मू व कश्मीर	1	44.40	7	253.00	6	132.19	14	2097.58	429.59
11.	झारखंड	1	75.00		0.00		0.00	1	967.55	75.00
12.	कर्नाटक	19	556.52	29	757.42	28	859.11	76	11473.97	2173.05
13.	केरल	3	114.00	7	384.00	8	89.65	18	5342.86	587.65
14.	मध्य प्रदेश	19	648.12	24	568.25	25	423.00	68	9458.84	1639.37
15.	महाराष्ट्र	23	1038.25	13	743.00	34	1469.22	70	25893.90	3250.47
16.	मणिपुर	9	207.00		0.00		0.00	9	871.30	207.00
17.	मेघालय		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
18.	मिजोरम	1	24.00		0.00	3	72.00	4	400.00	96.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	नागालैंड		0.00	1	33.00		0.00	1	151.88	33.00
20.	उड़ीसा	6	163.52	1	106.00	4	117.00	11	1880.63	386.52
21.	पंजाब	2	48.00	2	50.72	1	24.00	5	607.84	122.72
22.	राजस्थान	5	160.99	6	279.00	16	568.62	27	6260.38	1008.61
23.	सिक्किम		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	13	548.97	18	467.27	22	616.39	53	10498.32	1632.63
25.	त्रिपुरा		0.00	1	88.12	4	94.00	5	1795.07	182.12
26.	उत्तरांचल		0.00	3	86.00	3	93.00	6	892.83	179.00
27.	उत्तर प्रदेश	25	813.44	26	855.37	45	1362.59	96	15318.42	3031.40
28.	पश्चिम बंगाल	10	678.50	7	517.90	22	812.27	39	15428.06	2008.67
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
30.	दादर व नगर हवेली		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
31.	दमन व दीव		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
33.	पांडिचेरी		0.00	1	36.00		0.00	1	495.30	36.00
	सकल योग	168	6320.21	215	7621.87	299	8661.06	682	147916.40	22603.14

सोए: केन्द्रीय सहायता, परियोजना लागत-अनुमोदित परियोजना लागत

[अनुवाद]

निशुल्क खाद्यान्नों हेतु पायलट परियोजना

4061. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कुपोषित किशोरियों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए निशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए पायलट परियोजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत राज्य-वार किन-किन जिलों में धनराशि आबंटित और उपयोग की गई;

(घ) उक्त परियोजना से अब तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने देश के कुछ और जिलों में इसके विस्तार पर विचार और मूल्यांकन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने वर्ष 2005-06 में किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के क्रियान्वयन को प्रायोगिक परियोजना के आधार पर अनुमोदित किया है। 11-19 वर्ष आयु वर्ग की अल्प-पोषित किशोरियों, जो अल्प-वजनी (35 कि.ग्रा. से कम वजन) हैं, इस स्कीम में शामिल हैं। इन अल्प-पोषित किशोरियों को 6 कि.ग्रा. प्रति लाभार्थी प्रति माह की दर से मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

(ग) यह कार्यक्रम देश के 51 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस जिलों की सूची संलग्न विवरण I में दी गयी है। वर्तमान वर्ष में आबंटित/निर्मुक्त राशियों का राज्य-वार विवरण संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(घ) वर्तमान वर्ष के लिए स्कीम हेतु अनुमोदन 14.7.2005 को जारी किया गया तथा पहली किस्त 26.7.2005 को निर्मुक्त की गयी। पूर्व में, वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में योजना आयोग ने प्रायोगिक परियोजना का क्रियान्वयन किया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, परियोजना के अंतर्गत लगभग 12.66 लाख व्यक्तियों (किशोरियां तथा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाएं) को लाभ मिला।

(ङ) और (च) परियोजना का अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसके मूल्यांकन एवं विस्तार पर विचार किया जा रहा है।

विवरण I

किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जिलों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2
1.	आंध प्रदेश
	— आडिलाबाद
	— महबूब नगर
2.	अरुणाचल प्रदेश
	— लोहित
3.	असम
	— कोकरझार
	— करबी अंगलोग
4.	बिहार
	— औरंगाबाद
	— गया
5.	छत्तीसगढ़
	— सरगूजा
6.	गोवा
	— उत्तरी गोवा
7.	गुजरात
	— पंच महल
	— दोहाड
8.	हरियाणा
	— अम्बाला
	— यमुना नगर
9.	हिमाचल प्रदेश
	— कांगड़ा
10.	जम्मू व कश्मीर
	— अनन्तनाग
11.	झारखंड
	— पश्चिमी सिंह भूमि
12.	कर्नाटक
	— गुलबर्गा
	— कोलार
13.	केरल
	— पलक्कड़
	— मालापुरम
14.	मध्य प्रदेश
	— सागर
	— दमोह
15.	महाराष्ट्र
	— नांदेड
	— नागपुर
16.	मणिपुर
	— सेनापति
17.	मेघालय
	— पूर्वी खासी हिल
18.	मिजोरम
	— लुंगलेई

1	2
19.	नागालैंड
	— तुएनसंग
20.	उड़ीसा
	— कोरापुट
	— काला हांडी
21.	पंजाब
	— होशियारपुर
	— जालंधर
22.	राजस्थान
	— डूंगरपुर
	— बांसवाडा
23.	सिक्किम
	— पूर्वी सिक्किम
24.	तमिलनाडु
	— तिरुवनमलाई
	— रामानन्तपुरम
25.	त्रिपुरा
	— पश्चिमी त्रिपुरा
26.	उत्तर प्रदेश
	— मिर्जापुर
	— सोनभद्र
27.	उत्तरांचल
	— हरिद्वार
28.	पश्चिम बंगाल
	— जलपाईगुड़ी
	— पुरुलिया
29.	दिल्ली
	— उत्तर-पश्चिमी दिल्ली
30.	पाण्डिचेरी
	— कराइकल
31.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह
	— अण्डमान
32.	चंडीगढ़
	— चंडीगढ़
33.	दादर व नगर हवेली
	— दादर व नगर हवेली
34.	दमन व दीव
	— दमन
	— दीव
35.	लक्षद्वीप
	— लक्षद्वीप

विवरण II

वर्ष 2005-06 के दौरान किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार आवंटन/प्रथम किस्त के रूप में राज्य को शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में निर्मुक्त राशि

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2005-06	
		आबंटित राशि	पहली किस्त के रूप में निर्मुक्त राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1089.7	544.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.91	3.46
3.	असम	244.34	122.17
4.	बिहार	1051.9	525.95
5.	छत्तीसगढ़	328.85	164.43

1	2	3	4
6.	गोवा	90.04	45.02
7.	गुजरात	609.99	305.00
8.	हरियाणा	240.34	120.17
9.	हिमाचल प्रदेश	180.13	90.07
10.	जम्मू व कश्मीर	133.61	66.81
11.	झारखंड	357.46	178.73
12.	कर्नाटक	1032.8	516.40
13.	केरल	495.74	247.87
14.	मध्य प्रदेश	553.91	276.96
15.	महाराष्ट्र	1225.59	612.80
16.	मणिपुर	31.6	15.80
17.	मेघालय	33.71	16.86
18.	मिजोरम	13.53	6.77
19.	नागालैण्ड	33.6	16.80
20.	उड़ीसा	579.06	289.53
21.	पंजाब	259.29	129.65
22.	राजस्थान	472.97	236.49
23.	सिक्किम	12.19	6.10
24.	तमिलनाडु	422.9	211.45
25.	त्रिपुरा	182.05	91.03
26.	उत्तर प्रदेश	622.62	311.31
27.	उत्तरांचल	213.89	106.95
28.	पश्चिम बंगाल	1241.75	620.88
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	37.53	18.77
30.	चंडीगढ़	62.1	31.05
31.	दिल्ली	148.62	74.31
32.	दादर व नगर हवेली	34.8	17.40
33क.	दमन	15.03	7.52
33ख.	दीव	8.16	4.08
34.	लक्षद्वीप	5.07	2.54
35.	पांडिचेरी	22.4	11.20
	कुल	12094.17	6047.09

योजना आयोग ने सूचित किया है कि अनुदान मांग के आधार पर इस स्कीम के लिए 162.97 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी है। 42.03 करोड़ रुपये की बकाया राशि का उपयोग विगत वर्षों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए किया जायेगा।

प्रत्यक्ष बिक्री

4062. श्री संतोष गंगवार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में बहुस्तरीय/नेटवर्क विपणन जैसी प्रत्यक्ष बिक्री को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो सीधी बिक्री करने वाली कंपनियों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ प्रत्यक्ष बिक्री वाली कंपनियां बिना अनुमोदन के कार्य कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की क्या भूमिका है; और

(च) ऐसी कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) मै. ऐमवे इंडिया, मै. एवॉन ब्यूरो इंडिया प्रा. लि., मै. हर्बलाइफ, मै. ऑरिफ्लेम, मै. टपरवेयर इंडिया, मै. सनराईडर इंडिया जैसी रोधी बिक्री करने वाली कंपनियों ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से आवश्यक सरकारी अनुमोदन प्राप्त किया है।

(ग) और (घ) इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (आईडीएसए) के अनुसार भारत में सीधी बिक्री करने वाली 200

से अधिक फर्में कार्यरत हैं तथा उनमें से अधिकांश छोटी हैं एवं क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत हैं। भारत में सीधी बिक्री के माध्यम से बेची जाने वाली समस्त वस्तुओं में इन फर्मों का हिस्सा 60% से अधिक बनता है। सीधी बिक्री करने वाली फर्में प्रमुखत: असंगठित होती हैं तथा ऐसी फर्मों द्वारा लिए गए अनुमोदन संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) आईडीएसए एक स्वविनियामक उद्योग एसोसिएशन है जो अपने सदस्यों को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन द्वारा निर्धारित नीति-संहिता के कठोर प्रावधानों के भीतर कार्य करने का अधिदेश देती है। नीति संहिता में उचित एवं नीतिपरक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं जिनसे सीधी बिक्री करने वाले उद्योग हेतु एक अनुकूल एवं बेहतर वातावरण तैयार होता है। इस संहिता के लागू होने से उपभोक्ताओं को अवैध अथवा अनैतिक व्यवहार्य से सुरक्षा प्राप्त होती है।

(च) सरकार इस संबंध में आईडीएसए से बातचीत कर रही है।

[हिन्दी]

सतत शिक्षा कार्यक्रम

4063. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन स्थानों पर अब तक राज्यवार सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार अनुमोदित और जारी की गई धनराशि कितनी है;

(ग) उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिलों में प्रथम किस्त कितनी है और उनकी पृथक-पृथक तिथि क्या है;

(घ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दूसरी किस्त कितने जिलों को प्रदान की गई;

(ङ) प्रथम किस्त के बाद दूसरी किस्त को जारी करने के लिए क्या मानदंड और समय सीमा है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार राज्य सरकारों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(छ) आज की तिथि तक कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए है और कितने प्रस्ताव अनुमोदनार्थ लंबित पड़े हैं; और

(ज) लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जिन जिलों में सतत शिक्षा कार्यक्रम संस्वीकृत किए गए हैं उनकी राज्यवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत एवं जारी किए गए अनुदान की राज्यवार राशि दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ग) मध्य प्रदेश के 42 जिलों में सतत शिक्षा कार्यक्रम संस्वीकृत किया गया है। कार्यक्रम संस्वीकृत किए जाने की तारीखों को दर्शाने वाला जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) दूसरी किस्त जारी करने के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, उस पर तब विचार किया जाता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

(1) अनुदान की पहली किस्त का 75% उपयोग कर लिया गया हो।

(2) सतत शिक्षा केन्द्र स्थापित किए गए हों तथा परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो।

(3) अगर दूसरी किस्त के लिए अनुरोध 12 माह बाद प्राप्त हो तो लेखाओं का परीक्षित विवरण तथा उपयोग प्रमाणपत्र।

मध्य प्रदेश में अभी तक एक जिले को दूसरी किस्त जारी की गई है।

(च) और (छ) गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त तथा अब तक स्वीकृत प्रस्तावों और लंबित प्रस्तावों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(ज) लंबित प्रस्तावों को तब संस्वीकृत किया जाएगा जब राज्य सरकारें योजना में निर्धारित निम्नलिखित शर्तों को पूरी करेगी।

(1) चौथे और पांचवें वर्ष के दौरान परियोजना की लागत का 50% तथा उसके बाद समूची देयता वहन करने की राज्य सरकार से बचतपत्र उपलब्ध कराना;

(2) संपूर्ण साक्षरता/उत्तर साक्षरता परियोजनाओं के लिए जारी किए गए अनुदानों के लेखाओं का निपटान और अप्रयुक्त राशि (यदि कोई हो) की वापसी।

विवरण I

सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत शामिल जिलों/स्थानों की संख्या (18.8.2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत शामिल जिलों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	21
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	–
4.	बिहार	3
5.	छत्तीसगढ़	2
6.	दिल्ली	9
7.	गोवा	–
8.	गुजरात	23
9.	हरियाणा	4
10.	हिमाचल प्रदेश	1
11.	जम्मू और कश्मीर	–
12.	झारखंड	2
13.	कर्नाटक	26
14.	केरल	14
15.	मध्य प्रदेश	42
16.	महाराष्ट्र	18
17.	मणिपुर	–
18.	मेघालय	–
19.	मिजोरम	8
20.	नागालैंड	–
21.	उड़ीसा	3
22.	पंजाब	1
23.	राजस्थान	31
24.	सिक्किम	–
25.	तमिलनाडु	28
26.	त्रिपुरा	4
27.	उत्तरांचल	6
28.	उत्तर प्रदेश	21
29.	पश्चिम बंगाल	17
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–
31.	चंडीगढ़	1
32.	दादर व नगर हवेली	–
33.	दमन और दीव	–
34.	लक्षद्वीप	1
35.	पांडिचेरी	4
	कुल	290

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान सतत शिक्षा की योजना के तहत जारी किये गए अनुदानों की स्थिति

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्तीय वर्ष		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	701.48	1842.71	819.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–

1	2	3	4	5
3.	असम	–	–	–
4.	बिहार	–	–	99.29
5.	छत्तीसगढ़	10.00	–	303.02
6.	दिल्ली	–	128.33	–
7.	गोवा	–	–	–
8.	गुजरात	1720.35	1595.54	561.10
9.	हरियाणा	–	–	332.26
10.	हिमाचल प्रदेश	–	53.61	–
11.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–
12.	झारखंड	12.50	–	–
13.	कर्नाटक	1810.79	1176.88	2489.53
14.	केरल	119.40	485.60	579.54
15.	मध्य प्रदेश	3475.80	1730.50	2836.57
16.	महाराष्ट्र	10.00	176.76	267.09
17.	मणिपुर	–	7.50	7.50
18.	मेघालय	–	–	–
19.	मिजोरम	74.40	31.70	–
20.	नागालैंड	–	–	7.50
21.	उड़ीसा	–	–	0.61
22.	पंजाब	–	–	–
23.	राजस्थान	2328.30	1977.65	2103.83
24.	सिक्किम	–	7.50	–
25.	तमिलनाडु	530.70	839.19	1623.03
26.	त्रिपुरा	155.00	31.13	275.73
27.	उत्तराचल	–	30.00	197.86
28.	उत्तर प्रदेश	2262.28	527.75	1603.81
29.	पश्चिम बंगाल	–	3763.04	1364.59

1	2	3	4	5
30.	अंडमान व निकोबर द्वीप समूह	–	–	–
31.	चंडीगढ़	91.40	–	62.66
32.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–
33.	दमन और दीव	–	–	–
34.	लक्षद्वीप	–	11.75	11.74
35.	पांडिचेरी	–	32.63	–
	कुल	13302.40	14449.77	15546.47

विवरण III

मध्य प्रदेश में सतत शिक्षा कार्यक्रम के लिए पहली किस्त की जिला-वार निर्मुक्ति का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	संस्वीकृति की तरीख
1	2	3
1.	इंदौर	13.10.1998
2.	टीकमगढ़	24.7.2002
3.	हर्दा	24.7.2002
4.	हौसंगाबाद	24.7.2002
5.	खांडवा	26.7.2002
6.	दतिया	26.7.2002
7.	रायसेन	26.7.2002
8.	शिवपुरी	26.7.2002
9.	नीमच	26.7.2002
10.	जबलपुर	26.7.2002
11.	मंदसौर	26.7.2002
12.	उज्जैन	26.7.2002
13.	भिंड	26.7.2002
14.	मांडला	5.8.2002
15.	छिंदवाड़ा	3.9.2002
16.	डिंडोरी	3.9.2002
17.	ग्वालियर	18.10.2002
18.	नरसिंहपुर	18.10.2002
19.	रीवा	28.10.2002
20.	पन्ना	24.6.2003
21.	गुना	24.6.2003
22.	धार	24.6.2003
23.	राजगढ़	24.6.2003
24.	देवास	24.6.2003
25.	बरवानी	24.6.2003
26.	शिवपुर	24.6.2003
27.	झबुआ	24.6.2003
28.	छतरपुर	23.7.2003
29.	दमोह	26.5.2004
30.	कटनी	26.5.2004
31.	खरगौन	26.5.2004
32.	बालाघाट	26.5.2004
33.	मुरैना	26.5.2004
34.	रतलाम	26.5.2004
35.	सतना	26.5.2004
36.	शाहडोल	26.5.2004
37.	शाजापुर	26.5.2004
38.	सिओनी	26.5.2004
39.	विदिशा	26.5.2004
40.	शिहोर	18.2.2005
41.	भोपाल	29.3.2005
42.	उमरिया	29.3.2005

विवरण IV

सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या, आज की तिथि तक संस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या तथा लंबित प्रस्तावों की संख्या

(18.8.2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	लंबित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	–	–	–
4.	बिहार	3	1	2
5.	छत्तीसगढ़	1	1	–
6.	दिल्ली	1	1	–
7.	गोवा	–	–	–
8.	गुजरात	11	11	–
9.	हरियाणा	3	3	–
10.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–
11.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–
12.	झारखंड	3	–	3
13.	कर्नाटक	7	7	–
14.	केरल	–	–	–
15.	मध्य प्रदेश	45	42	3
16.	महाराष्ट्र	10	2	8
17.	मणिपुर	–	–	–
18.	मेघालय	–	–	–
19.	मिजोरम	–	–	–
20.	नागालैंड	–	–	–
21.	उड़ीसा	–	–	–
22.	पंजाब	–	–	–
23.	राजस्थान	23	22	1

1	2	3	4	5
24.	सिक्किम	–	–	–
25.	तमिलनाडु	11	10	1
26.	त्रिपुरा	–	–	–
27.	उत्तरांचल	11	4	7
28.	उत्तर प्रदेश	20	15	5
29.	पश्चिम बंगाल	8	8	–
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	–
31.	चंडीगढ़	–	–	–
32.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–
33.	दमन और दीव	–	–	–
34.	लक्षद्वीप	1	1	–
35.	पांडिचेरी	–	–	–

[अनुवाद]

केरल विमानपत्तन पर आव्रजन अधिकारी

4064. श्री एस. अजय कुमार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के तिरूवनंतपुरम, कोचीन और कोझीकोड विमानपत्तनों पर कुल कितने आव्रजन अधिकारी तैनात हैं;

(ख) क्या सरकार के पास केरल के विमानपत्तनों पर स्थित आव्रजन स्कंध में अतिरिक्त पदों का सृजन करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) केरल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, तीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए आप्रवासन अधिकारी की स्वीकृत संख्या निम्नानुसार है:

1.	तिरूवनंतपुरम	:	84
2.	कोचीन	:	79
3.	कोझीकोड	:	61
	कुल	:	224

(ख) और (ग) केरल की राज्य सरकार ने 5.8.2005 को कोझीकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 28 अतिरिक्त पदों का सृजन किया है जो ऊपर दिखाई गई 61 स्वीकृत संख्या में शामिल किए गए है। इसके अतिरिक्त, स्टाफ निरीक्षण यूनिट (एसआईयू) ने तिरूवनंतपुरम और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का कार्य अध्ययन किया है।

[हिन्दी]

आई.पी.एस. अधिकारियों के विरुद्ध सी.बी.आई. मामले

4065. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारियों के विरुद्ध सी बी आई/सतर्कता जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कुल कितने मामले निपटाए गए; और

(घ) शेष मामलों के कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार के कार्यालय

4066. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के कई कार्यालय निजी भवनों में चले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एक सरकारी परिसर के निर्माण का है ताकि ऐसे कार्यालय एक ही परिसर में आ सकें,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या पहल की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां।

(ख) केन्द्र सरकार के कार्यालयों हेतु संपदा निदेशालय द्वारा पट्टे/किराये पर लिए गए विभिन्न भवनों को दर्शाने वाली एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) इस समय, सामान्य पूल कार्यालय वास के निर्माण की निम्नलिखित परियोजनाएं आयोजना के विभिन्न चरणों में है:

क्र.सं.	परियोजना	पिलिन्थ क्षेत्र (वर्गमीटर)
1.	आई एन ए कम्पलैक्स, नई दिल्ली	15,370
2.	पुष्प भवन, फेज-II, महरौली बदरपुर रोड, नई दिल्ली	87,460
3.	दीन दयाल उपाध्याय मार्ग (राउज एवेन्यू), नई दिल्ली	30,000
4.	शाहदरा-दिल्ली	11,000
	कुल:	1,43,830

जब भी सामान्य पूल कार्यालय वास परिसर आवंटन हेतु उपलब्ध होंगे तो इन परिसरों में जहां तक संभव होगा विभिन्न सरकारी कार्यालयों के लिए कम्पेक्ट स्थान आवंटित करने के प्रयास किए जाायेंगे।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्र सरकार के कार्यालयों/विभागों को समायोजित करने हेतु दिल्ली/नई दिल्ली में संपदा निदेशालय द्वारा पट्टे/किराये पर लिए गए विभिन्न भवनों की सूची

क्र.सं.	भवन का नाम	उपभोक्ता मंत्रालय/विभाग का ब्यौरा
1	2	3
1.	जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग	आपूर्ति और निपटान महानिदेशक (डीजीएसएंडडी)
2.	जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग	वित्त मंत्रालय
3.	ट्रोपिकल इन्सुरेन्स भवन, कनाट प्लेस	सूचना केन्द्र (प्रेस सूचना ब्यूरो)
4.	स्टरलिंग हाउस (15/16 दरियागंज)	गाना एवं ड्रामा प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

1	2	3
5.	कुन्दन मेन्शन 2ए/3 आसफ अली रोड	(1) मुख्य सलाहकार, कारखाना का कार्यालय (2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम
6.	जीवन प्रकाश, कस्तूरबा गांधी मार्ग	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
7.	लोक नायक भवन, खान मार्किट	24 सरकारी कार्यालय
8.	बीकानेर हाउस	7 सरकारी कार्यालय
9.	फरीदकोट हाउस, कापरनिकस मार्ग	राष्ट्रीय मानव अधिकार (एनएचआरसी)
10.	कश्मीर हाउस, राजाजी मार्ग	रक्षा
11.	4/14-ए आसफ अली रोड	आयतकर कार्यालय
12.	4/20, आसफ अली रोड	विपणन निदेशालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय
13.	1102, अंसल भवन, कनाट प्लेस	कोयला विभाग
14.	1001 अंसल भवन, कनाट प्लेस	चेयर परसन बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन
15.	1103 अंसल भवन, कनाट प्लेस	केन्द्र सरकार औद्योगिक एवं श्रम न्यायालय, श्रम मंत्रालय
16.	1108 अंसल भवन, कनाट प्लेस	विवाचन बोर्ड, श्रम मंत्रालय

आई.सी.डी. योजना के अंतर्गत पोषाहार

4067. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन 'केयर' आई सी डी एस योजना के अंतर्गत कुछ राज्यों में पूरक पोषाहार के लिए कॉर्न सोया ब्लैंड (सी.एस.बी.) खाद्य सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में सी.एस.बी. को समाप्त कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत "जोखिमपूर्ण सूक्ष्म जीवों/आनुवांशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशाणुओं का निर्माण, उपयोग, आयात-निर्यात और भण्डारण, 1989" के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति ने 5.7.2002 को आयोजित अपनी बैठक में कॉर्न सोया मिश्रण के आयात को अनुमति न देने का फैसला किया, क्योंकि संयुक्त राज्य नियामक अभिकरण से इस आशय का कोई प्रमाणन नहीं था कि कॉर्न सोया मिश्रण नौभार में पराजीवी कॉर्न की कोई प्रतिबंधित अथवा पुरानी किस्म मौजूद नहीं है।

दिल्ली की लंबित परियोजनाएं

4068. श्री अनन्त नायक: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में समेकित शहरी विकास से संबंधित कितनी विभिन्न परियोजनाएं सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना की अनुपातिक लागत कितनी है;

(ग) क्या वित्तपोषण के लिए किसी परियोजना को योजना आयोग के पास भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह बताया है कि दिल्ली के समेकित शहरी विकास संबंधी कोई परियोजना लंबित नहीं है। तथापि, राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए मौजूदा अवसंरचना सुविधाओं, विशेषकर सड़क परिवहन, यातायात प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट एवं जन-सुविधाओं, का उन्नयन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कुछ परियोजना प्रस्ताव योजना आयोग को भेजे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने इस उद्देश्य के अगले तीन वर्षों में 1314 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान सहायता के नियतन के लिए भी योजना आयोग से अनुरोध किया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने भी यह बताया है कि तीन कॉरीडोरों, नामत: (1) शाहदरा-गाजियाबाद (14.93 कि.मी.); (2) साहिबाबाद-शिवाजी पुल (17.36 कि.मी.) तथा (3) त्रिनगर-गुड़गांव (30.53 कि.मी.) को लेकर एक समेकित रेल-सह-बस परिवहन परियोजना तैयार की गई है। वर्ष 2002 की कीमतों के आधार पर इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 2239 करोड़ रुपये हैं। यह परियोजना सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए योजना आयोग को प्रस्तुत की गई है।

[हिन्दी]

संसद प्रतियोगिता/कार्यक्रमों का आयोजन

4069. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में छात्र-संसद प्रतियोगिता/कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनेक स्कूलों को अनुदान/धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में राज्यवार कितने छात्रों ने भाग लिया; और

(घ) ऐसे कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं के माध्यम से क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी हां। संसदीय कार्य मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उनके विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए किए गए खर्च की प्रत्येक वित्तीय वर्ष एक लाख रुपये की सीमा तक प्रतिपूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय उन विद्यालयों/संस्थानों को भी रु. 5000/- तक की राशि की प्रतिपूर्ति करता है जो मंत्रालय द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं में क्षेत्रीय/ग्रुप स्तर तक पहुंचते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रतिपूर्ति की गई राशि निम्न प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिपूर्ति की गई राशि
2002-2003	1. कर्नाटक	100000/-
	2. चंडीगढ़	33978/-
	3. नागालैंड	96400/-
2003-2004	1. हरियाणा	46698/-
2004-2005	1. हरियाणा	87856/-
	2. कर्नाटक	100000/-
	3. चंडीगढ़	32163/-
	4. पश्चिम बंगाल	85502/-

पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयों/जवाहर नवोदय विद्यालय समिति को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण

वित्तीय वर्ष	विश्वविद्यालय	जवाहर नवोदय विद्यालय समिति
2002-2003	217856/-	94278/-
2003-2004	207976/-	10175/-
2004-2005	91054/-	55311/-

(ग) इन प्रतियोगिताओं में विद्यालय टीमों के रूप में भाग लेते हैं तथा प्रत्येक टीम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या सामान्यत: 45-55 के बीच घटती-बढ़ती रहती है। इसके अतिरिक्त, भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यालय के काफी संख्या में अन्य विद्यार्थी भी प्रदर्शन की तैयारी तथा आयोजन में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या, जो इन प्रतियोगिताओं/कार्यक्रमों में शामिल है, का परिमाण बताना संभव नहीं हो सकेगा।

(घ) युवा संसद का कार्यक्रम विद्यार्थियों को हमारे संसदीय संस्थानो के कार्यचालन के बारे में जानने, लोकतांत्रितक मूल्यों तथा अनुशासन और शालीनता की अनुभूति के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षण का एक अनुठा अवसर प्रदान करता है। ऐसे कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं के माध्यम से इन लाभों को प्राप्त किया जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है।

भारतीय जेल विधेयक

4070. श्री गिरिधारी यादव:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रस्तावित भारतीय जेल विधेयक का कोई मसौदा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मौजूदा जेल अधिनियम, 1984 को बदलने के लिए नये जेल विधेयक का खाका तैयार किया था।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा तैयार किए गए खाके के आधार पर, गृह मंत्रालय ने जेल प्रबंधन विधेयक का एक मसौदा तैयार किया। जेल राज्य का विषय होने के कारण उक्त विधेयक सभी राज्य सरकारों को, उनके विचार जानने के लिए परिचालित किया गया था।

[अनुवाद]

भारत-आस्ट्रिया द्विपक्षीय व्यापार

4071. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी में आस्ट्रिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार पर कोई विचार-विमर्श हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देश आपसी व्यापार को बेहतर बनाने पर सहमत हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) आस्ट्रिया के आर्थिक और श्रम मंत्री श्री मार्टिन बारटिनस्टीन जो फरवरी, 2005 में भारत की यात्रा के दौरान आस्ट्रिया के राष्ट्रपति के साथ आए थे, ने 17 फरवरी, 2005 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ एक बैठक की थी।

(ग) जी, हां।

(घ) दोनों पक्षों ने भारत और आस्ट्रिया के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा सेवा क्षेत्रों को संभावित क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया था। व्यापार का संवर्धन एक सतत प्रकिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में भारत आस्ट्रिया संयुक्त आर्थिक आयोग/संयुक्त कार्यदलों के माध्यम ासे सरकारी स्तर पर परस्पर क्रिया-कलाप करना, प्रत्यक्ष व्यवसाय स्तरीय सम्पर्कों को प्रोत्साहित करना और सुविधाजनक बनाना, व्यापार संवर्धन कार्यकलापों में भाग लेना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोग

4072. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार राजधानी दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में क्षेत्र-वार अनुमानत: कितने लोग रह रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों से लोगों को हटाने का अभियान आरंभ किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे लोगों के पुनर्वास के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा आज की तारीख तक पुनर्स्थापित किए गए लोगों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त प्रयोजन हेतु खर्च की गई धनराशि का वर्षवार/स्थानवार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी एन सी टी डी) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने यह सूचित किया है कि ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, अक्टूबर, 2004 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 31.3.2002 को मौजूद अनधिकृत कालोनियों की रेजिडेन्ट वेल्फेर एसोसिएशनों/सोसाइटियों से आवेदनपत्र आमंत्रित किए थे तथा 1432 आवेदनपत्र प्राप्त किए थे।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) से (छ) उपरोक्त (ख) और (ग) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा

4073. श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सी.आई.एस.एफ. को सौंपी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यवार किन-किन धार्मिक स्थलों पर सी आई एस एफ सुरक्षा प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी धार्मिक स्थलों पर सी आई एस एफ को तैनात करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को किसी राज्य सरकार से उनके राज्य में धार्मिक स्थलों पर विशेषकर तिरूमाला मंदिर के लिए आंध्र प्रदेश से सी आई एस एफ सुरक्षा की तैनाती हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते हैं।

संथाली भाषा को बढ़ावा

4074. श्री जुएल ओराम: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा राज्य में संथाली भाषा आरंभ करने की मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में संथाली भाषा आरंभ करने तथा इसे बढ़ावा देने के लिए राज्य को अनुदान प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के पश्चात साहित्य अकादमी ने इस भाषा के विकास हेतु कार्यक्रमों और प्रकाशनों के बारे में सुझाव देने के लिए एक सलाहकार बोर्ड गठित किया है। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी आई आई एल) मैसूर भी भाषाओं के विकास हेतु व्यक्तियों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता उपलब्ध करवाता है तथा राज्यों से अनुदान सहायता संबंधी अनुरोधों पर संस्थान की समिति द्वारा विचार किया जाता है जिसके पास संथाली सहित विभिन्न भाषाओं के विशेषज्ञ है। वर्ष 2004-05 के दौरान संथाली भाषा को बढ़ावा देने हेतु संस्थान द्वारा 50,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। इस संस्थान ने मार्च-अप्रैल 2005 के दौरान संथाली में एक चित्रात्मक शब्दावली तैयार करवाने के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की है।

'यूनीसेफ'

4075. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनीसेफ की परियोजना मास्टर प्लॉन ऑफ ऑपरेशन्स (एम.पी.ओ.) के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा समन्वयन कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त ऑपरेशन्स के संबंध में चालू योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) 'इंडिया कंट्री प्रोग्राम' के लिए यूनीसेफ द्वारा कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गई;

(घ) क्या एम.पी.ओ. के कार्य निष्पादन का सरकार द्वारा मूल्यांकन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त कार्यक्रम किन-किन राज्यों में चल रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) भारत में यूनिसेफ के कार्यक्रम "वृहत कार्य योजना" नामक अनुबंध के अंतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे हैं। मौजूदा वृहत कार्य योजना 2003-07 समयावधि के लिए क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) यूनिसेफ के कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास, पोषण, जल एवं स्वच्छता, बाल संरक्षण, एच.आई.वी./एड्स, समर्थन, आदि के क्षेत्र में क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

(ग) 2003-07 की अवधि हेतु भारत के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर आबंटित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) भारत में यूनिसेफ के कार्यक्रमों की, आवश्यक संशोधनों के लिए, समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(च) यूनिसेफ के कार्यक्रम भारत के सभी राज्यों में क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम

4076. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में ग्रामिण महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ये विशेष कार्यक्रम कब से क्रियान्वित किए जा रहे हैं;

(घ) इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ङ) इन कार्यक्रमों की कुल लागत कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग आयोग

4077. श्री ब्रजेश पाठक: क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थानवार कितनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त इकाइयों द्वारा किए गए कार्य का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कितनी सहकारी और निजी इकाइयों को सहायता प्रदान की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) अपनी कोई निजी इकाई स्थापित नहीं करता है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में वैयक्तिक उद्यमियों द्वारा सरकार द्वारा केवीआईसी के माध्यम से प्रदान की गई मार्जिन मनी सहायता और कार्यान्वयन बैंकों द्वारा संस्वीकृत ऋणों से ग्रामोद्योग इकाइयां स्थापित की जाती हैं। अप्रैल, 1995 में इसके आरंभ से 31.3.2005 तक आरईजीपी के तहत उत्तर प्रदेश में 17725 ग्रामोद्योग परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। जिलावार सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, उत्तर प्रदेश में आरईजीपी के तहत स्थापित ग्रामोद्योग परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	स्थापित परियोजनाओं की संख्या	अतिरिक्त सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	उत्पादन का मूल्य (लाख रु.)
2002-03	1677	42652	11696.96
2003-04	2134	57847	15117.55
2004-05	2210	64900	16898.75

(ग) उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) द्वारा सहकारी अथवा निजी ग्रामोद्योग इकाइयों को सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

एन.आई.पी.सी.सी.डी. को वित्तीय सहायता

4078. श्री सुग्रीव सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट (एन.आई.पी.सी.सी.डी.) के क्या उद्देश्य है;

(ख) क्या एन.आई.पी.सी.सी.डी. ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संस्थान को वर्ष 2004-05 के दौरान प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एन आई पी सी सी डी द्वारा देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) राष्ट्रीय जन-सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) का उद्देश्य सामाजिक विकास में स्वैच्छिक कार्यों का विकास एवं संवर्धन; बाल विकास के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाना तथा राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसरण में कार्यक्रमों का विकास एवं सवंधर्न; सामाजिक विकास में सरकारी एवं स्वैच्छिक कार्यों के बीच समन्वय हेतु उपायों का विकास करना तथा सरकारी एवं स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से बच्चों के कार्यक्रमों के आयोजन हेतु अवसंचरना एवं परिदृश्य का विकास करना है।

(ख) और (ग) निपसिड शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन कराता है, आई.सी.डी.एस. कर्मियों तथा स्वैच्छिक संगठनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, आदि का आयोजन करता है तथा जन-सहयोग, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में तकनीकी सलाह, परामर्श तथा सूचना सेवाएं प्रदान करता है। निपसिड की स्थापना के समय से ही इसका कई बार मूल्यांकन किया गया है तथा पिछली बार मूल्यांकन वर्ष 1997 में हैदराबाद के भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज द्वारा किया गया। इस मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया कि निपसिड ने अपनी सुस्थापित एवं अभिकल्पित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों तथा संबंधित सरकारी मंत्रालयों/संगठनों के बीच अच्छा नेटवर्क विकसित किया है।

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान, संस्थान को 1080.16 लाख रुपये की कुल सहायता प्रदान की गयी, जो इस प्रकार है:

(रुपये लाखों में)

योजना	–	212.50
गैर-योजना	–	690.00
उदिशा परियोजना	–	50.00
स्व-शक्ति परियोजना	–	84.00
स्वयंसिद्धा परियोजना	–	43.66

(ङ) निपसिड प्रशिक्षण, शोध, प्रलेखन तथा तथा परामर्श सेवाओं के माध्यम से महिला विकास हेतु राष्ट्रीय नीति एवं कार्यक्रमों का पूरक है। संस्थान द्वारा किए गए प्रयास सामुदायिक चेतना के संवर्धन, बच्चों एवं माताओं के समेकित विकास के उद्देश्य से बनाए गए कार्यक्रमों में स्वैच्छिक कार्यों तथा लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देने पर केन्द्रित होते हैं। इसकी प्रशिक्षण गतिविधियों का उद्देश्य स्वैच्छिक संगठनों तथा महिलाओं एवं बच्चों हेतु कल्याण गतिविधियों, जैसे छोटे बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा, बाल अधिकार, मार्ग-दर्शन एवं परामर्श, महिला प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के प्रति हिंसा का निवारण, महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार का निवारण, किशोरियों का सर्वांगीण विकास तथा परिवार परामर्श आदि, से संबंधित सरकारी विभागों के कर्मियों की क्षमता का निर्माण करना है। वर्ष 2004-05 के दौरान, संस्थान ने 205 प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया।

विधि संस्थानों की स्थापना

4079. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में और विधि स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) विधि तथा न्याय मंत्रालय (विधि मामले विभाग) का प्रस्ताव है कि देश के पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रों में तीन राष्ट्रीय विधि केन्द्रों सहित एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जिसमें भावी आवश्यकताओं के अनुसार और अधिक ऐसे केन्द्रों की स्थापना के प्रयोजनार्थ सक्षम प्रावधान शामिल हों। चूंकि यह प्रस्ताव योजनागत खर्च का भाग होगा अत: विधि तथा न्याय मंत्रालय, योजना आयोग तथा संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करके एक योजनागत स्कीम तैयार कर रहा है।

[हिन्दी]

ई.डी.सी.आई.एल. द्वारा कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम का उन्नयन

4080. श्री सुरेश चन्देल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को देश के विभिन्न पोलीटेक्निकों में आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रमों को उच्च स्तरीय व्यवहारिक पाठ्यक्रम बनाने के लिए इनके सिलेबस का उन्नयन करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान द्वारा इस पर अब तक क्या कार्रवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में ई डी सी आई एल का क्या दृष्टिकोण है तथा ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को विभिन्न पोलीटेक्निकों में पढ़ाए जा रहे माडर्न आफिस मैनेजमेंट कोर्स के पाठ्यक्रम में सुधार कर उसे उच्च स्तरीय व्यावहारिक कोर्स बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड उक्त कार्य को तभी शुरु कर सकती है यदि उन्हें ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हो।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग

4081. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगरों तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की पहचान करने के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा बंगलौर तथा मुम्बई जैसे महत्वपूर्ण नगरों में जीवन स्तर, रहन-सहन तथा आवास की लागत को देखते हुए कोई संबंद्ध दिशानिर्देश नहीं बनाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इसके क्या कारण है;

(घ) इस संबंध में जन-प्रतिनिधियों तथा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में विशेष रूप से मुम्बई, महाराष्ट्र तथा बंगलौर, कर्नाटक में एक नया सर्वेक्षण करने का है; और

(च) यदि हां, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के लाभों का ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) मेट्रो शहरी सहित क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की पहचान योजना आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी राज्य विशिष्ट शहरी गरीबी रेखा के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरआई) के तहत गरीबी रेखा से नीचे की शहरी आबादी में से वास्तविक लाभार्थियों की पहचान स्कीम के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित कुछ आर्थिक एवं गैर-आर्थिक मानदंड के आधार पर घर-घर जाकर किये जाने वाले सर्वेक्षण के जरिए की जाती है।

(ख) से (घ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के दिशानिर्देश सभी शहरी क्षेत्रों पर लागू हैं तथा मेट्रो/महत्वपूर्ण शहरों के लिए कोई अलग दिशानिर्देश नहीं हैं। इस समय ऐसा कोई अभ्यावेदन शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गयी वर्ष 2001-02 के लिए अद्यतन राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा के आधार पर शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का नया सर्वेक्षण करने के लिए पहले ही राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों से अनुरोध कर चुका है।

(च) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक एक रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य लघु उद्यमों की स्थापना तथा उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करते हुए मजदूरी रोजगार के प्रावधान के जरिए भी शहरी बेरोजगार गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है।

राष्ट्रीय और राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद

4082. प्रो. एम. रामदास: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय और राज्य अध्यापक शिक्षा परिषदों के कार्यकरण के विरुद्ध काफी असंतोष और शिकायतें हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और शिकायतों का स्वरूप कैसा है;

(ग) इन परिषदों के विरुद्ध देश के विभिन्न न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय और राज्य अध्यापक शिक्षा परिषदों का पुनरुद्धार करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे पुनरुद्धार का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियों द्वारा संस्थाओं को मान्यता न दिए जाने के संबंध में शिकायतें/याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यकरण और इसके कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिक्षक शिक्षा की कोई राज्य परिषदें नहीं हैं।

(ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और इसकी क्षेत्रीय समितियों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में 660 मामले लम्बित हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

तरणताल

4083. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संरकार ने तरणतालों और कुछ अन्य सुविधाओं के लिए केन्द्रीय विद्यालय की भूमि पट्टे पर देने की जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जांच के निष्कर्ष के आधार पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्माण, संचालन एवं अंतरण आधार पर तरणताल बनाने हेतु प्राईवेट एजेंसियों को भूमि पट्टे पर देने के मामले की जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के निष्कर्ष अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

सांसदों के सरकारी आवास पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती

4084. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सांसदों के सरकारी आवासों पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती संबंधी क्षेत्रीय सुरक्षा योजना को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रद्द की गई क्षेत्रीय सुरक्षा योजना के एवज में कोई वैकल्पिक योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) जी नहीं, श्रीमान। "क्षेत्रीय सुरक्षा योजना" के तहत दिल्ली में माननीय सांसदों के सरकारी आवासों पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा रही है जिसमें पैदल गश्त, मोटर साइकिल पर गश्त और सेमी-स्टेटिक जिप्सियां इत्यादि शामिल है। इस संबंध में, केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए खतरे के आकलन के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा भी प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय

4085. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 26.7.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 272 के भाग (ङ) में दिए गए उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरांचल विशेषत: पौड़ी गढ़वाल में नवोदय विद्यालय को किस तिथि को स्वीकृति दी गयी है और किस स्थान पर खोलने की संभावना है;

(ख) नए भवन का निर्माण कार्य कब तक शुरु होगा और इस उद्देश्य हेतु वर्ष 2005-06 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ग) अंतरिम व्यवस्था में कब से अध्यापन शुरु हुआ है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी योजनाओं में कब तक कक्षाएं शुरु होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) ग्राम-खैनासंद, तहसील-सतपुली, पौड़ी गढ़वाल में नवोदय विद्यालय खोलने के प्रयोजनार्थ 8 अप्रैल, 2005 को अनुमोदन दिया गया है।

(ख) उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के पक्ष में भूमि के अंतरण की तिथि से छः महीने के पश्चात नए भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। उत्तरांचल सरकार द्वारा भूमि अंतरण के पश्चात ही अपेक्षित निधियां प्रदान की जाएंगी।

(ग) और (घ) ग्राम-खैनासंद, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरांचल में नव स्थापित जवाहर नवोदय विद्यालय हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 31 जुलाई, 2005 को एक विशेष जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है। इस चयन परीक्षा के परिणाम केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जयहरिखल, लैंडसडाऊन में उपलब्ध कराए गए अस्थायी परिसर में कक्षा 6 हेतु चयन किए जाने वाले बच्चों के दाखिले तथा शैक्षिक सत्र अक्टूबर, 2005 के दूसरे सप्ताह में प्रारंभ होने की संभावना है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर आर्थिक सम्बन्ध

4086. डा. रामचन्द्र डोम:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:
श्री लक्ष्मण सेठ:

क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वी पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध शुरु करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को आधार राज्य घोषित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक 60 किलोमीटर पर्वतीय पेलेट-मोरेह मार्ग पर अवसंरचना निर्माण व सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया): (क) जी, नहीं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की, आसपास के क्षेत्र से समीपता और समानता के कारण पूर्वी पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए क्षेत्र में बेहतर संचार व्यवस्था, सार्वजनिक-निजी साझेदारी में उद्योग लगाने और सीमा व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए अवसंरचना के सृजन हेतु कदम उठाए गए हैं।

(ख) 16.37 करोड़ रुपये की राशि से पेलेट-मोरेह सड़क को एकल/मध्यवर्ती लेन से 2-लेन करके चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है, जो कि मोरेह में समाप्त होने वाले एन एच-39 की पूरी लंबाई तक 2-लेन की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग द्वारा 60.331 लाख रुपये का एक अन्य सड़क सुधार कार्य संस्वीकृत किया गया है।

दुकानों, स्टालों और पार्किंग स्थल इत्यादि के आबंटन में अ.जा./अ.ज.जा. हेतु आरक्षण

4087. श्री लालमणि प्रसाद: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर एस. सी./एस. टी. एंड फिजिकली हैंडिकैप्ड पीपुल्स अपलिफ्टमैंट से दिल्ली में दुकानों, स्टालों और पार्किंग स्थलों के आबंटन में आरक्षण नहीं दिए जाने पर कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली नगर निगम, दुकानों, स्टालों और पार्किंग स्थलों इत्यादि के आबंटन में अ.जा./अ.ज.जा. और विकलांगों को आरक्ष्ण देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष डी. डी. ए., एन. डी. एम. सी. और एम. सी. डी. द्वारा इन श्रेणियों के व्यक्तियों को कितनी दुकानों, स्टालों और पार्किंग स्थलों का आबंटन किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि उसे 2003 में आल इंडिया एसोसिएशन फॉर एस.सी./एस.टी. एंड फिजिकली हैंडिकैप्ड पीपुल्स अपलिफ्टमैंट से एक पत्र प्राप्त हुआ था और उसका उत्तर दे दिया गया था। दिल्ली नगर निगम को एसोसिएशन से कुछ अभ्यावदेन प्राप्त हुऐ थे। एसोसिएशन के अनुरोध पर विचार किया गया था और क्योंकि टेंडरों के आधार पर अधिकतम बोली लगाने वालों को दुकानों, स्टालों, किओस्कों और पार्किंग स्थलों का आवंटन किया जाता है। इसलिए इसे स्वीकार करना संभव नहीं हुआ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दुकानों के आवंटन में आरक्षण प्रदान करते हैं। दुकानों, स्टालों, किओस्कों और पार्किंग स्थलों के आवंटन में दिल्ली नगर निगम द्वारा आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताए गए कारणों से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा भी पार्किंग स्थलों के आवंटन में आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण

	2002-2003	2003-2004	2004-2005
अनुसूचित जाति	71	99	87
अनुसूचित जनजाति	31	30	20
शारीरिक रूप से विकलांग	19	18	04

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

	2002-2003	2003-2004	2004-2005
अनुसूचित जनजाति	1	–	–
शारीरिक रूप से विकलांग	–	1	–

पब्लिक स्कूलों की तुलना में सी.बी.एस.ई. के परिणाम

4088. श्री रेवती रमन सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और अन्य महानगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में और दूसरी तरफ सी बी एस ई और दसवीं कक्षा के स्तर पर अलग-अलग पब्लिक स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों के समग्र कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी स्कूलों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2005 में X और XII की आयोजित बोर्ड की परीक्षाओं में दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में स्थित निजी तथा स्वतंत्र विद्यालयों की तुलना में केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित विद्यालयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता अधिक है। दिल्ली राज्य और कुछ अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकारी विद्यालयों में वर्ष 2005 में कक्षा X तथा XII की बोर्ड परीक्षाओं में निजी तथा स्वतंत्र विद्यालयों की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता कम है। वर्ष 2004 तथा 2005 में केन्द्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों, सरकारी तथा निजी स्वतंत्र विद्यालयों में आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की तुलनात्मक प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

यद्यपि, केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों का प्रदर्शन सरकारी तथा निजी स्वतंत्र विद्यालयों की तुलना में पहले से ही बेहतर है, प्रयास यही है कि प्रदर्शन के इस स्तर को बनाए रखा जाए। राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय केन्द्र सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं।

विवरण

उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की तुलनात्मक प्रतिशतता

विद्यालय की श्रेणी	कक्षा X		कक्षा XII	
	वर्ष		वर्ष	
	2004	2005	2004	2005
केन्द्रीय विद्यालय संगठन	90.35	89.62	92.62	92.47
जवाहर नवोदय विद्यालय	91.43	90.82	87.68	87.08
राजकीय विद्यालय	45.54	44.55	73.15	73.31
सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय	59.27	58.27	77.15	75.25
निजी स्वतंत्र विद्यालय	84.83	85.87	80.46	81.28
समग्र	72.22	74.60	76.00	77.80

केवल दिल्ली में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की तुलनात्मक प्रतिशतता

विद्यालय की श्रेणी	कक्षा X		कक्षा XII	
	वर्ष		वर्ष	
	2004	2005	2004	2005
केन्द्रीय विद्यालय संगठन	93.13	90.82	97.49	96.39
जवाहर नवोदय विद्यालय	92.31	93.92	94.59	90.54
राजकीय विद्यालय	50.77	48.03	77.82	76.44
सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय	59.27	58.27	77.15	75.25
निजी स्वतंत्र विद्यालय	87.10	86.36	89.59	89.46

एन.एस.टी.एफ.डी.सी. में नियुक्ति

4089. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.एस.टी.एफ.डी.सी. में विभिन्न पदों हेतु नियुक्ति में अनिवार्य रिक्त अधिसूचना अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

के.लो.नि.वि. द्वारा गोवा में किए गए कार्य

4090. श्री अलीमाऊ चर्चील: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा गोवा में क्या कार्य किए गए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा गोवा और अन्य राज्यों में किए गए तुलनात्मक कार्य क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान के.लो.नि.वि. द्वारा गोवा में शुरु किए गए कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	कार्य का नाम	राशि (लाख रुपये में)
2002-03	25	416.69
2003-04	12	115.91
2004-05	24	300.40

वर्तमान वर्ष के दौरान 420.76 लाख रु. के 29 कार्य चल रहे हैं और 595.16 लाख रु. के 11 कार्य मंजूर किए गए हैं लेकिन अभी शुरु नहीं किए गए हैं।

(ख) के.लो.नि.वि. विभिन्न स्थानों में विभिन्न कार्यार्थी विभागों से निर्माण कार्य कराए जाने संबंधी अनुरोध प्राप्त होने पर उनके लिए निर्माण कार्य करता है। इसलिए अन्य राज्यों से इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन

4091. श्री सीताराम सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए प्रमुख श्रम मुद्दों का ब्यौरा क्या है और उस चर्चा के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस चर्चा के परिणामस्वरूप श्रम क्षेत्र के किस सीमा तक प्रभावित होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का हाल में ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ है जिसमें श्रम मुद्दों पर चर्चा की गई हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्राइवेट विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर

4092. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में उच्च शिक्षा के लिए प्राइवेट शैक्षिक संस्थाओं के तीव्र विस्तार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं में उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने विविध क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ प्राइवेट विश्वविद्यालयों को विशेषकर एमिटी विश्वविद्यालय को हाल ही में मान्यता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्राइवेट विश्वविद्यालयों द्वारा प्रोत्साहित किए जा रहे शिक्षा के उत्कृष्ट स्तर को ध्यान में रखकर प्राइवेट विश्वविद्यालयों विशेषकर एमिटी विश्वविद्यालय को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। उच्चतर शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए 27.12.2003 को 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और अनुरक्षण) विनियम 2003' जारी किए गए थे जो इस समय लागू हैं। ये विनियम राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा शामिल प्रत्येक विश्वविद्यालय, जिसका निधियन लोक निधि अथवा अन्य स्रोतों से होता हो, पर लागू होते हैं। ये विनियम डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र प्रदान करने वाले उन सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होते हैं जो उस अधिसूचना के जारी होने के समय चल रहे थे, तथा उसके बाद स्थापित होने वाले विश्वविद्यालयों पर भी लागू होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यह जानने के लिए, कि विनियमों में निर्धारित मानकों का अनुपालन हो रहा है या नहीं, जांच समितियों को भेजकर विश्वविद्यालयों का 'ऑन-द-स्पॉट' निरीक्षण भी करता है।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार 'एमिटी विश्वविद्यालय' की स्थापना उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा 'राज्य विधान अधिनियम [एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (2005 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11)] के माध्यम से की गई थी और इसे उत्तर प्रदेश सरकार की दिनांक 24.3.2005 की अधिनियम संख्या 403/VII-V-I-1 (के ए)/I/2005 के द्वारा अधिसूचित किया गया था'।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक निम्नलिखित 8 निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) के तहत शामिल किया है;

गुजरात

1. धीरुभाई अंबानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर

2. निरमा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सरखेज, अहमदाबाद

हिमाचल प्रदेश

3. जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिला सोलन

उत्तर प्रदेश

4. जगदगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट धाम

5. 'इंटेग्रल' विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तरांचल

6. देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार

7. पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, देहरादून

8. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया, देहरादून।

जनजातीय और अल्संख्यक भाषाओं का विकास

4093. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि जनजातीय और अल्पसंख्यक भाषाओं के विकास के लिए और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और इन भाषाओं के क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त टिप्पणियों के आलोक में सरकार द्वारा जनजातीय और अल्पसंख्यक भाषाओं का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी, हां।

(ख) भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने पाया है कि बहुत से राज्य अल्प भाषाओं पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, जितना उन्हें देना चाहिए। इसके ब्यौरे विभिन्न राज्यों से संबंधित अध्यायों में शामिल हैं, जिसमें राज्यों को भी उपचारात्मक उपाय करने की सलाह दी गई है।

चूंकि यह मामला राज्यों से संबंधित है, अत: जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पहले ही राज्य सरकारों तथा जनजातीय अनुसंधान केन्द्रों से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो इस मामले में नोडल मंत्रालय है, से भी इस मामले में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

प्राइवेट शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता

4094. श्री वेंकटेश ए. नायक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राइवेट शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने के लिए यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या एमिटी इंस्टीट्यूट ने दोनों उपर्युक्त संगठनों के निर्धारित मानदंडों को पूरा किया है;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा मान्यता दिए गए/मान्यता रद्द किए गए संस्थानों का ब्यौरा क्या है और उनकी मान्यता रद्द करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों की अन्य राज्यों में मान्यता रद्द कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों के राज्यवार नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश में प्राइवेट संस्थाएं चलाने के लिए क्रियान्वयन हेतु एकल नीति बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद अधिनियम द्वारा तथा राज्य विश्वविद्यालय संबंधित राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। विश्वविद्यालयों का शामिल किया जाना, उनका विनियमन किया जाना तथा उनका बंद किया जाना राज्य विधान मंडलों का क्षेत्राधिकार है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तकनीकी संस्थाओं की मॉनीटरिंग करने/उन्हें अनुमोदित करने के लिए कतिपय मानदंडों और स्तरों का निर्धारण किया है जिनके अंतर्गत परिषद के पूर्व

अनुमोदन के बिना सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त अथवा निजी (स्व-वित्तपोषी) किसी नई तकनीकी संस्था को शुरु नहीं किया जाएगा और तकनीकी शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम शुरु नहीं किया जाएगा और दाखिले की संख्या में कोई वृद्धि/परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल अधिनियम (एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (2005 की उ.प्र. अधिनियम सं. 11) के जरिए एमिटी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है और दिनांक 24.3.2005 की उ.प्र. सरकार अधिसूचना सं. 403/VII-V-1-1 (के ए.) 1/2005 के जरिए उसे अधिसूचित किया गया है।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने निम्नलिखित संस्थाओं को अनुमोदित किया है:

(1) एमिटी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी स्कूल, बिजवासन, दिल्ली

(2) एमिटी बिजनेस स्कूल, गुड़गांव, हरियाणा

(3) एमिटी बिजनेस स्कूल, नोएडा

(4) एमिटी कंप्यूटर विज्ञान स्कूल, नोएडा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2 (च) के अंतर्गत अभी तक 8 निजी विश्वविद्यालयों को शामिल किया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उनके द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थाओं की वर्ष-वार संख्या निम्न प्रकार है:

2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
838	1057	1208	1265	1355

मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली संस्थाओं को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा कमियों को दूर किए जाने तक कम दाखिला अथवा कोई दाखिल नही वाले संवर्ग के अंतर्गत रखा जाना है।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी तक किसी निजी विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द नही की है।

(च) दिनांक 27 दिसम्बर, 2003 को जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनमें स्तरों का अनुरक्षण) विनियम, 2003 राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अथवा शामिल प्रत्येक विश्वविद्यालय, चाहे वह सार्वजनिक निधियों से वित्तपोषित है अथवा अन्य स्त्रोतों से वित्तपोषित, पर लागू हो।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद संपूर्ण देश में तकनीकी संस्थाओं के मूल्यांकन के दौरान एकरूप नीति का अनुपालन करती है।

सीवेज नियंत्रण तथा सफाई

4095. श्रीमती अर्चना नायक:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने शहरी क्षेत्रों में सीवेज नियंत्रण तथा सफाई में काफी सुधार की आवश्यकता के संबंध में परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या एनएसी की राय यह है कि सफाई और पेयजल आपूर्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा केवल धनराशि के उपबंध ही पर्याप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नानावटी आयोग की रिपोर्ट

4096. श्री रामदास आठवले:
श्रीमती मेनका गांधी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1984 के दंगों के बड़ी संख्या में पीड़ितों का अब तक आर्थिक पुनर्वास नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) दिल्ली और अन्य राज्यों में 1984 के दंगों के पता लगाए गए अधिकांश पीड़ितों को, दंगों में मारे गए लोगों के उत्तरजीवियों; घायल हुऐ व्यक्तियों को राहत; रिहायशी या वाणिज्यिक संपत्तियों, व्यवसाय या औद्योगिक प्रतिष्ठानों को हुए नुकसान के लिए सहायता; पेंशन; विधवाओं को रोजगार; विवाह आदि के लिए सहायता के रूप में पहले ही सहायता दी जा चुकी है। तथापि, सरकार ने हाल में दो समितियां गठित की हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ उन लोगों, जो इन दंगों में मारे गए थे, के परिवार के उत्तरजीवी सदस्यों को दिए गए मुआवजे की पर्याप्तता और एकरूपता तथा दंगे से पीड़ित लोगों को दिए गए रोजगार जैसे राहत/पुनर्वास और अन्य सहायता की पर्याप्तता की जांच करेंगी और ऐसे उपाय सुझाएंगी जो पीड़ितों को और सहायता देने के लिए किए जाने चाहिए।

[अनुवाद]

भूरिया आयोग

4097. डा. बाबू राव मिडियम: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी भूरिया आयोग की रिपोर्ट संसद में रख दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किंडिया): (क) और (ख) भूरिया आयोग की रिपोर्ट अभी सदन के पटल पर नहीं रखी गई है।

मंत्रालय ने सभी सम्बद्ध विभागों/मंत्रालयों तथा राज्यों को भूरिया आयोग की रिपोर्ट की संस्तुतियां अनुवर्ती कार्रवाई हेतु भेज दी है। सभी संबंधियों से उत्तर आने के उपरांत की गई कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की जाएगी तथा इसे भूरिया आयोग की रिपोर्ट के साथ सदन के पटल पर रखा जाएगा।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पूछताछ कार्यालयों में शिकायतें

4098. श्री निहाल चन्द:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नई दिल्ली स्थित विभिन्न पूछताछ कार्यालयों में दर्ज शिकायतों को प्रभावी रूप से तथा समय पर नहीं निपटाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रत्येक पूछताछ कार्यालय पिछले एक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तारीख तक विशेषकर आर.के. पुरम तथा लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली में दर्ज शिकायतों की संख्या कितनी है तथा उनकी प्रकृति क्या है तथा इनमें से कितनी शिकायतों का अब तक निपटारा किया जा चुका है;

(ग) इनमें कितनी शिकायतों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा इसके क्या कारण है; और

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न पूछताछ कार्यालयों में पंजीकृत शिकायतों का तत्परता और प्रभावी रूप से निपटान किया जाता है। कुछ मामलों में, जहां शिकायतों के स्वरूप में ठेकेदारों/विशेषज्ञ एजेन्सियों के माध्यम से कार्य-निष्पादन किया जाना शामिल है, अतिरिक्त समय लगता है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. के पूछताछ कार्यालयों द्वारा धनराशि का उपयोग

4099. श्री कीर्ति वर्धन सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में सी.पी.डब्ल्यू.डी. के विभिन्न पूछताछ कार्यालयों के कनिष्ठ अभियंताओं और सहायक अभियंताओं को कोई पेशगी (इम्प्रेस्ट) वित्तीय प्रयोग में लाने (फाइनेंनसियल एक्सरसाइज) हेतु प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. के पूछताछ कार्यालयों विशेषकर लोदी कॉलोनी स्थित कार्यालय के कनिष्ठ अभियंताओं और सहायक अभियंताओं को प्रदान की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास संबंधित सहायक अभियंताओं/कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा उक्त धनराशि के उपयोग के संबंध में प्रस्तुत बाउचरों की जांच करने/सत्यापन करने का कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या उक्त अवधि के दौरान कोई धोखाधड़ी पायी गयी है; और

(छ) यदि हां, तो दोषी सहायक अभियंताओं/कनिष्ठ अभियंताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सहायक इंजीनियर को छोटी-मोटी खरी करने अथवा अन्य आकस्मिक व्यय की पूर्ति करने के लिए पेशगी के रूप में स्थायी अग्रिम दिया जा सकता है। पेशगी राशि अलग-अलग यूनिट की आवश्यकता के आधार पर यथासंभव कम से कम रखी जाती है और यह किसी भी स्थिति में 5000/- से अधिक नहीं होती। यह पेशगी राशि समय-समय पर अधिकारियों से वसूली जा सकती है।

(ग) और (घ) इन व्ययों के सत्यापन के लिए विस्तृत कार्यविधि मौजूद हैं। सभी छोटी-मोटी खरीद का रजिस्टरों/अभिलेखों में हिसाब रखा जाता है, तथा पेशगी राशि वापिस लेने अथवा इसके अन्तिम निपटान से पूर्व मंडल कार्यालय द्वारा इन रजिस्टरों और रिकार्डों की जांच की जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पेशगी राशि के दुरुपयोग अथवा हेराफेरी की कोई शिकायत नहीं आई है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिन्दी आशुलिपि के संबंध में अखिल भारतीय सम्मेलन

4100. श्री सुरेश चन्देल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दी आशुलिपि के बारे में पहली बार अखिल भारतीय बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) इसके आयोजन की प्रेरणास्रोत एजेंसियां/संस्थाएं कौन-कौन सी हैं;

(ग) हिन्दी आशुलिपि के बारे में अब तक ऐसी कितनी अखिल भारतीय बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार हिन्दी आशुलिपि के विकास को बढ़ावा देने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु क्या प्रोत्साहन दिए गए/दिए जा रहे हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा न तो हिन्दी आशुलिपि के संबंध में किसी अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है ओर न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। राजभाषा विभाग ने सूचित किया है कि वह केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केवल हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

(घ) से (च) केन्द्र सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उक्त विभाग के नियमों के अंतर्गत संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

शिक्षकों की भर्ती

4101. श्री मनोरंजन भक्त: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को अंडमान एवं निकोबार से विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों को भरने तथा शिक्षकों की भर्ती के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के 195 पदों के सृजन के लिए अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) इस प्रस्ताव पर विभिन्न शामिल एजेन्सियों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

यातायात पुलिस द्वारा कैमरों की स्थापना

4102. श्री बची सिंह रावत 'बचदा': क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली की लालबत्तियों के निकट यातायात पुलिस द्वारा कितने कैमरे स्थापित किये गए हैं और उन पर कितना खर्च हुआ है;

(ख) 31 दिसम्बर, 2005 तक ट्रैफिक लालबत्तियों के निकट कुल कितने कैमरे स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) ट्रैफिक लाइटों के निकट स्थापित कैमरों के माध्यम से कितने व्यक्तियों का चालान किया गया है और 31 मार्च, 2005 तक कितनी धनराशि एकत्र की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) दिल्ली यातायात पुलिस ने तेज गति से वाहन चलाने और वाहनों को लाल बत्ती पार करने से रोकने के लिए कुल 3.23 करोड़ रुपए के खर्च पर यातायात की बत्तियों के निकट सात कैमरे लगाए हैं।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान लगाए जाने के लिए प्रस्तावित कैमरों की संख्या दो है।

(ग) 2004 और 2005 (31.7.2005 तक) के दौरान 27914 व्यक्तियों का चालान किया गया और 63.25 लाख रुपए एकत्र किए गए।

[अनुवाद]

नर्सरी कक्षा में प्रवेश

4103. डा. राजेश मिश्रा:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री जे. एम. आरुन रशीद:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महानगरों के नर्सरी विद्यालयों में प्रवेश समाज के अभिजात्य वर्ग को दिया रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और नर्सरी कक्षा में प्रत्येक बच्चे का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) वर्ष 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह विहित किया गया है कि प्रारंभिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और जहां भी संभव हो, इसे समेकित बाल विकास सेवा योजना के साथ उपयुक्त रूप में एकीकृत किया जाएगा। समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रो में पंजीकृत बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या

4104. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने वित्तपोषण एजेंसियों से अंतर्राष्ट्रीय ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का कम आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय को राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या का कम आकलन किये जाने के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या का आकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराये गये सर्वेक्षणों के आधार पर योजना आयोग द्वारा किया जाता है तथा इस आकलित आकंड़े का उपयोग इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक शहरी गरीबी उपशमन स्कीम के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय धनराशि का नियतन करने के लिए किया जाता है।

नक्सलवादी नेता

4105. श्री बाला साहिब विखे पाटील: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तीन आई. पी. एस. अधिकारी राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने के उद्देश्य से तीन वरिष्ठ नक्सलवादी नेताओं की मुठभेड़ के बारे में गलत तथ्य पेश करने के दोषी पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) यह सच नहीं है कि तीन आई.पी.एस. अधिकारियों को राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने के उद्देश्य से नक्सलवादी नेताओं की मुठभेड़ के बारे में गलत तथ्य पेश करने का दोषी पाया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते है।

आई.आई.ए.एस., शिमला

4106. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.आई.ए.एस. शिमला अखिल भारतीय वेद रक्षा समिति द्वारा वर्ष 2004 में आयोजित अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन नामक संगोष्ठी के प्रायोजकों में से एक प्रयोजक था;

(ख) यदि हां, तो संगोष्ठी के लिए धनराशि किस प्रकार से एकत्रित की गई थी तथा आई.आई.ए.एस. तथा अन्य संगठनों जैसे आई.सी.एच.आर., आई.सी.पी.आर. तथा आई.सी.एस.एस.आर. का हिस्सा कितना था;

(ग) 'दक्षिणा' यह श्रद्धा उपहार या तोहफा प्राप्त करने वाले धार्मिक नेताओं के नाम क्या हैं;

(घ) क्या आई.आई.ए.एस. द्वारा गैर अकादमिक धार्मिक संगोष्ठियों के लिए इस प्रकार धनराशि दिया जाना जरूरी होता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा धनराशि के आवंटन में गिरावट का रूझान

4107. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुसंधान तथा संस्थानिक विकास के लिए धनराशि में आवंटन शनै: शनै: गिरावट आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में समिति से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार अनुसंधान और सांस्थानिक विकास के लिए निधियों का आबंटन प्रस्ताव की गुणवत्ता/गुण-दोष और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होता है जो वर्ष-दर-वर्ष भिन्न होता है। तदनुसार जबकि वर्ष 2003-04 में 33.85 करोड़ रुपए और 2004-05 में 16.33 करोड़ रुपए दिए गए थे, वर्तमान वर्ष 2005-06 के दौरान आबंटन 39.25 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) प्रो. यू.आर. राव की अध्यक्षता में गठित समिति ने कुछ सिफारिशों की थी जिनमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनुसंधान और संस्थानिक विकास स्कीमों को भी शामिल किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद उपलब्ध बजट से समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कर रही है।

अनुसूचित जनजाति सूची में जाति शामिल करना

4108. श्री गणेश सिंह:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और असम सहित विभिन्न राज्यों से अनुसूचित जनजाति सूची में विभिन्न जातियों और समुदायों को शामिल करने से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) अनुसूचित जनजाति सूची में समुदाय विशेष अथवा जाति को शामिल करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित हैं और क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी, हां। इंगित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या निम्नानुसार है:

(1)	मध्य प्रदेश	–	15
(2)	राजस्थान	–	18
(3)	उत्तर प्रदेश	–	10
(4)	असम	–	113

(ग) प्रस्तावों पर अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की गई है।

(घ) अनुसूचित जनजातियों के रूप में समुदायों के विनिर्दिष्टिकरण के लिए अपनाए गए मानदंड हैं:

(1) आदिकालीन विशेषताएं;

(2) एक विशिष्ट संस्कृति;

(3) भौगोलिक अलगांव

(4) अन्य समुदायों से संपर्क स्थापित करने में संकोच; और

(5) पिछड़ापन।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने, हटाने और अन्य आशोधनों हेतु प्रस्तावों पर संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग (अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) की मंत्रण से जून, 1999 में अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

जनजातीय बच्चों के लिए हाईटैक लर्निंग

4109. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों के लिए हाई-टैक लर्निंग योजना लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातीय लोगों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हाई-टेक पाठ्यक्रम, यथा चिकित्सा/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/प्रबंधन/कमर्शियल पायलट, लाइसेंस, सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./एम.फिल/पी.एच.डी. इत्यादि में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कवर होते हैं।

[हिन्दी]

शिविरों में शरणार्थी

4110. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हजारों लोगों ने अपना घर होने के बावजूद सुरक्षा कारणों से जम्मू के शरणार्थी शिविरों में शरण ले रखा है;

(ख) यदि हां, तो शरणार्थी शिविरों में कितने लोग रह रहे हैं और ये कब से यहां हैं; और

(ग) इन लोगों को उनके घरों में सुरक्षा के साथ फिर से बसाने हेतु क्या योजना तैयार की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1990 से और इसके बाद, सरकार द्वारा संचालित शिविरों में 5778 परिवार (21155 व्यक्ति) रह रहे हैं।

(ग) उनके पुनर्वास के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने एक कार्य योजना तैयार की जिसमें कुल 2589.73 करोड़ रुपए का व्यय अंतर्ग्रस्त है जिसे केन्द्र सरकार ने मई, 2001 में अनुमोदित कर दिया था। श्रीनगर और बडगांव जिलों में 15 क्लस्टर वाले 166 मकानों का पता लगाया गया है जिन्हें उनके मालिकों की वापसी के लिए सुरक्षित समझा जाता है। इन क्लस्टरों की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी और परिवारों का पता लगाने तथा अपने घरों में वापसी के बारे में उनकी इच्छा जानने के लिए कदम उठाए गए थे। भारत सरकार ने प्रवासी परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रायोगिक आधार पर बडगांव में दो-शयन कक्ष वाले 200 फ्लैटों के निर्माण के लिए 20.00 करोड़ रुपए और खीर भवानी तथा मट्टन में मकानों और धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण तथा मरम्मत करने के लिए राज्य सरकार को 10.00 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है।

नवम्बर, 2004 में जम्मू और कश्मीर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, कश्मीरी प्रवासियों का पुनर्वास करने के लिए एक योजना तैयार करने हेतु अंतर-मंत्रालयी टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने विभिन्न उपायों जैसे दो-कमरों वाले मकान, नौकरी के अवसरों का सृजन, शिविरों में प्रवासियों

के स्वास्थ्य की देखभाल और रहने की दशाओं में सुधार लाने संबंधी अन्य सुविधाओं की सिफारिश की है। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

बिहार में जिलाधिकारियों का स्थानांतरण

4111. श्री रामदास आठवले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने बिहार सरकार को उसकी पूर्वानुमति के बिना जिलाधिकारियों एवं चुनाव कार्य से संबंधित अन्य अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं करने के निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार सरकार निर्वाचन आयोग के निदेशों का अनुपालन कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। भारत के निर्वाचन आयोग ने, बिहार की विधान सभा के आगामी आम चुनावों की तैयारी को देखते हुए, निदेश दिए हैं कि चुनाव संबंधी कार्य में शामिल कोई भी जिला चुनाव अधिकारी (जिला कलेक्टर), अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/चुनाव के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी और सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, आयोग की सहमति के बिना स्थानांतरित नहीं किए जाएंगें।

(ग) और (घ) इन अनुदेशों का कोई उल्लंघन अभी तक सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

महात्मा गांधी हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में हिन्दी आशुलिपि को शामिल करना

4112. श्री सुरेश चन्देल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को इसके पाठ्यक्रम में हिन्दी आशुलिपि को शामिल करने से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) इस पर विश्वविद्यालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय (वर्धा) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यचर्या में हिन्दी आशुलिपि को शामिल करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस द्वारा वाहन चालकों का उत्पीड़न

4113. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस विभिन्न पुलिस चौकियों एवं दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पंजीकृत वाहनों के चालकों का उत्पीड़न करती है;

(ख) यदि हां, तो गत छह माह के दौरान ऐसे कितने मामले सामने आए;

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त घटनाओं की पुनरावर्ती को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) दिल्ली पुलिस ने अनाचार के दो मामले सूचित किए है जो सतर्कता शाखा द्वारा अचानक छापों के दौरान नोटिस किए गए थे। दो कांस्टेबलों को निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध नियमित विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। एक निरीक्षक को चेतावनी जारी की गई और एक सहायक उप-निरीक्षक की निन्दा की गई थी। ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाए गए कदमों में शामिल हैं; वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक जांच, लोक शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना; सतर्कता शाखा द्वारा निगरानी; पुलिस कर्मिकों द्वारा परेशान करने के विरुद्ध शिकायत करने के लिए आम जनता को दूरभाष सं. 23319922 और पोस्ट बाक्स संख्या 171 की सुविधा प्रदान करना; जिलों के पुलिस उपायुक्त द्वारा शिकायतों का एक रजिस्टर बनाना तथा आम जनता को ई-मेल के जरिए भ्रष्ट पुलिस कर्मिकों के विरुद्ध शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध करवाना।

जारवा जनजातियों हेतु निर्धारित धनराशि का दुरुपयोग

4114. श्री मनोरंजन भक्त: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में केन्द्र प्रायोजित जनजातीय विकास योजनाओं के अंतर्गत जारवा जनजातियों के लिए निर्धारित धनराशि के दुरुपयोग से संबंधित रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चूककर्ता एजेंसियों के विरुद्ध क्या कठोर कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया): (क) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में निधियों के दुरुपयोग का कोई मामला इस मंत्रालय के नोटिस में नही आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च शिक्षा

4115. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उच्च शिक्षा का मौजूदा ढांचा पुराना हो गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में उच्च शिक्षा खंडों में बंटी हुई है और इसका विस्तार लगभग 16,000 संस्थाओं में हैं जिन्हें सम्बद्ध महाविद्यालय कहा जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इनमें से बहुत से महाविद्यालय बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं;

(ङ) क्या देश में उच्च शिक्षा में दूरगामी ढांचागत पुनर्निमाण की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव किया हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली विश्व की वृहततम प्रणालियों में से एक है। इसके अंतर्गत आई आई टी, भारतीय विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे नामी-गिरामी संस्थान और उत्कृष्टता की संभावना वाले कई विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शामिल है। ये संस्थान उच्च गुणवत्तावाली जनशक्ति तैयार करते रहे हैं, जिनका विभिन्न क्षेत्रों के व्यापक सम्मान किया जाता है।

देश में उच्चतर शिक्षा 345 विश्वविद्यालयों, 16,000 से भी अधिक कॉलेजों, जिनकी दाखिला क्षमता 94 लाख छात्र है तथा जिनमें 4.70 लाख शिक्षक हैं, के माध्यम से दी जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कई स्कीमें शुरु की हैं, जिसका उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं, नवस्थापित संस्थाओं और साथ ही उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में सभी विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को नि:शुल्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्रयोजनार्थ यू.जी.सी. इन्फोनेट की स्थापना की गई है। इन सभी के बावजूद, उच्चतर शिक्षा हेतु और अधिक निधियां आबंटित करने की आवश्यकता है ताकि इसे कुल शिक्षा बजट का 25% की सीमा तक लाया जा सके, जैसाकि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 'उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा का वित्तपोषण' विषय पर सिफारिश की है।

जनजातियों पर अत्याचार

4116. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 2005 के 'द एशियन एज' में ''एन.एच.आर.सी. स्टेट प्रोब इंटू पुलिस वायलैन्स ऑन ट्राइबल्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश के अन्य भागों में जनजातियों पर पुलिस के अत्याचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) कालिंगानगर, उड़ीसा में स्टील संयंत्र के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के लिए देय राशियों का भुगतान न करने के विरुद्ध आदिवासियों के विरोध करने पर कथित पुलिस हिंसा से संबंधित समाचार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने स्वत: संज्ञान में लिया है।

(ख) और (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार सहित अपराधों का पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच-पड़ताल करने, मुकदमा चलाने तथा उनकी रोकथाम करने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और समाज के अन्य सुभेद्य वर्गों के विरुद्ध अपराध निवारण सहित अपराधों को नियंत्रित करने और रोकने की दृष्टि से दांडिक न्याय प्रणाली प्रशासन में सुधार लाने पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने हेतु गृह मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकारों को सलाह जारी करता रहा है तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपबंधों को कड़ाई से लागू करने पर भी जोर दिया जाता है।

डी.एफ.आई.डी. सहायता की अनुदान के रूप में घोषणा

4117. श्री अथलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री गणेश सिंह:

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से यूनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा डिपार्टमेन्ट फॉर इंटरनेशनल डवलपमेंट की ओर से इन राज्यों के लिए सहायता को अनुदान के रूप में घोषित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति क्या है;

(घ) क्या इनमें से कुछ प्रस्ताव स्वीकृत किये जा चुके हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) आर्थिक कार्य विभाग ने यह सूचित किया है कि मार्च, 1999 से डिपार्टमेंट फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी) से अनुदान सहायता को, गरीबी उपशमन/सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, प्राप्तकर्ता राज्यों को अनुदान के रूप में दे दिया जाता है। महाराष्ट्र में कोई भी चालू परियोजना अथवा कोई भी प्रस्ताव डीएफआईडी सहायता हेतु विचाराधीन नहीं है चूंकि डीएफआईडी सहायता हेतु प्राथमिकता राज्यों में महाराष्ट्र राज्य नहीं है।

जनजातियों के कल्याण हेतु कार्य योजना

4118. श्री बापू हरी चौरे: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु कोई कार्य योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसी सहायता प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु अनेक केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। ये योजनाएं/कार्यक्रम देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों सहित सभी जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए हैं। जनजातीय लोगों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की सूची संलग्न विवरण के रूप में दी गई है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय की योजनाओं के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्तावों की प्राप्ति एवं स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है। इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अधीन राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर कार्यवाही की जाती है और संगत योजनाओं की पात्रता की शर्तें पूरी करने, निधियों की उपलब्धता तथा पूर्व निर्मुक्त निधियों की उपयोगिता पर ही उन्हें स्वीकृति दी जाती है।

विवरण

जनजातीय लोगों के विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना/कार्यक्रम

1. अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान।
2. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र।
3. कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर।
4. लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास निगमों को सहायता-अनुदान।

5. आदिम जनजातीय समूहों का विकास।

6. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को समर्थन।

7. अनुसूचित जनजातीय छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना।

8. अनुसूचित जनजातीय लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास योजना।

9. जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल

10. अनुसंधान, सूचना एवं मास शिक्षा, जनजातीय त्योहार एवं अन्य।

11. जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए टू टीएसपी)।

12. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत सहायता-अनुदान।

दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का निर्यात

4119. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) उक्त योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) निर्यात बाह्य कारकों सहित अनेक कारकों पर निर्भर होने के कारण इस प्रकार के कोई लक्ष्य नियत नहीं किए जाते हैं अथवा नहीं किए जा सकते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्धनों को शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रम हेतु वित्तपोषण

4120. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1999 में आंध्र प्रदेश में निर्धनों को शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रम के वित्तपोषण हेतु यू.के. सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के लिए अभी तक कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) इस कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है और राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ङ) क्या कार्य पूरी तरह समाप्त हो चुका है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

'हाउसिंग कम वर्किंग' स्कीम

4121. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 'हाउसिंग कम वर्किंग' स्कीम के अंतर्गत बुनकरों को प्रदान की जा रही सहायता राशि (इकाई लागत) में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वृद्धि के कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सरकार ''हाउसिंग कम वर्किंग'' स्कीम के नाम से कोई योजना कार्यान्वित नहीं कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान

4122. श्री रायापति सांबशिवा राव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने तथा विद्यार्थी का सारा खर्च वहन करने के संबंध में सरकार को निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधानमंत्री ने उक्त लाभ सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को भी दिए जाने के संबंध में सरकार को निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान तथा पका मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पहले से ही कार्यान्वित कर रही है, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ प्रारंभिक शिक्षा की लागत की क्षतिपूर्ति करने वाले कतिपय घटक शामिल है। इसके अतिरिक्त एक रिपोर्ट के साथ नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जुलाई 2005 में इस पर विचार किया है, जिसमें ''निशुल्क शिक्षा'' की परिभाषा शामिल है।

[हिन्दी]

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग

4123. श्री बापू हरी चौरे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की पूरी प्रणाली की कायापलट करने तथा विद्यमान खामियों को दूर करके वर्तमान प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत चीन व्यापार

4124. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीन के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए छह सूत्रीय योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें किन-किन वस्तुओं को शामिल किये जाने की संभावना है तथा निर्यातकों को क्या सुविधाएं मुहैया कराये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा के प्रयोजनार्थ विदेशी सहायता

4125. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई संगठन देश भर में कुछ विदेशी संगठनों की वित्तीय सहायता के विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका की वित्तीय सहायता से ''एक अध्यापक विद्यालय (वन टीचर स्कूल्स)'' चला रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान के नवाचारी एवं प्रायोगिक घटक के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड तथा असम राज्य में 'एकल शिक्षक विद्यालय' नामक परियोजना के लिए फ्रैंड्स ऑफ ट्राइबल सोसायटी, कोलकाता नामक एक स्वैच्छिक संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान की, जो झारखंडस के लिए वर्ष 1999-2000 से 2003-2004 की अवधि तथा असम के लिए वर्ष 2003-2004 के लिए क्रमश: 1,35,07,387 रु. तथा 19,07,950 रु. थी। इस सहायता को फिलहाल बंद कर दिया गया है क्योंकि एक जांच समिति ने यह पाया कि अनुदान राशि को योजना के मानदंडों के अनुसार प्रयुक्त नही किया जा रहा था।

फ्रैंड्स ऑफ ट्राइबल सोसायटी के 31.3.2001, 31.3.2002 तथा 31.3.2003 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए परीक्षित लेखे दर्शाते हैं कि एकल शिक्षक विद्यालयों के लिए क्रमश: 6,35,019 रु., 4,12,275 रु. तथा 91,58,911 रु. की विदेशी दान राशि प्राप्त हुई।

केरल में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऋण

4126. श्री एस. अजय कुमार: क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान केरल में ग्रामीण उद्योगों के लिए ऋण स्वीकार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन सी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में ग्रामीण उद्यमियों को वर्षवार और जिलावार कौन-कौन सा प्रशिक्षण दिया गया है।

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) उद्यमियों को ऋण प्रदान नहीं करता है, अपितु केन्द्र सरकार के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) के अंतर्गत ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को मार्जिन मनी सहायता देती है। आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत, बैंक के.वी.आई.सी. से मार्जिन मनी सहायता के संयोजन में उद्यमियों को ऋण प्रदान करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत प्रदान की गई मार्जिन मनी तथा स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	प्रदान की गई मार्जिन मनी (लाख रु.)	स्वीकृत की गई परियोजनाएं (इकाइयों की संख्या)
2002-03	1196.03	789
2003-04	2753.15	2046
2004-05	1027.95	914

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य में उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई डी पी) के अंतर्गत आर.ई.जी.पी. उद्यमियों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	ई.डी.पी. प्रशिक्षण प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या
2002-03	655
2003-04	603
2004-05	662

आशुलिपि का वर्गीकरण

4127. श्री सुरेश चन्देल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समाज विज्ञान, भाषा संकाय के अंतर्गत आशुलिपि के वर्गीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या आशुलिपि और टंकण (अंग्रेजी और हिन्दी) विषयों को +2 स्तर पर अथवा डिग्री स्तर पर अलग भाषा विषय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो भाषा के अंतर्गत इन विषयों के वर्गीकरण में क्या कठिनाईयां हैं;

(ङ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लोकतंत्र के सभी स्कंधों, कार्यपालिका, न्यायापालिका और विधायिका में आशुलिपि के महत्व को मानता है; और

(च) यदि नहीं, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आशुलिपि और टंकण (अंग्रेजी और हिन्दी) को व्यावसायिक विषय के अंतर्गत संहिताबद्ध किया गया है। चूंकि ये कौशल-आधारित विषय है, इन्हें भाषाओं के तहत वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

जारवा जनजातीय कला का संरक्षण

4128. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप से जारवा जनजातीय कला के संरक्षण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी गैर-सरकारी संगठन ने इसको बढ़ावा देने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर की गई कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय को गैर-सरकारी संगठनों सहित किसी भी जगह से "जारवा जनजातीय कला के संरक्षण" हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

फर्जी बैंक गारंटी पर ठेके देना

4129. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने फर्जी बैंक गारंटी पर करोड़ों रुपये के ठेके दिए हैं जैसाकि दिनांक 5 अगस्त, 2005 के "जनसत्ता" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) इस संबंध में दोषी व्यक्तियों को सजा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी नहीं। एनबीसीसी को कार्य सीवीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत सौंपे जाते हैं। दिनांक 5.8.2005 को "जनसत्ता" में यथा उल्लिखित निर्माणकर्ता फर्म द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटियां, जारीकर्ता बैंकों से एनबीसीसी द्वारा पुष्टि/पुन: अभिपुष्टि किए जाने पर संविदा शर्तों के अनुसार फर्जी पाई गई।

(ग) एनबीसीसी ने फर्जी बैंक गारंटियां प्रस्तुत करने वाली निर्माणकर्ता फर्म के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई की है:

(1) ठेकेदार से मध्यवर्ती अवधि के लिए सभी चारों बैंक गारंटियों की कुल राशि पर 2% प्रति वर्ष की दर से 95,178/- रुपए का बैंक गारंटी कमीशन वसूल किया गया है। इसके अलावा ठेकेदार से बैंक गारंटियों की राशि पर 18% प्रतिवर्ष की दर से 7,91,806/- रुपए ब्याज भी वसूला गया है।

(2) ठेकेदार को इस निर्देश के साथ सभी भावी कार्यों के लिए काली सूची में डाल दिया गया है कि आगे कोई कार्य उसे नहीं सौंपे जाएंगे।

(3) एनबीसीसी के पास जमा बयाना राशि के 3.00 लाख रुपए भी जब्त कर लिए गए हैं।

(4) ठेकेदार को पटना में सौंपा गया एक कार्य, अर्थात कंकड़बाग में खेल परिसर के लिए स्विमिंग पूल का निर्माण, जोकि अभी आरंभ होना था, ठेकेदार से वापस लें लिया गया है।

(घ) सीबीआई द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

(ङ) बैंक गारंटियों की प्रमाणिकता की पुष्टि करने की प्रणाली, जो कारपोरेशन में पहले ही विद्यमान है, कड़ाई से अनुपालन करने हेतु पुन: परिचालित की गई है।

[अनुवाद]

गुजरात में आदिवासियों के लिए भूमि खरीदने संबंधी प्रावधान

4130. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में भूमिहीन आदिवासियों को पुन: बसाने हेतु भूमि खरीदने के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया): (क) मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मेगा सिटीज योजना के अंतर्गत अवसंरचनात्मक विकास संबंधी प्रगति

4131. श्री एस.के. खारवेनथन:
प्रो. एम. रामदास:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 में शुरु की गई मेगा सिटीज योजना के अंतर्गत अवसंरचनात्मक विकास संबंधी कितनी प्रगति हुई है;

(ख) योजना के प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या खामियां पाई गई है;

(ग) क्या इस योजना में शामिल विभिन्न शहरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए योजना हेतु प्रदत्त राशि काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संसाधनों का विकास करने तथा पर्याप्त निधियों की आपूर्ति करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश के विभिन्न भागों में उक्त योजना के अंतर्गत निर्मित स्थलों सहित राज्य-वार क्या कार्य शुरु किए गए हैं अथवा शुरु किये जाने की संभावना है;

(च) प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(छ) उक्त योजना के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है तथा इन लंबित परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां

4132. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को दिये जा रहे विपणन संबंधी प्रोत्साहन को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

जड़ी बूटियों का निर्यात

4133. श्री सुरेश चन्देल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पौद्यों/जड़ी बूटियों तथा इनके अवयवों का दूसरे देशों में निर्यात अथवा ले जाना केवल केन्द्र सरकार की अनुमति से ही किया जाता है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप से सिक्किम सरकार द्वारा जापानी पर्यटक से हर्बेरियम का कुछ संग्रह जब्त किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 2003 के दौरान विदेशियों द्वारा उत्तर तथा पश्चिम सिक्किम रिजर्व फोरेस्ट से दुर्लभ पौद्यों के बीच एकत्रित किए गए थे तथा अब इनकी बिक्री के लिए यूरोप की वेबसाइट में विज्ञापन दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) विदेश व्यापार नीति में शर्तों के अध्यधीन पौधों के हिस्सों, उनकी व्युत्पत्तियों और अर्कों के निर्यात की अनुमति है। कतिपय मसालों विशेषत: जो जंगली वनस्पति के खतरनाक मसालों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय के अंतर्गत आते हैं, का निर्यात निषिद्ध है। ऐसे मामलों के निर्यात के लिए इस प्रावधान से छूट अनुसंधान, शिक्षा और जीवनरक्षक औषधियों के प्रयोजनार्थ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सिफारिशों पर विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा प्रदान की जा सकती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) सिक्किम की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चैक गणराज्य में सिडलीस्टीनी के एक निवासी ने वर्ष 2003 के दौरान उत्तरी और पश्चिमी सिक्किम से एल्पाइन फूलों के चौरासी मसालों के जंगली फूलों के बीजों को एकत्र करने का दावा किया था और अक्टूबर 2004 के दौरान बाग लगाने के लिए बिक्री हेतु वेबसाइट के जरिए विज्ञापित किया था। राज्य सरकार ने इस मामले में उचित कार्रवाई की है और राज्य में न्यायालय में कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी कार्य कर रही है।

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुदान और छात्रवृत्ति

4134. श्री जुएल ओराम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तकनीकी शिक्षा में स्नात्कोत्तर शिक्षा और अनुसंधान के लिए अनुदान और छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ सीटों को अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए आरक्षित रखा गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) देश में स्नातकोत्तर तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 'स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम', 'गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम', 'युवा शिक्षकों हेतु कैरियर पुरस्कार', 'राष्ट्रीय डॉक्टरल फेलोशिप एवं अनुसंधान संवर्धन स्कीम' कार्यान्वित कर रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सी.पी.डब्ल्यू.डी. में अनुकंपा के आधार पर भर्ती

4135. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के व्यक्तियों को भर्ती नियम में एक बार छूट देते हुए सी.पी.डब्ल्यू.डी. में समूह ''घ'' पदों पर अनुकंपा के आधार पर भर्ती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो किस अवधि तक यह छूट लागू रहेगी;

(ग) क्या दिल्ली में अनुकंपा के आधार पर समूह ''घ'' पदों पर नियुक्ति के बहुत से मामले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के पास लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो इन मामलों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार व्यय सुधार के अंतर्गत समूह ''घ'' के भर्ती नियमों में छूट प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो ऐसी छूट कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) मौजूदा स्कीम के अनुसार सीधी भर्ती के तहत होने वाली रिक्तियों के 5% तक अनुकंपा आधारित नियुक्तियां की जा सकती है। इसलिए लंबित मामलों को निपटाए जाने की संभावित समयावधि का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां

4136. श्री मनोरंजन भक्त: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंडमान-निकोबार निर्माण विभाग में कई लोग अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और सुनामी विनाश के बाद उनकी संख्या बढ़ी है; और

(ख) यदि हां, तो भर्ती नियमों से छूट देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भर्ती नियमों से छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सुनामी पीड़ितों की सहायता की दृष्टि से, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए लागू, रिक्तियों की 5% की सीमा में छूट देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा दो बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.23 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रिन्युरशिप एण्ड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रिन्युरशिप एंड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2708/05)

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे मे विवरण।

(दो) अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2709/05)

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखत हूं:

(1) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के समेकित वार्षिक लेखाओं को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2711/05)

(3) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2712/05)

(5) (एक) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट कांउसिल, पटना के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के करण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2713/05)

(7) (एक) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में वितरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2714/05)

(9) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टिट्यूट, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल आफ रूरल इंस्टिट्यूट, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2715/05)

(11) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालिकट के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालिकट के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2716/05)

(13) (एक) डा. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डा. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2717/05)

(15) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2718/05)

(17) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2719/05)

(19) (एक) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2720/05)

(21) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2721/05)

(23) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, नागालैंड के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, नागालैंड के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2722/05)

(25) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2723/05)

(27) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2724/05)

(29) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2725/05)

(31) नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2726/05)

(33) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2727/05)

(35) (एक) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2728/05)

(37) (एक) राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, इंदौर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, इंदौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2729/05)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): महोदय, मैं कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 के अंतर्गत कॉफी बोर्ड सामान्य भविष्य निधि नियम, 2005 जो 23 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 132 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2730/05)

अपराह्न 2.01 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 22 अगस्त, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित रेल (संशोधन) विधेयक, 2005 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 22 अगस्त, 2005 को यथापारित रेल (संशोधन) विधेयक, 2005 सभा पटल पर भी रखता हूं।

अपराह्न 2.01¼ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.01½ बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

नब्बेवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु (आरामबाग): अध्यक्ष महोदय, मैं "नये आधुनिक विमान पत्तनों पर विशेष बल देते हुए विमान पत्तन क्षेत्र का विकास" के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की 90वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पर रखता हूं।

अपराह्न 2.02 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों को मागों (2004-2005) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थाई समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी विवरण प्रस्तुत करता हूं।

*मैं, यह विवरण माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73क के अनुसरण में प्रस्तुत करता हूं, जो कि निम्नवत् है:

> "संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय के संबंध में लोक सभा की विभागों से संबद्ध संसदीय स्थाई समिति के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में सदन में प्रत्येक छह महीने में एक बार विवरण प्रस्तुत करे।"

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु यह बताना चाहता हूं कि 14वीं लोक सभा की शहरी विकास संबंधी स्थाई समिति का 5वां प्रतिवेदन 22.5.2005 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। शहरी विकास संबंधी समिति (2004-2005) का यह प्रतिवेदन शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में है जिसे 23 अगस्त 2004 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया (राज्य सभा के सभा पटल पर रखा गया)। दिसंबर 2004 में सरकार से प्राप्त दूसरे प्रतिवेदन की की गई कार्रवाई टिप्पणियों के आधार पर सभी 42 सिफारिशों को समिति के 5वें प्रतिवेदन में निम्नलिखित चार श्रेणियों में बांटा गया है:

(1) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशें ----- 27

(2) सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती----- 4

(3) सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं ----- 3

(4) सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं --------- 8

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2731/05

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई 27 सिफारिशों में से समिति ने दूसरे प्रतिवेदन के पैरा सं 2.3 और 2.4, 2.19, 2.20, 2.44, 2.77, और 4.40, जिन्हें 5वें प्रतिवेदन में क्रमश: पैरा सं. 7, 10, 13, 16, 31 और 43 पर रखा गया है, के संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। 27 में से उन 6 सिफारिशों के संबंध में जिन पर समिति आगे कार्रवाई करना चाहती और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहती है, की जानकारी शहरी विकास मंत्रालय ने संलग्न विवरण में उलब्ध कराई है।

माननीय समिति द्वारा दूसरे प्रतिवेदन की 3 सिफारिशों अर्थात पैरा सं. 2.54, 2.79 और 2.84 जिन्हें पांचवें प्रतिवेदन में क्रमश: पैरा सं. 19, 34 और 37 पर रखा गया है, के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय के उत्तर स्वीकार नहीं किए गए हैं। इन तीनों पैराओं के संबंध में वर्तमान स्थिति की जानकारी भी संलग्न विवरण में दी गई है।

समिति ने अपने 5वें प्रतिवेदन में दूसरे प्रतिवेदन के 4 पैराओं अर्थात 2.55, 2.73, 2.76 और 2.88 (5वें प्रतिवेदन में पैरा सं. 22, 25, 28 और 40) के संबंध में अंतिम उत्तर मांगे हैं। इन 4 पैराओं के संबंध में वर्तमान स्थिति की जानकारी भी संलग्न विवरण में दी गई है।

पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणियां स्थाई समिति को अलग से भेजी जा रही हैं। स्थिति को दर्शाने वाला संलग्न विवरण सभा के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

अपराह्न 2.02½ बजे

(दो) उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 146वें, 147वें, 153वें, 154वें, 155वें और 159वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा के निदेश पर तथा लोक सभा के दिनांक 1 सितंबर, 2004 बुलेटिन भाग-2 में निहित लोक सभा में प्रक्रिया नियमावली तथा कार्य संचालन के प्रावधानों के अनुसरण में विभाग संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 146वीं, 147वीं, 153वीं, 154वीं, 155वीं तथा 159वीं रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[श्री महावीर प्रसाद]

*लघु उद्योग मंत्रालय से संबद्ध उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की "महाराष्ट्र में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता" पर 146वीं रिपोर्ट में 10 सिफारिशें/टिप्पणियां मुख्यत: लघु उद्योग क्षेत्र पर वैश्वीकरण/उदारीकरण का प्रभाव तथा क्षेत्र से जुड़ी ऋण संबंधित मुद्दों के बारे में हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की है तथा राज्य सरकारों एवं संबंधित विभागों/अभिकरणों के साथ अनुवर्तन भी कर रहा है। की गई कार्यवाई टिप्पण जिसमें प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है, समिति के सचिवालय को 29.11.2004 को भेज दिया गया है।

'बुलंदशहर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता' पर 147वीं रिपोर्ट में ग्यारह सिफारिशें/टिप्पणियां हैं। ये मुख्यत: लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता संबंधी मुद्दों, बुनियादी संरचना तथा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर क्षेत्र में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एन.एस.आई.सी.) से संबंधित मामलों के बारे में हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की है तथा राज्य सरकार तथा संबंधित विभागों/अभिकरणों के साथ अनुवर्तन भी कर रहा है। की गई कार्यवाही टिप्पण जिसमें प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा दिया गया है, समिति के सचिवालय को 2.2.2005 को भेज दिया गया है।

लघु उद्योग मंत्रालय की अनुदान संबंधी मांगों पर 153वीं रिपोर्ट में 28 सिफारिशें/टिप्पणियां हैं। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्यों की तुलना में निष्पादन, मंत्रालय की योजनाओं/नीतियों के कार्यान्वयन, पूर्वोत्तर प्रदेश तथा सिक्किम में परियोजनाओं/योजनाओं संबंधी प्रावधानों, एनएसआईसी संबंधी मामलों, अति लघु/माइक्रो उद्यमों के लिए नीतियों, ऋण संबद्ध मुद्दों, विश्व व्यापार संगठन (डब्लू.टी.ओ.) करारों का लघु उद्योग क्षेत्र पर प्रभाव, सीमित जिम्मेदारी साझेदारी अधिनियम, उभरते हुए (सन राईज) उद्योगों का संवर्धन, रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास, लघु उद्योग क्षेत्र के अनुरूप कर व्यवस्था, लघु उद्योगों को प्रभावित करने वाला विधिक ढांचा तथा मध्यम उद्यमों के लिए नीतियों के निर्माण के संबंध में हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाई की है तथा संबंधित विभागों/अभिकरणों के साथ अनुवर्तन भी कर रहा है। की गई कार्रवाई टिप्पण जिसमें प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा दिया गया है, समिति के सचिवालय को 28.3.2005 को भेज दिया गया है।

"दिल्ली, नोएडा तथा गाजियाबाद के क्षेत्रों में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रवाह" पर 154वीं रिपोर्ट में पांच सिफारिशें/टिप्पणियां निहित हैं, जो बैंकों द्वारा पेशगी राशियां दिए जाने के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों, लघु उद्योग ऋण से संबंधित मामलों तथा लघु उद्योगों के लिए जोखिम पूंजी निधियों एवं प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना के लिए मार्गनिर्देशों से संबंधित हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में कार्रवाई कर दी है। की गई कार्यवाई टिप्पण जिसमें प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा दिया गया है, समिति के सचिवालय को 6.4.2005 को भेज दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता" पर 155वीं रिपोर्ट में सत्रह सिफारिशें/टिप्पणियां निहित हैं। ये मुख्यत: राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए पैकेज, ऋण एवं कराधान संबंधी मामलों, परिवहन समस्याओं तथा हिमाचल प्रदेश में रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के सर्वेक्षण से संबंधित हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में कार्रवाई कर दी है। की गई कार्रवाई टिप्पण जिसमें प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है, समिति के सचिवालय को 9.5.2005 को भेज दिया गया है।

लघु उद्योगों द्वारा इस्पात की अधिप्राप्ति में आ रही समस्याओं" पर 159वीं रिपोर्ट में सात सिफारिशें/टिप्पणियां हैं। ये सिफारिशें/टिप्पणियां मुख्यत: उचित मूल्यों पर लघु इकाइयों को इस्पात की आपूर्ति, लघु उद्योग के प्रति विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग एवं सामूहिक दृष्टिकोण, इस्पात कच्ची सामग्री पर सीमा शुल्क के युक्तीकरण आदि से संबंधित हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में कार्रवाई कर दी है। की-गई-कार्रवाई टिप्पण जिसमें प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा दिया गया है, समिति के सचिवालय को 28.3.2005 को भेज दिया गया है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध I से VI में दर्शाई गई है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं सदन के मूल्यवान समय को इन अनुबंधों के विषय-वस्तु को पढ़ने के लिए नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 2.03 बजे

(तीन) सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): महोदय, मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संबंधी समिति (2004-2005) के दूसरे प्रतिवेदन

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2732/05

में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूं।

*मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 73क के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश पर जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति चौदहवीं लोक सभा ने वर्ष 2004-2005 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों की जांच की और इस संबंध में 22 मार्च, 2005 को अपना छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-05) के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही शामिल है।

प्रतिवेदन में 15 सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं। इन 15 सिफारिशों में से स्थायी समिति ने 6 सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार के उत्तर को स्वीकार कर लिया है। पुन: सरकार के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, समिति तीन सिफारिशों के संबंध में मामले पर आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती।

समिति ने 6 सिफारिशों के संबंध में मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों के बारे में टिप्पणियां की। 6 मई, 2005 को मैंने जो वक्तव्य दिए थे वे इन्हीं छ: सिफारिशों के बारे में थे।

समिति द्वारा की गई इन सभी 15 सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दर्शायी गई है, जो सभा पटल पर रख दी गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज की कार्य सूची के क्रम सं. 13 और 14 पर दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जिसमें से एक श्री सुनील खां व अन्य व्यक्तियों द्वारा दिया गया है। देश में विशेषकर निजी तथा असंगठित क्षेत्रों में श्रम कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति से संबंधित है तथा दूसरा श्री रामजी लाल सुमन द्वारा दिया गया है जिसमें देश में फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रभाव कानून बनाने की आवश्यकता से संबंधित है। यदि सदन सहमत है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक के पारित हो जाने के तुरंत बाद इन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर विचार किया जाए। मैं आशा करता हूं कि सदन सहमत है।

अपराह्न 2.04 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं "कि यह सभा 22 अगस्त, 2005 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 22 अगस्त, 2005 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.05 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे कुछ और भी कार्य देखने हैं।

माननीय सदस्या, आपकी सूचना के लिए गत सप्ताह के दौरान सदन द्वारा किए गए कार्य की मुख्य मदों को संक्षिप्त में दोहराना चाहूंगा।

स्वीकृत 59 तारांकित प्रश्नों में से केवल 17 का ही मौखिक उत्तर दिया जा सका। 571 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए थे।

इस अवधि के दौरान प्रश्न काल के बाद लोक महत्व के करीब 63 तत्कालिक मामलों को उठाया गया। नियम 377 के अंतर्गत भी 35 मामले उठाए गए।

सदन में तीन दिनों में 5 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई: (1) श्री मोहन रावले द्वारा 27 जुलाई, 2005 को ओ.एन.जी.सी.

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2733/05

[अध्यक्ष महोदय]

के बोम्बे हाई ऑयल प्लेटफार्म में लगी विनाशकारी आग से उत्पन्न स्थिति जिसमें करोड़ों रुपये के जान माल की क्षति हुई से संबंधित मामला उठाया गया। (2) श्री रघुनाथ झा द्वारा "बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर स्थिति से उत्पन्न स्थिति" से संबंधित मामला उठाया गया। (3) श्री ए कृष्ण स्वामी द्वारा "आरक्षण संबंधी संवैधानिक उपबंध के अनुरूप देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/ सहायता प्राप्त सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों और स्व-वित्तपोषित संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त विधान की आवश्यकता" से संबंधित मामला उठाया गया। (4) श्री अंनत कुमार द्वारा राज्य में पेयजल की अत्यंत कमी को दूर करने के लिए कर्नाटक में महादायी नदी की सहायक नदियों कलासा तथा बंदुरी नाला परियोजनाओं को शीघ्र अनुमोदित करने की आवश्यकता" से संबंधित मामला उठाया गया। (5) श्री एन एन कृष्णदास द्वारा "देश में एलपीजी की कमी के कारण उत्पन्न हुई स्थिति" से संबंधित मामला उठाया गया।

जहां तक विधायी कार्यों का संबंध है तो सदन में तीन विधेयक लाए गए। सभा द्वारा राज्य सभा द्वारा पारित और श्री श्रीप्रकाश जायसवाल द्वारा प्रस्तुत नागरिकता संशोधन विधेयक, 2005 विधेयक पर लगभग 2 घंटे और 11 मिनट तक चर्चा करने के बाद इसे पारित किया गया।

सभा ने राज्य सभा द्वारा पारित और श्री के. चन्द्रशेखर राव द्वारा प्रस्तुत वेतन संदाय (संशोधन) विधेयक, 2004 पर भी चर्चा की और 3 घंटे 7 मिनट बाद इसे यथासंशोधित पारित किया गया।

इसके अतिरिक्त, सभा ने डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी विधेयक, 2004 पर 3 घंटा 53 मिनट तक चर्चा की। विधेयक पर की गई चर्चा पूरी नहीं हुई।

सभा ने श्री अविनाश राय खन्ना द्वारा 16 अगस्त, 2005 को उठाए गए "पेट्रोलियम मूल्यों में बढ़ोतरी सहित अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि" से संबंधित मामले पर भी नियम 191 के अंतर्गत 1 घंटा और 42 मिनट तक चर्चा की। चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने सभा में दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

सभा का सामान्य कार्य समाप्त होने के पश्चात अनिवार्य कार्य मदों पर चर्चा करने के लिए सभा 2 घंटा और 48 मिनट देर तक बैठी जिसमें से 1 घंटा और 59 मिनट लोक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। मैं उन माननीय सदस्यों की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने सामान्य कार्यों के पश्चात् यहां रहकर महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया।

चूंकि सप्ताह के दौरान व्यवधानों और स्थगनों के कारण समय नष्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं माननीय सदस्यों को सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे खेद है कि आज यह रिकार्ड कायम नहीं रहा।

अपराह्न 2.06 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री श्रीप्रकाश जायसवाल।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): सॉरी, सर, मैं लेट आया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मैं आतंकवाद निवारण (निरसन) अधिनियम, 2004 की धारा 2 की उपधारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1101 (अ) जो 5 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसमें उल्लिखित दो समीक्षा समितियों का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2710/05)

अपराह्न 2.07 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य—*जारी*

(चार) विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): महोदय, मैं आई सी सी आर के कार्यकरण पर विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों को लागू करने संबंधी स्थिति से संबंधित विवरणी प्रस्तुत करता हूं।

*विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति ने विदेशों में स्थित सांस्कृतिक केन्द्रों के विशेष संदर्भ में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यकरण की जांच की और इस संबंध में 21 दिसंबर, 2004 को लोक सभा को तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में 18 सिफारिशें थीं। वे सांस्कृतिक व्यवहार-कौशल, आई सी सी आर के क्षेत्रीय केन्द्र, विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, और पीठ, आई सी सी आर का बजट, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और उनका कल्याण, विजिटिंग प्रोफेसरों और भारतीय अध्ययनों के पीठ, समकालीन भारतीय कला को बढ़ावा देना, प्रकाशन और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय से संबंधित थीं। स्थायी समिति को मार्च, 2005 में की गई कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। स्थायी समिति की सिफारिशें अधिकतर सृजनात्मक थीं और इन्हें शब्दशः लागू किया जाएगा, जिससे निःसंदेह क्षमता बढ़ेगी। कुछ सिफारिशें मंत्रालय द्वारा निर्णय लेने हेतु विचाराधीन हैं। सिफारिशों को लागू करने संबंधी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गए अनुबंध में दिया गया है।

अपराह्न 2.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे। उन्हें सभा पटल पर रखा जाए।

[हिन्दी]

श्री धावरचंद गेहलोत (शाजापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी तो अवसर मिलता है। आपसे प्रार्थना है कि पढ़ने की अनुमति दे दें। 15 मिनट में क्या होगा।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, हम उन्हें 15 मिनट दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसे शीघ्रता से पढ़िए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, हम इस पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक पारित होने के बाद चर्चा कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें उनका अधिकार प्रदान कर रहा हूं। रोज मैं उन्हें मना कर रहा हूं।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे नियम 377 के अधीन अपने मामलों को शीघ्रता से पढ़ें। अब, श्री मधुसूदन मिस्त्री

(एक) हिम्मतनगर, गुजरात के आकाशवाणी केन्द्र को चालू करने के लिए तकनीकी और कार्यक्रम स्टाफ नियुक्त किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): गुजरात के साबरकांठा जिले में हिम्मतनगर स्थित आकाशवाणी केन्द्र चालू होने की स्थिति में है परन्तु कार्यक्रम कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण, यह केन्द्र कार्य शुरू नहीं कर पर रहा है।

मैं सूचना और प्रसारण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह हिम्मतनगर में तकनीकी और कार्यक्रम कर्मचारियों की नियुक्ति करे ताकि आकाशवाणी केन्द्र कार्य करना शुरू करे।

अध्यक्ष महोदय: श्री अधीर चौधरी – अनुपस्थित

श्री किशनभाई वी. पटेल – अनुपस्थित

श्री इकबाल अहमद सरडगी – अनुपस्थित

श्री के.सी. सिंह 'बाबा'

(दो) देश में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय प्रशिक्षकों की भर्ती को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. सिंह "बाबा" (नैनीताल): महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान भारतीय खेल प्रशिक्षकों को अधिक सुविधाएं और वेतन दिए जाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय प्रशिक्षक निम्नतम स्तर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ियों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। विदेशी प्रशिक्षकों को काफी अधिक वेतन पर रखा जाता है जैसे यूएस डालर 3,000 प्रति माह और यूए डालर 129 प्रति दिन के भत्ते पर देश के उन सर्वोत्तम खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं जिन्हें हमारे प्रशिक्षक पहले ही तैयार कर चुके होते हैं, जिन्हें विदेशी प्रशिक्षकों की तुलना में काफी कम वेतन दिया जाता है। यह हमारे एन.आई.एस. से उच्च प्रशिक्षित प्रशिक्षकों में भेद-भाव पैदा कर रहा है जिनमें से अधिकांश अभी भी तदर्थ और ठेका आधार पर नियुक्त हैं।

महोदय, भारतीय प्रशिक्षकों की घटती संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार को अधिक भारतीय प्रशिक्षकों को नियुक्त करने और नियमित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2734/05

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती जया बहन बी. ठक्कर – अनुपस्थित

श्री थावरचंद गेहलोत।

(तीन) उज्जैन-आगरा-सोयात-झालावाड़-रामगंज मंडी क्षेत्र में नई रेलवे लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के आगर-मालवा से उज्जैन मध्य प्रदेश के बीच देश की आजादी के पूर्व से पश्चिम रेलवे मंडल रतलाम के अंतर्गत एक रेल लाइन डाली गई थी। इस रेल लाइन पर सन 1976 तक रेल गाड़ियां चलती थी। किंतु सन 1976 के अंत में आपालकाल के दौरान इस रेल लाइन को उखाड़ दिया गया। जनता की मांग पर सरकार ने उज्जैन से आगर, सुंसनेर, सोयत से होकर झालावाड़-रामगंज मंडी तक नई रेल लाइन डालने के लिए सर्वे कराया। सर्वे रिपोर्ट अप्रैल 2000 से रेल मंत्रालय के पास निर्णयार्थ लंबित है। वर्तमान में इस लाइन के लिए अद्यतन सर्वे कराया जा रहा है, किंतु अभी तक इस नई रेल लाइन की स्वीकृति नहीं होने से आम जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। जनता आंदोलित है। अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि जनहित, देशहित और रेलवे के हित में इस नई रेल लाइन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पंकज चौधरी: उपस्थित नहीं

श्री सुरेश चंदेल

(चार) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में बांस के लट्ठों के प्रभावी उपयोग और बेहतर विपणन के लिए उद्योग विकसित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेश चंदेल (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा में बांस बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है, लेकिन उसके उपयोग एवं विपणन की ठीक व्यवस्था नहीं होने एवं उससे नए-नए डिजाइनों की आकर्षक चीजें बनाने की कला उपलब्ध नहीं होने के कारण बांस उत्पादकों को उसका सही दाम नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि वह हिमाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर बांस पर आधारित उद्योगों को विकसित करे, उससे नए-नए डिजाइनों के घरेलू उपयोग के सामान बनाने एवं उसके बहुआयामी प्रयोग हेतु परियोजनाएं चलाए तथा हिमाचल प्रदेश के बांस उत्पादकों को आर्थिक सहायता प्रदान करे ताकि हिमाचल प्रदेश में बांस का व्यावसायिक उत्पादन हो, बांस के बने सामान को उत्तम बाजार उपलब्ध हो और उस पर आधारित कुटीर उद्योग पनपें।

(पांच) देश के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाने के लिए नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर पड़े स्टाम्प पेपर की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण (मालेगांव): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नासिक रोड में भारत सरकार के प्रतिभूति मुद्रणालय में स्टाम्प पेपर की छपाई होती है और स्टाम्प पेपर रेलवे डाक विभाग द्वारा रेल गाड़ियों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों को पार्सल बना कर भेजने का प्रावधान है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर डाक विभाग कार्यालय से 100 से 150 तक पार्सल, जिनमें से एक पार्सल में बड़े पैमाने पर स्टाम्प पेपर रहते हैं, लेकिन पूरे पार्सल रेल गाड़ियों पर नहीं लादे जाते हैं और वहीं नासिक रोड स्टेशन पर बिना सुरक्षा के पड़े रहते हैं और दूसरे दिन भेजे जाते हैं। रेल सुरक्षा कर्मचारी स्टाम्प पेपर के सभी पार्सल उसी दिन गाड़ी में इसलिए लदान नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें आर्थिक लाभ नहीं प्राप्त होता है। यदि कभी सुरक्षा के अभाव में ये स्टाम्प पेपर चोरी हो जाएं तो सरकार को भारी नुकसान हो सकता है।

अत: मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश पारित करने का कष्ट करें।

(छह) भारतीय खाद्य निगम के कर्मकारों को विशेषकर केरल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री लोनाप्पन नम्बाडन (मुकुन्दपुरम): मैं एफसीआई श्रमिकों के समक्ष आने वाली समस्याओं से संबंधित मामले को सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं।

ये श्रमिक अपनी आवश्यक मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनमें शामिल हैं–

1. मैकिन्से रिपोर्ट का अस्वीकार किया जाना।
2. एफ.सी.आई. के सभी गोदामों को अपने अधिकार में रखना।

3. एफ.सी.आई. गोदामों को निजी मालिकों को किराए पर देने की प्रथा को खत्म करना।

4. सभी श्रमिकों को नियमित करना।

5. 16 घंटे की कार्यावधि को घटा कर 8 घंटे करना।

6. श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना।

7. रविवार को छुट्टी का दिन घोषित करना।

8. पिछले आठ वर्षों के दौरान, रोकी गई अंशदायी पेंशन राशि की प्रतिपूर्ति करना।

9. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना; और

10. सभी विद्यमान राशन की दुकानों को जारी रखना।

यह आश्चर्यजनक बात हैं कि चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन उन श्रमिकों को नहीं ही जा रही हैं जो 30 से 40 वर्षों की समर्पित सेवा के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। केरल में ही 300 गोदामों में 3000 श्रमिक उचित सुविधाओं के बिना ही कार्य कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एफ सी आई को बचाने के लिए आगे आए जिसे भारत में खाद्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आरंभ किया गया था।

(सात) हाल ही में शुरू किए गए मुदुरै-बिल्लुपुरम यात्री रेल गाड़ी को यात्रियों की सुविधा के लिए दिन के समय चलाने के लिए इसके समय को बदलने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै): मदुरै की जानता ने मदुरै से चेन्नई तक दिन में चलने वाली एक यात्री गाड़ी (पैसेंजर ट्रेन) की मांग की है और मैंने यह मामला उठाया है। परन्तु जो मांग वास्तव में स्वीकृत हुई थी वह अर्द्धरात्रि यात्री गाड़ी (पैसेंजर ट्रेन) थी जो मदुरै से बिल्लुपुरम तक चलती है न कि उनकी मांग के अनुसार चेन्नई तक।

अब यात्रियों को दो घंटे के लंबे इंतजार के बाद बिल्लुपुरम में गाड़ी बदलनी पड़ती है। मदुरै से चेन्नई तक यात्रा का किराया केवल 67 रुपये है और पूरी यात्रा का समय 20 घंटे से अधिक हो जाता है। इसके अलावा चेन्नई जाने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान खाने पर वास्तविक टिकट के किराये से अनिवार्यत: अधिक राशि व्यय करनी पड़ती है।

इसके अतिरिक्त इस गाड़ी का समय अधिकांशत: रात का है और बीच के स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए कोई साधन न होने से प्लेटफार्म पर रुकने अथवा अपने घर जाने के लिए अधिक भाड़ा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

इस प्रकार सभी दृष्टि से यह गाड़ी बहुत असुविधाजनक है। इसके बावजूद भी मदुरै से चेन्नई चलने वाली ट्रेन का समय पुनर्निर्धारित किया जाए ताकि इस गाड़ी का समय मदुरै से चेन्नई तक दिन का हो जाए और यह प्रात: वैगई एक्सप्रेस से पहले या बाद में चले।

(आठ) कोल जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किए जाने और उत्तर प्रदेश के राज्य विधान मंडल में उसके लिए सीट आरक्षित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): महोदय, सन् 2002 में संसद में विधेयक संख्या 62 के पारित होने से पूर्व उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली अगरिया, बैंगा, भुईयां जैसी कई जातियां शेड्यूल्ड कास्ट मानी जाती थीं। उत्तर प्रदेश में ऐसी 22 जातियां निवास करती हैं। राज्य सरकार बराबर उन्हें एस.टी. घोषित करने की संस्तुति भेजती रही, लेकिन केवल 10 जातियों को ही एस.टी. घोषित किया गया।

वर्ष 2002 में और 10 जनजातियां घोषित करने के बाद कुल 15 जातियां एस.टी. की श्रेणी में आ गई। इनकी संख्या 1991 में 3,80,815 थी, लेकिन परिसीमन आयोग ने उन्हें 2001 में 1,07,963 दिखाया है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश में विधान सभा सीट शून्य निर्धारित की गई। इन जनजातियों की मौजूदा आबादी 4,58,000 है। अत: इस गलती को सुधार कर जनजातियों की सीटों को आरक्षित करने की आवश्यकता है। इनमें सबसे प्रमुख जाति जो छूट गई है वह कोल जाति है जो कि सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, झांसी, हमीरपुर तथा उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में निवास करती है। इन्हें बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा से प्रस्ताव आ चुका है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कोल जाति को जनजाति घोषित किया जाए तथा इस जाति के लिए विधान सभा में सीट आरक्षित की जाए।

(नौ) चित्रकूट धाम में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए चित्रकूट में हवाई पट्टी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश): महोदय, चित्रकूट धाम एक प्राचीन ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी है। यहां देश के कोने-कोने से चित्रकूट धाम (कामतानाथ मंदिर) को देखने

[श्री राजनरायन बुधौलिया]

के लिए लाखों-करोड़ों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष आते हैं। विदेशी पर्यटकों की भी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए चित्रकूट धाम में एक हवाई पट्टी की आवश्यकता महसूस हो रही है। प्रत्येक माह की अमावस्या को चित्रकूट धाम में लाखों श्रद्धालु दिल्ली, मुम्बई तथा अन्य बड़े-बड़े शहरों से आते हैं। यदि यहां पर हवाई पट्टी बन जाए तो न सिर्फ श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा होगी, बल्कि पर्यटकों की संख्या बढ़ने से राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी। चित्रकूट धाम मुख्य रूप से विदेशी पर्यटकों की श्रद्धा का प्रतीक बनता जा रहा है। भगवान राम ने वनवास के समय यहां पर निवास किया था।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए चित्रकूट धाम में हवाई पट्टी को बनवाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राजेश कुमार मांझी उपस्थित नहीं हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा।

(दस) पश्चिम बंगाल के स्वर्णरेखा बैराज परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए इसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत लिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार (वर्तमान झारखंड) ने स्वर्णरेखा नदी के जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए वर्ष 1978 में एक व्यापक विकास योजना पर अपनी सहमति दी थी। पश्चिम बंगाल के घटकों में पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर के जिलों में खरीफ फसल के मौसम में 99,248 हेक्टेयर क्षेत्र और रबी फसल के मौसम में 30,766 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए जल के अपने हिस्से का उपयोग करने के लिए स्वर्णरेखा बराज परियोजना तथा नहर प्रणाली शामिल है।

इस परियोजना को जिसकी मूल रूप से अनुमानित लागत 226.80 करोड़ रु. थी, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी गई थी। योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति ने भी इस परियोजना की स्वीकृति दी है। इस परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। वर्ष 1995-96 के मूल्य स्तर के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत को संशोधित करके 595.30 करोड़ रु. तक कर दिया गया था। इस परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत लगभग 1,200.00 करोड़ रु. है।

वर्ष 2001-2002 में इस परियोजना को आई बी पी में शामिल किया गया था, और वर्ष 2004-2005 से इसे एआईबीपी में से हटा दिया गया था। वर्तमान में राज्य सरकार के लिए इस परियोजना हेतु निधियां जुटाना बहुत मुश्किल है और उसे परियोजना को पूरा करने के लिए निधियों के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस परियोजना को केन्द्रीय राष्ट्रीय प्रयोजित योजना के अंतर्गत शुरू करे ताकि राज्य सरकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस परियोजना को पूरा कर सके।

(ग्यारह) मिट्टी के जमा होने के कारणों का पता लगाने के लिए महाबलेश्वर-पंचगनी पठार का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (कराड़): यह देखा गया है कि महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के महाबलेश्वर-पंचगनी पठार जहां हाल ही में काफी वर्षा हुई थी, वहां काफी बड़ी बस्तियां हैं। इससे संपत्ति और खेती योग्य भूमि को काफी नुकसान हुआ था। यह क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

इस पूरे पठार और उसके आसपास के क्षेत्रों का भू-गर्भीय सर्वेक्षण अध्ययन कराए जाने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि भू-भाग बस्तियों के कारणों का पता लगाया जा सके और इसके लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाई जा सके। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भी इस क्षेत्र में उक्त अध्ययन कराए जाने की आवश्यकता महसूस की है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर कार्रवाई की जाए।

(बारह) छपरा-कप्तानगंज-थावे-सिवान रेल लाइन के आमान परिवर्तन को आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, छपरा-कप्तानगंज-थावे-सिवान छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश एवं बिहार के उन हिस्सों में पड़ने वाली जनता द्वारा वर्षों से इसकी मांग की जाती रही है। इस रेल लाइन के बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन हो जाने से लगभग 80 लाख की आबादी रेल सुविधाओं खासकर दूरगामी रेल यात्राओं से लाभान्वित होगी। इसी के मद्देनजर पूर्व में सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति दी गयी थी तथा कार्य भी प्रारंभ किया गया, परन्तु अब यह काम अवरुद्ध हो गया है।

अत: मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि छपरा-कप्तानगंज-थावे-सिवान छोटी रेल लाइन के बड़ी रेल

लाइन में परिवर्तन हेतु शीघ्र कार्य प्रारम्भ करते हुए कार्य पूरा कराने हेतु कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री हितेन बर्मन – अनुपस्थित।

(तेरह) सिलीगुड़ी से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 और 31ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पूर्व और पश्चिम कॉरीडोर के अंतिम संरेखण का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार): महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पूर्वी पश्चिमी कॉरीडोर को सिलीगुड़ी, सिवोके ओडलाबारी, माल, हासीमारा और दमनपुर से अंतिम रूप से जोड़ने का सुझाव विशेष कार्यबल द्वारा काफी पहले दिया गया था और इसे मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 और 31-सी के जरिये किया जाना था। इस परियोजना पर किसी न किसी कारण से कार्य शुरु नहीं किया जा सका है। प्रस्तावित कॉरीडोर से उत्तर बंगाल, दार्जिलिंग और साथ ही सिक्किम के पर्यटन स्थलों के लिए लाभकारी होगा चूंकि ये स्थल इस मार्ग से सीधे जुड़ जाएंगे और इससे 'डूअर्स' में पर्यटन के विकास को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही निकटवर्ती सिक्किम और असम जैसे राज्यों और भूटान जैसे देशों के साथ लोगों को व्यापार करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी जो काफी भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र हैं, में यातायात सुगम हो जाएगा।

महोदय, मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से विनम्र निवेदन करता हूं कि विशेष कार्यबल द्वारा सुझाए गए मार्ग अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 और 31-सी के जरिये परियोजना का कार्य शीघ्र किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: यदि श्री अधीर चौधरी माफी मांग लेते हैं, तो अगली बारी उनकी है।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं समय पर उपस्थित न होने के लिए माफी मांगता हूं।

(चौदह) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34 के सुधार के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी: महोदय, यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34 के विभिन्न भागों की जीर्ण-शीर्ण और खराब स्थिति के संबंध में है। यह सड़क उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों को कोलकाता से और देश को पूर्वी क्षेत्र से जोड़ती है। यह इस जिले से होकर गुजरने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तद्नुसार, इस सड़क की निगरानी और मरम्मत की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस संबंध में उचित देखभाल नहीं की गई है।

मुझे यह भी जानकारी है कि मुख्य अभियंता, नेशनल हाइवे, पी डब्ल्यू (रोड) डायरेक्टोरेट, पश्चिम बंगाल सरकार ने ज्ञापन सं. आई एम-13/05/1011 दिनांक 28.7.2005 के द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत करने के लिए वर्ष 2005-06 हेतु 450 लाख रु. लागत की एफ डी आर (न्यू) की निधियों की मांग हेतु प्रस्ताव भेजा है।

उपरोक्त उल्लिखित स्थिति को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत निधियों की मांग के संबंध में कार्रवाई करे और संबंधित अधिकारियों को इस राष्ट्रीय राजमार्ग की और अधिक खराब होती स्थिति को रोकने के लिए तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने का निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री किसनभाई पटेल। आपको पहले खेद व्यक्त करना होगा।

श्री किसनभाई वी. पटेल (बलसाड़): महोदय, मुझे खेद है।

(पन्द्रह) गुजरात के बलसाड़ शहर और खेरगांव को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल: महोदय, मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बलसाड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर खेरगांव और बलसाड़ शहर के चौराहे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, खेरगांव से बलसाड़ जाने के लिए बलसाड़ शहर और खेरगांव के लाखों नागरिकों को रोज अहमदाबाद-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 को पार करना पड़ता है। इस मार्ग पर यातायात इतना अधिक है कि इसके लिए घंटों खराब करने पड़ते हैं। बलसाड़ की जनता बार-बार विभिन्न स्तरों से इस राष्ट्रीय राजमार्ग के चौराहे पर पुल बनाने की मांग करती आ रही है किन्तु अभी तक वह पूरी नहीं हुई है।

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बागलहारा-गोरगांव चौराहे पर यातायात तुलनात्मक रूप से कम होने के बावजूद सरकार ने पुल बनवा रखा है। खेरगांव-बलसाड़ चौराहे पर पुल के अभाव में यातायात हमेशा अव्यवस्थित रहता है और दुर्घटना होना तो सामान्य सी बात है।

[श्री किसनभाई वी. पटेल]

अत: मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से निवेदन करता हूं कि बलसाड़ शहर और खेरगांव को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के चौराहे पर बिना किसी विलंब के पुल का निर्माण कराया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री पंकज चौधरी। आपको पहले खेद व्यक्त करना होगा।

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश): मुझे खेद है।

(सोलह) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर-महाराजगंज-निचलौल-ठूठीबारी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी: अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर जनपद से महाराजगंज जनपद होते हुए गोरखपुर महाराजगंज-निचलौल-ठूठीबारी राजमार्ग है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के राजमार्गों में अति व्यस्त है और महत्वपूर्ण है। इस मार्ग पर बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। यह मार्ग गोरखपुर से नेपाल तथा बिहार तक जाने वाले वाहनों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। जनपद महाराजगंज से बड़ी संख्या में यात्री प्रतिदिन इस मार्ग से गोरखपुर जाते हैं। महाराजगंज तथा नेपाल से आने वाले वाहन इसी मार्ग से बिहार, दिल्ली, लखनऊ, बनारस आदि प्रमुख स्थानों की ओर जाते हैं।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि गोरखपुर-महाराजगंज-निचलौल-ठूठीबारी राज्य राजमार्ग को स्थानीय जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप यथाशीघ्र राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करें तथा आवश्यक धनराशि आबंटित कर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करवाना आरंभ करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्रीमती जयाबहन ठक्कर। आपको पहले खेद व्यक्त करना होगा।

श्रीमती जयाबहन वी. ठक्कर (बड़ोदरा): मुझे खेद है।

(सत्रह) नवजीवन एक्सप्रेस को चेन्नई से पांडिचेरी तक विस्तारित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन वी. ठक्कर: श्री महायोगी अरबिन्दो का बड़ौदा और गुजरात से पुराना संबंध रहा है क्योंकि वह वहां तेरह वर्षों से अधिक रहे हैं। इन क्षेत्रों में उनके काफी अनुयायी हैं। वर्तमान में चलने वाली ट्रेन संख्या 6045 नवजीवन एक्सप्रेस अहमदाबाद से चेन्नई तक प्रतिदिन चलती है। पांडिचेरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को पांडिचेरी पहुंचने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस ट्रेन को बढ़ाकर पांडिचेरी तक चलाए।

अपराह्न 2.33 बजे

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक, 2004—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद। अब सभा मद संख्या-17 पर चर्चा करेगी और डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगी।

मैं सभी माननीय सदस्यों की तहेदिल से प्रशंसा करता हूं जिन्होंने कल लगभग मध्यरात्रि तक इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया जो इस सभा के कार्यकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, तथा इस सभा में इस विषय के प्रति उनकी गंभीरता और सरोकार को दर्शाता है। यह बहुत प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि सभी लोग विशेषकर इस देश की जनता इस बात को मान्यता देंगे कि यह सभा उनके लिए कार्य करती है।

अब माननीय मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह इसका उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आपने इस तरह के विधेयक को पारित करवाने की कृपा की। आपने सही कहा कि विधेयक पर बहस 18 तारीख से शुरू हुई और कल रात साढ़े ग्यारह बजे तक चली, जिसमें 70 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया। जो माननीय सदस्य बहस में हिस्सा नहीं ले सके, उन्होंने अपना लिखित वक्तव्य टेबल पर रख दिया। इससे समझा जा सकता है कि माननीय सदस्यों ने इसमें कितनी रुचि ली है। सदन में माननीय सदस्यों ने इतना उत्साह, इतनी रूचि ली और इस पर गहराई से सोच-विचार कर ऐसा विश्लेषण किया जो पहले कभी नहीं देखा गया। यह विधेयक का महत्व बताता है। सभी पार्टी के माननीय सदस्यों ने बड़ी गहराई से इसमें रुचि ली। बड़ा संयोग है कि 18 तारीख को इस विधेयक की शुरुआत हुई, 19 तारीख को रक्षाबंधन था, 20 तारीख को स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिन को देशभर

के लोगों ने सद्भावना दिवस के रूप में मनाया और आज इसे पारित करने का मुहूर्त आ गया है। इसमें सभी पक्षें के माननीय सदस्यों को भारी उत्साह और समर्थन रहा। कुछ कतिपय सुझाव क्या है, उनके बारे में मैं बहस के उत्तर में बताऊंगा, लेकिन सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक की बड़ी सराहना की है,भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उन्होंने अपने कई बहुमूल्य सुझाव भी हमें दिये हैं। उन्होंने विश्लेषण करके हमें सावधान भी किया है कि इसमें क्या-क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। यह जानी हुई बात है कि अपने देश में गरीबी और बेकारी पहले से ही है। हमारे देश में शुरू से ही अकाल, सुखाड़, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदायें आती रहती हैं। हमारा इतिहास है कि जब कभी सूखा पड़ा तो राजा जनक को भी हल चलाना पड़ा। इसी तरह बाढ़, सुखाड़, भूकम्प, साइक्लोन और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हमारा देश बराबर प्रभावित होता रहा है, उनका कुप्रभाव हमारे देश पर पड़ता रहा है।

अध्यक्ष महोदय, पुराने जमाने में शासन में जो लोग रहे हैं, अपने देश की संस्कृति है कि "जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप होई नरक अधिकारी।" जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो, वह राज्य नरक होता है यानी सबसे खराब होता है। यह ऊंची संस्कृति है। ...*(व्यवधान)* मैं कहां की बात कर रहा हूं। आप ऊंचा दर्शन समझने का प्रयत्न कीजिए। इसलिए जब पुराने जमाने में अकाल, सुखाड़, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदा आयी, तो उस हालत में अनाज देकर तला उगाही की व्यवस्था शुरू की गयी। जब कोई फसल नहीं होती, भूमिहीन लोगों, गरीब लोगों के पास जीने का कोई जरिया नहीं रहता तब अपने देश में अनाज देकर तला उगाही का काम होता था। हमारे देश में पुराने जमाने के लाखों-लाख तला हैं। मैं करीब 30-40 बरसों से देखता रहा हूं कि रिलीफ के नाम पर, गरीबों को रोजगार देने के लिए हार्ड मैनुअल लैबर स्कीम चलाई गयी क्योंकि दूसरा कोई जरिया नहीं रहा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्याण सिंह जी यहां नहीं हैं। हमने कल्याण सिंह जी को धन्यवाद दिया था क्योंकि वे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने बड़ा विश्लेषण करके हमें एक सर्वसम्मत रिपोर्ट दी। हमसे बहुत लोगों ने कहा कि उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का अनादर किया है। कभी भी स्टैंडिंग कमेटी का अनादर नहीं किया जा सकता क्योंकि सदन की जो गरिमा-महिमा है, उसकी समितियों की भी वही गरिमा-महिमा है। यही संसदीय प्रणाली से हमने सीखा है। स्टैंडिंग कमेटी की कुल 22 अनुशंसाएं थीं, जिनमें से हमने 16 अनुशंसाओं को मान्य किया है। नौ अनुशंसाओं को हमने संपूर्ण मान्य किया है और सात अनुशंसाओं को हमने आंशिक रूप से मान्य किया है। बाकी छः अनुशंसाओं को मानने में हमें कठिनाई है। हमने उस कमेटी का आदर किया है। उस कमेटी के माननीय सदस्य श्री हन्नान मोल्लाह और श्री किशोर चन्द्र एस. देव ने काफी रुचि लेकर इसका विश्लेषण किया और चाहा कि यह रिपोर्ट जल्द से जल्द जमा हो जाये, लेकिन बीच में एक बाधा उत्पन्न हो गयी। अध्यक्ष जी, आप साक्ष्य हैं। आपने भी लिखा-पढ़ी की थी। उस समय विपक्ष ने सदन और समितियों की बैठकों का बहिष्कार कर दिया, नहीं तो यह विधेयक पिछले सत्र में ही पारित हो जाता। लेकिन उसके चलते कुछ विलंब हुआ। मैं उसका उद्धरण नहीं देना चाहता। समिति के सदस्यों ने इस पर बड़ी मेहनत की है। उन्होंने जो ठोस सुझाव दिए हैं, उनको हमने मान्य किया है।

श्री कल्याण सिंह ने अपने भाषण में कहा कि पुराने जमाने की जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना आदि योजनाएं विफल हो गयी—यह गलत है। कभी भी ये योजनाएं विफल नहीं हुई। हां, इन योजनाओं में कम खर्च हुआ लेकिन 1980 से लेकर वर्ष 2004 तक 79 हजार करोड़ रुपये वेज इम्प्लायमैंट में खर्च हुए, जवाहर रोजगार योजना पर 30 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए और इस तरह कुल 79 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए। नैशनल रूरल इम्प्लायमैंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलैस इम्प्लायमैंट प्रोग्राम यानी एनआरपी, आरएलईजीपी, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना, इम्प्लायमैंट, इंश्योरेंस स्कीम, सुनिश्चित रोजगार योजना आदि वेज इम्प्लायमैंट योजनाएं अपने देश में लागू रही हैं। उसमें खर्च हुआ लेकिन पिछले 24-25 वर्षों में करीब 1800 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए। अगर ये नहीं होते तो गरीबों को कहां से काम मिलता, रोजगार मिलता? देश में भुखमरी हो सकती थी। इसीलिए यह सब काम हुआ। वर्षवार हमने आंकड़े इसीलिए जुटाए हैं, भले ही हमें तकलीफ हुई। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, श्री कल्याण सिंह जी ने कह दिया कि तैयारी के साथ विधेयक नहीं आया। मैं उनके इस चार्ज को खारिज करता हूं। पूरी तैयारी के साथ यह विधेयक आया है, क्योंकि हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यह हमारा कमिटमेंट था। इसीलिए हमारे विभाग में यह विधेयक तैयार करने के लिए सितम्बर, 2004 में आया और 21 दिसम्बर को हमने यहां बिल इंट्रोड्यूस किया। एक से एक विद्वान एनजीओज, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी कर रही हैं, सभी से गहन विचार-विमर्श करके यह बिल लाया गया है। इसीलिए इस विधेयक की मूल भावना से किसी को एतराज नहीं है। इनमें गति को और बढ़ाए जाए, और तेज किया जाए, और जल्दी किया जाए, यही सब माननीय सदस्यों का सुझाव आया है। जिसका अभी मैं विश्लेषण करके बताऊंगा।

नेशनल रूरल एम्पलॉयमेंट प्रोग्राम में 325 करोड़ मानव दिवस कार्य सृजित हुआ। रूरल लैंडलेस एम्पलॉयमेंट गांरटी प्रोग्राम में 115 करोड़ दिवस, जवाहर रोजगार योजना में 737 करोड़ दिवस, एम्पलॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम में 264 करोड़ दिवस, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में 5 करोड़ 86 लाख दिवस, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

योजना में 294 करोड़ मानव दिवस कार्य सृजित हुआ। नेशनल फूड फॉर वर्क योजना जो हाल ही में लागू हुई, इसमें 13 करोड़ 86 लाख दिवस कार्य सृजित हुआ। इन सभी योजनाओं में काम भी हुआ है। काम नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस योजना में एक पंथ दो काज हुआ है। एक काम और दो लाभ यानी पहला लाभ यह कि लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजी मिलेगी और वह भुखमरी से बचेगा, फूड सिक्योरिटी का इसमें लक्ष्य है और दूसरे, इससे परमानेंट एसैट का सृजन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी सृजित होगी।

श्री लाल मुन्नी चौबे (बक्सर): अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसमें कुछ काम हुआ है, जरा वह बता दें कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लाल मुनी चौबे जी, उन्होंने यील्ड नहीं किया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत गंभीर मामला है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: कृपा करके सुनने का काम करें। आप उसमें काम पूछ रहे हैं। मानव दिवस तो हमने मुंहजबानी बता दिया है 1800 करोड़ दिवस। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं करें। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक बात नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: करीब पांच लाख विद्यालय भवनों का निर्माण हुआ। *...(व्यवधान)* आप काम पूछ रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री लाल मुनी चौबे, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के वक्तव्य अथवा जिसकी मैं अनुमति दूंगा इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: कुल 16 लाख कि.मी. लंबाई की सड़कों में मिट्टीकरण, ईंटकरण, कहीं मिट्टी, कहीं ईंट, कहीं पत्थरीकरण का काम हुआ है। करीब ढाई तालाबों का निर्माण हुआ। एससी, एसटी के लिए दस लाख कुंओं का निर्माण हुआ। *...(व्यवधान)* डेढ़ लाख पंचायतघरों का निर्माण हुआ। इसमें आपके राज्य का काम भी शामिल है। *...(व्यवधान)* इसमें आपका भी साढ़े पांच वर्ष का राज रहा है, उसका आंकड़ा भी इसमें शामिल है। क्यों छटपट कर रहे हैं? मैं सारी बातें ठीक बता रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप यहां क्या कर रहे हैं? यह आपका स्थान नहीं है। यह सभा में व्यवहार करने का तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: डेढ़ लाख पंचायतघरों का निर्माण हुआ है। सामाजिक वानिकी में 16 हेक्टेअर और 5,000 करोड़ पौधे, ये सब आंकड़े हमने यह साबित करने के लिए जुटाए हैं कि ये योजनाएं विफल नहीं हुई हैं। इनका नाम बदल दिया गया, इनमें जोड़-घटाव होता गया। कोई जवाहर के नाम से थी तो पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम से उनका नाम बदल दिया गया, कहीं जवाहर ग्राम समृद्धि है तो उसे बदलकर संपूर्ण ग्रामीण समृद्धि कर दिया गया है। यह सब फर्क पड़ा है लेकिन वेज एम्पलॉयमेंट का कार्यक्रम चलता रहा है और हमने शुरू में कहा था कि 'जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी', उस हिसाब से रिलीफ का काम चलता है।

मशहूर इकोनोमिस्ट केन, जो ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि मुफ्त में कोई चीज बांटने से देश का पुरुषार्थ कमजोर होता है, लेकिन गरीब आदमियों को हम भूखों मरने नहीं दे सकते, इसलिए कोई न कोई काम कराकर ही, उनको रोजी देकर, मजदूरी देकर, उनकी फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना जरूरी है। उनको मुफ्त में कोई चीज नहीं देनी चाहिए, इसी सिद्धान्त के आधार पर

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कई वेज एम्प्लायमेंट प्रोग्राम अपने देश में वर्षों से चल रहे हैं। नेशनल एम्प्लायमेंट गारंटी कानून, जिसकी सभी लोगों ने प्रशंसा की है, उसकी अहमियत को इसी से समझा जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों ने उत्साहपूर्वक इसमें रुचि ली है। सभी नेताओं ने और यूपीए की चेयरपर्सन, श्रीमती सोनिया गांधी जी से इसे बनाने में, पास कराने में भागीदारी की है और समर्थन दिया है। उधर से श्री कल्याण सिंह जी और श्री मल्होत्रा जी ने तो इसमें अमेंडमेंट भी प्रस्तावित किया है लेकिन अभी तक उनका वक्तव्य नहीं हुआ है। श्री खारबेला स्वाईं और श्री संतोष गंगवार ने भी अमेंडमेंट के प्रस्ताव किए हैं। उधर से ही श्री सुभाष महरिया, श्री अन्नासाहेब पाटिल, श्री धर्मेन्द्र प्रधान आदि सदस्यों ने इसमें रूचि ली है और उनके वक्तव्य हुए हैं।

महोदय, वामपंथी दलों के सभी नेताओं ने, पोलित ब्यूरो से लेकर संसद के अंदर तक, सभी माननीय नेताओं ने, कामरेड और दोस्तों ने इसमें रुचि ली है। माननीय नेता श्री वसुदेव आचार्य, श्री रूपचन्द पाल, श्री हन्नान मोल्लाह, श्री सुधाकर रेड्डी सहित सभी लोगों ने इसमें बड़ी रुचि दिखाते हुए उत्साहपूर्वक इसे समर्थन दिया है।

समाजवादी पार्टी के श्री मोहन सिंह जी कभी-कभी मान लेते हैं कि अलग पाटी के हैं, लेकिन हम कभी समाजवादी पार्टी को अपने से अलग पार्टी नहीं मानते हैं। हम एक ही हाड-मांस के टुकड़े हैं, कभी एक हो जाते हैं और कभी अलग हो जाते हैं। माननीय श्री राम गोपाल यादव जी ने बड़ी रुचि से उत्साहपूर्वक सुझाव और समर्थन दिया है। श्री मोहन सिंह ने लिटमस पेपर की बात हमें यदि दिलायी कि महात्मा गांधी जी ने पं. जवाहर लाल नेहरू से कहा था कि आप जब भी किसी पत्रावली पर दस्तखत कीजिए तो पहले यह देख लीजिए कि उसमें सबसे गरीब आदमी के लिए कुछ है या नहीं। उस लिटमस पेपर पर यह विधेयक खरा उतरता है और इसीलिए उन्होंने यह सुझाव भी दिया है इसे अच्छी तरह लागू किया जाना चाहिए।

महोदय, आज हमारे देश की क्या स्थिति है? महान कवि गोपाल सिंह नेपाली ने हमारे देश में गैर-बराबरी की स्थिति को इन शब्दों में व्यक्त किया है:

"चन्द्र किरण से महलों की दीवार चमकती रहती हैं,
चांदनी झोपड़ी से लिपटकर हर रात सिसकती रहती है,
हर रात सिसकती रहती है।"

महोदय, एक तरफ तो झोपड़ी है और दूसरी तरफ महल है। वह आगे लिखते हैं:

"लाख-लाख झोपड़ियों में छाई हुई उदासी है,
सत्ता संपत्ति के बंगले में हंसती पूरनमासी है,
यह सब अब न चलने देंगे, हमने कसमें खाई हैं,
तिलक लगाने तुम्हें जवानी, क्रान्ति द्वार पर आई है।"

महोदय, यही नहीं, यह बिल राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों को चरितार्थ करता है:

"शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नर का सम हो।
नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो॥"

महोदय, जब इस तरह का सिद्धांत होगा, तभी गांवों में बसने वाले गरीब आम आदमी, झोपड़ी वाले, बिना घर वाले जो 1.5 करोड़ परिवार हमारे देश में रहते हैं, वे ऐसे परिवार हैं जो रोटी, कपड़ा और मकान के अभाव में रहते हैं। इसीलिए यह कानून आया है। इसमें हमने यह दावा नहीं किया है कि इससे गरीबी समूल नष्ट हो जाएगी, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी और स्वर्ग उतर आएगा, लेकिन हम यह दावा करते हैं कि गरीबी उन्मूलन की तरफ और बेकारी उन्मूलन की तरफ यह बिल सबसे ठोस ही नहीं, सबसे भारी और साहसिक कदम है।

अब सवाल उठता है, जैसे लोग कहते हैं कि आपने इस बिल में 100 दिन काम देने की बात ही क्यों कही है। कई माननीय सदस्यों ने यह बात यहां कही। यहां पर नीतीश जी, सुबोध मोहिते जी नहीं हैं, कल्याण सिंह जी और सुरेश प्रभु जी हैं। इन सब लोगों ने तथा दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): आरपीआई ने इसका समर्थन किया है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह ठीक बात है कि आठवले जी ने इसका समर्थन किया है। जो नेशनल एम्प्लायमेंट गारंटी कानून है, यह साल में 100 दिन काम देने की गारंटी वाला कानून है। कल्याण सिंह जी हिसाब लगाकर बता रहे थे कि साल में छः हजार रुपए एक परिवार को मिलेंगे। आपको जब मौका मिला था, आपने छः पैसे का भी इंतजाम नहीं किया, हमने तो छः हजार रुपए का किया है। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ इसी से उनकी जिंदगी चलेगी। 100 दिन काम की गारंटी तो है ही, उससे भी अधिक उन्हें काम केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में मिल सकता है। इस तरह की कई योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में हम इस साल 4200 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। आप तो कभी 2200 करोड़ रुपए और कभी 2500 करोड़ रुपए पर ही अटके हुए थे, जबकि हमने इस साल के बजट में 4200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील (इरन्दोल): यह आंकड़ा सही नहीं है। उन्हें यह आंकड़ा ठीक करना चाहिए। यह 2,200 करोड़ रुपए नहीं था; यह 6,000 करोड़ रुपए से कम नहीं था। कृपया उनसे कहें कि वे यह आंकड़ा ठीक कर लें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सन् 2000 में शुरू हुई थी। तब आपने यह कहा था कि 2500 करोड़ रुपए देंगे, 2300 करोड़ रुपए देंगे। लेकिन जब हम लोगों का राज आया तो हमने 3500 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपए देने की बात कही। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें बोलने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मंत्री के उत्तर को सुनें। माननीय मंत्री के उत्तर के बाद यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं कुछ लोगों के स्पष्टीकरण के लिए अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप क्या कहना चाहते हैं, एक-एक करके कहें। हमने 2005-2006 के बजट में 4200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। भारत निर्माण की जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें भी और बढ़ोत्तरी होगी। चार वर्षों में 48,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उसमें हमारे बजट उपबंध से 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं, बाकी पैसे का प्रबंध इस गैप को भरने के लिए हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि कहां 2200 करोड़ रुपए, 2300 करोड़ रुपए और 2500 करोड़ रुपए, और कहां 4200 करोड़ रुपए। इसलिए लोग इसमें काम करेंगे।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी लोगों को काम मिलेगा। इसी तरह से इरीगेशन की जो योजना है, जो एक करोड़ हैक्टेयर जमीन में भारत निर्माण की, पोटेंशियलिटी सृजन करने की योजना है, उसमें भी लोगों को काम मिलेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने मंत्री को ही बाधा पहुंचा रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हिन्दुस्तान की आर्थिक नीति की रीढ़ कृषि रही हैं, खेतीबारी रही है। इसलिए कृषि में भी मजदूरों की जरूरत होती है, अत: वे साल में कृषि क्षेत्र में भी काम करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की योजनाओं में भी काम करेंगे। केन्द्र सरकार की अन्य योजनाएं हैं, उनमें भी काम करेंगे। यह हमने एडीशनल 100 दिन काम की गारंटी की बात कही है। आप कहते हैं कि 365 दिन में 100 दिन काम करेंगे और बाकी के 265 दिन बैठे रहेंगे – ऐसी बात नहीं है कि बैठे रहेंगे। कृषि में काम करेंगे, अनाज उत्पादन में काम करेंगे। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं में भी उन्हें काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इसलिए 100 दिन के काम की गारंटी के अतिरिक्त भी उन्हें काम मिलता रहेगा, काम होता रहेगा।

हमने इस बिल में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत पुअर हाउसहोल्ड की बात कही थी। लेकिन लोगों ने कहा कि यह बीपीएल, एपीएल, सबके लिए होनी चाहिए। पुअर और गैर-पुअर को कैसे परिभाषित करेंगे इसलिए हाउसहोल्ड के नाम पर झंझट पैदा हुआ, तो हमने एवरी हाउसहोल्ड कर दिया। इसीलिए इस सदन के साथ-साथ पूरे देश में जनता द्वारा इस बिल को व्यापक समर्थन मिल रहा है।

हमारे हिन्दुस्तान के सपूत प्रो. अमर्त्यसेन, जिनका विश्व में बहुत नाम है और जो विश्व में जाने-माने अर्थशास्त्री हैं, नोबल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने कहा है कि यह एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम हिन्दुस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना सिद्ध होने जा रही है।

हमारे कुछ साथियों ने कहा कि यह योजना केवल सौ दिन के लिए ही क्यों लागू हो रही है, 365 दिनों के लिए लागू क्यों नहीं हो रही है। हम हिन्दुस्तान की कृषि को बर्बाद होने नहीं देना चाहते हैं। कृषि में भी मजदूर चाहिए। जब 100 दिन के बाद उन्हें काम नहीं होगा, तो उस समय किसान और मजदूर कृषि तथा अन्य योजनाओं में काम करेंगे, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

योजनाओं में काम करेंगे। इसीलिए हमने केवल 100 दिन काम देने की गारंटी की है जिससे बाकी बचे समय में वे और योजनाओं में काम कर सकें।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि परिवार में सौ केवल एक ही आदमी काम करेगा - ऐसा नहीं है, एक से दो, दो से तीन और तीन से चार आदमी, सब काम करेंगे लेकिन 100 दिन के काम की गारंटी परिवार को होगी। अगर एक परिवार में से दो आदमी काम करेंगे तो पचास-पचास दिन काम मिलेगा और अगर तीन आदमी एक परिवार के काम करेंगे तो 33-33 दिन के हिसाब से तीन आदमी काम करेंगे और उनके कार्ड बना दिये जाएंगे।

मान लीजिए कि हमने कोई 10 लाख रुपये की एक स्कीम बनाई या 5 लाख रुपये की स्कीम बनाई, उसमें अगर 100 दिन से ज्यादा काम होगा तो उन्हें दिया जाएगा। अगर एक परिवार के लोग करेंगे तो उनमें बंटवारा हो जाएगा।

जहां तक महिलाओं के काम करने का सवाल है, फूड फॉर वर्क में 34 प्रतिशत के करीब महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। हमने तीन-चौथाई महिलाओं को उसमें रखा है और इस स्कीम में भी महिलाओं को प्रीओरिटी दी जाएगी।

कुछ सदस्य कहते हैं कि परिवार में काम पाने के लिए झगड़ा हो जाएगा लेकिन हम कहना चाहते हैं कि कोई झगड़ा नहीं होगा। हम गांव से आते हैं, हमें अनुभव हैं - "तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी" - गांव में परिवार की क्या व्यवस्था है, उसे हम लोग ज्यादा जानते हैं, आप लोगों को गांव से क्या मतलब। इसलिए देश भर में लोग कहते हैं कि यह स्कीम बढ़िया है, इसे एक बार में लागू कीजिए। उनकी इस मांग को भी हम अच्छा मानते हैं, लेकिन एक बार में इसे कैसे लागू किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि अनप्रोडक्टिव खर्चा हो रहा है, लेकिन हम सब लोगों की वंदना करते हैं "वंदौ संत असंतम चरणा।" जो इसके खिलाफ हैं उनकी भी हम वंदना करते हैं और जो इसके साथ हैं उनकी भी वंदना करते हैं क्योंकि हमें गरीब आदमी का विधेयक पास करवाना है, निकालना है और इसे पास करवाकर गरीब आदमी का भला करना है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है कि सन 2020 तक हिन्दुस्तान को हम ऐसे स्थिति में ले जाना चाहते हैं जहां एक भी आदमी गरीबी की रेखा से नीचे नहीं होगा। ...*(व्यवधान)* हम 15 वर्षों का ऐसा ठोस कार्यक्रम बनाएंगे जिससे हिन्दुस्तान गरीबी और बेरोजगारी से मुक्त हो सकेगा।

अपराह्न 3.00 बजे

कल्याण सिंह जी कह रहे थे कि चार वर्ष में क्यों नहीं? आपने इसे पांच वर्ष कर दिया है। हमने लिखा है कि पांच वर्षों के अंदर, मतलब चार वर्ष में भी, तीन वर्ष में भी, दो वर्ष में भी, एक वर्ष में भी, यानी पांच वर्षों के अंदर हम इसे करेंगे। पहले 150 जिलों के लिए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था। यदि हम चाहते तो केवल 150 जिलों को रखते। यह सरकार की दृष्टि, सरकार की इच्छाशक्ति, सरकार का इरादा, ग्रामोन्मुखी, समतामुखी और गरीबोन्मुखी इरादों को देखकर आप समझ सकते हैं कि 150 जिले नहीं, हमने कहा पचास जिले और इसमें लिए जाएं। हम इसे दो सौ जिलों से शुरू करेंगे, हिन्दुस्तान के कुल जिलों के एक तिहाई से शुरू करेंगे और यह पांच वर्षों के अंदर होगा। इनको लगता है कि चार वर्ष के बाद 15वीं लोकसभा होगी, तो मैं कहना चाहता हूं कि 15वीं लोक सभा में जो हम लोगों ने गरीबोन्मुखी, ग्रामोन्मुखी कदम उठाया है, यह जो बहुमत है, इससे ज्यादा बहुमत से यूपीए गवर्नमेंट 15वीं लोकसभा में भी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमें गरीबी हटाना है, बेरोजगारी हटाना हैं। हमने इसके लिए पांच वर्ष रखे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप बोलते रहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। आज हम इसे शुरू कर रहे हैं। यह पांच वर्ष के अंदर हो सकता है, चार वर्ष में भी हो सकता है। एक वर्ष में लोगों ने कहा कि सावधानी बरतिए कहीं गड़बड़ी न हो जाए। हमने पिछले अनुभवों से भी सीखा है। लोग महाराष्ट्र में गारंटी कानून की चर्चा करते हैं। मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में गारंटी कानून में पंचायत कहां हैं? यहां पर महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र में यह कितने वर्षों से यह लागू है और लोग कहते हैं कि आप सीखिए। हमने सीखा है कि पंचायती राज वहां है ही नहीं, जबकि महाराष्ट्र में पंचायती राज सशक्त है, अन्य राज्यों से कम नहीं हैं। महोदय, हम लोगों ने पंचायती राज को संपूर्ण अधिकार दिए हैं, उनके चयन में पीपुल्स पार्टिशिपेशन किया है। असल में श्री कल्याण सिंह जी जैसे ग्राम सभा का अधिकार सोशियालॉजी का पूर्ण अधिकार, सारी निगरानी करने का, उसको पारित करने का अधिकार उस दिन अमेंडमेंट देख नहीं सके। प्रोग्रामिंग अफसर को असिस्ट करने के लिए रखा है, सहायता देने के लिए, चूंकि पंचायत में क्या है? ग्राम पंचायत में एक सचिव, एक ग्राम सेवक होते हैं, वे कितना करेंगे? लोग पंचायत-पंचायत कर रहे हैं। महोदय, इसलिए आज पंचायत को सक्षम बनाने की भी जरूरत है, इसलिए हमने पंचायत को प्रिंसिपल रोल दिया है, जो आप की अनुशंसा भी थी, आप के शब्द में फर्क है। आप की अनुशंसा सेंट्रल रोल की थी, जबकि हमने प्रिंसिपल रोल कहा

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

है। इस सेंट्रल और प्रिंसिपल रोल में क्या फर्क है? यह आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, इसलिए पूर्ण पंचायती राज का उसमें प्रावधान किया है।

कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि आपने दो सौ जिलों में किया, सभी जिलों में नहीं लागू किया। हम आप की इच्छा और उत्साह का समर्थन करते हैं। दो सौ जिलों में यह ठीक-ठीक चले और चार वर्षों से कम में ही यह हो जाए। इसका अनुभव कैसा आता है, इसीलिए थाह-थाह करके ठोस कदम उठाया जा रहा है। कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आप इसे शहरों में भी करिए। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है यहां शहर वाले लोग भी बैठे हुए हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, शहरी लोगों के लिए भी हमारा कमिटमेंट है। रूरल एम्प्लायमेंट कानून को भी हम लागू करेंगे। गांवों में काम नहीं मिलता है तो लोग भागकर शहरों में आते हैं, हम गांवों से पलायन ही नहीं होने देंगे। शहरों में बेरोजगारी नहीं होगी। इसीलिए इसको लागू होने दिया जाए, फिर इसके बाद शहरों में देखेंगे कि बेरोजगारी की स्थिति देखेंगे और शहरी लोगों के लिए भी स्कीम लाएंगे। हम कोई भेदभाव करने वाले नहीं हैं। गांव का गरीब और शहर का गरीब हमारे लिए बराबर है, हम दोनों का ख्याल करेंगे। लोग कहते हैं कि अनस्किल्ड को काम देंगे तो स्किल्ड कहां जाएगा? महोदय, जो अनस्किल्ड है, अकुशल है हम उसे काम देंगे, कुशल लोगों को तो काम करने के लिए लोग खोजते हैं, स्किल्ड आदमी मिलता नहीं हैं, इसलिए अनस्किल्ड बेरोजगार भटकता है। स्किल्ड की अभी भी पूछ है, आप स्किल्ड और अनस्किल्ड की चिंता मत कीजिए, दोनों को रोजगार मिलेगा।

एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि पढ़े-लिखे लोगों का क्या होगा? आप तो केवल अनपढ़ का ख्याल कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पढ़े-लिखे लोगों के लिए सैकड़ों काम होते हैं, उनके लिए बढ़िया क्वालिटी वाले प्रशिक्षण का इंतजाम हमने किया है और डिमाण्ड के मुताबिक जिस एरिया में जिन चीजों की जरूरत है, उनको हम उसी तरह का प्रशिक्षण देते हैं। उत्पादक स्वरोजगार योजना का प्रबन्ध किया गया है। 20 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े लोग, गरीब आदमी, गांवों में बसने वाले बेरोजगार, सभी लोग आगे आएं। बैंक वालों का भी उसमें सहयोग मिला है। बेरोजगारी को केवल एक कानून से खत्म नहीं किया जा सकता है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए हमारे पास दर्जनों योजनाएं हैं और हम सब तरह से इसमें लगेंगे, लेकिन इसमें सहयोग चाहिए। बरोजगारी भत्ता देने की बात सदन में कही गयी है। उसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि यदि एक साल तक उनको काम नहीं मिला तो उनको कितनी बेकारी भत्ता मिलेगा, उसका हिसाब हमने कैलकुलेट किया है कि जितना उनको 100 दिन मजदूरी करने से मिलती है, उतनी राशि साल भर काम नहीं मिलने पर बेकारी भत्ता के रूप में, मतलब काम नहीं दिया, तो उसको जुर्माना हम देंगे। उनको बैठाकर उतनी राशि हम अनएम्प्लायमेंट एलाउंस के रूप में देंगे। बीच में यदि उन्हें काम मिल गया, तो एक महीने काम नहीं मिला, 15 दिन के बाद तो जो राशि का प्रबंध हुआ है, वह बेरोजगारी भत्ता के रूप में उन्हें दी जाएगी। एक माननीय सदस्य ने कहा कि आपने इसका एक हिस्सा राज्य सरकार पर डाल दिया है, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार के बिना कैसे यह काम होगा? राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, पंचायती राज, हम, आप, सदन-सभी के सहयोग से यह सब काम होना है। यदि राज्य सरकार यह कहे कि यह हमारी योजना नहीं है, केन्द्र की योजना है, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि जो 40 फीसदी उनका मैटेरियल कंपोनेंट है, उनका 25 प्रतिशत, अर्थात संपूर्ण योजना का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का होगा और राज्य सरकार की भागीदारी से उनको भी इस योजना में अपनापन लगेगा। इसलिए राज्य सरकार की भागीदारी की व्यवस्था हमने इसमें की है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने राज्य सरकारों से विचार नहीं किया है। मैं उनको बताना चाहूंगी कि सचिव स्तर की दो बैठकें हुई थीं। सभी राज्य सरकारों के पास बिल की कॉपी भेजी गयी है, उनके कमेन्ट्स और सुझाव भी आएं हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि राज्य सरकारों को विश्वास में लिया गया है लेकिन इसमें मत-विमत हो सकता है। किसी राज्य सरकार ने कहा कि हमें भार मत दीजिए, जैसे एसजीआरवाई योजना है, हम तो इसमें उनको 10 प्रतिशत की जिम्मेदारी दे रहे हैं, एमजीआरवाई में 25 प्रतिशत राज्य सरकारों का हिस्सा है और हम 75 देते हैं। इंदिरा आवास योजना में 75 प्रतिशत हम देते हैं, 25 प्रतिशत राज्य सरकारों का हिस्सा है। इसमें तो केवल 10 प्रतिशत दिया गया है, तो राज्य सरकारों को इसे उत्साहपूर्वक स्वीकृत करना चाहिए और अपनी भागीदारी करनी चाहिए। यहि हम कहें कि केवल केन्द्र सरकार बेकारी को दूर कर सकती है तो यह राज्य सरकारों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। राज्य सरकारों के सहयोग के बिना हम इस योजना को सफल नहीं मानते हैं। राज्य सरकारों को सहयोग, पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग, आप सभी माननीय सदस्यों का सहयोग, देश भर के चुने हुए बुद्धिजीवी, एन जी ओ, समाजसेवी—सभी लोगों का इसमें सहयोग चाहिए।

माननीय श्रीमती सोनिया जी ने बीस तारीख को अपने कार्यकर्ताओं से कहा है, निर्देश दिया है, आहवान किया है कि सभी कार्यकर्ता ग्रामीण विकास की केन्द्र सरकार की योजनाओं में लग जाओ। गांव में फैल जाएं और इस बारे में जानकारी प्राप्त करें। ...*(व्यवधान)* सभी पार्टी के माननीय नेताओं से मैं आग्रह करता हूं कि ग्रामीण विकास की योजना अथवा केन्द्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन सभी के अच्छे कार्यान्वयन, निगरानी और

पार्टीसिपेशन के लिए और उसे गरीबों तक ठीक ढंग से पहुंचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उत्प्रेरित करें। हम प्रार्थना करते हैं, सभी माननीय राजनीतिक दलों के सभी माननीय नेताओं से कि अपने कार्यकर्ताओं को उत्प्रेरित करें, उनको कार्य करने में, उनको जानकारी देने में, उनको प्रशिक्षित करने में। हमने पंचायती राज के प्रतिनिधियों को कहा है कि सभी को प्रशिक्षण दिया जाए, 20 लाख चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाए। एक-एकसा स्कीम पर 9-9 व्यक्तियों की लोकल विजिलैंस कमेटी होगी। हमने स्थानीय लाभार्थियों की कमेटी बनाने के लिए कहा है। उन सभी को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाए। जनता की भागीदारी होगी, स्टेट विजिलैंस, एकाउंटेबिल्टी ऐंड ट्रांसपैरेंसी होगी जिससे सब लोग जानें, देखें, समझें। हमें पुराने समय का अनुभव हुआ है। लोग कहते हैं कि गांवों में पैसा पहुंचता नहीं हैं। एक लॉबी चलती है जो चाहती है कि गांव में पैसा न जाए। अनप्रोडक्टिव खर्चा हो रहा है। कहा गया है इतने हजार करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा। गरीब के नाम पर यह सारा हिसाब हो जाता है। अगर मैं हिसाब बताऊंगा तो भंडाफोड़ कर दूंगा। मैं भंडाफोड़ करने वाला हूं। 8 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक मनी कहां है? गरीब का हिस्सा कहां गया? डेढ़ लाख नॉन परफॉरमिंग ऐसेट्स कहां गए? गरीब का हिस्सा कहां है? गरीब नॉन परफॉरमिंग ऐसेट्स नहीं बनाता है। 98 फीसदी रिकवरी है। सैल्फ हैल्प ग्रुप में बैंकों की रिकवरी 98 फीसदी है। गरीब आदमी का उसमें हिस्सा है।

श्री लाल मुनी चौबे: आप भंडाफोड़ करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं वही भंडाफोड़ कर रहा हूं। कहा गया है कि परिवार की परिभाषा क्या होगी? न्यूक्लियर फैमिली, सबसे छोटी जितनी होगी, उतनी लाभदायक होगी। माननीय सदस्यों ने जो चिंता जाहिर की है और जो सुझाव दिए हैं, उसने मेरा उत्साहवर्द्धन किया है। माननीय सदस्यों ने मुझे मजबूती दी है। मैंने सभी के सुझाव दर्ज किए हैं। संशोधनों में जितने सुझाव आ सकते थे, वे लिए गए। हम गाइडलाइन्स बनाएंगे। जो रूल बनाएंगे, उनमें सभी महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल करेंगे और कार्यान्वयन में आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। परिवार की परिभाषा उस तरह से की जाएगी जिससे गरीबों को दिक्कत न हो।

देश में पानी का संकट है। अध्यक्ष महोदय, आप इसके बारे में जानते हैं। इसी को देखते हुए आपने एक कमेटी का गठन किया है। पानी के आने वाले संकट पर दूरदृष्टि से सोचना पड़ेगा। दुनिया में दो तिहाई पानी और एक तिहाई जमीन है। हिन्दुस्तान की जमीन 2.4 परसैंट, आबादी 16 परसैंट है। 97 परसैंट पानी पीने लायक नहीं, तीन फीसदी पानी में, दो फीसदी पानी सरफेज पर, एक फीसदी जमीन में, कुछ बर्फ जमा है। कहीं सूखा, हर साल सूखा और ज्यादातर सूखा पड़ता है जिससे पानी का ग्राउंड लैवल नीचे जा रहा है। इसलिए वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हारवैस्टिंग, वाटर शैड मैनेजमैंट, ड्राउट प्रूफिंग, फ्लड प्रूफिंग सोशल फौरैस्ट्री और लैंड डैवलपमैंट को प्रॉयरिटी में रखा है। कहा गया है कि इन सभी को किया जाए।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कई राज्यों में अलग-अलग ढंग से काम होता है। हमने कहा है कि राज्य सरकारों के परामर्श से दूसरी नई योजनाओं को और नए कामों को जोड़ा जा सकता है। हमने बहुत फ्लैक्सिबिल्टी रखी है जिससे केन्द्र राज्य मिल कर इन सभी परिस्थितियों का सामना कर सकें। मैंने पंचायती राज की भूमिका के बारे में बता दिया है। उससे सभी लोग सहमत और संतुष्ट हैं। पंचायती राज संस्थान, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा से लेकर ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, सभी का पूरा इनवॉल्वमैंट, पार्टिसिपेशन उनका प्रिंसिपल रोल है। कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है और उसके लिए पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। एक माननीय सदस्य अखबार पढ़ कर बता रहे थे कि 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपा कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गड़बड़ हुई। इतना बड़ा देश है। कहीं भी हेरा-फेरी हो सकती है। मैं यह दावा नहीं करता कि कहीं कोई हेरा-फेरी की गुंजाइश नहीं है। जिले में कैसे लोग हैं, कैसे अधिकारी हैं, चुने हुए लोग कैसे हैं, योजना कैसे लागू हो रही है, यह देखने की जरूरत है। कहीं लूपहोल्स और कहीं त्रुटियों का शिंकजा कसा रहता है। यहां हर्षद मेहता और केतन पारीख जी, 101 लोग हैं। इसलिए उसमें पूरी सावधानी बरती जायेगी और आगे भी बरती जाए, जिससे कि कोई गड़बड़ी न हो। माननीय सदस्यो के सहयोग का हम स्वागत करेंगे कि कैसे-कैसे हम सब कुछ ठीक करें। इसलिए निगरानी रखने की और संपत्ति सृजन, यह नीति है, 60 फीसदी लेबर कम्पोनैन्ट मजदूरी में देंगे और केवल मजदूरी में देने से ही काम नहीं चलेगा, स्थायी संपत्ति का सृजन इन्फ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का निर्माण भी उससे होगा, 40 फीसदी मैटीरियल कम्पोनैटस में इसलिए खर्चा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के अनुभव से हमने पूरा लाभ उठाया है और हम सब अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए यह जो ऐतिहासिक विधेयक सदन के सामने आया है, सब लोगों ने इसे उत्साहपूर्वक समर्थन देकर हमें सुझाव दिये, सावधानी बरतने के लिए आग्रह किया और चेतावनी भी दीं, उन सभी के हम कायल हैं। हमने उन सभी के सुझावों को ग्रहण किया है और सभी सुझावों को रूल्स को अमल करने में हम स्वागत करेंगे। इसलिए इस महत्वपूर्ण विधेयक के बारे में जिन-जिन माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये हैं, उन सभी का नाम लेकर जवाब देना कठिन है। लेकिन 17 सदस्यों द्वारा जो-जो सवाल उठाये गये हैं, उन सभी के नाम हमारे सामने हैं। उनमें सर्वश्री मोहन सिंह जी, देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, सुबोध मोहिते जी, इलियास आजमी जी, तथागत सत्पथी, सुधाकर रेड्डी, बची सिंह रावत जी आदि के नाम

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

हमने दर्ज किये हैं। बाकी सभी के नाम लेना कठिन है। लेकिन इन सभी को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि इन सभी लोगों ने पूरी तैयारी के साथ इसमें भाग लिया। श्री अर्जुन चरण सेठी जी, डा. चिंतामोहन, डा. कृष्णन, श्री निखिलानन्द सर, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री वीर सिंह महतो, श्री जोवाकिम बखला, श्री एम. रामदास, जो अर्थशास्त्री हैं, उनका भी हम इसमें सहयोग लेंगे। हमने जो 150 जिलों में फूड फॉर वर्क परियोजना लागू की है, उसमें पर्सपैक्टिव प्लान पांच वर्षों का बनाना है। कृपा करके माननीय सदस्य देखें कि दस लाख रुपये एक्सपर्ट का इस्तेमाल करके पर्सपैक्टिव प्लान की तैयारी करने का उसमें प्रावधान है। हमने सभी गाइडलाइंस भेज दी हैं। इसलिए अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों, तकनीशियनों आदि का इस्तेमाल करने का जो सुझाव है, हम उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और सभी सुझावों को मानेंगे। इसलिए सभी का आभार प्रकट करते हुए और सभी पार्टियों के नेताओं और सभी माननीय सदस्यों को जिंदाबाद बोलते हुए मैं इस कविता के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं-

"यह देख रोजगार गारंटी कानून आया, बेकारी, गरीबी मिट जायेगी,
मानवता की काली बिन्दी छार-छार हो जायेगी।"

रोजगार गारंटी कानून जिंदाबाद। आप सभी से प्रार्थना है कि सर्वसम्मति से इस ऐतिहासिक कानून को पारित किया जाए, जिससे गरीबों के मन में उत्साह बढ़े, उन्हें रोजगार मिले, गांवों से पलायन रुके और हिन्दुस्तान वर्ष 2020 में दुनिया की अगली पंक्ति के देशों में चला जाए, यही हमारा सपना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। मैंने वादा किया है कि मैं तीन-चार सदस्यों को कुछ स्पष्टीकरण पूछने का मौका दूंगा। कृपया मंत्री जी को थोड़ा आराम लेने दें।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सभी रोजगार गारंटी योजना का स्वागत कर रहे हैं परंतु मेरे कुछ प्रश्न हैं। मंत्री ने कहा है कि अधिकांश ग्रामीण विकास योजनाएं रोजगार गारंटी योजना में मिला दी जायेगी। यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि उन जिलों का क्या होगा जिनका योजना के लिए चयन नहीं किया गया हो। वस्तुत: इसे स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निधियों की उपलब्धता की कोई सीमा नहीं है। यदि यही स्थिति है और यदि जिन जिलों में यह योजना शुरू की गयी है और रोका नहीं जाएगा तो और अधिक जिलों को वे इस योजना में शामिल क्यों नहीं करते? वे इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं।

दूसरा, जिलों के चयन का मानदंड भी स्पष्ट नहीं किया गया है। किस प्रकार इनकी संख्या बढ़ायी जाएगी? यदि सभी राज्यों से जिलों का चयन किया जाना है, क्या जिलों का चयन गैर-राजनीतिक होगा? यह इसलिए है कि यह संदेह है कि जिलों का चयन राजनीतिक ढंग से होगा। क्या माननीय मंत्री इन दो मुद्दों को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे?

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका): अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय: एक-एक करके ही सबको बुलाएंगे। एक साथ नहीं बुला सकते। रतिलाल जी आप बैठ जाइए।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री रघुवंश जी ने आम सभा का भाषण बिल के नाते किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हम ज्यादा तादाद में यहां बढ़ेंगे, तो इसका सीधा संबंध वोट के साथ है। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। अभी-अभी उन्होंने सीरियल नं. 7(4) संशोधन सदन में बांटा है। हमारे देश में कई जिले हैं जहां मिनिमम वेजेज 60 रुपये से ज्यादा है। कहीं 100 रुपये है और कहीं 134 रुपये भी है। उन्होंने जो संशोधन सर्कुलेट किया है, उसकी अंग्रेजी मैं समझना चाहता हूं। इसमें लिखा है:

[अनुवाद]

"आगे यह उपबंधित है कि इस प्रकार की किसी भी अधिसूचना के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट मजदूरी की दर 60 रुपए प्रतिदिन की दर से कम नहीं होगी।"

[हिन्दी]

मैं मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इससे ऊपर जिनको पैसा मिलता है, क्या वह उनको मिलता रहेगा? 60 रुपये से कम नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर जिनको जो भी पैसे मिलते हैं, 100 रुपये या 110 रुपये मिलते हैं, वह उनको मिलने चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इतना अच्छा भाषण किया है मगर 58 सालों से अनेक योजनाएं आई हैं। मंत्री जी ने कबीर का दोहा कहा कि - 'सब कहते कागद की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी,' मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपने जो पढ़ा, वह सरकारी अधिकारियों का बनाया हुआ बिल है मगर आंखों ने उल्टा देखा है। योजनाओं का जो इंप्लीमैंटेशन होता है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि एक रुपया सरकार की तिजोरी में से निकलता है तो उसमें से सिर्फ 15 पैसे ही गरीबों के घर

(8)

तक पहुंचते हैं। इसलिए आपको इसकी भी गारंटी देनी होगी कि जो रुपया सरकार की तिजोरी से निकले, वह गरीब आदमी तक पहुंचे, न कि 85 पैसे बीच में से कोई ले जाए। इसलिए ये दो पॉइंट्स हैं कि सुपरवाइजरी अथॉरिटी कौन होगी और अकाउंटेबिलिटी किस पर होगी। आपने मोटे तौर पर बता दिया कि पंचायत होगी, ब्लाक पंचायत होगी, मगर केन्द्र राज्य और पंचायत, इन तीनों का संकलन करने वाली अथॉरिटी किसकी होगी?

[अनुवाद]

किसे जिम्मेदार ठहराया जायेगा यदि यह योजना समुचित तरीके से कार्यान्वित नहीं की जाती है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिये। एक क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं।

[अनुवाद]

आप इस विषय पर 12 से 13 घंटे के वाद-विवाद के बाद फिर इस पर भाषण नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बहुत सारी पंक्तियों में अपनी बात रखी है। मैं चार पंक्तियों में अपनी बात रखना चाहता हूं:

"गरीबी हटेगी, गरीबी हटेगी, यह सुनकर कान थके,
आपका भाषण सुनकर अब तो लोग थके।
करना हो तो कुछ काम करो।
करना हो तो कुछ करके दिखाओ,
लोक सभा में मगर के आंसू मत बहाओ,
माननीय मंत्री जी अब तो गरीबों को मूर्ख न बनाओ।
गरीब समझ गया है कौन अपना और कौन पराया,
पचास साल तक गरीबों का कभी न घर बसाया।"

क्या उनका घर आप बसाएंगे, यही मुझे पूछना है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है। आपको क्लैरिफिकेशन के लिए बोला था। आप बहुत अच्छे कवि हैं, मगर यह कविता का समय नहीं है।

श्री तथागत सत्पथी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग प्लीज बैठ जाइए। यह सही नहीं है। सब ठीक ढंग से चल रहा है। आप कोई एक क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। दोबारा स्पीच नहीं देनी है। आप लोग बोल चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदय, मेरा एक विशिष्ट प्रश्न है। उड़ीसा एक कम जनसंख्या वाला राज्य है। राज्य के तीस जिलों में से केवल 18 जिलों का "काम के बदले अनाज "कार्यक्रम के लिए चयन किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा राज्य के उत्थान के लिए वे इसे देश के शेष हिस्सों की बराबरी पर लाया जाना आवश्यक समझेंगे।

क्या मंत्री पूरे राज्य को अर्थात उड़ीसा राज्य के सभी तीस जिलों को इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दो बिंदुओं पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक तो मंत्री जी का बयान बिहार के अखबारों में आया है कि पंचायती राज व्यवस्था में निचले स्तर पर गड़बड़ी हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि जब मंत्री जी के मन में यह शंका पहले से ही है कि निचले स्तर पर गड़बड़ी हो रही है, तो इसमें सुधार लाने के लिए क्या किया गया है?

श्री हरिन पाठक जी ने कहा कि हम लोगों के यहां मजदूरों को सौ रुपया या 110 रुपया मजदूरी मिलती है। कई जगहों पर अगर यह कानून बन जाएगा तो जिसको 110 रुपया मजदूरी मिल रही है, वहां काम कराने वाला उसे कम मजदूरी देने के लिए कहेगा। ऐसी स्थिति में आप क्या कार्यवाही करेंगे और कौन सा कानून लागू होगा? इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि जो मिल रहा है उससे ज्यादा मजदूरी मिले, उससे कम मजदूरी न मिले। इन दो बिंदुओं पर कृपया माननीय मंत्री जी प्रकाश डालें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: श्री विजयेन्द्र पाल सिंह ने सवाल उठाया कि किस आधार पर 150 जिले फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के लिए चुने गए हैं। इसके लिए तीन पैरामीटर निश्चित किए गए हैं—1. एससी और एसटी की आबादी। 2. वहां पर वेजिज क्या हैं? 3. वहां पर प्रोडिक्टिविटी क्या है? इन तीन पैरामीटर्स के आधार पर राज्यवार जिलों को चुना गया है। माननीय सदस्य संबंधित सूची देख सकते हैं। इसमें 50 जिलों को और शामिल किया जाना है। इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है। उड़ीसा के सबसे ज्यादा 18 जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों का

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

चयन एक सुनिश्चित क्राइटेरिया पर आधारित है। इसमें कोई राजनीति या भेदभाव नहीं हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी योजना आयोग को दी गई है। योजना आयोग एक निश्चित क्राइटेरिया के आधार पर इन जिलों का चयन करेगा। अभी 50 एडिशनल जिले भी चुने जाएंगे।

श्री हरिन पाठक जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। न्यूनतम मजदूरी साठ रुपये कर दी गई है। बहुत गहन छानबीन, विचार-विमर्श और राय के बाद यह तय हुआ कि जो अंतिम संशोधन विधेयक आया है, उसमें देश के विभिन्न राज्यों में जो मिनीमम वेजिज वहां पर लागू है, उससे कम नहीं दिया जाएगा। वहां केन्द्र सरकार यदि जरूरत महसूस करती है तो वह भी वेजिज दे सकती है, जो कि साठ रुपये से कम नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: भाषण पर साथ-साथ टीका-टिप्पणी नहीं की जा सकती।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्षमा करें, इसकी अनुमति नहीं हैं। आप उन्हें उत्तर न दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसके लिए आप सब सदस्यों की भागीदारी की आवश्यकता है। श्री रघुनाथ झा ने सवाल उठाया था कि डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस और मॉनिटरिंग कमेटी को इसके इम्प्लीमेंटेशन, देखभाल और निगरानी करने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। जो माननीय सदस्य की अध्यक्षता वाली समिति है, उसे पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं।

श्री रतिलाल वर्मा ने कविता के जरिए सवाल उठाया था। मेरा जवाब इस प्रकार है – "अगर तुम साथ देने का वायदा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे लूटाता रहूं।"

श्री तथागत सत्पथी ने उड़ीसा के जिलों का सवाल उठाया है। जिन अतिरिक्त पचास जिलों को इस स्कीम के तहत शामिल किया जाना है, उनमें उड़ीसा के एससी, एसटी जिलों को भी शामिल किया जाएगा। उड़ीसा के पहले ही 18 जिले इसमें शामिल किए गए हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने पंचायती राज के बारे में पूछा है। पंचायती राज की भागदारी सरजमीं तक रहेगी। माननीय सदस्यों की देखरेख में, निगरानी में, सोशल ऑडिट और ग्राम सभा की भागीदारी से यह काम किया जाएगा। जब मामला ग्राम सभा में चला जाए और ग्राम सभा की बैठक होने लगे तो सभी सदस्यों की देखरेख में सारी गड़बड़ी न्यूनतम और कम बल्कि बिलकुल समाप्त हो जाएगी। सभी स्पष्टीकरण के बाद सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि इस बिल का समर्थन करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयकों पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय: सभा में अब डा. रघुवंश प्रसाद सिंह के विधेयक पर खण्ड-वार विचार किया जाएगा।

खण्ड 2—परिभाषा

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 2, पंक्ति 20, "पंचायत समिति" के स्थान पर "मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत" प्रतिस्थापित किया जाए (4)

पृष्ठ 2, 30 से 33 तक की पंक्तियों का लोप किया जाए, (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 34, "ठ" के स्थान पर "ट" प्रतिस्थापित किया जाए (6)

पृष्ठ 2, पंक्ति 36, "ड" के स्थान पर "ठ" प्रतिस्थापित किया जाए (7)

पृष्ठ 3, पंक्ति 1, "ढ" के स्थान पर "ड" प्रतिस्थापित किया जाए (8)

पृष्ठ 3, पंक्ति 1, "किसी ब्लॉक में" का लोप किया जाए (9)

पृष्ठ 3, पंक्ति 3, "ण" के स्थान पर "ढ" प्रतिस्थापित किया जाए (10)

पृष्ठ 3, पंक्ति 5, "त" के स्थान पर "ण" प्रतिस्थापित किया जाए (11)

पृष्ठ 3, पंक्ति 8, ''थ'' के स्थान पर ''त'' प्रतिस्थापित किया जाए (12)

पृष्ठ 3, पंक्ति 10, ''द'' के स्थान पर ''थ'' प्रतिस्थापित किया जाए (13)

पृष्ठ 3, पंक्ति 12, ''ध'' के स्थान पर ''द'' प्रतिस्थापित किया जाए (14)

पृष्ठ 3, पंक्ति 14, ''न'' के स्थान पर ''ध'' प्रतिस्थापित किया जाए (15)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाई, क्या आप संशोधन सं. 54 को पेश करने के प्रति आग्रही हैं

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): चूंकि माननीय मंत्री उससे सहमत हो गए हैं, अत: मैं पेश नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: हमें इसकी सराहना करनी चाहिए कि माननीय मंत्री की बात सुनने के बाद वे संशोधन के लिए जोर नहीं दे रहे हैं।

प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3—निर्धन गृहस्थियों के लिए ग्रामीण नियोजन की गारंटी

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 3, पंक्ति 18 से ''और ऐसी अवधि के लिए'' का लोप करें। (16)

पृष्ठ 3, पंक्ति 18-19 'प्रत्येक निर्धन गृहस्थी' के स्थान पर 'प्रत्येक गृहस्थी' प्रतिस्थापित किया जाए। (17)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष महोदय: स्वाईं महोदय, क्या आप संशोधन सं. 55, 56 और 57 पर जोर दे रहे हैं?

श्री खारवेल स्वाईं: नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, क्या आप संशोधन संख्या 64 पेश कर रहे हैं? क्या आप बोलना चाहते हैं?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैं अपना संशोधन पेश कर रहा हूं। यह केन्द्र सरकार के बारे में है जिसे यह योजना दो वर्ष की अवधि में संपूर्ण भारत वर्ष में लागू करनी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने विधेयक में बताया है कि इस वर्ष इस योजना को 150 जिलों में शुरू करेंगे तथा 50 जिले इसमें और जोड़े जाएंगे और चार या पांच साल में इस योजना को ये पूरे देश में लागू किया जाएगा। मेरा मानना है कि इसे दो साल में पूरे देश में लागू होना चाहिए।

[अनुवाद]

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 10-11 ''या किसी भी दशा में पंद्रह दिन के पश्चात किया जाएगा'' का लोप करें (64)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा पेश किये गए संशोधन संख्या 64 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4—ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी स्कीमें

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभु, क्या आप संशोधन सं. 70 पर जोर दे रहे हैं?

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): नहीं, महोदय, मैं तो माननीय मंत्री से सिर्फ स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह स्पष्टीकरण नहीं अपितु सरलीकरण है।

महोदय, कई योजनाएं हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसे पेश नहीं कर रहे हैं अत: मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: यह मैं नियम 86 के अंतर्गत कह रहा हूं। ऐसे कई घटनाक्रम हैं जो इसमें उद्धृत नहीं हैं। केवल कार्य की परिधि का उल्लेख किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने केवल

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

कुछेक दिन पहले ही यह उद्धृत किया था कि वितरण प्रणाली में भारी गड़बडी हो रही है। यह एक ऐसी योजना है जो इतनी व्यापक जिसकी पूर्व में विशाल नहीं है। अतएव, मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और उसी प्रकार की अन्य वस्तुएं जो मैंने उसमें उद्धृत की हैं सहित कार्य आबंटन में हुए घटनाक्रम को भी स्पष्ट करें। यदि आप ऐसा मानते हैं कि वे इस पर ठीक प्रकार से विचार-विमर्श करेंगे तो मैं संशोधन पेश नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप इस सुझाव को ध्यान में रखें।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 4, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंण्ड-6—मजदूरी दर

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, क्या आप संशोधन सं. 65 पर जोर दे रहे हैं?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 4 पंक्ति 22-27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

"(2) न्यूनतम मजदूरी दर पचहत्तर रुपए प्रतिदिन नियत की जाती है तथा केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अंतर पर विचार करते हुए न्यूनतम मजदूरी दर आवधिक रूप से संशोधित करेगी। (65)

[हिन्दी]

अभी इन्होंने इसका जिक्र किया है। एक एमेंडमेंट इन्होंने अभी दी है, जिसमें यह कहा है कि 60 रुपये मिनिमम होगा, पर उसमें हमने जो एमेंडमेंट दी थी कि जो वहां पर इस समय 134 रुपये मिल रहा है, कहीं वह 130 रुपये है, उससे कम नहीं होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस पर बाद में चर्चा होगी।

अब मैं प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन सं. 65 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु, क्या आप संशोधन सं. 71 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: नहीं, महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, क्या आप संशोधन संख्या 74 प्रस्तुत कर रहे हैं? आपको उसे प्रस्तुत करना है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 37 के बाद निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए-

"परन्तु यह और कि किसी ऐसी अधिसूचना के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट मजदूरी दर साठ रुपए प्रतिदिन से कम की दर पर नहीं होगी।" (74)

अध्यक्ष महोदय: प्रोफेसर मल्होत्रा, क्या आप यह संशोधन ला रहे हैं? आप इस संशोधन में संशोधन करना चाहते है। सामान्यतया, ऐसा करने की अनुमति नहीं है। लेकिन, मैंने अनुमति दे दी है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 37 के बाद निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए-

"परन्तु यह और कि किसी ऐसी अधिसूचना के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट मजदूरी दर राज्य विशेष में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं होगी।"

[हिन्दी]

हमने सिर्फ यह कहा है कि अगर वहां पर इस समय अगर 134 रुपये मिल रहा है तो उससे कम नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

जो भी न्यूनतम मजदूरी हो,

[हिन्दी]

उससे कम नहीं होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह आपके पहले संशोधन में कवर कर लिया गया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वह लगभग 75 रुपए था। मेरा कहना है कि उन्हें अभी जो कुछ भी दिया जा रहा है, जो भी न्यूनतम मजदूरी हो, वह इससे कम नहीं होनी चाहिए; इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): माननीय मंत्री अपने भाषण में पहले कह चुके हैं कि ऐसा ही होगा। आप इसे स्वीकार क्यों नहीं करते?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उनका कहना है कि यह केवल 60 रु. है।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन सं 74 का संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है-

"कि पृष्ठ 3, पंक्ति 37 के बाद निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए-

"परन्तु यह और कि किसी ऐसी अधिसूचना के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट मजदूरी दर साठ रुपये प्रतिदिन से कम की दर पर नहीं होगी।" (74)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 6, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 7—बेकारी भत्ते का संदाय

संशोधन किया गया

"पृष्ठ 5, पंक्ति, 15, "स्थानीय अधिकारी" के पश्चात "ज़िला, मध्यवर्ती अथवा ग्राम स्तर पर पंचायतों सहित।" अंत:स्थापित किया जाए।(18)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाईं, क्या आप संशोधन सं. 58, 59, 60, 61 और 62 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): नहीं, महोदय, मैं कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: हमें सहयोग की भावना की प्रशंसा करनी चाहिए। मैं यहां से आपकी प्रशंसा करता हूं। हमें इसी प्रकार से एक-दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 7, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8—कतिपय परिस्थितियों में बेकारी भत्ते का संवितरण न करना

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, क्या आप संशोधन सं. 66 प्रस्तुत कर रहे हैं?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 5, प्रंक्ति 31 -

"यथासंभव शीघ्रता से" के स्थान पर "दस दिन की अधिकतम अवधि के भीतर" प्रतिस्थापित किया जाए। (66)

महोदय, उन्होंने "यथासंभव शीघ्रता से" कहा है और मैंने कहा है "दस दिन की अधिकतम अवधि के भीतर।"

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप इनका संशोधन स्वीकार कर रहे है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन सं. 66 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9—कतिपय परिस्थितियों में बेकारी भत्ता प्राप्त करने के हक से वंचित रहना

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, क्या आप संशोधन सं. 67 प्रस्तुत कर रहे हैं?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 6, पंक्ति 3–

"तीन मास की अवधि के लिए" के स्थान पर "उस अवधि के लिए जिसमें वह कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता है।" प्रतिस्थापित किया जाए। (67)

महोदय उन्होंने कहा है "तीन मास की अवधि के लिए।" मैंने कहा है कि इसे "उस अवधि के लिए जिसमें वह कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता है" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

[हिन्दी]

उतने दिन का छोड़कर इन्होंने तीन महीने अगर काम नहीं होता है, तो किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन सं. 67 को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रस्ताव रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, स्थाई समिति ने एक मत होकर इन सभी संशोधनों का सुझाव दिया है। अब, इन्होंने अस्वीकृत कर दिया है और मंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने स्थाई समिति की सिफारिशों का सम्मान किया है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है।

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 – केन्द्रीय नियोजन गारंटी परिषद

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 28 "अनुसूचित जनजातियों के पश्चात "अन्य पिछड़े वर्ग" अंत:स्थापित किया जाए (19)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है।

"कि खंड 10 यथासंशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 यथासंशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11—केन्द्रीय परिषद के कृत्य और कर्तव्य

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश प्रभु, क्या आप संशोधन सं. 72 को पेश कर रहे हैं?

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, मैं संशोधन 72 को पेश नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 – राज्य नियोजन गारंटी परिषद

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7, पंक्ति 28, "अनुसूचित जनजातियों" के पश्चात "अन्य पिछड़ा वर्ग" अंत:स्थापित किया जाए" (20)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 12 यथासंशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 यथा संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड– 13 – जिला स्तर पर स्थायी समिति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 8, पंक्ति 13 से 31 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:

योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए प्रमुख प्राधिकरण।

"13. (1) इस अधिनियम के अंतर्गत योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए प्रमुख प्राधिकरण जिला मध्यवर्ती और ग्राम स्तर पर पंचायतें होंगी।

(2) जिला स्तर पर पंचायतों के कार्य निम्नलिखित होंगे:

(क) योजना के अंतर्गत कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की ब्लॉकवार सूची तैयार करना और उनका अनुमोदन करना;

(ख) ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर शुरू की गई परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और निगरानी; और

(ग) ऐसे अन्य कार्य करना जो उसे राज्य परिषद द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।

(3) पंचायत स्तर पर पंचायतों के कार्य निम्नलिखित होंगे:

(क) अंतिम अनुमोदन के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत को भेजने के लिए ब्लॉक स्तरीय योजना अनुमोदित करना;

(ख) ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर शुरू की गई परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और निगरानी; और

(ग) ऐसे अन्य कार्य करना जो उसे राज्य परिषद द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।

(4) जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता इस अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई किसी योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर पंचायत की उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करेगा।" (21)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 13 यथासंशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 यथासंशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 – जिला कार्यक्रम समन्वयक

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 9, पंक्ति 2-3, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:

"(क) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई किसी योजना के अंतर्गत जिला पंचायत को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना" (22)

पृष्ठ 9, पंक्ति 4, "स्थायी समिति" के स्थान पर "जिला स्तर पर पंचायत" प्रतिस्थापित किया जाए (23)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 14 यथासंशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 यथासंशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 – कार्यक्रम अधिकारी।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 9, पंक्ति 29-31, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:

कार्यक्रम अधिकारी:–"15. (1) मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत में राज्य सरकार एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगी जो ब्लॉक विकास अधिकारी के रैंक से नीचे का अधिकारी न हो और उसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हो जो राज्य सरकार द्वारा मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में निर्धारित की हों।

(2) कार्यक्रम अधिकारी इस अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई किसी योजना के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत की उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करेगा।" (24)

पृष्ठ 9, पंक्ति 32 "(2) के स्थान पर "(3)" प्रतिस्थापित किया जाए (25)

पृष्ठ 9, पंक्ति 35 "(3) के स्थान पर "(4)" प्रतिस्थापित किया जाए (26)

पृष्ठ 9, पंक्ति 38 "(4)" के स्थान पर "(5)" प्रतिस्थापित किया जाए (27)

पृष्ठ 10, पंक्ति 3, "पात्र निर्धन गृहस्थियों" के स्थान पर "पात्र गृहस्थियों" प्रतिस्थापित किया जाए (28)

पृष्ठ 10, पंक्ति 14, "(5)" के स्थान पर "(6)" प्रतिस्थापित किया जाए (29)

पृष्ठ 10, पंक्ति 16, "(6)" के स्थान पर "(7)" प्रतिस्थापित किया जाए (30)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 15 यथासंशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 यथासंशोधित विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16 – ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्व

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 10, पंक्ति 34, "आवंटित कर सकेगा" के स्थान पर "आबंटित करेगा" प्रतिस्थापित किया जाए (31)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 16 यथासंशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 यथासंशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 27 – केन्द्र सरकार की निर्देश देने की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 13, पंक्ति 19, "(27)" के स्थान पर "(27).(1)" प्रतिस्थापित किया जाए (32)

पृष्ठ 13, 21वीं पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए:

"(2) उप खंड (1) के प्रावधानों में किसी भी बात के रहते हुए केन्द्र सरकार, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी योजना के संबंध में, दिए गए धन के मुद्दे अथवा अनुचित उपयोग के बारे में कोई शिकायत मिलने पर, यदि वह प्रथम दृष्ट्या इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा मामला बनता है, जिससे इसके द्वारा नामित किसी एजेंसी द्वारा की गई शिकायत में जांच का कारण है और यदि आवश्यक है तो वह योजना के लिए निधियों की रिलीज रोकने का आदेश दे सकती है और यथोचित समय-सीमा के भीतर उसके उचित कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपचारी उपाय शुरू कर सकती है।" (33)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 27, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 से 31 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 32—राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 14, पंक्ति 36-37 का लोप करें (34)

पृष्ठ 14, पंक्ति 38, "(ङ)" के स्थान पर "(घ)" प्रतिस्थापित किया जाए (35)

पृष्ठ 15, पंक्ति 2, "(च)" के स्थान पर "(ङ)" प्रतिस्थापित किया जाए (36)

पृष्ठ 15, पंक्ति 4, "(छ)" के स्थान पर "(च)" प्रतिस्थापित किया जाए (37)

पृष्ठ 15, पंक्ति 6, "(ज)" के स्थान पर "(छ)" प्रतिस्थापित किया जाए (38)

पृष्ठ 15, पंक्ति 8, "(झ)" के स्थान पर "(ज)" प्रतिस्थापित किया जाए (39)

पृष्ठ 15, पंक्ति 10, "(ञ)" के स्थान पर "(झ)" प्रतिस्थापित किया जाए (40)

पृष्ठ 15, पंक्ति 12, "(ट)" के स्थान पर "(ञ)" प्रतिस्थापित किया जाए (41)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 33 और 34 विधेयक में जोड़ दिए गये।

अनुसूची-1

संशोधन किया गया

पृष्ठ 16, पंक्ति 33, "परिश्रम से" का लोप करें (42)

पृष्ठ 16, पंक्ति 9-10 के स्थान पर रखें–

"अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों के स्वामित्वाधीन भूमि के लिए या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की भूमि के लिए या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों की भूमि के लिए सिंचाई प्रसुविधा का उपबंध।" (49)

पृष्ठ 16, पंक्ति 18 में "केन्द्रीय, सरकार द्वारा" के पूर्व, अंत: स्थापित करें–

"राज्य सरकार के परामर्श से।" (50)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अनुसूचीत 1 यथासंशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची 1, यथासंशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी।

अनुसूची 2

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 17 पंक्ति, 37 "ग्राम सभा" के स्थान पर "ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (इसे इस अनुसूची में इसके पश्चात ग्राम पंचायत कहा गया है।" प्रतिस्थापित किया जाए (43)

पृष्ठ 18, पंक्ति 30, "ग्राम पंचायत के कार्यालय" के स्थान पर "जिला, मध्यवर्ती अथवा ग्राम स्तर पर पंचायतें" प्रतिस्थापित किया जाए। (44)

पृष्ठ 20, पंक्ति 10, "दस हजार रुपये," के स्थान पर "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए। (45)

पृष्ठ 20, पंक्ति 17-20, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"28. यदि किसी मामले में कार्य कर रही महिलाओं के साथ 6 वर्ष की आयु से कम के बच्चों की संख्या 5 अथवा उससे अधिक है, तो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए एक ऐसी कामगार महिला को तैनात करने की व्यवस्था की जाएगी।" (46)

पृष्ठ 18, पंक्ति 18 के पश्चात अंत:स्थापित करें:

"परन्तु स्त्रियों को पूर्विकता इस प्रकार दी जाएगी कि हिताधिकारियों में से कम से कम एक तिहाई ऐसी स्त्रियां होंगी, जिन्होंने इस अधिनियम के अधीन कार्य के लिए रजिस्टर कराया है और अनुरोध किया है।" (51)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची 2 यथासंशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची 2 यथासंशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, अनुसूची 2 में एक संशोधन हैं, जिसके लिए मैंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: आपका संशोधन संख्या 69, 45 के समान ही है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जी नहीं महोदय, यह एक जैसा नहीं है। 10,000 रुपये के स्थान पर 25,000 रु. होना चाहिए। यही मेरा संशोधन है।

अध्यक्ष महोदय: इसे सरकार द्वारा संशोधन में कार्यान्वित किया गया है। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा कि आपने भी एक संशोधन के लिए सूचना दी है।

खण्ड 1—संक्षित नाम, विस्तार और प्रारंभ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 6, "2004" के स्थान पर "2005" प्रतिस्थापित किया जाए।

पृष्ठ 2, पंक्ति 1, के पश्चात अंत:स्थापित करें-

"परन्तु यह अधिनियम उस संपूर्ण राज्यक्षेत्र को जिस पर इसका विस्तार है, इस अधिनियम के अधिनियमन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर लागू होगा।" (47)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, यथासंशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, आपका खंड 1 में एक संशोधन है। क्या आप इसे प्रस्तुत कर रहे हैं?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यह समान ही है।

अध्यक्ष महोदय: तो आप इसे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, यथासंशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र

[हिन्दी]

संशोधन किया गया:

"पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "पचपनवें" के स्थान पर "छप्पनवें" प्रतिस्थापित किया जाए।" (2)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम

[हिन्दी]

संशोधन किया गया:

"पृष्ठ 1, विधेयक के पूरे नाम में, "निर्धन गृहस्थियों" के स्थान पर "गृहस्थियों" प्रतिस्थापित किया जाये।" (1)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाईं ने विधेयक के पूरे नाम में संशोधन का प्रस्ताव किया है। श्री स्वाईं, क्या आप अपने संशोधन का आग्रह कर रहे हैं?

श्री खारबेल स्वाईं: अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले पर माननीय मंत्री से केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैंने संशोधन के लिए नोटिस दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि परिवार के किसी एक सदस्य को ही कार्य दिया जाए बल्कि परिवार के किसी भी सदस्य को कार्य करने की अनुमति दी जाए। यदि वे इसे स्वीकार करते हैं, तो मैं अपने संशोधन के लिए आग्रह नहीं करूंगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, उन्होंने पहले भी इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि परिवार में पांच सदस्य हों तो 100 दिनों के कार्य में से उन्हें केवल 20 दिनों तक दिया जा सकता है। लेकिन हमारा कहना है कि यदि कोई सदस्य स्वयं कार्य करना चाहता है, तो उसे इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें निर्णय करने दीजिए। श्री स्वाईं, क्या आप संशोधन के लिए आग्रह कर रहे हैं?

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं माननीय मंत्री से केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या वह स्वीकार करते हैं कि परिवार में किसी एक सदस्य को ही कार्य न दिया जाए बल्कि परिवार में जो सदस्य कार्य करना चाहते हैं, उन्हें कार्य दिया जाए और यह 100 दिनों से अधिक होना चाहिए। क्या माननीय मंत्री इस पर सहमत हैं?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, एक हाउसहोल्ड को 100 दिन तक रोजगार देने की गारंटी है। अगर दो या तीन सदस्य मिलकर करें, तो भी 100 दिन तक उनको कार्य देने की गारंटी है।

अध्यक्ष महोदय: सब मिलकर होगा।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: तब मैं अपने संशोधन के लिए आग्रह करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 1, विधेयक के पूरे नाम में,–

"गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं" के स्थान पर "वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है" प्रतिस्थापित किया जाए (73)

अध्यक्ष महोदय: मैं अब श्री खारबेल स्वाईं द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 73 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है

"कि विधेयक का पूरा नाम यथासंशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम, यथासंशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:

कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने शुरू में कहा था कि अर्बन पुअर्स के लिए भी हमारा कमिटमैंट है। इनके मैनिफेस्टो में लिखा है। क्या मंत्री जी उनके लिए भी बिल लाने के लिए एश्योर करते हैं?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने बोला है।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, यथासंशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.55 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) निजी और असंगठित क्षेत्रों में श्रम कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 13 पर विचार करेगी।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): मैं श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:

"देश में विशेषकर निजी और असंगठित क्षेत्रों में, श्रम कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में"

***श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** महोदय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार, असंगठित क्षेत्र में कार्यबल संपूर्ण कार्यबल का लगभग 93 प्रतिशत बैठता है। विभिन्न श्रम कानून जैसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970; बागान श्रम अधिनियम, 1951; बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966; बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976; भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 असंगठित क्षेत्र में कामगारों पर पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से लागू होते है ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका व्यवस्था के संबंध में क्या प्रश्न है?

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, नियम पुस्तिका के अनुसार ध्यानाकर्षण प्रश्न काल और वक्तव्य देने के पश्चात लिया जाना होता है। ध्यानाकर्षण कार्य समाप्ति के अंत में कैसे लिया जा सकत है? यह नियमों का उल्लंघन है। यह कल लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्त जी, चेयर से ऑबजर्वेशन की जा चुकी है और हाउस से भी पूछ लिया था। आइटम न. 13 कॉलिंग अटैंशन लिया गया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: इस पर सभा कभी भी सहमत नहीं हुई थी। इस संबंध में सभा का मत नहीं लिया गया। कृपया इस संबंध में सभा का मत लें। सामान्य प्रक्रिया यह है कि ध्यानाकर्षण प्रश्न काल और मंत्रियों के वक्तव्य के पश्चात लिया जाता है। हमने बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है और उसके पश्चात दोपहर में ध्यानाकर्षण लिया गया है। यह बिलकुल ही अभूतपूर्व है। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में सभा का मत भी नहीं लिया गया। ऐसा कैसे किया जा सकता है?

ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2735/05

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्त जी, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आज हम इसे नहीं लेंगे तो फिर किसी लेटर-डे पर इसे लेना पड़ेगा। पता नहीं इस सैशन में आएगा या नहीं आएगा। इसलिए यह बेहतर है कि आज हम इसे ले लें। हाउस में यह पढ़ा भी गया, हाउस से पूछा भी गया है।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: ऐसा किया गया। फिर भी, मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन आपके निर्णय से सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। मंत्री महोदय कृपया अपना वक्तव्य जारी रखिये।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: महोदय, इन अधिनियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने के बावजूद, इन अधिनियमों के उपबंधों का उल्लंघन होता है। जब कभी राज्य क्षेत्र तथा केन्द्रीय क्षेत्र में शिकायतों के आधार पर अथवा समुचित सरकार के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किए गए आवधिक निरीक्षणों के समय ऐसे उल्लंघनों का पता चलता है, इन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाइयां की जाती है।

वर्ष 2003-2004 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन केन्द्र और राज्य दोनों ही के अधीन वाले क्षेत्रों में किए गए निरीक्षणों और इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए की गई कार्रवाई निम्न प्रकार है-

	किए गए निरीक्षणों की संख्या	फाइल किए गए दावों की संख्या	निपटाए गए दावों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर अभियोग चलाए गए
केन्द्राधीन क्षेत्र	18,587	3,843	3,594	5,599
राज्याधीन क्षेत्र	9,65,157	63,455	29,929	9,353
कुल	9,83,744	67,298	33,523	14,952

अपराह्न 4.00 बजे

गत तीन वर्षों के दौरान, केन्द्राधीन क्षेत्रों में विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत किए गए निरीक्षणों, चलाए गए अभियोग और अभियोग सिद्ध आदि का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष 2002-2003 में 42,997 निरीक्षण किए गए; 11,776 अभियोग चलाए गए और 7,980 लोग दोषी पाए गए। वर्ष 2003-2004 में 41,450 निरीक्षण किए गए, 12,750 अभियोग चलाए गए और 7,932 लोगों को दोषी करार दिया गया। वर्ष 2004-05 में 31,603 निरीक्षण किए गए; 11,806 लोगों पर अभियोग चलाए गए और 7,088 लोग दोषी पाए गए।

कार्यदशा में आगे और सुधार लाने के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक व्यापक कानून बनाने की जरूरत है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र की समस्याओं की जांच-पड़ताल के उस क्षेत्र में नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज (राष्ट्रीय उपक्रम आयोग) का भी गठन किया है। सरकार कामगारों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। जैसाकि राष्ट्रीय-साझा न्यूनतम कार्यक्रम में इसे प्राथमिकता दी गई है।

श्री सुनील खां: मैंने मंत्री जी के लिखित वक्तव्य को पढ़ा है। वे अपना वक्तव्य पहले ही दे चुके हैं। मैं यहां महान सदन का ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र में और विशेषकर निजी व असंगठित अर्थात दोनों ही क्षेत्रों में श्रम कानूनों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करने की घटना की ओर अकृष्ट कराना चाहता हूं। कहा गया है कि कामगारों के हित की रक्षा के लिए ढेर सारे कानून हैं, पर क्या सचमुच में उनमें से किसी को लागू किया जाता है? उदाहरण के लिए, ढेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में बनाया गया था। पर आज तक इस अधिनियम के प्रत्येक प्रावधान का उल्लंघन ही किया जाता रहा है। ठेका श्रमिकों को बारहमासी कामों में लगाया जा रहा है। श्रमिकों को प्रतिदिन 10-12 घंटों से अधिक काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। दुर्भाग्य से सरकारी मशीनरी भी मूक दर्शक बनी हुई है। करोड़ों रुपए ईपीएफ में जमा किए जा चुके हैं, पर शायद ही इसके लिए किसी को दंडित किया गया है।

अब मैं सार्वजनिक क्षेत्र की बात करता हूं। उदाहरण के लिए भारत ऑफथाल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल) को लीजिए। यह सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है। सरकार इसे बंद करने की घोषणा पहले ही कर चुकी है, पर 11 महीने का वेतन अभी भी लंबित है। श्रमिकों और अधिकारियों के बीच क्या हो रहा है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की राशि केवल एक पद की प्रोन्नति यानी श्रमिक या कर्मचारी से स्टाफ अधिकारी में प्रोन्नति होने पर बढ़ जाती है। यह निर्णय किया गया है कि वी आर एस के अंतर्गत एक अधिकारी को 21 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि उसके ठीक

नीचे के पद वाले कर्मचारी को इस योजना के अंतर्गत केवल 7 लाख रुपए मिल रहे हैं। यह आईडी और सीडी पैटर्न में भेदभाव है। यह श्रम कानून का उल्लंघन है। हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल) में 21 से 24 महीनों के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसा न केवल दुर्गापुर इकाई में किया गया है बल्कि बोकारो, विशाखापत्तनम, भिलाई और उड़ीसा में भी किया गया है। 7 दिसम्बर, 2004 को पूछे गए मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 1060 के अनुसार कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य कानूनी बकायों को निपटाने के लिए गैर-योजनागत आवंटन के तहत एच एस सी एल को उस समय 89.44 करोड़ रुपए दिए गए थे। आज तक वह बकाया राशि नहीं निपटाई गई है। यहां तक कि कंपनी को अदालत में भी जाना पड़ा है। अदालत ने फैसला दिया है। इसके बावजूद एच एस सी एल के सी एम डी उन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं कर रहा है। यह भी श्रम कानून का उल्लंघन है।

पश्चिम बंगाल की मेजिया थर्मल पावर प्रोजेक्ट के मामले में जब यह योजना 1987 में शुरू की गई थी, तो उस समय राज्य सरकार और एम टी पी एस अर्थात केन्द्र सरकार के बीच हुए समझौते में यह कहा गया था कि अपनी जमीन से हाथ धोने वाले 520 लोगों को एमटीपीएस में नौकरियां दी जाएंगी।

लेकिन क्या हुआ। अभी भी दो सौ अड़तीस लोगों को नौकरियां नहीं दी गई हैं। उस समय उन्होंने कहा था कि तीनों इकाइयों के शुरू होने के बाद उन सभी 520 लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। अभी तक चार इकाइयां चालू हो चुकी हैं। हमारे विद्युत मंत्री और मैं स्वयं वहां मौजूद थे। उस समय मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि शेष लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। आज तक, उन्हें नौकरियां नहीं मिली हैं। ठेकेदार प्रति व्यक्ति 70,000 रुपए ले रहे हैं और इन लोगों को नैमितिक श्रमिक के रूप में नियोजित कर रहे हैं। एक ठेकेदार जाता है तो दूसरा आता है और वह पैसा लेता है। काम सालभर होता है। पर आप इन 238 लोगों का भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? यह श्रम कानून का उल्लंघन है।

यहां तक कि विनिवेश के समय भी मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि किसी भी श्रमिक को बालकों (बीएएलसीओ) और मॉडर्न फूड में से निकाला नहीं जाएगा। वहां क्या हो रहा है? 16 अगस्त को, भारतीय खाद्य निगम के 3000 कामगारों और कर्मचारियों ने मैकिंसन रिपोर्ट के क्रियान्वयन के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट में धरना दिया था। यदि मैकिंसन रिपोर्ट लागू हो जाती है तो कामगारों को सड़कों पर धकेल दिया जाएगा। महोदय, एफसीआई का गठन इसलिए किया गया था कि श्रमिकों को निकाला न जाए, किसानों को उनका लाभकारी मूल्य दिया जाएगा और वे गोदामों में अपना अनाज रख सकें। अब इसका भी उल्लंघन हुआ है।

महोदय, अब मैं निजी क्षेत्र की बात कर रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि कुछ सप्ताह पहले गुड़गांव, हरियाणा होन्डा कंपनी में क्या हुआ। हमें मालूम है कि कैसे एक हजार कामगारों को निकाल दिया गया, जब वे लोग यूनियन बनाना चाहते थे। वहां क्या हुआ है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने दुराचारी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है और क्या उन्होंने उन्हें निलम्बित करने का कोई आदेश दिया है। यह भी श्रम कानून का उल्लंघन है।

पानीपत में, दो लाख से अधिक श्रमिक हैं। इनमें से अधिकांश श्रमिक बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से पलायन कर आए हैं वहां क्या हुआ है। उन्हें कम-से-कम 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। वे सभी कामगार विभिन्न राज्यों से, विशेषकर पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए औसतन मजदूरी प्रति व्यक्ति 900 रुपए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1978 का अनुसरण किया जाता है। इसमें कहा गया है कि केमिकल्स और स्पॉन्ज आयरन फैक्ट्रियों जैसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक कारखानों में बच्चों को नियुक्तियां किसी कीमत पर नहीं की जाएंगी

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें। आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री सुनील खां: महोदय, मुझे कई बातें कहनी हैं।

लुधियाना, पंजाब में साइकिल उद्योग में 7000 कामगार नियोजित हैं। उन्हें यूनियन बनाने की अनुमति नहीं है। मेरे नेता यहां हैं। वे बताएंगे कि लुधियाना में क्या हो रहा। क्या यह श्रम कानून का उल्लंघन नहीं है? साइकिल उद्योग से जुड़ी शक्तिशाली लॉबी और पंजाब के श्रम मंत्री श्रमिकों को यूनियन बनाने के उनके अधिकार से वंचित कर रह हैं।

महोदय, अब मैं असंगठित क्षेत्र की बात कर रहा हूं। बीड़ी कामगारों का क्या हाल है? रिक्शा चलाने वालों के बारे में क्या कहना है? निर्माण कार्यों से जुड़े कामगारों, ईंट भट्ठे के क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों और कृषि क्षेत्र से जुड़े कामगारों की क्या स्थिति है। 60 वर्ष की उम्र में वे वहां से पैसे लाएंगे। उनकी भविष्य निधि के लिए क्या कोई कानून है?

न्यायपालिका भी नादिरी हुक्म चला रही है। इसने हड़ताल को अवैध कहा है। सरकार हड़ताल के अधिकार पर आंई एल ओ स्टैंडर्ड का इस आधार पर समर्थन नहीं कर रही है कि कामगारों की शिकायतों को दूर करने के अन्य उपाय भी हैं। क्या श्रम मंत्री से मैं एक सवाल कर सकता हूं। क्या यह कैट (सीएटी) अधिदेश का आदेश है?

[श्री सुनील खां]

दूसरी बात यह है कि एक विधेयक शीघ्र ही पुर:स्थापित होने जा रहा है जिसमें यह कहा गया है कि जिन प्रतिष्ठानों में 501 से कम कामगार नियोजित हैं, वहां सांविधिक रजिस्टरों के रख-रखाव से और विवरण भरने में छूट दी जाएगी। यह भी एक तरह का उल्लंघन हो गया। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि श्रमिकों को बेहतरीन भेंट के रूप में धरती पर अभी तक कोई श्रम कानून नहीं बन पाया है।

ये कामगार ही हैं जिन्होंने संघर्ष से यह अर्जित किया है। इस प्रकार भारत के मजदूर आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। इस वर्ष 29 सितम्बर को कामगार जो संगठित हैं, वे राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। यह उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो श्रमिकों के खिलाफ हैं। कृपया श्रमिकों का साथ दें। यही मेरा कहना है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, संपूर्ण देश स्तब्ध रह गया जब गुडगांव की होंडा मोटरसाइकिल कंपनी के कामगारों पर अमानुषिक हमला किया गया था। यह कामगारों की शिकायतों की अभिव्यक्ति और उस बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन था। श्रम कानूनों का उल्लंघन भारत में कोई नयी बात नहीं है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां और देशी पूंजीपति, चाहे वह कार्य के घंटे या फुरसत का समय या वेतन वृद्धि या बोनस या सेवा शर्तें या महिला कामगारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार या कोई अन्य लाभ का मामला हो, वे श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन करते हैं और उन्हें संरक्षण भी मिलता है। वे एक मानवीय जीवन जीने के लिए कामगारों की न्यूनतम आवश्यकताओं की भी उपेक्षा करते हैं फिर आई एल ओ मानकों के अनुसार एक शालीन जीवन जीने के लिए सुख-सुविधाओं की क्या बात की जाए जिन्हें हमारे देश में दिए जाने से सीधे-सीधे मना किया जाता है।

श्रम कानूनों का कोई अभाव नहीं है। हमारे देश में 13 श्रम कानून हैं परन्तु लागू करने वाली मशीनरी निष्प्रभावी है। श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन होता है। हमारे देश में कई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गयी है। हमारे देश में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कहीं भी इस समय कार्यरत कामगार किसी भी श्रम कानून का लाभ नहीं ले पा रह हैं जो हमारे देश में विद्यमान है। कामगारों को 10 से 12 घंटे कार्य करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, मैं समझता हूं कि आपके लिए अच्छा यह होता कि आप भाषण देने के बजाए प्रश्न पूछते।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं अपने प्रश्न पर आ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपके दल से अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो 40 करोड़ कामगारों से संबंधित है। 40 करोड़ में से 37.57 करोड़ कामगार असंगठित क्षेत्र में है। एस्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोनों में कार्य के घंटों का पालन नहीं किया जाता है। उन्हें 10 से 12 घंटों से अधिक कार्य करना पड़ता है।

अब मैं कॉल सेन्टरों पर आता हूं। कॉल सेन्टर के कर्मचारियों को कितने घंटे कार्य करना पड़ता है?

महोदय, असंगठित और संगठित दोनों क्षेत्रों के कामगारों के हितों की रक्षा के लिए तेरह कानून हैं। इन कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। ये आंकड़े मंत्री द्वारा दिए गए हैं। केन्द्रीय स्तर पर निरीक्षणें की संख्या 18,587 है और केवल 5,599 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है। मैं मुकदमे के बाद की गयी कार्रवाई के बारे में जानना चाहता हूं। 2004-2005 में निरीक्षणों की संख्या 31,603 थी और 11,806 लोगों पर मुकदमा चलाया गया जबकि 7,088 मामलों में अभियोग सिद्ध हुआ। राज्य स्तर पर निरीक्षणों की संख्या 9,65,157 हैं परन्तु व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया वह संख्या केवल 9,553 है। यह स्थिति है। अपने वक्तव्य में उन्होंने स्वीकार किया कि श्रम कानूनों का उल्लंघन हुआ है। जहां कहीं भी शिकायत हुई है, निरीक्षण किया गया है और कार्रवाई की गई है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आज काम बहुत ज्यादा है, आप जल्दी कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आज ज्यादा काम नहीं है, मतगणना का जो काम था; वह हो गया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया केवल प्रश्न पूछें।

श्री बसुदेव आचार्य: कृपया हमें अधिक समय दें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, आप कृपया प्रश्न पूछें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि इन अधिनियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने के लिए किए गए अथक प्रयासों के बावजूद इन अधिनियमों के प्रावधानों

का उल्लंघन हो रहा है। हमने अनुभव किया है। संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम इस सभा द्वारा 1970 में पारित किया गया। कई स्थापनाएं हैं जहां कामगार पूरे वर्ष भर चलने वाले कार्यों से जुड़े रहते हैं। यह अधिनियम इन स्थापनाओं में लागू नहीं किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम में अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ठेकेदारों को कार्य दिए जाने पर पाबंदी लगा दी गयी है। जो ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए गए हैं को नियमित किया जाना है या उन्हें सीधे भुगतान के दायरे में लाया जाना है। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी किए जाने के बाद भी कई गोदामों में इसे लागू नहीं किया जा रहा है। क्या यह संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 का उल्लंघन नहीं है। रेलवे भारतीय रेल अधिनियम द्वारा शासित होता है। रेलवे में काम के घंटे नियत होते हैं। रनिंग स्टाफ को साईन-इन से लेकर साईन-ऑफ तक 10 घंटे काम करना होता है, जैसाकि 1973 में लोको रनिंग स्टॉफ एसोसिएशन के साथ 1973 में समझौता हुआ था। रेलवे बोर्ड इसका उल्लंघन कर रहा है। रनिंग स्टॉफ को इस समय 14 घंटे 15 घंटे और यहां तक कि 16 घंटे से अधिक समय तक कार्य करना पड़ रहा है। भारतीय रेल की ऐसी स्थिति है।

बीड़ी कामगारों की संख्या 42 लाख है। माननीय मंत्री ने स्वयं ही स्वीकार किया कि अब तक केवल 50 प्रतिशत बीड़ी कामगार ही भविष्य निधि अधिनियम के अधीन लाए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न करें।

श्री बसुदेव आचार्य: केवल 50 प्रतिशत बीड़ी कामगार भविष्य निधि अधिनियम के दायरे में लाए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि 42 लाख बीड़ी कामगारों में से इस समय केवल 21 लाख भविष्य निधि के दायरे में हैं। भविष्य निधि अधिनियम से बचने के लिए बीड़ी फैक्ट्री के मालिक अपने प्रचालनों को विकेन्द्रीकृत कर रहे हैं और कामगारों को तम्बाकू की पत्तियां बांटकर उन्हें घर से बीड़ी लाने के लिए कहा जाता है। वे ऐसा भविष्य निधि अधिनियम से बचने के लिए करते हैं जो कि अनिवार्य है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री बसुदेव आचार्य: इसी प्रकार, एक कानून है जो निर्माण से जुड़े कामगारों के लाभ के लिए पारित किया गया था, परन्तु इसे पारित होने के 15 साल बीत जाने के बाद भी कई राज्यों ने अब तक लागू नहीं किया है। केवल तीन या चार राज्य ऐसे हैं जहां इसे लागू किया गया है। निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए लाखों कामगार हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो हमारे देश में उद्योग लगा रही हैं, श्रम कानूनों में लचीलेपन की मांग कर रही हैं। वे किस तरह का लचीलापन चाहती हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री बसुदेव आचार्य: श्रम कानूनों को लागू करने से बचना चाहती हैं परन्तु ये कानून पर्याप्त नहीं हैं। इन अधिनियमों में पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए हैं।

हम चाहते हैं कि मजदूरी संदाय अधिनियम, कार्यकार प्रतिकर अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम जैसे अधिनियमों की कमियों को दूर किया जाए ताकि उनका उल्लंघन नहीं हो सके। कारखानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन श्रम कानूनों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जबकि स्थिति यह है कि कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे प्रवर्तन मशीनरी को और अधिक सुदृढ़ करने पर विचार करेंगे ताकि श्रम कानूनों का आगे और उल्लंघन न हो।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वालों को कड़ा दण्ड दिए जाने पर विचार करेंगे।

असंगठित कामगारों की संख्या 37 करोड़ है। यद्यपि असंगठित कामगारों से संबंधित नियम हैं, परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह बताया गया है कि सं.प्र.ग. सरकार संगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों के संरक्षण के लिए उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए एक कानून बनाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं माननीय श्रम मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों की रक्षा हेतु आर्थिक सुधारों के दशक के दौरान वापिस ले ली गई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कोई विधान बनाना चाह रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

अगले, श्री गुरूदास दासगुप्त। आपको केवल प्रश्न ही पूछने हैं?

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं आपसे थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा क्योंकि हमने कभी भी श्रम पर चर्चा नहीं की।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष माहेदय: हमें इसके बाद दूसरा कालिंग अटैंशन लेना है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: हम भी जानते हैं।

[अनुवाद]

महोदय, जब हम श्रम पर चर्चा कर रहे हैं तो हम पर सख्ती न करें। मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों से श्रम मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर लोक सभा में चर्चा नहीं हुई।

महोदय, क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं? पिछले 10 वर्षों से श्रम मंत्रालय के बजट पर लोक सभा में चर्चा नहीं हुई है। दूसरे लोक सभा में शायद ही कभी मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर मिला हो क्योंकि हम प्राय: दूसरे अन्य विषयों पर चर्चा करने में ही व्यवस्त रहते हैं। हम पूरी तरह से व्यस्त रहते हैं। तीसरे, आज हम जिस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं वह आज के संदर्भ में पूर्णत: अप्रासंगिक है क्योंकि इसके लिए निर्धारित समय अन्य प्रकार से प्रयोग में लाया गया है। क्या मैं माननीय श्रम मंत्री संसद में यह बताएंगे कि क्या देश में वास्तव में एक श्रम मंत्रालय है और क्या श्रम मंत्रालय देश में श्रम कानूनों की सक्रियता और प्रभावी रूप से लागू कर रहा है? यदि ऐसा है और श्रम मंत्रालय प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है तो मैं माननीय श्रम मंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं मैं उनके बारे में नहीं अपितु सरकार के व्यवहार और श्रम मंत्रालय में किए जाने वाले कार्य व्यवहार के बारे में प्रश्न कर रहा हूं।

लगभग दो वर्षों से भारत सरकार द्वारा भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह पता होना चाहिए कि यह प्रति वर्ष आयोजित होता है। भारतीय श्रम सम्मेलन उच्चतम त्रिपक्षीय निकाय है। लगभग दो वर्षों से हमने भारतीय श्रम सम्मेलन नहीं बुलाया है और न ही कोई फोरम बनाया है।

श्रम मंत्रालय से जुड़े कई त्रिपक्षीय निकाय हैं। यह कार्य नहीं कर रहा है। क्या यह सुप्तावस्था में है। आज श्रम मंत्रालय निष्क्रिय है और यह सरकार द्वारा बनाई गई नीति से बाहर है। मैं नहीं मानता की माननीय मंत्री अप्रभावी हैं। परन्तु यह सरकार की सोची समझी नीति है। यह उन सुधारों से जुड़ी है जिसमें ये बनाए जा रहे हैं।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले की प्राचीर से सम्बोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों से प्रबंधन के साथ सहयोग करने का आवहन किया था ताकि उद्योग लाभ कमा सकें। उन्होंने श्रम कानूनों की अवहेलना तथा श्रमिकों के उत्पीड़न के संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने श्रम कानूनों को भंग करने के तरीकों के संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने यह कहकर ट्रेड यूनियनों और कामगारों को सलाह जरूर दी कि उन्हें सहयोग करना चाहिए। किन स्थितियों में कामगारों से सहयोग देने को कहा गया?

मुझे कुछेक उदाहरण देने दें। देश में त्रुटिपूर्ण भविष्य निधि माननीय मंत्री को पुष्टि करने दें – करीब 3,000 करोड़ रुपये हैं। हो सकता है कि इससे थोड़ा कम हो परन्तु यह एक बहुत बड़ी राशि है।

माननीय मंत्री को मना करने दें, देश में केन्द्र सरकार के उपक्रमों सहित कुल मजदूरी त्रुटि लगभग 2,000 करोड़ रुपए है। यदि भारत सरकार कानून तोड़ती है तो इसका क्या उपचार है? केन्द्र सरकार के ऐसे कई सार्वजनिक उपक्रम हैं जिनमें विगत 14 माह से मजदूरी नहीं दी गई है। माननीय श्रम मंत्री ने मजदूरी न दिए जाने पर विभागीय अधिकारियों को दंडित करने या उन पर अभियोग चलाने का कार्य भारत सरकार को सौंपने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

एक अन्य उद्धरण ईएसआईसी का है। देश में कुल तीन लाख कामगार भविष्य निधि लाभार्थी हैं परन्तु ईएसआईसी द्वारा केवल 80,000 कामगारों को ही कवर किया गया है। इसका आशय यह हुआ कि देश के कुल कार्य बल को ईएसआईसी के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। यदि हम भविष्य निधि लाभार्थियों के आंकड़े एकत्र करते हैं तो पाते हैं कि बहुत कम लोगों को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। श्रम मंत्रालय की ऐसी असंख्य शिकायतें हैं कि उसकी अर्थात भारत सरकार की नाक के नीचे ट्रेड यूनियनों को पंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कई राज्य में ट्रेड यूनियनों को पंजीकृत होने की अनुमति नहीं दी गई। भारत सरकार ने क्या उपाय किए हैं? यह एक समवर्ती विषय है। वह इस बहस के अंतर्गत अपने आपको नहीं बचा सकते हैं कि यह एक राज्य विषय है। नहीं, यह एक समवर्ती विषय है। उन्होंने क्या उपाय किए हैं? क्या उन्होंने श्रम मंत्रियों की कोई बैठक बुलाई है? क्या उन्होंने श्रम सचिवों की कोई बैठक बुलाई है? क्या उन्होंने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के साथ इस मामले को उठाया है? देश में ट्रेड यूनियन पंजीकरण अधिनियम की अवहेलना संबंधी लगातार आ रही शिकायतों के संबंध में श्रम मंत्रालय तथा श्रम मंत्री की क्या भूमिका है?

मैं एक अन्य उदाहरण दे रहा हूं। माननीय वाणिज्य मंत्री ने कुछेक दिन पहले ही चेन्नई शहर में मीडिया को सम्बोधित करते हुए कहा था कि निर्यात क्षेत्र के श्रम कानूनों में बदलाव होना चाहिए। जिसका आशय काम करने से है। जिसका आशय यह है कि निर्यात क्षेत्र के कामगारों को न्यूनतम मजदूरी दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि माननीय प्रधानमंत्री ऐसा वक्तव्य देते हैं कि कामगारों को सहयोग करना चाहिए तथा माननीय वाणिज्य मंत्री ने कहा कि श्रम कानूनों का निर्यात संवर्द्धन क्षेत्र में कमी लाने की आवश्यकता है तो देश के लिए क्या बचेगा और ट्रेड यूनियनों के लिए क्या रह जाएगा?

मैं विश्वास करता हूं कि सरकार ने ऐसे आर्थिक सुधारों का मार्ग अपनाया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में विदेशी निवेश होना चाहिए और इसके लिए श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के लिए मुक्त है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। आप गुड़गांव के बारे में अच्छी तरह जानते हैं आप पंजाब से हैं। आप होंडा को जानते हैं। गुड़गांव में न केवल होंडा अपितु मारुति भी वहीं है। मारुति उद्योग लिमिटेड में बिना किसी आरोपपत्र के कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई। माननीय श्रम मंत्री यह जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री भी यह जानते हैं उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

महोदय, देश के कामागारों के लिए आपने क्या उपाय किए हैं? आपके पास समय नहीं है। आपको नए विषय पर चर्चा करनी है क्योंकि संसद की कार्रवाई भी चलानी है। परन्तु संसद के पास देश की महत्वपूर्ण मानवीय समस्या के संबंध में श्रमिकों की समस्याओं तथा भारत सरकार की निष्क्रियता पर चर्चा करने का समय नहीं है। हमारे पास समय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: हमारे पास समय नहीं है। नहीं, मैं जानता हूं कि आप नियम पुस्तिका के अंतर्गत बाध्य हैं। परन्तु देश के श्रमिकों के लिए नियम पुस्तिका कहां है? कहां है नियम पुस्तिका? देश में कामगारों के लिए क्या उपाय किए हैं? काम करने वाले लोगों के लिए क्या उपचार है?

मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूं। अति दोहन की अनुज्ञप्ति के आधार पर सभी सुधार स्वीकृत नहीं किये जा सकते। सुधार इस प्रकार स्वीकृत नहीं होते। हम सुधार के लिए तैयार हैं। परन्तु सुधार का अर्थ यह नहीं कि वेतन कम कर दिए जाएं, सुधार का मतलब आऊटसोर्सिंग नहीं हैं, सुधार का मतलब ट्रेड यूनियन का पंजीकरण करने से इंकार नहीं है; सुधार का मतलब यह नहीं कि सारे दोष कामगारों के माथे मढ़ दिए जाएं और उन्हें बेहतर जीवन के लिए अवसर न दिया जाए।

माननीय मंत्री से मैं केवल एक प्रश्न चाहूंगा। उन्हें मुक्त भाव से प्रश्न का उत्तर देने दें। मैं यह जानना चाहूंगा देश भर के सभी राज्यों में श्रम कानूनों को व्यापक रूप में भंग किया जा रहा है या नहीं? आज पश्चिम बंगाल में न्यूनतम मजदूरी की मांग के कारण दो लाख बीड़ी कामगार हड़ताल पर हैं। कुछेक दिन पहले न्यूनतम मजदूरी को लागू करने की मांग करते हुए उत्तर बंगाल के चाय कामगारों ने हड़ताल की थी। उन्हें पश्चिम बंगाल में हड़ताल करने का अधिकार है क्योंकि पुलिस ने उनसे उस तरह से व्यवहार नहीं किया जिस प्रकार से हरियाणा में किया गया है। उन्हें बताने दीजिए कि क्या श्रम कानूनों का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। यदि श्रम कानूनों का उल्लंघन हुआ है, तो इन्हें सांख्यिकी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसका समाधान क्या है?

[हिन्दी]

हम पूछना चाहते हैं कि मजदूर के लिए क्या सहारा है। यह सरकार किसकी है, मजदूरों के खिलाफ ये रिफार्म्स है कि नहीं। अगर मजदूर के लिए कोई सहारा है तो लेबर मिनिस्ट्री का क्या प्रोग्राम है।

[अनुवाद]

यदि केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इसमें शामिल हैं तो वह मजदूरी का भुगतान न होने पर क्या कार्रवाई करेंगे? आपने क्या उपाय किए हैं? आपने कितने अधिकारियों को गिरफ्तार किया है?

आपने कितने लोगों को जेल भेजा है? आप साहसी हैं। आप तेलंगाना के लिए लड़ रहे हैं।

मैं आपके संघर्ष की भावना की प्रशंसा करता हूं। लेकिन कामगारों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप आंध्र प्रदेश में लड़ते हैं लेकिन आप दिल्ली में नहीं लड़ते।

[हिन्दी]

आप उधर शेर बन जाते हैं लेकिन दिल्ली में आकर बिल्ली बन जाते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री गुरूदास दासगुप्त: नहीं, महोदय, मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए, मुझे बोलने के लिए कुछ समय और चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे पास अधिक समय नहीं है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मंत्री जी को कहने दीजिए कि क्या वे देश के उद्योग में चूक की बढ़ती समस्या पर चर्चा करने के लिए श्रम मंत्रियों की बैठक बुला रहे हैं, क्या वे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ पंजीकरण के प्रश्न पर चर्चा करेंगे और क्या वे उद्योग मंत्रालय के साथ मारुति उद्योग लिमिटेड के कामगारों की समस्याओं के प्रश्न पर चर्चा करेंगे? भारत सरकार के पास अभी भी मारुति उद्योग लिमिटेड में 26 प्रतिशत शेयर हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे उनके मुद्दे पर चर्चा करेंगे? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्रम मंत्री कामगारों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे अथवा वे भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दवाब में कुछ नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री, श्री चन्द्रशेखर राव।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं दूसरे पहलू पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: देखिये मैं आपको सिर्फ एक शर्त पर अलाऊ कर सकता हूं, अगर आप मंत्री जी से सिर्फ प्रश्न पूछें।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: नियम के अनुसार चार व्यक्तियों को अनुमति दी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी से तीन लोग पहले ही बोल चुके हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: नियम चार लोगों को बोलने की अनुमति देता है। केवल तीन सदस्यों ने बोला है। इसलिए, मैं अनुरोध कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप केवल प्रश्न पूछेंगे और भाषण नहीं देंगे तो मैं आपको अनुमति दे सकता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं केवल प्रश्न पूछा रहा हूं।

निर्णय देर से दिया जाना न्याय से वंचित किए जाने के समान है। अब, भारत में कई न्यायालय कार्य कर रहे हैं जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक अधिकरण कार्य कर रहा है। वहां निर्णय देने में बहुत समय लगता है। भारत में श्रम न्यायालय कार्य कर रहे हैं। जब कामगार यूनियन कई सालों तक अपने मामले के लिए लड़ते हैं तब कहीं जाकर उन्हें निर्णय मिलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकांश निर्णय लागू नहीं किए जाते। ऐसी प्रवृत्ति है कि जब भी कामगारों को उनके हक में निर्णय सुनाया जाता है और इसमें करोड़ों रु. की धनराशि शामिल होती है तो सरकार इस सभा के समक्ष आती है और हमारी सहमति द्वारा निर्णय रद्द कर दिया जाता है। यह उचित नहीं है। इस संबंध में, मैं यह कहूंगा कि यदि सरकार को लगता है निर्णय में शामिल धनराशि अत्यधिक है तो वे इसके लिए न्यायालय में लड़ सकते हैं। इसके बजाय, सरकार इसे सभा के समक्ष लाती है और इसको रद्द करने के लिए कहती है। यह बिल्कुल अनुचित है और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। हमारे पास निर्णयों में संशोधन के लिए कई सांविधिक संकल्प हैं क्योंकि इनमें कई करोड़ रु. की धनराशि शामिल होती है और इससे राजकोष को काफी नुकसान होगा। अक्सर ऐसा ही होता है। आपको ऐसी प्रथा को सहन नहीं करना चाहिए और इसके बाद निर्णय को रद्द करने के लिए ऐसे सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष सभा की अनुमति के लिए नहीं लाया जाना चाहिए। ये अनुचित श्रम-प्रथाएं हैं। मेरा 50 वर्ष का अनुभव है और स्वयं अपने अनुभव से मैं आपको ऐसी प्रथाओं का सहारा न लेने का अनुरोध करता हूं। यह बिल्कुल उचित नहीं है।

केवल यही नहीं कामगारों को दिए गए निर्णय को लागू न करना सीधे-सीधे कानून का उल्लंघन है। अत:, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि ब्यौरे एकत्र किए जाएं और मामले पर राज्य के श्रम मंत्रियों के साथ चर्चा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि औद्योगिक अधिकरण, श्रम न्यायालय और अपील अधिकरण के निर्णय लागू किए जाएं। आपको ऐसा ही करना चाहिए। कृपया अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द करने के लिए सभा के समक्ष न आएं।

उपाध्यक्ष महोदय: चौधरी लाल सिंह द्वारा माननीय मंत्री से केवल एक प्रश्न पूछा जाए। मैं आपको इसके लिए केवल एक मिनट का समय दे सकता हूं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में लाखों-करोड़ों मजदूर हैं, लेकिन 90 परसेंट से ज्यादा मजदूरों के लिए प्रोविडेंट फंड, मेडिकल अलाउंस, ग्रेच्यूटी और ईएसआई आदि सुविधाओं की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हैं। क्या इस बारे में माननीय मंत्री जी कुछ करेंगे?

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश में जो श्रम न्यायालय स्थापित हैं, उनमें बहुत अधिक संख्या में मामले

लंबित पड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इन मामलों में निर्णय शीघ्र करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का काम इस विधेयक में करेंगे?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय मंत्री से विशिष्ट प्रश्न पूछे।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल: दूसरी बात, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की है और मेरी भी यही चिंता है कि आजादी के बाद से आज तक श्रम संगठनों ने श्रमिकों के लिए कुछ नहीं किया है, अलबत्ता मालिकों से मिल कर श्रम संगठनों का ही हित हुआ है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया विशिष्ट प्रश्न पूछे।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल: इन संगठनों के नेताओं से मेरा निवेदन है कि मिलों को चलाने के लिए ऐसा रास्ता खोजें जिससे मालिकों के साथ-साथ श्रमिकों का भी हित हो। क्या माननीय मंत्री जी ने इस समस्या के समाधान के लिए कुछ सोचा है?

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से केवल एक प्रश्न पूछूंगा। महोदय, श्रम कानूनों को लागू न करना श्रम कानूनों के उल्लंघन के बराबर भी है। हमारे देश में कई कानून अधिनियमित किए जाते हैं लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कंडीशन एक्ट वर्ष 1966 में पारित हुआ था। इस कानून को लागू करने का पूरा उत्तरदायित्व राज्य सरकार को दिया गया था लेकिन कोई राज्य इस कानून को लागू नहीं कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप निर्माण से जुड़े लगभग 2 करोड़ कामगारों को लाभ नहीं मिल रहा है। निर्माण क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है लेकिन निर्माण से जुड़े कामगारों को कानून का लाभ नहीं मिल रहा है।

कानून के अनुसार भारत सरकार निर्माण से जुड़े कामगारों के लिए कल्याण योजनाओं पर भी कोई व्यय नहीं करती। अत: मैं माननीय मंत्री से निम्नलिखित जानना चाहता हूं। क्या वे इसके लिए संशोधन लाएंगे। ताकि भारत सरकार निर्माण से जुड़े कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं लागू करने के उत्तरदायित्व को संभाल सके? क्या आप संपूर्ण देश में कानूनों को लागू किया जाना अनिवार्य कर सकते हैं? मैं इन प्रश्नों पर माननीय मंत्री से उत्तर चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र वडोदरा के बीड़ी मजदूरों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मेरे क्षेत्र में 40 हजार से भी ज्यादा बीड़ी मजदूर हैं और उनमें से ज्यादातर महिलाएं इस क्षेत्र में काम करती हैं। तम्बाकू के साथ उनका दिन भर काम रहता है। इस कारण अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उन्हें होती है। स्वास्थ्य योजनाएं बहुत हैं, लेकिन अधिकारीगण बराबर उन योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान नहीं देते हैं। इन बीड़ी मजदूरों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए क्या माननीय मंत्री जी किसी तरह का प्रावधान कर सकते हैं? जब मजदूर दवाखानों में जाते हैं तो वहां 10 फीट दूर से उनसे बीमारी के बारे में पूछा जाता है कि उन्हें क्या तकलीफ है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सांताश्री चटर्जी माननीय मंत्री से केवल एक प्रश्न पूछे। मैं आपको इस मुद्दे पर लंबा भाषण देने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं, माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नों के साथ स्वयं को संबद्ध करते हुए केवल एक या दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति है न कि दो।

श्री सांताश्री चटर्जी: मेरा पहला मुद्दा यह है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन आम बात हो गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को यह लगता है कि वर्तमान कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए पर्याप्त हैं? क्या मंत्री जी व्यापक कानून लाने पर विचार कर रहे हैं? दूसरा, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के संदर्भ में, मैं यह जानना चाहता हूं क्या मंत्री जी कामगारों विशेषकर केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को अपने विश्वास में लेंगे और ट्रेड यूनियनों के साथ नियमित संपर्क कर सकेंगे ताकि इन नियमों को कामगारों के हित में लागू किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, मैं माननीय मंत्री श्री के. चन्द्रशेखर राव से उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री के. चन्द्रशेखर राव: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री सुनील खां साहब को मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने जिन कंपनियों के नाम लिए हैं, उनमें से सिर्फ एक एफ.सी.आई. सेंट्रल स्फियर में है, बाकी जितनी कंपनियां हैं, वे सब स्टेट गवर्नमेंट्स के तहत आती है। मैं आपके माध्यम से दो-तीन बातें सदन के सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं। जहां तक इम्पलीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज का सवाल है, इसी सदन से पारित कर के हमने राज्य सरकारों को सांवैधानिक रूप से पॉवर्स दी हैं। राज्यों में जो सरकारें चलती हैं, वे भी कांस्टीट्यूशनल तरीके से बनी हुई हैं और सेंटर से, यानी इसी सदन से उन्हें पावर्स दी गई।

[अनुवाद]

भारत सरकार द्वारा 1492 रोजगार अनुसूचीबद्ध किए गए हैं जिसमें से 1445 अनुसूचीबद्ध रोजगार और इन रोजगारों से संबंधित अधिनियम राज्य क्षेत्र में हैं अथवा संबंधित राज्य सरकारें द्वारा लागू किए जाते हैं। केवल इसीलिए कि शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं, हम यह नहीं कह सकते कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं यह ठीक नहीं है।

यह सही है कि हमें माननीय संसद सदस्यों, मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों और कभी-कभार ट्रेड यूनियन नेताओं से शिकायतें प्राप्त होती हैं। लोग आते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी भारत सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अथवा मजदूरी भुगतान अथवा किसी भी श्रम कानून के उल्लंघन के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है, भारत सरकार तत्काल कार्रवाई करती है। मैं समाधान हेतु मुख्य मंत्रियों से और कई बार संबंधित राज्यों के श्रम मंत्रियों से भी बातचीत करता हूं। यदि आवश्यक हो तो और यदि वहां पर हमारा विंग हो तो हम भारत सरकार के अधिकारी से वहां जाने का और कामगारों को न्याय दिलाने का अनुरोध करते हैं। यदि हमें लगता है कि यह अनिवार्य है, तो हम दिल्ली से विशेष दल भेजते हैं। श्री बसुदेव आचार्य यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। जब मैं श्रम मंत्री बना था तो मैंने नई दिल्ली से पश्चिम बंगाल एक विशेष दल भेजा था और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कई बड़े छापे पड़े थे। उन छापों के परिणामस्वरूप हम 70,000 बीड़ी कामगारों को भविष्य निधि के दायरे में ला सके थे। इस तरह की कार्रवाई भी की जाती है।

श्री गुरूदास दासगुप्त ने ऐसा पूछकर मेरा अपमान किया है कि क्या इस देश में श्रम मंत्रालय है भी या नहीं। यहां श्रम मंत्रालय और श्रम मंत्री दोनों है और यह एक क्रियाशील मंत्रालय है। श्रम मंत्रालय के अधीन लगभग 50,000 लोग कार्य कर रहे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मेरी आपका अपमान करने की मंशा नहीं थी; मैं केवल भारत सरकार द्वारा कार्रवाई न करने के कारण देश में व्याप्त निराशा की भावना को व्यक्त करना चाहता था।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: महोदय, मैं कुछ हद तक उनकी बात से सहमत हूं लेकिन इस सम्मानित सभा में यह बताना मेरा कर्तव्य है कि ऐसा कहना कि कानूनों का पूरा उल्लंघन हो रहा है, उचित नहीं है। वे ट्रेड यूनियन के अनुभवी नेता हैं। वे एटक के अखिल भारतीय अध्यक्ष है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे ज्यादा अगर किसी से मिलता हूं, तो वे श्री गुरुदास दासगुप्ता हैं।

[अनुवाद]

वह उनके मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम उनकी समस्याओं का निदान करने की पूरी कोशिश करते हैं। ट्रेड यूनियन का अनुभवी नेता होने के कारण यह निश्चित है कि वह इसी प्रकार बोलेंगे लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि मंत्रालय है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि इसे कार्यवाही में शामिल किया जाए और मैं यह श्रम मंत्रालय की ओर से कह रहा हूं और जैसा कि मंत्री जी ने कहा है, यदि मंत्रालय नहीं है तो नौ लाख निरीक्षण कैसे हुए? कर्मीनि संगठन में चार करोड़ लेखों को कैसे अनुरक्षित किया जाता है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कैसे 8 लाख लेखों को अनुरक्षित किया जाता है? और हम करा बीमा निगम के माध्यम से कैसे लगभग 300 लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया क.रा. रहे हैं? ऐसा कहना ठीक नहीं कि यह है ही नहीं। मैं माननीय सदस्यों से इस बात पर सहमत हूं कि हमें कभी-कभार यहां-वहां से शिकायतें प्राप्त होती हैं। भारत सरकार को श्रम कानूनों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त होती हैं और हम उन पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ चर्चा करते हैं। यदि यह केन्द्रीय क्षेत्र में है तो हम बहुत दृढ़ता से कार्रवाई करते हैं। हमारे पास अधिनियम हैं।

[हिन्दी]

उसके लिए मुझे सदन को अवगत कराना भी जरूरी है। कल ही एक सम्मानित सदस्य मेरे पास एक रिप्रेजेण्टेशन लेकर आये थे। नागपुर में एक छोटा सा न्यूजपेपर चलता है, जो वहां का लोकल न्यूजपेपर है। उनके ऊपर ई.एस.आई. वालों 4.80 लाख रुपये का फाइन लगा दिया, वह केस एक माननीय सदस्य मेरे पास लाये थे कि उनको बचा लो, यह पेपर खत्म हो जायेगा। हमने ई.एस.आई. एक्ट में पूरी छानबीन करके देखा तो मैं एक पैसा भी माफ नहीं सकता।

[अनुवाद]

अधिनियम बहुत सख्त और कड़ा है। लेबर डिपार्टमेंट के आफिसर का हाथ लग गया, भविष्य निधि विभाग के कई उदाहरण हैं। हमने कई करोड़ रुपयों का जुर्माना लगाया है। यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। हम कई लाख रु. का जुर्माना लगाते हैं और हजारों दोषसिद्ध हुए है। ऐसा नहीं है कि हम केवल लोगों को सजा दिलाते है।

[हिन्दी]

सात हजार केसेज में तीन सालों में, कुल मिलाकर करीब-करीब 23 हजार लोगों को हमने सजा दिलवाई, 23 संस्थाओं के अधिपतियों को, व्यक्तियों को, जिन्होंने लेबर लॉ वायलेट किया है, उनको सजा दिलवाई है। उन्होंने सजा भुगती है। इसलिए मैं 2-4 बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा।

[अनुवाद]

यह सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह सरकार श्रमिक विरोधी सरकार नहीं है। कृपया ऐसा विचार न रखें। हम न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रति कटिबद्ध हैं। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

नम्बर दो-एक्सपोर्ट जोन में जो इंडस्ट्रीज हैं, वे लोग एग्जेम्पशन मांग रहे हैं, उनको एग्जेम्पशन दिया जा रहा है, लेकिन यह सरासर गलत है।

[अनुवाद]

चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनी हो चाहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कंपनी, चाहे यह निर्यात उन्नयन जोन की इकाई हो; कोई भी संस्था हो कोई भी स्थापना हो, कोई भी कंपनी हो और कोई भी फैक्ट्री हो, श्रम कानूनों से किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। यह सभा से मेरा वादा है। अब तक हमारी यह नीति रही है और यही हमारी नीति रहेगी। किसी कंपनी, किसी भी संगठन को श्रम कानूनों से बचने की छूट नहीं दी जाएगी। श्रमिकों के हितों का आरक्षण और कामगारों के कल्याण का संरक्षण सरकार की पहली प्राथमिकता है और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्री सुनील खां: बी.ओ.जी.एल. तथा एच.एस.सी.एल. के कामगारों के वेतन का क्या हुआ, जो 11-24 महीने से लंबित हैं। मंत्री जी को इसका उत्तर अवश्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुनील खां, बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मंत्री महोदय, मैं आपके वक्तव्य को स्वीकार करता हूं, परन्तु क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपके मंत्रिमंडल के एक अन्य सदस्य, वाणिज्य मंत्री ने खुले तौर पर यह कहा कि निर्यात जोन में श्रम कानूनों की राज्यों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए? क्या आपने इसे देखा है? और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: मुझे स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने दें। माननीय प्रधानमंत्री यदि कामगारों से पूरे देश की उत्पादकता में सुधार की अपील करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने श्रमिकों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने श्रमिकों के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं कहा है। उन्होंने केवल देश के कामगारों से यह कहकर एक अपील करने की कोशिश की कि आइए हम अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं, हम मुकदमेबाजी को कम करें।

[हिन्दी]

हम काम में ज्यादा लग जाएं, यह उनकी मंशा थी इसमें क्या गलती है।

[अनुवाद]

और वाणिज्य मंत्री निश्चित रूप से अपना कर्तव्य निभा रहे होंगे, वह निर्यात संवर्धन में रूचि रखते है ...*(व्यवधान)*। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं अभी लागू अधिनियमों पर विस्तार से चर्चा करके और उनके अध्ययन करने के बाद की इस महान सभा में माननीय सदस्यों से पूरी जानकारी के साथ यह कह रहा हूं। मैं एक बार पुन: यह स्पष्ट कर रहा हूं, मैं दोहराना चाह रहा हूं कि कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी, कोई भी निर्यात जोन में कार्यरत कंपनी, कोई भी एफ डी आई कंपनी, श्रम कानूनों से मुक्त नहीं होगी। उन्हें श्रम कानूनों के अंतर्गत लाया जाएगा, वे देश के श्रम कानूनों के दायरे में शामिल किए जाएंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का दौरा करें और यह देखें कि उनमें सभी श्रम कानूनों का पालन किया जा रहा है या नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें रिपोर्ट मिली हैं जिनसे पता चलता है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में इन कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि हम इस मुद्दे को उठा रहे है ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: इसका अर्थ यह है कि जो कुछ वाणिज्य मंत्री ने कहा श्रम मंत्रालय उसका समर्थन नहीं करता है ...*(व्यवधान)* क्या आप श्रम कानूनों की समीक्षा नहीं करने जा रहे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्त, आपने कई बार बीच में हस्तक्षेप किया है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय मंत्री की बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री के. चन्द्रशेखर राव: मुझे अपनी बात पूरी करने दें ...*(व्यवधान)* यदि माननीय सदस्यों की इसमें रूचि है तो मैं स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं। यदि उन्हें कोई संदेह है या वे कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं और मेरे पास आते हैं तो मैं उसका जबाब दूंगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आपको पीठ को सम्बोधित करना है।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: अब श्री आचार्य ने मुझसे पूछा है कि क्या सरकार निर्यात जोन में स्थित कंपनियों की यह देखने के लिए जांच करने जा रही है वहां पर श्रम कानून लागू किए जा रहे हैं या नहीं। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं तत्काल एक विभागीय जांच का आदेश दूंगा और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्यात जोन स्थित कंपनियों में भेजूंगा। मैं रिपोर्ट मिलने के बाद उसे उन माननीय सदस्यों को भी परिचालित करूंगा जिन्होंने आज के इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया है। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो।

मुझे दो तीन बातों को स्पष्ट करने भी दीजिए। सबसे पहली बात यह है कि यह सरकार श्रमिकों के हित वाली सरकार है। हमारी सरकार श्रमिकों के विरुद्ध नहीं है। कृपया इस सरकार को श्रमिकों के हितों के विरुद्ध वाली सरकार के रूप में इसे प्रदर्शित करने का प्रयास न करें। इस बारे में हम मन से बिल्कुल साथ हैं। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जा रही है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। आपका कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: आचार्य जी ने एफ.सी.आई. के बारे में जिक्र किया है। इनको मालूम है कि मेरी, इनकी कृषि मंत्री जी के साथ एक मीटिंग हुई थी सीनियर सेकेट्री के साथ भी एक मीटिंग हुई थी।

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय प्रतिवेदन का इंतजार कर रहा है। जैसे ही हमें प्रतिवेदन प्राप्त होगा हम लोग पुन: आचार्य जी के साथ एक बैठक करेंगे और एफ.सी.आई. संबंधी समस्या को सुलझा लेंगे।

श्री गुरूदास दासगुप्त, श्री आचार्य, श्री सुनील खां और अन्य माननीय संसद सदस्यों ने भी गुड़गांव में जो कुछ हुआ उस संबंध में मामला उठाया। गुड़गांव में तथा हीरो होंडा में जो कुछ हुआ है उससे मैं कोई विशेष प्रसन्न नहीं हूं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। जैसे ही मैंने टेलीविजन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करते हुए देखा, मैंने तुरन्तु ही हरियाणा के मुख्य मंत्री महोदय, को फोन किया मैंने इस घटना की तटस्थानिक जांच करवाने हेतु मुख्य श्रम आयुक्त को भी वहां भेजा। उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी। हम ऐसे मामलों की जानकारी लेते रहते हैं। परन्तु हीरो होंडा की फैक्ट्री राज्य के क्षेत्राधिकार में है। यह हरियाणा राज्य में है। श्रम संबंधी नियमों का विनियमन तथा उनका कार्यान्वयन करने की शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं मैंने श्री हूडा जी से अनुरोध भी किया है कि आपके राज्य की पुलिस श्रमिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर रही है, इस प्रकार की घटनाएं पुन: नहीं हो पाएं तथा सरकार को चाहिए कि वह इस मामले को शान्तिपूर्वक निपटाने हेतु संयम बरतें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जा रही है।

...*(व्यवधान)**

श्री के. चन्द्रशेखर राव: श्री गुरूदास दासगुप्त ने एक और मुद्दा उठाया है कि मारुति उद्योग कंपनी के श्रमिकों के साथ भी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अन्याय किया गया है। हम इस मुद्दे को निश्चित रूप से उठाएंगे। यदि आवश्यकता होगी तो मैं मारुति कंपनी के प्रबंध निदेशक के साथ एक विशेष बैठक करने की व्यवस्था भी करूंगा। मारुति कंपनी में क्या हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु मैं, इस मामले की जांच करूंगा। यदि किसी श्रम संबंधी नियमों का उल्लंघन किया गया है तो मैं, माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि जो भी आवश्यक कदम तथा उपाय करने है, किये जायेगे।

मैं, सं.प्र.ग. सरकार की एक और वचनबद्धता को स्पष्ट करना चाहता हूं। वह है बीड़ी कार्मिकों से संबंधित असंगठित श्रमिकों से संबंधित विधेयक। मुझे सं.प्र.ग. सरकार द्वारा किए जा रहे तीन-चार प्रयासों का भी उल्लेख करने दिया जाए जिससे यह पुष्टि हो जायेगी कि यह सरकार श्रमिकों के हितों पर ध्यान देती है।

श्री आचार्य, श्री गुरुदास, श्री सुनिल खां तथा अन्य माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री तथा स.प्र.ग. के अध्यक्ष की कृपा से इ.एस.आई.सी. से एक कार्यक्रम शुरु किया है। इस कार्यक्रम के अनुसार ऐसा पहली बार हो रहा है कि यदि कोई अपनी नौकरी खो देता है तो, इ.एस.आई.सी. उस श्रमिक को उसकी वेतन का 50%/छ: महीनों की वेतन का भुगतान करेगा। यह एक अच्छा प्रयास है। जो श्रमिक इ.एस.आई.सी, में जो कि श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है, मैं अपना बीमा कराता है, उसे इस योजना के तहत जो 750 रु. प्रति व्यक्ति का भुगतान किया जाता है उसे बढ़ाकर 900 रु. प्रति व्यक्ति कर दिया गया है।

श्रम बल को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु हमने यह निर्णय लिया है कि हम इस कार्य हेतु चार अत्याधुनिक अस्पतालों की सेवाएं ली जाएं। ऐसा एक अस्पताल एक पूर्व में कोलकाता में, एक दिल्ली में, एक पश्चिम में मुम्बई या पूणे में तथा एक दक्षिण में हैदराबाद में स्थित होगा।

अपराह्न 5.00 बजे

इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमने 200 करोड़ रु. भी आबंटित किये है। हाल ही में इ.एस.आइ.सी ने यह निर्णय लिया है कि इस योजना के लाभार्थियों को एक विशेष कोड कार्डस दिया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप यदि कोई सदस्य अपने स्थान से बाहर भी है तो वह इस सुविधा का उपयोग कर सकता है। इस प्रकार, इस सरकार ने जो प्रयास किए है, मैंने उनका उल्लेख कर दिया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में हमें कई शिकायतें प्राप्त होती है। अत: इन मामलों को देखने हेतु मैंने हाल ही में बोर्ड के वरिष्ठ सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति गठित की है, जो कि इन मामलों पर अपनी सिफारिश करेगी।

महोदय, हम भविष्य निधि के तंत्र में और अधिक बीड़ी श्रमिकों को ला रहे हैं। जहां तक बीड़ी कार्मिकों का संबंध है, मैंने तथा सं.प्र.ग. सरकार ने 2 रु. के अधिभार को बढ़ाकर 4 रु. किया है। एक ही बार में अधिभार को बढ़ाकर 4 रु. कर दिये हैं। जिसके फलस्वरूप हमें कल्याण अधिभार के तौर पर 150 करोड़ रु. मिलेगे जिससे हम निश्चित तौर पर बीड़ी कार्मिकों के कल्याण संबंधी गतिविधियों को और बढ़ा सकेंगे।

डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सं.प्र.ग. सरकार ने स्वीकार किया है कि वह बीड़ी कार्मिकों के लिए इस वित्तीय वर्ष के दौरान देश में पहली बार एक लाख मकान तथा आगामी वित्तीय वर्ष में और एक लाख मकान बनायेंगे। इन दो वर्षों के दौरान बीड़ी कार्मिकों के लिए दो लाख मकान बनाये जायेगें। अब तो आवास योजना को भी सरल कर दिया गया है। सं.प्र.ग. सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बीड़ी कार्मिकों के लिए आवास निर्माण हेतु कुल 40,000 रु. राज सहायता के रूप में दिये जाए। इस प्रकार हमारे द्वारा यह प्रयास और कार्य किये गए हैं।

जैसा कि हमारे माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया है हमारा अधिकांश श्रम बल असंगठित क्षेत्र में है। सं.प्र.ग. को इस बात की जानकारी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप बाद में पूछिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री जी को अपना उत्तर देने दीजिए।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: महोदय, सं.प्र.ग. के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रयास किये है तथा इस संबंध में राष्ट्रीय परामर्शकारी परिषद में पूरे एक दिन विस्तृत चर्चा हुई है। नेताओं को पता है कि इस मामले पर एक समेकित अध्ययन करने हेतु सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया है। यह मामला 30 करोड़ लोगों से संबंधित है। अत: उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा तंत्र में शामिल करने हेतु काफी अधिक धनराशि की आवश्यकता है। पहले कुछ प्रयास किए गये थे तथा कुछ योजनाएं शुरु भी की गई, जिन्हें बाद में समाप्त कर दिया गया है।

[श्री के. चन्द्रशेखर राव]

[हिन्दी]

एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए भी शुरुआत हुई, लेकिन जब पैसे की बात आई, तो सरकार पीछे हो गई। हमारी सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। जितनी राशि का प्रबंध होना चाहिए, अनआर्गनाइज्ड सैक्टर बिल लाना कोई बड़ी बात नहीं है, सदन में बिल ला सकते हैं और सभी माननीय सदस्य उसे खुशी से पास कर देंगे। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई स्कीम लागू हो जाए।

[अनुवाद]

इन श्रमिकों का सही तौर पर कल्याण किया जाना चाहिए। इस दिशा में हम ठोस कदम उठा रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा तंत्र में रखने हेतु धन उपलब्ध कराने के संबंध में हम उस पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं। इस बारे में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, प्रधान मंत्री जी तथा श्रम मंत्रालय को पूरी जानकारी है। श्री अर्जुन सेनगुप्त ने विधेयक का अंतिम प्रारुप भी प्रस्तुत कर दिया है, जिसकी जांच विधि विभाग द्वारा की जायेगी।

अत: शीघ्र ही यह सरकार असंगठित क्षेत्र के कार्यबल के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए, सदन में एक समुचित विधेयक प्रस्तुत करेगी ताकि इन लोगों को सुरक्षा तंत्र में लाया जा सकें।

महोदय, श्री सुनील खां ने एच.ए.सी.एल. तथा अन्य मामलों के संबंध में उल्लेख किया है। यदि उनके ध्यान में कहीं भी कोई उदाहरण आया है तो वे कृपया उसे भी मेरे ध्यान में लाए तथा इस पर भी ध्यान रखे कि श्रम मंत्रालय उस संबंध में क्या कार्रवाई कर रहा है।

अत: महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना उत्तर समाप्त करता हूं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मेरा यह सुझाव है कि श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जाए।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: वह तो पहले ही बुलाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सदन मद संख्या 14, जो कि श्री रामजीलाल सुमन द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित है, लेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती ठक्कर, आप जो कुछ भी बोल रहे है वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अब मैं, श्री रामजीलाल सुमन से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अतिरिक्त और कुछ न बोलें।

अपराह्न 5.04 बजे

(दो) देश में फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एक प्रभावी कानून बनाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री का बयान अत्यंत लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें।

"देश में फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक कारगर कानून की आवश्यकता और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम।"

***मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956, के अनुसार डिग्रियां प्रदान करने का अधिकार केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के रूप में मानद किसी संस्थान या डिग्रियां प्रदान करने के लिए संसद के अधिनियम द्वारा विशेष रूप से अधिकार प्राप्त किसी संस्थान को होगा। इस तरह ऐसे किसी संस्थान को, जिसे संसद या राज्य विधान मंडल के अधिनियमन द्वारा नहीं बनाया गया है या जिसे मानव विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया है, डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है।

अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि विश्वविद्यालय के अलावा केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित या निगमित कोई भी संस्थान किसी भी रूप में अपने नाम के साथ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) शब्द का इस्तेमाल नहीं करे या अधिनियम के अंतर्गत इसके प्रावधानों का उल्लंघन जुर्माने के साथ दण्डनीय है। निर्धारित जुर्माना के अलावा अयोग्य संस्थानों द्वारा अनकिकृत डिग्रियां प्रदान कर लोगों को ठगने का

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2736/05

कोई भी प्रयास आपराधिक कानूनों के समुचित प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जनहित में व्यापक जागरूकता लाने के लिए अपने वेबसाइट पर ऐसे संस्थानों की सूची जारी करता है तथा प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में प्रेस विज्ञाप्ति भी जारी करता है। आयोग इच्छुक छात्रों को फर्जी संस्थानों में दाखिला लेने या उनसे किसी प्रकार का ताल्लुकात रखने से आगाह करता है। विश्वविद्यालय आयोग ने दोषी लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ भी इस मसले को उठाया है।

अत: यह ज्ञातव्य हो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का उल्लंघन कर कार्यरत फर्जी संस्थानों पर अंकुश लगाने के लिए पहले से ही विधायी प्रावधान विद्यमान है। इस संबंध में मौजूदा कानूनों में दंडात्मक प्रावधानों को और कड़े किए जाने के प्रस्ताव भी सरकार के पास विचाराधीन है। इसको देखते हुए सरकार का मानना है कि जबकि मौजूदा कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करने की गुंजाइश हो सकती है, इस समय इस विषय पर अलग से विधान लाने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती है। हालांकि माननीय सदस्यों के सुझावों से सरकार को निश्चय ही लाभ मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, मैं समझता हूं कि वह किसी भी कीमत पर संतोषजनक नहीं है। आये दिन समाचार-पत्रों में फर्जी विश्वविद्यालयों की लम्बी फेहरिस्त छपती रहती है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उच्च शिक्षा आज माफियाओं के कब्जे में है। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जिन विश्वविद्यालयों की कोई वैधता नहीं है, कोई मान्यता नहीं, वे धड़ल्ले से हमारे देश में चल रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों के सैंटर हमारे देश में चल रहे हैं। डीम्ड यूनीवर्सिटी के तमाम सैंटर हमारे देश में चल रहे हैं। कुल मिलाकर लगता है कि ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है, कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव या दबाव इन फर्जी यूनीवर्सिटीज को संचालित करने वाले, डीम्ड यूनीवर्सिटीज को संचालित करने वाले लोगों पर नहीं है। यह लगता है कि जो अमीर लोग हैं, उन लोगों के लिए धन लगाने का सबसे सुरक्षित स्थान उच्च शिक्षा बन गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उसके पैरा-3 में लिखा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का उल्लंघन करके संचालित की जा रही जाली संस्थाओं पर रोक लगाने के लिए विधायी प्रावधान पहले से मौजूद हैं। इस संबंध में वर्तमान कानूनों में और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान करने के प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है। इस बात के मद्देनजर सरकार का मानना है कि यद्यपि वर्तमान कानूनी ढांचे को सुदृढ़ बनाए जाने पर विचार किया जा सकता है, तथापि इस संबंध में कोई पृथक कानून बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि कानून पहले से हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास जो कानून है, वह 1956 का एक्ट है। जिसमें इन संस्थाओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, आर्थिक दंड का प्रावधान है। जब माननीय मंत्री जी मेरी बात का जवाब दे तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जब यह सुनिश्चित हो गया कि फर्जी विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं तो कितने लोगों के खिलाफ अब तक दंडात्मक कार्रवाई हुई है? स्थिति यह है कि 6 फर्जी यूनिवर्सिटीज तो दिल्ली में ही चल रही हैं। पूरे देश में जो यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, उनकी बात तो आप छोड़ दीजिए।

1956 का जो कानून है जिसके सैक्शन-24 में जाली संस्थाओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बदलते परिवेश, बदलते संदर्भ में यह 1956 का जो एक्ट है, इस एक्ट में यह प्रावधान है कि अगर कोई फर्जी यूनिवर्सिटी पाई जाती है तो अधिक से अधिक एक हजार रुपये का दंड उसे दिया जा सकता है। मैं पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों के खिलाफ प्राथमिकी अभी तक दर्ज की गई है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्या एक्ट है, उसे आप छोड़ दीजिए लेकिन आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध पंजीकृत हो सकता था लेकिन किसी के खिलाफ कोई अपराध पंजीकृत नहीं हुआ। दस साल पहले जब यह फर्जी यूनिवर्सिटीज का सिलसिला शुरु हुआ, तब ये मामले प्रकाश में आए। मेरी निश्चित जानकारी है कि जो विशेषज्ञ थे, उनकी राय लेकर सरकार ने कहा कि 1956 का जो एक्ट है, जो कानून है, वह काफी लचीला और उदार है और जो लोग फर्जी यूनिवर्सिटीज चलाते हैं, इससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। दस वर्ष से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में वह मसौदा धूल चाट रहा है जिसमें यह प्रावधान करने का प्रयास किया गया है कि कम से कम एक लाख रुपये से लेकर दस लाख रुपये तक दंड का प्रावधान होना चाहिए लेकिन बार-बार सदन में आग्रह करने के बावजूद भी मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार की क्या मजबूरी है कि नौजवानों के जीवन से जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, जो फर्जी यूनिवर्सिटीज चला रहे हैं जिनकी कोई मान्यता नहीं है, उनके खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार ऐसे तत्वों के साथ क्यों उदारता बरत रही है? सरकार की ऐसे लोगों के प्रति क्यों सहानुभूति है? यह बात मेरी समझ में नहीं

[श्री रामजीलाल सुमन]

आती। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी जानते है कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक ही दिन में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज को मान्यता दे दी गई। जो यूजीसी के पूर्व चेयरमैन थे, वे जनहित की याचिका में सुप्रीम कोर्ट में गये और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि इन विश्वविद्यालयों की कोई वैधता नहीं है, इनकी मान्यता समाप्त की जाती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जो बच्चे इन विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे, करीब में जो वैद्य विश्वविद्यालय हैं, उनमें इनको दाखिला दिया जाए और इनका भविष्य बिगाड़ने का काम न किया जाए। मैं जानता हूं कि किसी भी विश्वविद्यालय को मान्यता देने का काम राज्य सरकारें करती हैं लेकिन व्यवहार में क्या है? व्यवहार में यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यहां से मदद देता है और उस पैसे से वहां का संचालन होता है। उसकी गुणवत्ता, उसकी पात्रता या उसका स्तर देखना भारत सरकार का काम है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का काम है, हम केवल ऐसा कहकर इसे छोड़ नहीं सकते। ऐसे-ऐसे स्थानों पर विश्वविद्यालय चल रहे हैं जहां कोई जूनियर स्कूल नहीं चल सकता। उसकी बिल्डिंग, उसकी क्वॉलिटी, उसके स्तर को देखना, सही मायने में उसका जो खाका है, वह मापदंड जो विश्वविद्यालय बनाये जाने के लिए तैयार किया है, उसको पूरा करता है कि नहीं करता है, एक एक्टस से एक ही यूनिवर्सिटी बन सकती है लेकिन एक से सैकड़ों बन जाएं, यह गोरखधंधा पूरे देश में चल रहा है, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज दुनिया के तमाम देशों के केन्द्र हमारे देश में चल रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी कोई अनुमति आप देते हैं? क्या उसकी कोई अनुमति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देता है? उसकी क्या वैधता है और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इनके तमाम सेंटर्स पूरे देश में खुले हुए हैं, ये अपने आप अपनी सुविधानुसार परीक्षाएं लेते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करते हैं, उनको खुली आजादी है। इनके सेंटर्स पूरे देश में खुले हुए हैं। मैं आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि उनकी क्या वैधता है? महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज पूरे देश में उच्च शिक्षा का जो ताना-बाना है, उसकी वजह से आज तमाम नौजवान डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं और उनकी कोई वैधता नहीं है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सन 1956 का एक्टस होने के बावजूद भी जब आपको यह जानकारी मिली कि फर्जी यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, तब क्या आपने उनके खिलाफ कोई दण्डात्पक कार्यवाही की? मेरा आरोप है कि जानबूझकर सरकार ने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले, बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने वाले लोगों के प्रति उदारतापूर्ण रवैया अपनाया। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सन 1956 का यह एक्ट आज की स्थितियों में अर्थहीन हो चुका है। क्या कोई ऐसा एक्ट जिसमें सख्त कार्यवाही के प्रावधान हों, कोई ऐसा कानून जिसमें कठोर दण्ड के लिए प्रावधान हो, मंत्री जी सदन में लाना चाहेंगे और कब तक ऐसा एक्ट सदन में लाना चाहेंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि डिग्री केवल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ही दी जा सकती है। यह सही है कि कानून यही कहता है। पर साथ ही, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि 'आयोग इच्छुक छात्रों को फर्जी संस्थानों में दाखिला लेने या उससे किसी प्रकार का तल्लुकात रखने से आगाह करता है।' जाहिर है कि हमारे देश में ढेर सारे फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। शिक्षा को दोहन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह सही है कि आजकल शिक्षा निवेश का सबसे आकर्षक और लाभदायक क्षेत्र है और ये लोग और समूह इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। यह बात फर्जी विश्वविद्यालयों और पंजीकृत विद्यालयों जहां कि स्ववित्त पोषित विभाजन चल रहे हैं, दोनों ही मामले में सही हैं।

उक्त आलोक में, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन चीजों पर रोक लागाने और विधेयक में वे आवश्यक प्रावधान करने के लिए समुचित कार्रवाई करेगी जिससे सरकार भविष्य में ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों के प्रादुर्भाव को रोकने और स्ववित्तपोषी महाविद्यालयों पर नियंत्रण रखने के लिए इस संबंध में विचार कर सके?

डा. चिंता मोहन (तिरुपति): महोदय, मानद चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष एम बी बी एस छात्रों से प्रतिदिन प्रति छात्र 1000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। साथ ही, उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों के लिए आरक्षण नीति का भी अनुसरण नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या विचार कर रही है।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (संभल): श्रीमन, विश्वविद्यालय जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा के ऐसे केन्द्र होते हैं, जहां से दुनिया भर में ज्ञान का प्रकाश जाता है। अगर फर्जी विश्वाविद्यालयों के अस्तित्व में आने की वजह से छात्रों में और उनके गार्जियन्स के मन में विश्वविद्यालयों के प्रति ही अविश्वास पैदा हो जाए तो यह एक बहुत ही गंभीर विश्वास का संकट हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एग्जिस्टिंग

लॉ, जिसमें दोषी लोगों के लिए बहुत ही मामूली दण्ड का प्रावधान है, संशोधन करके क्या इस तरह की कोई व्यवस्था आप करेंगे जिससे न केवल फर्जी विश्वविद्यालय चलाने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही हो, बल्कि जो बच्चों का भविष्य बिगड़ता है, उनकी फीस और समय का नुकसान होता है, उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके? चूंकि आज एडमीशन का संकट होने के कारण जहां कहीं भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा देखते हैं, बच्चे एडमीशन पाने के लिए जाते हैं, इससे बच्चों को जो नुकसान होता है। बच्चों को इनकी वजह से जो नुकसान होता है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए और दोषी लोगों के लिए न केवल ऐसे दण्ड का प्रावधान होना चाहिए जिससे उनकी यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, बल्कि उनको जेल में भेजने का भी काम हो, ताकि भविष्य में ऐसा और कोई विश्वविद्यालय न खोला जा सके?

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, फर्जी विश्वविद्यालयों से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रश्न पूछने का आपने मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। देश में सर्वोच्च डिग्री विश्वविद्यालय से मिलती है। उसके लिए जो डिग्री कालेजेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, उनकी बात अलग है। मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में स्वीकार किया है कि फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या भी हमारे देश में है। ये फर्जी विश्वविद्यालय फर्जी तरीके से लोगों ने खोल रखे हैं और ये विद्यार्थियों को डिग्री देते हैं। इससे उनका भविष्य चौपट हो रहा है और कहीं नौकरी भी नहीं मिल पाती है, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इस प्रकार के फर्जी विश्वविद्यालयों द्वारा केवल डिग्री देने की बात ही नहीं है, बल्कि कमर्शियल रूप में, फर्जी रूप में विश्वविद्यालय बनाकर वे छात्रों से पैसा लेकर डिग्री देने का काम करते हैं। इसलिए इन पर आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इसके अलावा जिन छात्रों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए कोई प्रभावी कानून बनाया जाए, जिससे छात्रों का भविष्य बचाया जा सके और उन्हें सही रूप में शिक्षा भी हासिल हो सके।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का जितना ध्यान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की ओर जा रहा है, उतना उच्च शिक्षा की ओर नहीं जा रहा है। हम देखते हैं कि बजट में भी उच्च शिक्षा के ऊपर जो व्यय होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। प्रदेशों में फर्जी विश्वविद्यालयों को रोकने के लिए और छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए पुराने कानून बने हुए हैं, उनमें जो कमियां हैं, क्या सरकार उन्हें दूर करेगी? वर्तमान विश्वविद्यालयों के स्तर के उन्नयन के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, ताकि विदेशी छात्र भी भारत में आकर नालंदा और तक्षशिला की तरह शिक्षा प्राप्त कर सकें? इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, यह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे?

श्री अर्जुन सिंह: आदरणीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों की चिंता एक ऐसे विषय पर है, जिसका सीधा संबंध देश के नौजवानों के भविष्य और शिक्षा के स्तर से है। उस स्तर को किस प्रकार से बिगाड़ा जा रहा है, इससे भी यह विषय संबंध रखता है। मैं आपसे इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि इस विषय पर हमें केवल ध्यान ही नहीं देना है, ऐसे कदम भी उठाने हैं, जिससे यह बात समाप्त हो। मैंने यह नहीं कहा कि 1956 के यूजीसी कानून में कोई तब्दीली नहीं हुई। हमने कहा है कि अलग से कानून लाने की जरूरत नहीं है। यूजीसी के कानून को और स्पष्ट तथा मजबूत बनाने के लिए सुझाव आए हैं। इसके अलावा आज आप जो सुझाव दे रहे हैं, वे भी उसमें हैं। इस संबंध में एक विधेयक बन रहा है, जिसमें यूजीसी के कानून को संशोधित किया जाएगा। हम आशा करते हैं कि अगले सत्र में हम इस विधेयक को संसद में लाएंगे।

अभी जो प्रयास हुए हैं, उनमें सबसे पहली बात यह है कि ऐसे विश्वविद्यालयों की जानकारी होनी चाहिए और वह जानकारी होने पर सबसे ज्यादा सहायता छात्रों को होती है। इसलिए हर सत्र के शुरू होने के पहले यूजीसी एक सूची निकालती है, जिसमें ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम पर चलने वाले संस्थान, जो फर्जी हैं, उनके नाम होते हैं। यह कहा जाता है कि छात्र इनसे दूर रहें। अगर कोई जानते हुए भी उसमें भर्ती होता है, वह थोड़ी सी लाचारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। जहां तक दंड के बढ़ाने का सवाल है, जो आज प्रावधान है, निश्चित रूप से वे पर्याप्त नहीं हैं और उनको बढ़ाया जायेगा। जो संशोधन आयेगा, उसमें दंड को बढ़ाया जाएगा और दंड के बढ़ाने की प्रकिया भी सरल की जाएगी ताकि ऐसी बातों को बढ़ावा न मिले।

उच्च-शिक्षा को ऊपर उठाने का माननीय रावत जी का प्रश्न है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि आज की परिस्थिति में सर्व-शिक्षा-अभियान द्वारा प्राथमिक रूप से एलीमेंट्री एजुकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उच्च शिक्षा के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बाहर की संस्थाएं आज भारत में इस प्रयोजन के लिए आना चाहती हैं। माननीय सीएनआर राव की अध्यक्षता में उच्च-शिक्षा के बारे में एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसकी रिपोर्ट भी आ गयी है और उनकी सिफारिशों के आधार पर ही इस बारे में कार्यवाही की जाएगी, प्रावधान किया जाएगा।

जहां तक डीम्ड यूनिवर्सिटीज का सवाल है, यह बात सही है कि डीम्ड युनिवर्सिटीज 10-15 सालों की देन है। इससे पहले

[श्री अर्जुन सिंह]

कोई इस बारे में जानता नहीं था। डीम्ड युनिवर्सिटीज की स्थापना अलग से नहीं, यूजीसी के कानून के अंतर्गत धारा 3 और अन्य धाराओं को जोड़कर होती है। डीम्ड युनिवर्सिटीज को और अच्छी तरह से रैगुलेट करने के लिए और उनकी कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाने जरूरी हैं। राज्यों ने भी इस बारे में अपनी-अपनी राय दी हैं और समय-समय पर सदन में और बाहर भी इस विषय पर चर्चा हुई है। नवम्बर के महीने में जितनी भी डीम्ड युनिवर्सिटीज हैं, उनकी सभा बुलाई गयी है और उसमें प्रदेशों और अन्य लोगों द्वारा जो सुझाव आये हैं, उन पर विचार-विमर्श करेंगे और एक कानून डीम्ड युनिवर्सिटीज से जुड़ा हुआ, बनाने का निश्चय लिया जाएगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि यह बात टालने की नहीं है। यह बात जरूरी है कि शिक्षा जैसे क्षेत्र में एक इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए और सलाह-मशविरा करके कानून बनना चाहिए। यह कोई क्रीमिनल लॉ को एप्लाई करने वाली बात नहीं है। अगर वैसा हो तो उसके साथ भी स्थिति स्पष्ट करते हुए जिसको आदेश देना हो, आदेश देना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रावधान पर्याप्त हैं और नये कानून बनाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं कानूनों को मजबूत करने की जरूरत है। आप सबकी मंशा के मुताबिक ही कानून को लाया जाएगा, जिससे आप भी संतुष्ट हों। जहां तक यूजीसी द्वारा किये जाने वाले कामों की बात है तो बहुत से काम संतोषजनक नहीं हैं। वे काम संतोषजनक हो जाएं, हमारा यही प्रयास होगा। मैं आशा करता हूं कि शिक्षा के उन्नयन के लिए, जिस प्रकार का सहयोग, सदन का और सदन के बाहर के लोगों का, मिलता रहा है, वह बराबर मिलता रहेगा और निश्चित रूप से चाहे युनिवर्सिटी हो, कालेज हो, डीम्ड युनिवर्सिटीज हों, रिजर्वेशन का सवाल हो, सभी को समुचित तरीके से डील करके, सबकी सहमति से एक फैसला हो, ताकि रोज-रोज के प्रश्न न उठें - हमारी यह चेष्टा है और आपका सहयोग इसमें वांछनीय है।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 18 - घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं-

> "कि ऐसी महिलाओं के, जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी किस्म की हिंसा से पीड़ित हैं, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैं इस बिल के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ कहना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप चाहें, तो कह सकती हैं।

श्रीमती कांति सिंह: महोदय, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करती हूं। घरेलू हिंसा से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर संरक्षण विधेयक, 2005। आज इस देश में उन लाखों महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा से जूझ रही हैं, उन महिलाओं के लिए, जहां पर लिंग भेद हिंसा, घरेलू हिंसा, दहेज संबंधी हिंसा, यौन उत्पीड़न इत्यादि पूरे देश में विस्तृत रूप से फैला हुआ है, इन सब का कारण यह है कि हमारे समाज में आज भी महिलाओं के प्रति हीन दृष्टिकोण बना हुआ है। यह किसी जाति, धर्म या समुदाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग में फैला हुआ है।

[श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन* हुए]

अपराह्न 5.32 बजे

घरेलू हिंसा मानवाधिकार हनन का एक रूप है और विकास में एक बड़ी बाधा है। वियना में वर्ष 1994 में और बीजिंग में वर्ष 1995 में इस बात का समर्थन किया गया और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इस बात का समर्थन किया कि सारे सदस्य राष्ट्रों को महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। कई देशों ने इस हिंसा को रोकने के लिए कानून भी बनाए हैं। इनमें प्रमुख हैं, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यू.एस., यहां तक कि विकासशील देश जैसे कि साउथ अफ्रीका और मलेशिया ने भी इसका समर्थन किया है। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में घरेलू हिंसा अत्यंत निंदनीय है, क्योंकि यह उत्पीड़न करने वाले कोई और नहीं, उनके अपने परिवार के सदस्य होते हैं। सामाजिक और पारिवारिक दबाव में आकर महिलाएं इस उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज नहीं उठाती हैं, इसलिए संरक्षण करना अत्यंत ही कठिन हो जाता है। महिलाओं के पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध न होने की वजह से घरेलू हिंसा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और कई बार सहायता पीड़ित तक नहीं पहुंच पाती है। महोदय, इस देश में कहा जाता है, "यत्र पूज्यंते नारी, रमन्ते तत्र देवता", लेकिन यह सिर्फ कहने की बात है, हम महिलाओं को देवी बनाकर के और उनको पूजा का रूप देकर, उनका तरह-तरह से शोषण करते हैं चाहे वह दहेज के नाते हो या फिर कहीं कहा जाता है कि पत्नी सही खाना नहीं बना रही है, नमक ज्यादा डाल देती हैं या फिर उनके परिवार के द्वारा उन्हें हमेशा से प्रताड़ित किया जाता रहा है। कहा गया है "जा तन में झांई पड़े अंधा होत भुजंग, तनकी गाती को क्या कहिए, जो नित नारी के संग।" आप समझ सकते हैं कि पितृ सत्तात्मक समाज में नारी की स्थिति

भ्रमात्क है। नारी समझ ही नहीं पाती है कि वह कहां पर खड़ी हैं? रवीन्द्र नाथ जी ने कहा है, ''पवित्र नारी सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति है, सृष्टि के वात्सल्य, स्नेह, ममत्व की अमृतधारा नारी, हृदय से निकलकर इस संसार को अमृत दान कर रही है।'' किन्तु यही नारी जो सब को अमृत और अमरत्व देती है, महादेवी जी के शब्दों में, चाहे हिन्दू नारी की गौरवगाथा से आकाश गूंज रहा हो, चाहे उसके पतन से पाताल कांप उठा हो, किन्तु उसके लिए न सावन हरे, न भादौं सूखे की कहावत चरितार्थ होती रही है। उसे अपने हिमालय को लज्जा देने वाले उत्कर्ष तथा समुद्र तल की गहराई से स्पर्धा करने वाले अपकर्ष, दोनों का ही इतिहास उसे आंसुओं से ही लिखना पड़ा।

संभव है कि भविष्य में लिखना पड़े। यही सच्चाई है जो भारतीय नारी की व्यथा को दर्शाती है। इस बिल को लाने का यही मकसद है। जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को इंडियन पीनल कोड की धारा 498 के तहत दायर किया जाता है। लाखों महिलाएं इन अत्याचारों से प्रताड़ित हो रही है। तब जाकर उनको कहीं न्याय मिलता है। यही वजह है कि हम लोग उन महिलाओं को राहत पहुंचाने के लिए व्यापक रूप से यह विधेयक लाए हैं।

हमारी सरकार महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए इस विधेयक को अधिनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसका उल्लेख हमारे राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के 'महिला एवं बच्चे' नामक खंड में भी किया गया है। हमारे यूपीए सरकार का नेतृत्व डा. मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी कर रही हैं। इन लोगों के नेतृत्व में हमें विधेयक लाने का मौका मिला जिससे हम महिलाओं को समाज में राहत दे सकेंगे।

हमारे संविधान में तथा हमारे देश द्वारा अंगीकृत किए गए अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में महिलाओं को वास्तविक न्याय की गारंटी दी गई है तथा घरेलू हिंसा से संबंधित कानून इस प्रकार की गारंटी अंतर्निहित भावना का कानून के रूप में ढालने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। ऐसा कानून परिवार में किसी भी प्रकार की हिंसा की स्थिति में महिलाओं को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए जरूरी है। ऐसे प्रावधान दंड विधि में मौजूद नहीं है और इसलिए इस विधेयक का महत्व और बढ़ जाता है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि 'घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक, 2002' 13वीं लोक सभा में 8 मार्च, 2002 को पेश किया गया था। विभाग से संबंधित मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने विधेयक की जांच की और अपनी रिपोर्ट दी। विधेयक 13वीं लोक सभा भंग हो जाने के कारण व्यपगत हो गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग को घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक, 2002 की पुनः जांच करने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इसलिए, विभाग ने विधायी मामलों में विशेषज्ञ महिला अधिकार संगठनों, संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों, राष्ट्रीय तथा राज्य महिला आयोगों के साथ परामर्श कर उपरोक्त विधेयक के प्रावधानों की पुनः जांच की। इन परामर्शों के आधार पर सरकार ने अब एक व्यापक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

इस विधेयक के अंतर्गत उन महिलाओं को लाने का प्रयास किया गया है जिन का दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति से कोई संबंध है अथवा रहा है और ऐसे मामलों को भी इस विधेयक के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया है जिन में दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति तथा पीड़ित महिला, दोनों पक्षों के बीच समरक्तता, विवाह तथा दत्तक ग्रहण पर आधारित कोई रिश्ता है तथा जो एक ही परिवार में एक साथ रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त, संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिजनों के साथ संबंधों को भी इस विधेयक में शामिल किया गया है। यहां तक कि बहनें, विधवाएं, माताएं, एकल महिलाएं तथा दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के साथ रहने वाली महिलाएं भी प्रस्तावित विधान के अंतर्गत कानूनी संरक्षण प्राप्त करने की हकदार हैं। तथापि, जहां एक ओर इस विधेयक के अंतर्गत पत्नी और विवाह की प्रकृति के संबंध में रह रही महिला अपने पति तथा पुरुष साथी के किसी भी रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है, वहीं यह विधेयक पति और पुरुष साथी के महिला रिश्तेदारों को पत्नी अथवा महिला साथी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं देता है।

इस विधेयक में घरेलू हिंसा की परिभाषा में वास्तविक दुर्व्यवहार अथवा शारीरिक, यौन, शाब्दिक, भावनात्मक अथवा आर्थिक दुर्व्यवहार के खतरे को शामिल किया गया है। महिला अथवा उसके संबंधियों से दहेज की गैर-कानूनी मांग करके किए जाने वाले उत्पीड़न को भी इस परिभाषा में शामिल किया गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: थावरचन्द जी, कृपया व्यवधान न करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह: इस विधेयक में महिला के आवास के अधिकार के संरक्षण का प्रयास किया गया है। इसमें महिला के ससुराल अथवा संयुक्त परिवार में रहने के अधिकार का उपबंध भी किया गया है, चाहे ऐसे घर अथवा परिवार पर महिला का स्वामित्व या अधिकार हो अथवा नहीं, दण्डाधिकारी द्वारा पारित किए जाने वाले निवास आदेश के द्वारा इस अधिकार को संरक्षण किया जाएगा। इस विधेयक में दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को घरेलू हिंसा या अन्य किसी विनिर्दिष्ट कार्य में सहायता करने अथवा ऐसे कोई अन्य कार्य करने, कार्य स्थल अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान, जहां सामान्यत: पीड़ित महिला का आना-जाना हो, में प्रवेश करने, पीड़ित महिला से बात करने का प्रयास करने, दोनों पक्षों द्वारा प्रयुक्त की जा रही परिसम्पत्तियों पर केवल अपना अधिकार स्थापित करने तथा पीड़ित महिला या घरेलू हिंसा के मामले में उसकी सहायता करने वाले उसके संबंधियों या अन्य किसी व्यक्ति के साथ हिंसा कराने से रोकने के लिए दण्डाधिकारी को पीड़ित महिला के पक्ष में संरक्षण आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया है। इस विधेयक में पीड़ित महिलाओं को उनकी चिकित्सा, जांच कानूनी सहायता, सुरक्षित आश्रय प्राप्त करने के संबंध में सहायता प्रदान करने हेतु सेवा प्रदाताओं के रूप में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति तथा गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरणों का उपबंध किया गया है।

मैं आशा करती हूं कि इस विधेयक, जिस पर इसके निरुपण के समय व्यापक चर्चा हुई तथा इसमें संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें शामिल हैं, इस सदन में हमें माननीय सदस्यों का एकमत समर्थन मिलेगा।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं। मैं यह कहूंगी कि बहुत दिनों से एक प्रकार से इस बिल की राह देखी जा रही थी। बीजिंग में जब महिला अधिकारों पर बातचीत हुई, उसमें अलग-अलग प्रकार से महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए कुछ अकॉर्ड हुआ था, डिक्लेरेशन हुआ था। उसमें एक कमेटी भी बनी थी, हम सीडॉ के सदस्य हैं, जिसमें कन्वेन्वशन महिलाओं के लिए था "एलिमिनेशन ऑफ ऑल साट्र्स ऑफ डिस्क्रिमीनेशन अगेस्ट वूमेन", इसके अंतर्गत तब से तय था कि एक ऐसा कानून लाया जाए या बनाया जाए जिसमें महिलाओं के ऊपर जो घरेलू हिंसा होती है, कहीं न कहीं सिविल लॉ से हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। वैसे तो आईपीसी के अंतर्गत या सीआरपीसी के अंतर्गत सूट दायर किए जा सकते हैं और इसके लिए आईपीसी की धारा 498(ए) वगैरह भी है। लेकिन कई बार यह होता है कि महिलाएं यह नहीं चाहती हैं कि हम न्यायालय में जाएं और अपने पति को जेल में ही भिजवाएं। वे यह नहीं चाहती हैं लेकिन सोल्यूशन जरूर चाहती हैं। यह जरूर चाहती हैं कि अन्याय से छुटकारा तो मिले, न्याय तो मिले। इसलिए एक ऐसे सिविल लॉ की आवश्यकता है। *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): जेल भेजने लायक व्यवहार होगा तो जेल भी भेजा जाएगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: देवेन्द्र प्रसाद जी, आप सुनिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन: आप बात तो सुनिए, जो कानून है वह कानून तो है ही, जेल में भी डालना आवश्यक हो तो उसमें भी धैर्य तो दिखाना ही पड़ेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में श्रीमती सुमित्रा महाजन के भाषण के अलावा कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपकी तरफ से सदस्या बोल रही हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन: माननीय सभापति जी मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि हम लोग किसी पुरुष के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहती हूं। *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): इन्हें अभी कहने दीजिए क्योंकि बिल के बाद तो नहीं कह पाएंगे।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: बिल के बाद की बात नहीं है। यहां जैसे उत्तेजना हो रही है जबकि यह विधेयक किसी के खिलाफ नहीं है। वास्तविक रूप से हम महिला को अधिकार देकर सशक्त बनाना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं, अगर स्त्री सशक्त बनती है तो पूरे परिवार को सशक्त बनाती है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): यह जरूरी है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजन: यह बहुत जरूरी है। आप इस उदाहरण को देखिये। मैं आपको बताती हूं कि जब पति, पत्नी या स्त्री, पुरुष मंदिर जाते हैं तो माथा टेकने के बाद मंदिर का पुजारी हाथ पर प्रसाद रखता है। यह मेरा अनुभव है, आप अपने अनुभव को टटोलिये। पुजारी जब हाथ पर प्रसाद रखता है तो पुरुष साधारणतया प्रसाद मुंह में डाल लेता है। लेकिन जो स्त्री होती है, चाहे वह अनपढ़ हो, सुशिक्षित हो या गांव की महिला हो, यदि वह ग्रामीण महिला है तो वह अपने पल्लू में प्रसाद बांध लेती है। यदि वह शहरी महिला है तो अपने पर्स में रुमाल या कागज ढूंढेगी, लेकिन वह उस प्रसाद को बांधकर अपने घर ले जायेगी, ताकि वह उस प्रसाद को अपने परिवार में सबको थोड़ा-थोड़ा दे दे। यह साइक्लोजी है। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: गांव की महिला तो खाना भी सबके बाद में खाती है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: यह बिल्कुल सही बात है, वह सबको खिलाने के बाद खाना खाती है और कई बार उसे इसके लिए कम्पैल भी किया जाता है कि सबको खिलाने के बाद ही वह स्वयं खाये, इसका भी विरोध होना चाहिए। मैं कहना चाहती हूं कि अगर स्त्री को सशक्त बनाया जाता है तो एक प्रकार से यह मानवाधिकार की बात है। जब हम पूरे परिवार की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें स्त्री ही केन्द्र बिन्दु है। स्त्री के आसपास ही सारा परिवार घूमता है। चाहे वह मां के रूप में हो, चाहे वह बहन के रूप में हो और चाहे वह पत्नी के रूप में हो। लेकिन घर में उसकी जो परिस्थिति रहती है, वह सदैव अच्छी नहीं होती। मैं यहां बैठकर दो-चार महिलाओं की बात नहीं कर रही हूं। मैं पूरे हिन्दुस्तान की बात भी नहीं कर रही हूं। मैं विदेशों में घूमी हूं और बहुत से ऐसे देश हैं जो तकनीकी प्रगति के मामले में बहुत आगे बढ़ गये हैं, लेकिन वहां की महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि परिवारों में एक पितृसत्तात्मक पद्धति चल रही है। लेकिन यह क्यों हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि हम वर्ष 1947 में आजाद हुए और हम अपने देश को प्रजातंत्रात्मक तरीके से चला रहे हैं। लेकिन हमने अपने घर के प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से कभी नहीं सोचा। इस बारे में भी सोचना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो बिल लाया गया है कि महिलाओं के ऊपर घरों में जो अत्याचार होते हैं, उन अत्याचारों के खिलाफ जो आवाज उसे उठानी चाहिए, वह आवाज खुद नहीं उठाती है। हम कई बार देखते हैं कि महिला पैसा कमाकर लाती है। यदि वह मजदूरी करके पैसा कमाकर लाती है तो वह यह सोचकर आठ दिन की मजदूरी का पैसा घर में लाती है कि इससे वह अपने लड़के और लड़की की फीस जमा कर देंगी और थोड़ा अनाज घर ले जायेगी। मुझे कहना नहीं चाहिए कि पुरुष को मजदूरी मिलने के बाद उसके कदम दूसरी तरफ जायेंगे और वह झूमता हुआ वापस आयेगा। लेकिन स्त्री अपनी मजदूरी अपने घर ले जायेगी। वह अपने पूरे परिवार के बारे में सोचती है। लेकिन जब पुरुष झूमता हुआ घर आता है तो स्त्री के साथ मारपीट करके आधी मजदूरी छीनकर ले जाता है। यह चीज हमें बहुत से घरों में देखने को मिलती है। महिला बहुत से कष्ट सहकर भी अपने परिवार को ऊपर उठाना चाहती है। लेकिन उसके लिए जो हमारी सोच हैं, उसके अनुसार मैं कहूंगी कि घरेलू अत्याचार उसके खिलाफ गर्भ से ही शुरु होता है। चूंकि हम उसके जन्म को ही नकार रहे हैं। यदि लड़की जन्म भी ले लेती है तो किरण जी आपके राजस्थान में कहा जाता है- पत्थर आ गया या पत्थर को जन्म दिया है या चोर आ गया। जैसे वह डाका डालकर दहेज के रूप में घर की संपत्ति ले जायेगी। इसके अलावा कोई कहता है कि अंधेरा छा गया। मुझे इस बारे में कही गई कविता की दो लाइन सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ - "बाहर बिछा दो खटिया, जच्चा के हो गई बिटिया" यानी जच्चा और बच्चा दोनों की खटिया बाहर कर दो। इस मानसिकता से हम घर में बेटी को जन्म देते हैं।

यह भी कहते हैं कि स्त्री पराया धन है। महिला सोचती है कि आखिर मैं कौन हूं, किस तरह से मेरे बारे में बात हो रही है? हमारे यहां कहा गया है कि-यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती वहां देवता वास करते हैं। नारी को पूजनीय कहा गया है। मैं नारी हूं, लेकिन बेटी, बहू और मां प्यारी भी हूं, फिर भी मेरी स्थिति क्या है? पिता कहे पराया धन है, ससुराल में कहां अपनापन है? क्या ससुराल में अपनापन मिलता है? बेटा भी सुख न दे पाता-बेटे से भी सहारे की कोई गारंटी नहीं है। आजकल वृद्धाश्रमों की मांग बढ़ रही है। मैं जब महिला और बाल विकास मंत्री थी तो मैं कहती थी कि मुझे यह वृद्धाश्रम वाली बात अच्छी नहीं लगती। हमने स्वाधार योजना बनाई थी लेकिन आज उनकी मांग बढ़ रही है और कई सामाजिक संस्थाएं उसके लिए आगे आ रही हैं। बेटा भी सुख न दे पाता, हर कोई मुझे बोझ कहलाता। बचपन से सुना कि बोझ हूं और इसलिए अब ऐसा जाना है मैंने कि नारी होना एक गुनाह है। मन में यह भाव आने लगा कि नारी होना गुनाह है। अभिशाप मेरे जीवन का सहना और बस सहना है।

इस प्रकार की नारी की स्थिति है और इसलिए घर में जो हिंसा होती है, इस हिंसा से उसको निजात दिलाने की बहुत आवश्यकता थी। जैसे अभी कहा गया, हमारी माननीय अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार में भी बिल तैयार किया गया था और स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था। आप उसमें थोड़ा बहुत संशोधन

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

करके लाए, मैं उस पर भी बात करूंगी। घरेलू हिंसा से महिलाओं को प्रोटैक्ट करने के संदर्भ में यह बिल यहां प्रस्तुत हुआ है। इस बिल में जो बातें अच्छी हैं, वे भी मैं कहूंगी। कुछ बातें जो हमें सोचनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि यह सिविल लॉ के रूप में हम लाए हैं, उसमें एक बहुत अच्छी बात है कि डोमैस्टिक वायलैंस की जो कल्पना की है, उसमें केवल मारपीट को ही नहीं रखा है, बल्कि मानसिक प्रताड़ना को भी रखा गया है। हम लोगों के यहां जिन अलग-अलग प्रकार से स्त्री की प्रताड़ना होती है उस पर भी यह विधेयक बात करता है। अगर हम देखें कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की संख्या 66 प्रतिशत है तो कुल अपराधों का 36 प्रतिशत केवल घरेलू हिंसा है। इसलिए इस बिल का महत्व और बढ़ जाता है। इस घरेलू हिंसा में अत्याचार करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, वह कहीं न कहीं घर में होता है। आजकल तो ऐसा होने लगा है कि पिता भी बेटी पर अत्याचार करता है। घर में बेटी के रूप में या बहन के रूप में महिलाओं को जो अत्याचार सहन करना पड़ता है, उसमें वह सोचती है कि इस अत्याचार के खिलाफ जाऊं तो कहां जाऊं। हर समय यह नहीं होता कि किसी आईपीसी की धारा के अंतर्गत कोर्ट में जाऊं। इसलिए यह जो प्रोटैक्शन ऑफिसर दिया गया है, यह प्रोटैक्शन ऑफिसर रखना बहुत अच्छी बात है। आपने बताया है कि उसकी ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी। प्रोटैक्शन ऑफिसर के साथ-साथ आपने सर्विस प्रोवाइडर की बात कही है। यह वास्तविकता है कि पहले ऐसी संस्थाओं का काम घरों में होता था। घरों में बड़े-बुजुर्ग रहते थे और एकत्र कुटुम्ब पद्धति थी। सब बातें घर में ही सुलझ जाया करती थीं। अब कहीं न कहीं हमारे कुटुम्ब छोटे होते जा रहे हैं और इसलिए ऐसी संस्थाएं सर्विस प्रोवाइडर के रूप में बड़े-बुजुर्गों का काम करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नियम बनाते समय एक बात ध्यान में रखे कि सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटैक्शन ऑफिसर के कामों में ओवरलैपिंग न हो जाए। दोनों को एक ही काम न सौंप दिया जाए। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर को लगता है कि किसी के साथ अन्याय होने वाला है तो वह सुओ-मोटो एक्शन ले सकता है या अत्याचार होने की संभावना है तो वह जा कर कंप्लेंट लिखवा सकता है या लिखवाने में मदद कर सकता है। इससे प्रोटेक्शन आफिसर पर कोई आंच नहीं आएगी। प्रोटेक्शन आफिसर के लिए यह मेंडटरी होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के लिए तब होती है जब कोई आदमी आधी रात को घर से बाहर निकाल देता है। कई बार रात को मार-पीट कर बाहर निकाल देता है तो वह कहां जाएगी, इसलिए वह मार खा कर घर में ही दुख सहन करने को मजबूर होती है। घर के बाहर कदम निकालने पर महिला को वास्तव में इज्जत भी प्राप्त नहीं होती है। एक सामाजिक मानसिकता के आधार पर परित्यकता को देखने का दृष्टिकोण समाज का अलग होता है। कानूनी रूप से हम महिलाओं को न्याय दे रहे हैं, लेकिन सही मायनों में वह न्याय पाने से वंचित रहती है। जब तक यह दृष्किोण नहीं बदलेगा तब तक वह स्त्री अन्याय के खिलाफ घर के बाहर कदम नहीं रखना चाहेगी।

दूसरी बात यह है कि वह बाहर कदम रख कर कहां जाएगी, इसलिए प्रोटेक्शन आफिसर को कहा गया है कि वह शैल्टर होम को मेंडेटरी करें। महिला को रखना जैसी आपने जो बातें कही हैं, वे बहुत अच्छी हैं। पीड़ित महिलाओं के वहां पर कुछ दिन रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। हमने कई योजनाएं बनाई थीं। जब मैं महिला बाल विकास मंत्री थी तो हमने इस प्रकार की कई योजनाएं जैसे स्वाधार बनाई थीं। इस बात को ध्यान में रख कर योजनाओं को बनाया गया था और शैल्टर होम्स को मेंडेटरी किया जाए।

आपने महिलाओं के लिए मेडिकल सुविधा की बात भी बहुत अच्छी कही है। जो बातें आपने अच्छी कही हैं, उन्हें मुझे अच्छा कहना ही पड़ेगा। कई महिलाओं के साथ मार-पीट होती है तो ऐसे समय में मेडिकल की सुविधा भी महिलाओं को मिलनी चाहिए। महिलाओं को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है इसलिए प्रोटेक्शन अधिकारी को अधिकार दिया है कि वह मेडिकल को मेंडेटरी कर सकता है। इससे पीड़ित महिला को मेडिकल सुविधा देनी हो पड़ेगी। सर्विस प्रोवाइडिंग संस्थाएं हैं और प्रोटेक्शन आफिसर के बीच में आपस में ओवरलैपिंग न हो जाए, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है।

एक बात यह भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने इसमें कही कि सैंसेटाइजेशन एंड अवेयरनैस ट्रेनिंग आफ दि पुलिस आलसो, अधिकारियों के साथ पुलिस का भी योगदान होना चाहिए क्योंकि आज कल जो देखने में आ रहा है जैसे आईजी, बिहार की कहानी छोटे पर्दे पर बहुत घिनौने तरीके से दिखाई गई है, उसका हमें विरोध करना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमारा मीडिया भी एक प्रकार से पोर्नोग्राफी से कम नहीं दिखा रहा है। इसे दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उस आदिवासी महिला पर थाने से ले कर आईजी के आफिस तक अत्याचार हुए, उससे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमारी संवेदनशीलता कम होती जा रही है। सैंसेटाइजेशन और अवेयरनैस के कैंप्स लगाने की बात कही है, यह भी बहुत अच्छी बात है और इसे भी मेंडेटरी करना चाहिए। मैं इसे आवश्यक समझती हूं क्योंकि यह बातें आखिर में राज्य सरकारों पर छोड़ी जाएंगी, इसलिए इसे मेंडेटरी करना आवश्यक है।

एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि न्याय दिलाने के लिए प्रोविजंस तो बहुत अच्छे हैं, जैसा आपने कहा कि 15 दिन के अंदर न्यायालय द्वारा दखल होना चाहिए और पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर पीड़ित महिला को न्याय मिलना चाहिए। अगर हम

ऐसा कुछ इसमें लिखते हैं तो आज की तारीख में देखना पड़ेगा कि कोर्ट्स की क्या स्थिति है, कोर्ट्स के पास कितना काम है और क्या यह संभव हो सकेगा कि न्यायाधीश इस अवधि में उपलब्ध रहे कि पीड़ित को 60 दिनों में न्याय मिल रहा है या नहीं। आज हमारे सामने कितने ही दहेज के केस हैं या और फैमिली केस हैं, लेकिन सभी जगह कोर्ट्स उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन जहां कोर्ट्स हैं भी, वहां न्याय प्राप्त करने में सालों साल लग जाते हैं, इसलिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसमें आपने जो प्रोटेक्शन ऑफीसर की बात कही है, उसे फिर स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ने की बात की जाएगी। ...*(व्यवधान)*

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय: महोदय, बस एक मिनट। अभी छह बजे है। हमें सभा का समय बढ़ाना पड़ेगा।

श्री गुलाम नबी आजाद: सभापति महोदय, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारी बहनें इसे अन्यथा न लें, क्योंकि जब कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय होता है, तो हम सभा का समय बढ़ा देते हैं और आज जब हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जो सीधे तौर पर महिला से जुड़ा हुआ है, तो इसमें किसी की कोई अभिरूचि नहीं है। हमें इस चर्चा में अभिरूचि है। मेरा निवेदन है कि हम इस विधेयक पर 7 बजे तक चर्चा जारी रखें।

सभापति महोदय: क्या सभा का समय एक घंटा और बढ़ाने के संबंध में सभा की सहमति है?

कई माननीय सदस्य: हां।

सभापति महोदय: तो सभा का समय सायं 7 बजे तक बढ़ाया जाता है। सायं 7 बजे हम ''शून्य काल' पर चर्चा करेंगे।

महोदया, क्या आप अपना भाषण अगले पांच मिनटों में समाप्त कर सकती हैं?

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर अब कल फिर चर्चा की जाए क्योंकि इस पर बहुत सी महिला सदस्य बोलना चाहती हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: सभापति जीं, इस विधेयक पर आज सायं काल 7.00 बजे तक चर्चा कराने से तो अच्छा है कि इस पर कल चर्चा की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: महोदया, भाजपा से पांच लोग बोलने वाले हैं और एक घंटा आपकी पार्टी को दिया गया है। आप 20 मिनट तो ले चुकी है। इसलिए, मैं पांच मिनट का समय और दे रहा हूं। कृपया आप अपना भाषण अगले पांच मिनट में समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: सभापति जी, मैं प्रयास करूंगी कि अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त कर दूं। ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सभापति जी, माननीय सुमित्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर सदन का ध्यान दिला रही हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन्हें मेरा समय भी दे दीजिए।

सभापति महोदय: त्रिपाठी जी, आपका अपना कोई टाइम नहीं होता है। आपकी पार्टी का टाइम होता है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: सभापति जी, मैं प्रोटेक्शन आफीसर की बात कह रही थी। इसे आपने स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ा है। ठीक बात है, क्योंकि हर जिले में प्रोटेक्शन आफीसर होगा। इसीलिए इसे स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ा है। मेरा सुझाव है कि प्रोटेक्शन ऑफीसर कोई सीनियर रैंक का अधिकारी होना चाहिए। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि डावरी के केस में आपने प्रोटेक्शन ऑफीसर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलैक्टर को बनाया है और इसका भी आप कलैक्टर को ही प्रोटेक्शन ऑफीसर बनाना चाहते हैं। प्राय: देखा गया है कि जिले में हर चीज का अध्यक्ष कलैक्टर होता है। एक जिले में इतने काम होते हैं कि कोई भी कलैक्टर चाहकर भी हर चीज के लिए उतना समय नहीं निकाल पाता जितना जरूरी होता है। कलैक्टर स्वयं अपने आप में एक कोर्ट भी है। वहां रैवेन्यू केसों की सुनवाई भी होती है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहती हूं, लेकिन मैंने देखा है और महसूस किया है कि कलैक्टर चाहते हुए भी उतना समय नहीं दे पाते। इस चीज को भी रूल्स बनाते समय ध्यान में रखना आवश्यक है। यह बात मैं इसलिए कह रही हूं कि महिला आयोग को बनाने का जब विधेयक हमने यहां से पारित किया, उसके बाद जब उसके रूल्स बनाए गए, तो उसका कुछ दूसरा ही चित्र उभरकर आया। जैसा हमने यहां से पारित किया, रूल्स बनाने के बाद उसका वैसा स्वरूप नहीं बना।

सभापति जी, इसलिए मेरा आग्रह है कि यदि डी.एम. अथवा कलैक्टर को अगर आप प्रोटेक्शन आफीसर बनाते हैं, तो उनके पास इतना समय भी होना चाहिए ताकि वे ऐसे केसेस को समय दे सकें, क्योंकि जब यह विधेयक पारित हो जाएगा, तो जिलों में

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

इतने केसेस आएंगे कि आपको कोर्ट सिविल कोर्ट की तरह केसेस सुनने पड़ेंगे। प्रोटेक्शन ऑफीसर्स को ऐसी शक्तियों भी देनी चाहिए कि यदि वह किसी शैल्टर होम या मेडीकल ऑफीसर को आदेश दे, तो वे उसका पालन करें। इसमें आपने कुछ ऐसी मैंडेटरी चीजें की हैं, उनके अनुसार वे काम कर सकें; इस बात का भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है।

सभापति जी, मैं दो-तीन छोटी-छोटी बातें कहना आवश्यक समझती हूं। बन्द कमरे में आपने इसकी सुनवाई रखी है। यह बात भी ठीक है और मजिस्ट्रेट पुलिस को डायरैक्शन दे सकता है, यह भी ठीक है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात इसमें आपने और की है, जिसकी मैं प्रशंसा करती हूं। अभी तक तो यह होता था कि महिलाओं के लिए अन्य केसेस में मैंटिनेंस का प्रावधान था।

[अनुवाद]

भरण पोषण में आवास निहित होता है।

[हिन्दी]

यह कहा जाता था।

[अनुवाद]

आवास, भोजन, वस्त्र और ये सभी चीजें

[हिन्दी]

लेकिन यहां आपने अलग से मैट्रीमोनियल होम में रहने का जो अधिकार दिया है, यह भी एक बहुत अच्छी बात उसमें की है और उसके अंतर्गत भी जो आपने कहा कि वह रेंट आउट नहीं कर सकता वगैरह, जो कई प्रावधान दिये हैं, यह भी अपने आपमें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटेक्शन आफीसर को भी एक प्रकार से आपने, अगर वह ठीक काम नहीं करे तो कहीं न कहीं उसके ऊपर भी एक्शन का प्रावधान किया है। एक और बात, महिलाओं का मानसिक शोषण हमेशा होता है, जब केस चलता है – मैंने अनुभव किया है – तो बच्चों की कस्टडी को लेकर साइक्लोजिकली शोषण होता है कि हम बच्चों को नहीं देंगे, मैं एक वकील भी हूं, फिर वह महिला बेचारी गिड़गिड़ाती रहती है, बच्चों के लिए लड़ाई लड़ती रहती है, क्योंकि आखिर में वह मां है। लेकिन यहां जो आपने एक प्रकार से दिया है कि मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह तुरन्त बच्चों की कस्टडी उस महिला को ही दे, यह एक प्रकार से वहीं का वहीं जो अधिकार तुरन्त दिया गया है, उससे भी कहीं न कहीं उस महिला को थोड़ी सी राहत मिलेगी।

आखिर में मैं 2-3 बातें और कहूंगी, क्योंकि बाकी भी हमारी महिलाएं और पाइण्ट्स रखेंगी। में उसमें कुछ बातें, जो ध्यान देने लायक हैं, आवश्यक है, वह भी कहूंगी, अच्छी बातें तो करीब-करीब सब मैंने कीं, वह बात ठीक कही। लेकिन एक बात हमें सोचनी है। पहली बात तो यह है कि महिलाओं के काम का कहीं भी आर्थिक मूल्यांकन नहीं होता। महिलाओं का क्यों शोषण होता है, क्यों अत्याचार होता है, क्यों उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है, जबकि वह सब प्रकार से 73 परसेंट काम करती हैं। लेकिन अगर देखा जाये तो जमीन-जायदाद में, खेती की जमीन में एक परसेंट अधिकार उसको है, एक परसेंट आज उसके नाम पर है या मकान के मामले में भी देखा जाये तो तीन या चार परसेंट मकान में अधिकार अभी हिन्दू सक्सेशन एक्ट में कुछ अधिकार हमने दे दिया है, लेकिन वह भी सभी महिलाओं को नहीं मिला है। गुलाम नबी आजाद जी, अभी आपकी महिलाओं को अधिकार नहीं मिले हैं, इसलिए मेरा कहना है कि महिलाओं के कार्य का कहीं न कहीं आर्थिक रूप से इवैल्यूएशन जो होना चाहिए, वह नहीं होता है, हम खुद भी नहीं करते हैं।

मैं थोड़ा सा समय और लूंगी, एक छोटी सी बात याद आ गई। एक लड़के को एक बार स्कूल में कहा गया कि घर जाकर कल लिखकर लाना कि आपकी मां क्या करती है। पहले तो बच्चा कहेगा कि मेरी मां क्या करती है कुछ नहीं तो टीचर ने कहा कि घर जाकर फिर लिखकर लाना। वह बच्चा दिन भर मां के पीछे-पीछे घूमता रहा। पहले उसने लिखा कि मां कपड़े धोती है, फिर लिखा – मां बरतन मांजती है, फिर लिखा – मां बाजार भी करती है। फिर वहीं कहीं देखा कि कहीं चोट लगी तो उसने लिखा कि मेरी मां डाक्टर जैसा काम भी करती है, पट्टी भी बांधती है, अनेकानेक बाते वह लिखता चला गया। शाम हो गई तो पापा घर आ गये और उसने कहा कि मुझे तो आज लिखना है कि मेरी मां क्या करती है, यह भरकर देना है। एक ही लाइन में पति ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, डैश मार दे, कुछ नहीं करती, घर में ही तो रहती है। मां क्या करती है – कुछ नहीं करती है। यह बात स्वयं यदि किसी महिला से, जो घर में काम करती है, अगर वह सर्विस नहीं करती, उससे पूछों तो वह भी कहेगी, मैं क्या करती हूं, कुछ नहीं करती।

यह भी हमने कहा था, जब जेंडर बजटिंग की बात हमने कही तो मैंने कहा कि इसे भी एक सर्वेक्षण में लेना चाहिए, आर्थिक इवेल्यूएशन उसके काम का भी होना चाहिए। अब थोड़ी सी बात शुरु हो गई, लेकिन यह सब होने के बाद भी एक बात है। जो मैंने निकालने की कोशिश की थी, लेकिन आपने फिर से वह बात जोड़ दी है। रिलेशन की जो बात आपने इसमें की है और रिलेशन में आपने कहा है कि लिविंग टूगैदर और उसमें पत्नी के अलावा जो महिला है, थोड़ा सावधानी रखना कि कहीं ऐसा

तो नहीं कि हमारी मान्यताओं को हम कहीं न कहीं उस पर कुठाराघात तो नहीं कर रहे हैं, उसे भी अधिकार रहेगा और इसलिए आपने डोमेस्टिक रिलेशनशिप, की जो व्याख्या की है और उस व्याख्या में यह कहा है:

[अनुवाद]

'शादी-एक साथ रहने के रूप में संबंध''

[हिन्दी]

यह जो कल्पना है, ठीक है, उसे भी न्याय मिलना चाहिए। मैं यह भी नहीं कहूंगी, सब पुरुष लोग माफ करना, कई बार पुरुष वर्ग शोषण करता है। मजबूरी में कोई महिला ऐसी बातों पर उतारू हो जाती है, यह भी कई बार होता है। वह खुद नहीं चाहती है कि एक्स्ट्रा मैरीटल अफेयर्स मेरे किसी के साथ हों, नहीं होता है, मगर कई बार मजबूरी में हो सकता है। उसको भी न्याय मिलना चाहिए। मैं यह तो नहीं कहती हूं कि नहीं मिले, महिला तो महिला है लेकिन एक महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। जैसा उसमें कहा गया है कि ऐसी महिला को भी हाउस होल्ड शेयर में स्थान मिलेगा। उसको भी आईपीसी की धारा 123 के अंतर्गत मैनटेनन्स का अधिकार होगा, वह मैनेटेनन्स मांग सकेगी। यह सब करते समय हमें ध्यान में रखना होगा कि शादीशुदा पत्नी के अधिकारों पर कुठाराघात न हो या उसके अधिकारों में कोई विभाजन न हो। हम एक महिला को अत्याचार से मुक्ति देते समय किसी दूसरी महिला पर तो अत्याचार नहीं कर रहे हैं। इन चीजों का भी इसमें ध्यान रखना होगा। इसलिए जब मैंने इस बिल को बनाया था तो मैंने तो मैंने उस समय इस चीज को नकार दिया था कि इस रिलेशन को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। लेकिन आपने उसी चीज को ध्यान में रखा है। शामिल किया है मैं इसका विरोध तो नहीं करूंगी, लेकिन इस बारे में आपको सावधान अवश्य करना चाहूंगी कि इन चीजों पर अवश्य ध्यान दें, मजिस्ट्रेट की कमी पर ध्यान दें, प्रोटेक्शन आफिसर के बारे में ध्यान दें। इस क्षेत्र में जो एनजीओज अपनी सर्विसिज देंगी, उसके साथ-साथ जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, उनका रोल जैसा पहले होता था, घर को ठीक रखने का, वह भी रहना चाहिए।

[अनुवाद]

आखिरकार यह एक नागरिक उपचार है।

[हिन्दी]

सभी बुजुर्गों लोग तो अपराधी नहीं होते हैं।

मेरे मन में एक बात आयी है कि जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं, तब एक बहुत बड़ा चंक जो घर में काम करने वाली लड़कियां का है। उन पर जो अत्याचार होता है। अकेले मुम्बई में चार लाख ऐसे घरेलू नौकर हैं, उसमें से 40 प्रतिशत 15 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं। मैं यह नहीं कहूंगी कि सभी घर में काम करवाने वाले उन पर अत्याचार करते हैं। लेकिन घरेलू हिंसा की शिकार हो रही काम करने वाली लड़कियां पूरी की पूरी इस न्याय से अछूती रही हैं। आपने जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात कही है, उससे ये लड़कियां बिकुल अछूती रह गई हैं। घरेलू हिंसा में इनके ऊपर भी अत्याचार होते हैं, घर में रहने वाली महिला के ऊपर तो हो ही रहे हैं और उन्हें तो आप सीविल प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। उन लड़कियों के लिए भी कहीं न कहीं सोच हमें रखनी होगी। अब यह कैसे रखनी और क्या रखनी है, मुझे विश्वास है कि महिला होने के नाते इस पर श्रीमती कांति सिंह जी सक्षमता से विचार करेंगी। आज घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन का जो बिल लाया गया है और उस पर जो सुझाव हमने दिए हैं, उस पर विस्तृत मानसिकता से परिवर्तन करने की दृष्टि से भी हमें सोचना होगा। गांव और शहरों में स्त्री अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हुई कैसे अपने परिवार को चला सकेगी। इस सब दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर महिलाओं को अधिकार देने की जो बात कही है, मैं उसका स्वागत करती हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला): धन्यवाद, सभापति महोदय, आज मैं उस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ी हूं जो आज इस सदन में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (प्रोटेक्शन ऑफ वीमिन फ्रॉम डोमेस्टिक वॉयलेंस) नाम से प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि मैं यह कहूं कि जो यह विधान लाया गया है वह सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विधान है, तो यह मेरे लिए उतना उचित नहीं जितना कि यदि मैं यह कहूं कि यह उन सब महत्वपूर्ण विधानों में से एक है जो आजादी के बाद लाया गया है, तभी यह मेरे लिए न्यायोचित होगा। यह महिलाओं के अत्यधिक महत्वपूर्ण मूल अधिकार पर प्रहार करने के लिए उठाए गए कदमों के खिलाफ अर्थात उनके सम्मानजनक और गरिमामय जीवन जीने के लिए महिलाओं के रक्षार्थ एक सकारात्मक पहल है। घरेलू हिंसा आज विश्वव्यापी हो चुकी है और यह बढ़ती ही जा रही है। यूएनपीएफ ने एक सर्वेक्षण में खुलासा किया है कि प्रत्येक तीन में से एक महिला किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार होती है।

महोदय, अमेरिका हो या भारत, दक्षिण अफ्रीका हो या ब्राजील, पेरू हो या फिर कोई अन्य जगह आज घरेलू हिंसा को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। यह कोई एक क्षेत्र की समस्या

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

नहीं हो सकती है इसे किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

हिंसा के अनेक रूप है। जहां हिंसा का एक विश्वव्यापी रूप पत्नी की पिटाई, छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाएं है वहीं दूसरी ओर, सती प्रथा, दहेज उत्पीड़न, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या या इसी तरह की घटनाओं के कतिपय रूप हैं। यहां तक कि किसी-किसी सांस्कृतिक समूहों में जादू टोना के नाम पर भी महिलाओं की नृशंस हत्या कर दी जाती है। घरेलू हिंसा का यह रूप अलग-अलग भी हो सकता है पर अंतोत्गत्वा उद्देश्य एक ही होता है अर्थात महिलाओं की अधिकारिता को समाप्त कर पुरुष प्रधानता को बनाए रखना।

घरेलू हिंसा हिंसा का सबसे घृणित और मायावी रूप है। मैं इसे घृणित इसलिए कहना चाहूंगी कि यह उन महिलाओं के प्रति प्रेरित हैं जो भावी पीढ़ी की जननी है। मैं इसे मायावी इसलिए कहना चाहूंगी कि यह अपराध घर की चहार दीवारी के अंदर किया जाता है, क्योंकि घर के दखलकारों के लिए घर सबसे सुरक्षित शरण स्थल है।

यदि हम विवाह प्रथा जिसे अत्यधिक पवित्र माना जाता है, को भी देखे तो लोग इस प्रथा का पालन दूसरे व्यक्ति के प्रति किसी श्रद्धा, प्यार अथवा आकर्षण स्परूप नहीं करते परन्तु वे इस प्रथा का पालन अपनी रूढ़िवादी सोच, कि पुरुष को महिलाओं की रक्षा करनी चाहिए, के फलस्वरूप करते हैं। मात्र इस रूढ़िवादी सोच के द्वारा ही पुरुष प्रधानता की धारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी सोच के परिणामस्वरूप ही आज हम समाज में विभिन्न प्रकार की घरेलू हिंसा को देख रहे हैं।

हमारे समाज में महिला को सामाजिक मानदंडों तथा हिंसाकर्ता पर आर्थिक रूप से आश्रित होने के कारण मौन रहकर बहुत कुछ सहना पड़ता है। आज हम सभी लोग घरेलू हिंसा को देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। क्योंकि सभी लोग अर्थात हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सभी जानते हैं कि महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं उसके बावजूद इसे सभी अनदेखा करते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की घरेलू समस्याओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मात्र यही दृष्टिकोण 'देखते हुए भी अन्जान होना' हमारे विद्यमान कानून को निष्प्रभावी बना रहा है, इसके ऊपर न्यायालय भी इन मामलों में झांक कर नहीं देखता कि आस-पास के घरों में क्या हो रहा है।

वर्तमान कानून व्यवस्था में ऐसी कोई सिविल विधि नहीं है जो कि महिलाओं, जो किसी न किसी घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं, को सुरक्षा प्रदान कर सकें। इस संदर्भ में महिलाओं के पास मात्र दो विकल्प उपलब्ध है। पहला विकल्प है कि वह क्रूरता के खिलाफ आपराधिक विधि का आश्रय ले, जिसका तात्पर्य यह है कि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498(क) का आश्रय ले या सिविल कानून के तहत उस पुरुष से तलाक प्राप्त करें। कुछ राज्यों में धारा 498(क) को इस आधार पर प्रशक्य तथा जमानत योग्य बनाया गया है कि महिलाएं भा.द.स. की इस धारा का दुरुपयोग कर रही है परन्तु सिविल कानून न होने पर महिलाओं को आपराधिक कानून के अंतर्गत संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है अतः सिविल कानून का प्रावधान न किया जाना और यह कहना कि महिलाएं आपराधिक कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। आज महिलाओं के न केवल अमान्य है अपितु समक्ष रखा जाने वाला एक छिछला बहाना है। यह उन महिलाओं की व्यथा और दुख का ही परिणाम है जो दहेज के लिए प्रताड़ित होती रही हैं और अपने मायके में ही मर जाती हैं, कि धारा 304(ख) का उद्भव हुआ।

धारा 498(क) और 304(ख) के बीच ऐसा कोई सिविल कानून नहीं है जो कि महिलाओं के पूर्णतः या संपूर्णतः सुरक्षा प्रदान कर सकें। सभी उपलब्ध संसाधन विवाहित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते है। इस कारण महिलाओं का एक काफी बड़ा ऐसा वर्ग रह जाता है, जिन्हें किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलता। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक को एक सिविल कानून के तौर पर प्रस्तुत किया गया है जिसके फलस्वरूप वह जब कभी भी घरेलू हिंसा का शिकार होती है तथा उसे आपात कालिक राहत की आवश्यकता पड़ती है तो वह इस विधेयक का सहारा ले सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में इस विधेयक का पुरस्थापन एवं स्वागत योग्य उपाय है तथा यह विधेयक घरेलू हिंसा की समस्या के संबंध में लोगों के सामाजिक दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन ला सकता है।

जिस विधेयक पर आज चर्चा हो रही है वह पूर्व के विधेयक का एक बेहतर संस्करण है। विधेयक के संबंध में कई संशोधन किये गए है और कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण संशोधन है। पहला संशोधन ही 'घरेलू हिंसा' की परिभाषा के संबंध में हैं, जिसका दायरा बढ़ाया गया है। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक अथवा लैंगिक दुरुपयोग को शामिल करना न केवल उसके दायरे को व्यापक बनाना है अपितु इससे संभावित दुरुपयोग, जो कि लैंगिक अथवा मौलिक आर्थिक अथवा भावनात्मक हो सकता है, को भी शामिल किया गया है।

इस विधेयक की एक और विशेषता यह है कि इस विधेयक में महिलाओं को अपने माता-पिता की गृह संपत्ति में बराबर के हक का स्वामित्व के अधिकार को मान्यता दी गई है यद्यपि यह अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है, यह एक स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि होता यह है कि जैसे ही कोई घरेलू हिंसा होती है तो

पुरुष, महिला को घर के बाहर करना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि इसे कोई आश्रय नहीं देगा तथा कोई भी माता-पिता ऐसी महिला को जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है, सामाजिक बदनामी के फलस्वरूप, अपने पास नहीं रखना चाहेंगे। अत: यह एक स्वागत योग्य उपाय है।

इस विधेयक में अवैध दहेज की मांग संबंधी प्रताड़ना के विरुद्ध महिलाओं की रक्षा का भी प्रावधान है। यह भी एक स्वागत योग्य उपाय है।

और यह तथ्य कि इस विधेयक के अंतर्गत न केवल पत्नी अपितु उस पुरुष के साथ रह रहे परिवार के अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है और वह सदस्य उसकी मां, बहन, विधवा अथवा अकेली महिला जो कि उस पुरुष के साथ उसके मकान को बांट कर रह रही है, आदि कोई भी हो सकता है। यह उपाय भी स्वागत योग्य है।

इस विधेयक में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन यहां लाया जा रहा है, तथा जो स्वागत योग्य है, वह यह है कि प्रतिवादी को पुरुष होना चाहिए। इस कारण सास और बहू आपस में एक दूसरे के विरुद्ध केस दायर नहीं कर सकते। अत: यह भी एक स्वागत योग्य उपाय है।

एक और स्वागत योग्य उपाय जैसाकि श्रीमती सुमित्रा महाजन ने अभी-अभी बताया है, और वह है बच्चों का संरक्षण। यह उपाय स्वागत योग्य इसलिए है, क्योंकि जैसा कि कहा गया है मां वास्तव में न केवल बच्चों के लिए लालायित रहती है, परन्तु जो बच्चे अपनी मां से बिछुड़ जाते है ऐसे बच्चों की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अत: इस कारण बच्चों की संतुलित विकास होगा। यह एक स्वागत योग्य उपाय है कि बच्चों का संरक्षण मां द्वारा किया जाना, स्वीकार किया गया है यह एक स्वागत योग्य उपाय है।

तथापि, अभी भी इस विधेयक में कई खामियां है जिसे कि सभा के माध्यम से संबंधित मंत्री के ध्यान में लाया जाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि इस कमियों पर विशेष ध्यान आकर्षित करने कि आवश्यकता है। इस विधेयक में एक ऐसा उपबंध है, जिस पर मैं श्रीमती सुमित्रा महाजन के मत से सहमत नहीं हूं। वह वास्तव में कार्यवाही की सुनवाई बंद कमरे में कराने की पक्षधर है। हमारे विगत के अनुभव से हमने यह पाया है कि जब कभी भी कार्यवाही की सुनवाई, विशेषकर बलात्कार के मामले में बंद कमरे में हुई है, उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। इसके कारण दोषी को अधिक लाभ हुआ है तथा प्रतिवादी की स्थिति लाभजनक रही क्योंकि पीड़ित की बड़ी नाजुक मन: स्थिति रहती है और दोषकर्ता अपने लाभ के लिए इसका फायदा उठा सकता है। अत: यदि दोनों पक्ष इस पर सहमत हों तो इस प्रावधान को अनिवार्य नहीं बनाया जाए। परन्तु यदि पीड़ित सहमत होता है तभी इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए। अत: इस पक्ष पर विचार किया जाए।

इस विधेयक में एक और कमी है, जिस पर मैं, सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। इस विधेयक में अंतरिम संरक्षण आदेश देने का प्रावधान है जिससे पीड़ित व्यक्ति को तत्काल राहत मिल सकें। यह प्रावधान अधिक प्रभावी तथा सार्थक हो सकता है यदि कोई विशेष उपबंध कानून के तहत बन सके ताकि न्यायालय की कार्यवाही के दौरान अथवा उसके बाद भी मजिस्ट्रेट उपलब्ध रह सके तथा जिन दिनों में न्यायालय नहीं चलता हो, उन दिनों में भी मिल सके। उदाहणार्थ जैसाकि माननीय सदस्य, जिन्होंने मुझसे पहले बोला है, ने इंगित किया है, मामला 60 दिनों के अंदर निपटाया जाना चाहिए। परन्तु किसी न किसी बहाने से यह मामला आगे बढ़ जाता है परन्तु जो पीड़ित है, उसकी मनस्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह यथा शीघ्र न्याय चाहती है। इस परिपेक्ष्य में यह उपाय किया जाना चाहिए कि मजिस्ट्रेट न्यायालय की कार्यवाही के दौरान, अथवा बाद में तथा जिन दिनों में न्यायालय की बैठक नहीं होती, मजिस्ट्रेट उपलब्ध होना चाहिए।

संरक्षण अधिकारी को छूट दी गई है। ऐसा, इसलिए किया गया है, क्योंकि उन्हें जो कार्यवाही करनी है, वह पूरे विश्वासाधीन करनी होती है। इस कानून के अंतर्गत सेवादाता को भी सुरक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि वास्तव में जो स्वेच्छिक संगठन (एसोसिएशन)इस कार्य से जुड़े है, जिन्हें महिलाओं के हितों की सुरक्षा करने संबंधी दुष्कर कार्य सौंपा गया है। वे इस कार्य को उन्हें विधिक चिकित्सा संबंधी, वित्तीय सहायता तथा मनोवैज्ञानिक एवं भावानात्मक सहायता प्रदान करके करते है। अत: ऐसे अधिकारियों को जो सेवादाता है, को सुरक्षा प्रदान करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए निश्चित रूप से कानून में भी प्रावधान होना चाहिए।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति बड़े विवेक से किया जाना चाहिए क्योंकि न केवल नौकरशाही तंत्र, न्याय दिलाने में बड़ा लम्बा समय लेते है अपितु इन अधिकारियों को इतनी व्यापक शक्तियां प्रदान की जाती है कि वे इसका दुरुपयोग कर सकते है और कई बार तो इसका कुप्रयोग भी किया जा सकता है। इस परिपेक्ष्य में इन संरक्षण अधिकारियों की पहचान तथा इनकी नियुक्ति बड़े विवेक से तथा उचित ढंग से की जानी चाहिए। जैसाकि विधेयक में उपबंध किया गया, उन अधिकारियों को प्रशिक्षण भी पूरा करना चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अतिरिक्त पीड़ितों की सीधे न्यायालय तक पहुंच को बिचौलियों की नियुक्ति द्वारा सीमित नहीं किया जाना चाहिए। इस बात पर भी पूरा ध्यान दिया जाए।

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

जहां तक मेरी जानकारी है इस विधेयक में वर्तमान में दोषी के इस आचरण को जो कि पीड़ित व्यक्ति को व्याभिचारात्मक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है, इसमें शामिल नहीं किया गया है। चूंकि यह एक अत्यंत जघन्य अपराध है और यह सभी सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध है और इसकी निन्दा होनी चाहिए। पर सभी जानते हैं कि व्याभिचारात्मक संबंध क्या होते हैं। आमतौर पर यह भाइयों और बहनों और पिता और बेटी के बीच होते है। परन्तु फिर भी जब महिला से जबरदस्ती की जाती है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। निश्चित रूप से महिलाओं को इस प्रकार के जघन्य और अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के प्रति सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि घर पर होने वाली हिंसा महिला के मन पर न अमिट और भयानक छाप छोड़ जाती है क्योंकि वह मानसिक आघात से गुजरती है। मजिस्ट्रेट को, मन:चिकित्सक नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए विशेषत: यदि वह समझता है कि पीड़िता को इसकी सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है। यह एक महत्वपूर्ण उपबंध है क्योंकि महिला आंतरिक रूप से आघात होती है और उसे इस दर्द और पीड़ा से जिससे वह गुजरी है उबरने में समय लगता है तथा उसे इस संबंध में निश्चित रूप से मदद चाहिए।

मैं अभी श्रीमती सुमित्रा महाजन ने जो कुछ कहा उसका भी समर्थन करती हूं कि इस विधेयक से बच्चों को अलग रखना बहुत अनुचित है क्योंकि वे बच्चे जिनके दोनों अभिभावकों की मृत्यु हो गई है और जिन्होंने अपने दादा-दादियों को भी खो दिया है भी हिंसा के शिकार होते हैं। वे दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं और उन्हें निराश्रित, गरीब और कष्ट साध्य जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। विशेषकर बालिकाएं एक बहुत ही आसान शिकार होती हैं और उन्हें देह व्यापार में धकेला जाता है। अत: बच्चों को इस प्रकार के गलत व्यवहार अथवा दुर्व्यवहार से बचाने हेतु विधेयक में इससे संबंधित उपबंध करना चाहिए और यदि वे इसमें असफल रहे हैं तो कम से कम उन्हें इस आशय का कोई विधान तो लाना ही चाहिए।

ये कुछ कमियां है जिन्हें मैं सभा के समक्ष लाना चाहती हूं और मैं निश्चित रूप से आशा करती हूं कि यह विधेयक महिलाओं की सामाजिक स्थिति में व्यापक रूप से परिवर्तन लाएगा जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वर्षों तक महिलाएं घर की चार दीवारी में बंद रही हैं और उसे अनेक प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अथवा अन्य शब्दों में महिलाओं का उत्पीड़न की जड़ें बड़ी गहरी हैं और ये विरासत में मिली हुई हैं। इस विधेयक से निश्चित रूप से उन्हें एक सहारा मिलेगा और इससे महिलाओं को एक प्रकार की राहत मिलेगी। मैं इस बात से निश्चिंत हूं और सुनिश्चित भी हूं कि, यह विधेयक जब एक बार पारित होकर सिविल कानून बन जाएगा तो निश्चित रूप से इससे महिलाओं को मदद मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको यह मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं।

*श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): मैंने पहले से ही बंगला में बोलने हेतु सूचना दी है।

आज प्रस्तुत घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक 2005 सरकार का एक स्वागत योग्य कदम है। मैं अपनी पार्टी सीपीआई (एम) की ओर से विधेयक का समर्थन करती हूं। लंबे समय से महिला संगठन इसकी मांग कर रहे थे और मैं संबंधित मंत्री को इस सराहनीय पहल पर बधाई देती हूं। महोदय, हमें स्वतंत्र हुए 58 वर्ष बीत चुके है हमारे संविधान निर्माताओं ने महिलाओं हेतु पर्याप्त प्रावधान किए हुए हैं। अनेक कानून अधिनियमित किए गये हैं। परन्तु दुर्भाग्य से हमारे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हम अभी भी महिलाओं को एक वस्तु ही मानते हैं। हमारे देश में, हम महिलाओं को दोयम दर्जे की नागरिक मानते हैं हमारी मांग यह रहती है कि वह 'लक्ष्मी' की तरह सुन्दर हो, 'सरस्वती' की तरह गुणवान हो, और 'सीता' की तरह चरित्रवान हो, और 'द्रौपदी' की तरह खाना पकाना जानती हो, तथा बिस्तर में 'उर्वशी' हो, और 'फेलोरॉन्स नाइटेंगल' की तरह सेवा करती हो। हम उम्मीद करते हैं कि वह खुबसूरत, गुणवान, आकर्षक और इसके साथ-साथ सेवा सुश्रुषा करने वाली भी हो।

हमारे समाज में हर जगह शोषण व्याप्त है। एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, और जो वर्ग शोषण और वर्ग शासन को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं कभी नहीं चाहेंगे कि समाज का एक बड़ा गरीब वर्ग महिलाएं आगे बढ़े। जिसके परिणामस्वरूप गरीबों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए जो भी कानून है कार्यान्वित नहीं होते है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक मानवाधिकार संबंधी मामला भी है। "आर्थिक समानता, सामाजिक शांति और सुरक्षा हेतु महिलाओं के मूल अधिकार को बनाए रखना और सुनिश्चित करना अनिवार्य है।" हिंसा और हिंसा का भय महिला को अत्यधिक अयोग्य बनाता है अथवा विकास में उनकी भागीदारी को रोकता है।

घरेलू हिंसा न केवल महिला के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है अपितु इसे स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विकलांग भी

*मूलत: बंगला में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बना सकती है। यहां उनकी सामाजिक स्थिति सम्मान और भावनात्मक स्थिति से भी खिलवाड़ होता हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में कतिपय प्रावधान किए गए हैं इनका समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यहीं इस विधेयक का उद्देश्य है।

संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि लिंग के आधार पर भेद-भाव असंवैधानिक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत पहले ही कहा है कि जहां तक मूल अधिकारों का प्रश्न है पुरुषों और महिलाओं के मध्य कोई भेद नहीं है। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता के अनेक वर्ष बाद भी महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु एक नए विधेयक के पुर:स्थापन की आवश्यकता पड़ी है।

इस देश की वास्तविक रूप से स्थिति यह है कि अधिकांश महिलाएं गरीब, अनपढ़ और सामाजिक रूप से कमजोर हैं। एक महिला अपने बाल्यकाल में पिता पर आश्रित रहती है जब वयस्क हो जाती है तो अपने पति पर और वृद्धावस्था में अपने बच्चों पर आश्रित रहती है। राज्य का तंत्र भी कानूनों का समुचित क्रियान्वयन नहीं करता है और न्याय मिलना तो एक दूर की बात है।

मैं विधेयक के उद्देश्यों पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करना चाहती और मैं सरकार ने इस विधेयक को अक्षरक्ष: क्रियान्वित करने का आग्रह करती हूं।

इस समाज में, घरेलू हिंसा महिलाओं के अधिकारों का दमन करती है। इसे महिलाओं के विकास को रोकने हेतु हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है।

घरेलू हिंसा विश्वव्यापी मुद्दा है। महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि डेनमार्क, स्वीटजरलैंड, जर्मनी, स्पेन और इंग्लैंड के पास वास्तविक आंकड़े नहीं है परन्तु अमेरिका में प्रतिवर्ष 3 से 4 लाख महिलाओं को उनके पतियों द्वारा पीटा जाता है। हम भी उनसे पीछे नहीं है। वर्ष 1989 में भारत में 68,072 घरेलू हिंसा के मामले दर्ज किए गये, 1999 में यह संख्या 1,35,771 थी और वर्ष 2000-04 में यह संख्या 7,11,778 थी।

27 जनवरी, 2005 के एशियन ऐज समाचार पत्र में यह छपा था कि राजस्थान में 18 सती के मामले हुए परन्तु किसी को भी सजा नहीं मिली है। अनेकों वर्ष पूर्व राजाराम मोहन राय ने इस बुराई से संघर्ष किया था हम आज भी उन्हें इस योगदान हेतु याद करते हैं।

दहेज प्रथा भी एक बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं को दहेज के कारण मारा जाता है या वह स्वयं मरने के लिए मजबूर किया जाता है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1998 में 2517 दहेज के मामले दर्ज किए गये और 9313 आत्महत्या के मामले हुए। 1989-99 से घरेलू हिंसा की घटनाओं में 278 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

निस्संदेह, यह विधेयक बहुत व्यापक है। लेकिन शैक्षणिक अवसरों, जन्म देने के अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाओं, और अवसरों, राजनीतिक अधिकारों से वंचित करना भी हिंसा के अन्य प्रकार हैं।

सभापति महोदय, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक सार्वजनिक मुद्दा है। कुछ धार्मिक संगठन विशेषकर मुस्लिम संगठन महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित करते हैं। उन्होंने इस संबंध में फतवा जारी किए हैं।

घरेलू हिंसा की समस्या बहुत गहरी है। केवल एक कानून से इस समस्या को समाप्त नहीं किया जा सकता। लोगों को इसके बारे में जागरूक बनाया जाना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे आर्थिक रूप से सक्षम बन सकें। इसके लिए स्व सहायता समूह आगे आ सकते हैं। भारत में, महिलाएं लघु उद्योग से जुड़ी हुई हैं। उसे दोबारा शुरु किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं पुन: इस विधेयक का समर्थन करती हूं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि संरक्षा अधिकारी (प्रोटेक्शन ऑफिसर) को नियुक्त करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यदि उनका दृष्टिकोरण स्पष्ट नहीं है, तो पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, इस विधेयक के अंतर्गत घरेलू नौकरों, वृद्ध व्यक्तियों, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

5 मार्च, 2005 में टेलीग्राफ में 'नोबडीज चिल्ड्रेन' शीर्षक से एक खबर छपी थी। इसके लेखक श्री देवव्रत महान्ति थे।

उन्होंने उसमें लिखा है,

"उड़ीसा में विकलांग महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा एक आतंक है जिसे उन्हें चुपचाप सहना होता है।"

उन्होंने आगे लिखा, "शारीरिक रूप से विकलांग 12 प्रतिशत से अधिक महिलाएं पर बलात्कार किया जाता है और 15 प्रतिशत महिलाओं से छेड़खानी की जाती है जबकि मानसिक रूप से विकलांग 25 प्रतिशत और 19 प्रतिशत महिलाओं पर क्रमश: बलात्कार और उनसे छेड़खानी की जाती है।"

मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से इस विधेयक को व्यापक बनाया जाना चाहिए। मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं पुन: इस विधेयक का समर्थन करती हूं और अपनी बात समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति जी, आपने मुझे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005 पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए भी मजबूर हूं। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह विधेयक क्यों लाया गया है? अपने देश में आईपीसी धारा के अंतर्गत संवैधानिक तरीके से तमाम धाराओं का उल्लेख किया गया है – दहेज प्रथा की अलग धारा है, बलात्कार की 376 धारा है, भ्रूण-हत्या के लिए अलग धारा है। क्या ये तमाम धाराएं कमजोर पड़ गयी हैं जो इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ी है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): यह एक सिविल मामला है और आप जिसकी बात कर रहे हैं वह एक आपराधिक मामला हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: इस विधेयक से ऐसा प्रतीत होता है कि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को यह विधेयक जन्म देने वाला है। अगर आप इसकी गहराई में जाएं जैसा कि इसका नाम है "घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005" तो अगर पति का पत्नी से टकराव हो गया और वह थाने में चली गयी तो समझा लो कि पति बेचारे की तो छुट्टी हो गयी।

यह तो विदेशों में होता हैं जहां पति की जिंदगी अलग है, पत्नी की जिंदगी अलग है और बच्चों की जिंदगी अलग है। क्या उसी सभ्यता को हम इस विधेयक के माध्यम से लाने वाले हैं इस बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा।

जहां तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात है तो आज भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति दुनिया में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। जहां तक महिलाओं पर अत्याचार की बात है तो चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे बलात्कार हो या भ्रूण हत्या का मामला हो, उनके लिए आईपीसी धारा के अंतर्गत तमाम धाराओं का उल्लेख है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस धारा में पति या रिश्तेदार के द्वारा मान लीजिए अत्याचार हुआ है, तो आईपीसी की धारा में 498(क) के तहत तमाम आपराधिक धाराएं हैं और मैं तो कहना चाहूंगा कि इस विधेयक को लाने से पहले हमें सबसे पहले नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और उस नारी शिक्षा को हमें रोजगार से हमें जोड़ना पड़ेगा। इस संबंध में हमारी तमाम बहनों के विचार आए हैं, सुमित्रा बहन जी के विचार आए हैं। आज जरूरत इस बात की है कि नारी को अच्छी तरह से शिक्षा दे दें और उसे रोजगार से जोड दें तो मेरे ख्याल से इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आज यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम साथी बैठे हुए हैं, आप बता दीजिए कि आपके क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके में जिनका क्षेत्र होगा, वहां कितने कन्या विद्यालय खुले हैं? मेरे ख्याल से बहुत कम कन्या विद्यालय हैं, कक्षा 5 या कक्षा 8 पढ़ने के बाद हमारी बेटियां घर में रहती हैं और इसके बाद उनकी शादियां जल्दी हो जाती हैं। फिर हम यह कह रहे हैं कि घरेलू हिंसा पर विधेयक लाने की जरूरत है, मेरे ख्याल से इसकी आवश्यकता नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम नारी शिक्षा को और मजबूती से लागू करें और उसके लिए अलग से कानून बनाने के आवश्यकता है तथा उसको सीधे शिक्षा के बाद रोजगार से जोड़ना होगा। *...(व्यवधान)* इसीलिए आज महिलाओं पर अत्याचार भी बढ़ा है। इसमें दूसरी बात यह कही गयी है कि वे स्त्रियां जो माताएं, बहनें, विधवाएं हैं जो दुर्व्यवहारी के साथ रह रही हैं, प्रस्तावित विधान अधीन विधिक संरक्षण के लिए यह विधेयक लाया गया है। यह ठीक है कि यह विधयेक इसके लिए लाया गया लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है कि यह परिवार को बिखेरने वाला है। सुमित्रा बहन जी ने बहुत विस्तार से कहा कि छोटी-छोटी बातों पर हम लोग लड़ते हैं, चाहे लड़कियां हों, पत्नियां हों या बहुएं हों, उसके बाद कुछ परिवार ऐसे हैं जो दो-बार दिनों के बाद दुबारा घुल-मिल जाते हैं और अगर यह विधेयक आ गया तो आपके पड़ोस में ऐसे लोग हैं, जो आपसे जलन रखते हैं, वे आपके रिश्तेदार भी हों, वे उन्हें भड़का देंगे और महिलाएं जाकर रिपोर्ट कर देंगी फिर आप उनको भुगतिए। *...(व्यवधान)* ठक्कर बहन जी, यह मेरा विचार है, आप मुझे बोलने दीजिए, आप बाद में अपने विचार रखिएगा।

सभापति महोदय: शैलेन्द्र कुमार जी आप बोलिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक को दुरुपयोग न होने पाए। इस संबंध में माननीय मंत्री जी बहुत गौर करना पड़ेगा कि आप जिस मंशा से इस विधेयक को लेकर आई हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत में, इस विधेयक को लेकर आई हैं, इसका दुरुपयोग न हो, इसका भी हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं कि समाज में अश्लीलता कितनी ज्यादा बढ़ गई है। अभी इसी सदन में हमने महिलाओं पर अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार पर चर्चा किया है। दिल्ली में पिछले साल 525 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। अन्य प्रदेशों की रिपोर्ट आप देखिए, कहीं और

ज्यादा भी यह संख्या हो सकती है। अगर पूरे हिन्दुस्तान के आंकड़े लें, तो बहुत ज्यादा शोषण और अत्याचार हुआ है। आज हम अश्लीलता पर कानून नहीं बना रहे हैं। जगह-जगह अश्लील पोस्टर्स लगे हुए हैं। आप विज्ञापनों को देख लीजिए, हम पर्दा नहीं कर रहे हैं। हमारी जो लड़कियां, बहू-बेटियां हैं, उन्हें देख लीजिए, वे किस तरह का पहनावा पहन रही हैं और आप कह रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। टीवी में आप देख लीजिए, कभी-कभी समाचार देखने के लिए हम बैठते हैं, तो हम अपनी बहू-बेटियों के साथ समाचार नहीं देख पाते हैं। विज्ञापन इतने फूहड़ होते हैं कि हमें देखने में भी शर्म लगती है कि कैसे हम समाचार देखें? इस पर हमें रोक लगाने की जरूरत है। भ्रूण हत्या के बारे में तमाम कानून बने हैं, लेकिन आप देखिए कि ज्यादातर हमारी माताएं, बहनें गर्भवती होती हैं, तुरन्त उसे हर महीने चेक-अप के लिए ले जाते हैं, उसी बहाने आपने अल्ट्रासाउंड भी करा लेते हैं, भ्रूण परीक्षण भी करवा लिया। लड़की हुई तो उसकी आपने भ्रूण हत्या करवा दी, तो आज जरूरत इस बात की है कि इस ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें विशेष तौर पर कानून लाना होगा, तभी हमारा यह मकसद पूरा हो पाएगा, जो आप इस विधेयक को लेकर आई हैं।

केरल शतप्रतिशत साक्षर राज्य है, चिकित्सा के मामले में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उसने कीर्तिमान स्थापित किया है, लेकिन वहां भी आज शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। चालीस प्रतिशत महिलाएं जो घरेलू हिंसा की शिकार हुई हैं, उसमें 11 प्रतिशत महिलाओं से जो साक्षात्कार लिया गया, तो उन्होंने यह कहा कि 11 प्रतिशत माताओं का यौन उत्पीड़न हुआ। 12 परसेंट महिलाओं ने कहा कि बचपन में उनका यौन शोषण हुआ। आज इस पर विशेष ध्यान देना होगा यानी जो पुरानी सभ्यता, संस्कृति थी, माताओं-बहनों के प्रति जो मान-सम्मान था, वह कैसे कायम हो, वह देखना होगा। हमें पाश्चत्य सभ्यता की ओर नहीं, पुरानी सभ्यता की ओर लौटना होगा तब इस विधेयक का मकसद पूरा हो पाएगा। घरेलू हिंसा में ज्यादातर शराब सबसे बड़ा कारण है। घर का मुखिया चाहे पिता हो या भाई हो, घर का कमाने वाला शराब पीता है तो झगड़े होने स्वाभाविक हैं। यही लड़ाई की सबसे बड़ी जड़ है। दूसरी तरफ वह कभी पत्नी के चरित्र पर शंका करने लगते हैं। वह किसी के यहां काम करने गई या घर-परिवार में रहते थोड़ी शंका हो गई तो अत्याचार स्वाभाविक है। छोटी-छोटी घटनाओं पर अगर इस बिल का दुरुपयोग होना शुरु हो जाएगा तो आप समझ लें कि समाज का स्वरूप क्या होगा?

कभी-कभी पैसे की तंगी होती है और आदमी के पास काम नहीं होता है तो वह पूरा गुस्सा पत्नी पर उतारता है। पत्नी डिमांड करती है कि मुझे यह चाहिए, वह चाहिए। अगर उस पर झगड़ा हो गया तो वे इस विधेयक की शरण लेंगी। वे इस विधेयक की शरण में जाएंगी तो इसका दुरुपयोग होगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश (कनकपुरा): महिलाओं को व्यभिचारी बनाने वाला कौन है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: आप मुझे बोलने दीजिए। परिवार में दहेज की मांग होती है। यह उससे जुड़ा सवाल है। आज जिस प्वाइंट पर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया, हमें इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। अगर बना देंगे तो इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं है। झारखंड को लीजिए। वह ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र है। वहां 50 प्रतिशत नौकरी पेशा हमारी माताएं और बहनें हैं। ज्यादातर महिलाओं का उनके बॉस शोषण करते हैं। यह रिपोर्ट आई है। हमें इस ओर विशेष ध्यान देना होगा।

श्रीमती कांति सिंह: इसके लिए अलग कानून है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: अगर आप हर चीज के लिए अलग कानून बनाएंगी तो इस कानून का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आज लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट आई है कि घर में बच्चियों को खिला नहीं पाते हैं तो उन्हें बेच देते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि उस पर रोक लगायी जाए।

इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा ने कहते हुए इतना कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष का आंकड़ा देखें तो 22480 महिलाएं गुम हो जाती हैं। 5450 को कोई अता-पता नहीं है। जो महिलाएं, बहनें गुम हुई, उन्हें वैश्यालय में धकेलने का काम किया जाता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम यह देखें कि आबादी पर किस प्रकार से कंट्रोल हो? मैं रोज एजेंडा में देश में बढ़ती हुई जनसंख्या पर चर्चा को देख रहा हूं लेकिन इस पर बहस नहीं हो रही है। देश का विकास न होने का प्रमुख कारण यही है। हमें आबादी पर कंट्रोल करना पड़ेगा तभी इस विधेयक का मकसद पूरा होगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा न कहते हुए, इस विधेयक से सहमति व्यक्त नहीं करता हूं। मैं इसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का समय दिया। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण विधेयक, 2005 महत्वपूर्ण विधेयक है और इसके महत्वपूर्ण होने के कई कारण हैं। वर्तमान व्यवस्था में आईपीसी या सीआरपीसी, जो भी प्रावधान हैं, उनके तहत आज भी महिलाओं के साथ अत्याचार के खिलाफ

[श्री आलोक कुमार मेहता]

कार्रवाई करने के प्रावधान हैं। लेकिन उसमें बहुत प्रिलफेरेज भी हैं, एस्केप के बहुत बहाने भी हैं। वर्तमान स्थिति में कभी लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य का विषय है, इस तरह के बहाने किए जाते हैं। लिंग के आधार पर भ्रूण हत्याओं के लिए भी कानून बने हैं और इन पर रोक लगाई गई है। लेकिन आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले और अब में जांचशालाओं की गतिविधियों में इतना ही फर्क है कि पहले उन्हें रिपोर्ट दी जाती थी और अब पेट में लड़का है या लड़की, कह दिया जाता है। आज रिपोर्ट नहीं दी जाती, चुपके से कह दिया जाता है, इतना ही फर्क पड़ा है। सब कुछ हो रहा है, पिछले कई वर्ष, इसका प्रमाण हैं कि पुरुष और स्त्री, लड़का और लड़की के अनुपात में भ्रूण हत्या की वजह से जो अंतर था वह अंतर आज भी बरकरार है। इसकी पृष्ठभूमि में सामाजिक स्तर पर लिंग भेद, दहेज प्रथा, पुरुष प्रधान समाज की यथास्थितिवादिता, रूढ़िवाद और मनुवाद, सब कुछ शामिल है, संयुक्त रूप से शामिल है। इस देश में सालाना बलात्कार के लगभग 15,000 मामले दर्ज होते हैं जिसमें से 90 प्रतिशत मामले या तो रफा-दफा कर दिया जाते हैं और प्रमाण के अभाव में कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता है। अब पुलिस शिकायतों की बात आती है, आप आए दिन सुनते हैं कि कितना असुविधाजनक होता है किसी बलात्कार की शिकार स्त्री का पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाना, एक पुलिस पदाधिकारी के सामने जाना। जब उससे विस्तार से पूछा जाता है तो कितना ह्यूमिलेटिंग होता है, इस बात की कल्पना भी नहीं जा सकती है। अदालत में जब इस प्रकार बहस होती है, बहुत लंबे अंतराल के बाद उस अदालत में विस्तारपूर्वक दुर्व्यवहार की उस घटना का विवरण जब वकील पूछते हैं, उस समय वह बहुत ह्यूमिलेटिंग होता है। अदालत में बहुत मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। गांव और देहात के जो मामले होते हैं, उन्हें संकोच की वजह से दर्ज नहीं कराया जाता। मैं समझता हूं कि बदनामी के डर से सारे मामले प्रकाश में नहीं आ पाते और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए इस बिल का आना आवश्यक है और यह बिल बिल्कुल प्रासांगिक है। हमें, अपने मित्र, माननीय सांसद श्री शैलेन्द्र जी की बातों से सीख जरूर लेनी चाहिए कि इसमें सर्तकता की जरूरत है।

सायं 7.00 बजे

किसी भी बिल या विधेयक का दुरुपयोग न हो, इसमें सतर्क होने की आवश्यकता है। 1962-63 के दशक में इसी सदन में इस देश के महान समाजवादी नेता और चिन्तक-विचारक डा. राम मनोहर लोहिया ने महिलाओं और पुरुषों के विभेद पर भाषण देते हुये विस्तारपूर्वक संवेदना प्रकट की थी और इसे सामाजिक विषमता की जड़ बताया था। आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व ऐसे विचारकों की बातों को सोचकर मैं प्रेरित होता हूं कि 40 सालों से सुधारों का आयाम चला, सामाजिक न्याय का आन्दोलन चला। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया मेरी बात सुनिये। आप अपना भाषण कल जारी रखें। यह विशेष उल्लेख का समय है।

श्री भर्तृहरि महताब: इसका अर्थ यह हुआ कि वे कल तक खड़े रहेंगे।

सभापति महोदय: अब हम विशेष उल्लेख करेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने ही स्थान पर खड़े होकर बोलें। यदि किसी को कोई असुविधा हो, तो उसे सभापति की अनुमति लेनी होगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आशा नहीं थी कि मेरा नाम पुकारा जाएगा। मैं यहां आया क्योंकि मुझे यहां आना ही था। चूंकि आपने मेरा नाम पुकारा है, मैं यह मामला उठाऊंगा।

महोदय: आप सभी जानते हैं कि केरल में शिशु मृत्यु-दर सबसे कम है। हम इस मामले में पश्चिमी देशों के बराबर हैं। जहां तक स्वास्थ्य मानदंडों का संबंध है, हम पश्चिमी देशों की बराबरी पर है। इन मामलों में केरल राज्य ने बहुत प्रगति की है।

राज्य ने स्वास्थ्य मानदंडों में और अधिक सुधार करने के लिए विश्व बैंक और अन्य विदेशी एजेंसियों से सहायता का प्रस्ताव भेजा है। लेकिन दुर्भाग्यवश, राज्य द्वारा की गई प्रगति ही उसके लिए अभिशाप बन गई है। अब हमें चिकित्सा क्षेत्र और स्वास्थ्य मानदंडों को बनाए रखने में किए गए विकास का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमें स्वास्थ्य मानदंडों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों में किए गए विकास के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करे और देखे कि हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामलों में किए गए विकास का खामियाजा न भुगतना पड़े। हमारे स्वास्थ्य संबंधी प्रस्ताव को विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए। विश्व बैंक ने बताया है कि अनेक राज्यों के स्वास्थ्य मानदंड केरल के स्वास्थ्य मानदंडों से बहुत कम हैं। अत: उनकी पहली प्राथमिकता उन राज्यों की सहायता करना है। वे केरल राज्य को उनके द्वारा की गई प्रगति के कारण कोई सहायता नहीं देंगे। यह कोई सही प्रक्रिया नहीं है। हमें इस मामले में की गई प्रगति के लिए दंड नहीं दिया जाना चाहिए। अत: केन्द्र सरकार को विश्व बैंक को यह सुझाव देना चाहिए कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य

संबंधी मामलों में और अधिक प्रगति करने के लिए केरल राज्य को पर्याप्त सहायता प्रदान करें।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा और संबंधित मंत्री का ध्यान एक रोचक परिस्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जो एस सी बी मेडिकल कॉलेज, कटक के स्नातकोत्तर बाल-चिकित्सक विद्यार्थियों से संबंधित है उनका कैरियर भारतीय चिकित्सा परिषद के उदासीन रवैये के कारण अधर में है।

एम.सी.आई. की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के बावजूद स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का भविष्य अनिश्चित बन गया है। मैंने यह मामला पिछले सत्र में भी उठाया था जब एम.सी.आई. ने मेडिकल कॉलेज से सीटे कम करने के लिए कहा था।

सायं 7.05 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन* हुए]

एसक सी बी मेडिकल कालेज राज्य का सबसे पुराना कालेज है और सरकारी कालेज होने के कारण उसके पास पर्याप्त सुविधाएं हैं। आज उड़ीसा को अधिक बाल चिकित्सकों की आवश्यकता है। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए यह आवश्यक है। प्रसव पूर्व और प्रसव-पश्चात उचित देखभाल करने के लिए अनेक बाल चिकित्सकों की आवश्यकता है। स्नातकोत्तर सीटें केवल उन एम बी बी एस चिकित्सकों के लिए ही उपलब्ध है जिन्होंने उड़ीसा के के वी के जिलों में कम से कम तीन वर्षों तक कार्य किया हो। स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के पश्चात मेघावी छात्रों का चयन किया गया है। छात्र इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं है और न ही उन्हें इसका खामियाजा भुगतना चाहिए। आज उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है। मैं सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं।

मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि एम.सी.आई. ने अपने पिछले निरीक्षण के दौरान तीन कमियां बताई थीं और उन सभी कमियों पर उड़ीसा सरकार द्वारा कार्यवाही की गई जिससे निरीक्षण टीम भी संतुष्ट हो गई थी। इसके बावजूद भी एम.सी.आई. ने प्राधिकारियों को कालेज से विद्यार्थियों को बिना किसी कारण के निकालने का निर्देश दिया। 9-10 नवम्बर, 2004 और 12-13 मई, 2005 की दो निरीक्षण रिपोर्टों में एस.सी.बी. मेडिकल कालेज में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में काफी कुछ कहा गया है। यह देश के किसी भी अग्रणी स्नातकोत्तर संस्थान की तुलना करने के समान है। मैं सरकार से पुनः आग्रह करता हूं कि वह विशेषकर उन मेघावी छात्रों के बेहतर भविष्य और उड़ीसा के हित में इस मामले में हस्तक्षेप करें। धन्यवाद।

सभापति महोदय: इससे पहले कि मैं अन्य दूसरे माननीय सदस्यों का नाम पुकारूं यदि मैं अपने सामने आई स्थिति का उल्लेख करूं तो अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार निर्वाह नहीं करूंगा। लगभग 30 माननीय सदस्यों ने नोटिस दिये हैं। यदि प्रत्येक सदस्य अपना भाषण दो मिनट में समाप्त कर दें, तो हम उसे एक घंटे में ही समाप्त कर पाएंगे। अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया अपनी बात दो मिनट में ही समाप्त कर दें ताकि सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिल सके।

अब मैं श्री लोनाप्पन नम्बाडन को बुलाता हूं।

श्री लोनाप्पन नम्बाडन (मुकुन्दपुरम): महोदय, मैं सभा का ध्यान राशनकार्ड डीलरों की समस्या की ओर आकृष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत में पांच लाख राशन की दुकानें हैं और केरल में 15,000 दुकानें हैं। हमें देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) की रक्षा करनी है। केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पिछले 45 वर्षों से चल रही है और केरल में राशन डीलरों को वेलफेयर फंड और पेंशन स्कीम के द्वारा कवर किया जाता है। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष और मासिक पेंशन 500 रु. है।

मैं मांग करता हूं कि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु को कम कर 60 वर्ष किया जाए और उनकी पेंशन 1000/- रु. की जाए। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि वेलफेयर फंड और पेंशन स्कीम को सभी राज्यों में शुरु किया जाए। सरकार को सभी राशन-कार्ड धारकों को केरोसीन और चीनी बेचनी चाहिए। ओणम, क्रिसमस और बकरीद आदि जैसे त्यौहारों के दौरान चावल, गेहूं, चीनी और केरोसीन जैसी वस्तुओं की मात्रा बढ़ानी चाहिए। साथ ही कृषि और खाद्य सब्सिडी को भी जारी रखना चाहिए। सरकार को दीर्घावधिक नेशनल फूडग्रेन पॉलिसी की घोषणा करनी चाहिए। सरकार को काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पारदर्शी बनाना चाहिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा केवल उत्तम क्वालिटी की खाद्य वस्तुएं ही वितरित करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, आपने मुझे स्पेशल मैन्शन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सदन और भारत सरकार के माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इजराइल के गाजा पट्टी में जो प्रवासी भारतीय हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

उनके विस्थापन की बात से उनका भविष्य अनिश्चितता में है। मैं चाहूंगा कि इस पर भारत सरकार विशेष पहल करे। गाजा पट्टी में नीवी बेकामिल बस्तियों में जो अप्रवासी भारतीयों का सबसे बड़ा समुदाय है, उस समुदाय का नाम विनेई मिनासे है जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों के लोग हैं, चाहे वे मणिपुर के हो या मिजोरम के हों। उनको वहां से निकाला जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि दस दिन के अंदर आपकी व्यवस्था हम होटलों में कर देंगे, एक बड़ा कमरा या दो छोटे कमरे देंगे। यह भी कहा जा रहा है कि आप या तो टेन्ट में रहिये या झोपड़ी बनाकर रहिये। आज वहां की स्थिति ठीक नहीं है। जो हमारे अप्रवासी भारतीय हैं, उनका भविष्य अनिश्चितता में है। मैं भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दे। उनके नेता नवीन गंगाते वहां लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा हम अप्रवासी भारतीयों की बहुत चिन्ता करते हैं। आज ही आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि अमेरिका में अप्रवासी भारतीयों ने कितने उत्साह से 15 अगस्त मनाया है। उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस दिशा में भारत सरकार पहल करे और उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करे। वहां के राष्ट्राध्यक्ष या दूतावास से सीधे बात करके उनके ऊपर विशेष ध्यान दें।

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह): सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि झारखंड राज्य स्थित टाटा स्टील कंपनी अपनी कोयला खदानों - बिजया, बेलाताम, जमाडोवा, वेशबोकारो और घाटोडाम में आजीवन नेशनल कोल वेज एग्रीमैंट के फैसलों को लागू नहीं करना चाहती है। इससे वहां के कर्मचारियों में काफी असंतोष है। इस फैसले को लागू नहीं किया गया तो लगभग 16000 कर्मचारी कभी भी आंदोलन पर उतर सकते हैं और वहां कानून और व्यवस्था खराब हो सकती है। अत: जनहित में तत्काल इसको लागू कराने के निर्देश दिये जाएं।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड़): महोदय, मैं इस सदन के सामने एक अति गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूं। केरल के उत्तरी भाग विशेषत: कासरगोड़ जिले में स्थानीय लोगों अथवा स्थानीय शासन द्वारा एन्डोसलफन कीटनाशक के परिणाम को समझे बिना विगत 15 वर्षों से उसको प्रयोग में लाया जा रहा है। अब यह महसूस किया जा रहा है कि इसके प्रयोग से परिस्थितिकी और स्वास्थ्य जन्य समस्याएं काफी बढ़ गई है। विगत पांच वर्षों में इस क्षेत्र में लगभग 42 व्यक्ति मर गए और लगभग हजारों लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित है।

इस तथ्य को महसूस करते हुए केरल सरकार ने दो आयोग अच्युतन आयोग और शिवरामन आयोग गठित किए हैं। इन आयोगों ने कुछेक विशेषज्ञों के साथ इन स्थानों के दौरे किए तथा मृदा, जल, पौधे, मानव रक्त, पशु रक्त और मां के दूध की जांच भी की। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य जन्य ये समस्याएं एन्डोसलफन कीटनाशक के प्रयोग से उत्पन्न हुई है। उन्होंने केन्द्र सरकार को एन्डोसलफन कीटनाशक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में एक अभ्यावेदन दिया है और इस पर केन्द्र सरकार ने दुबे आयोग की नियुक्ति की है। दुबे आयोग ने प्रभावित क्षेत्र को दौरा किया परन्तु उसने किसी भी सांसद विधायक, पंचायत या स्थानीय व्यक्ति से संपर्क नहीं किया। इस आयोग में कीटनाशक उद्योग के सदस्य शामिल हैं पर इसमें कोई भी स्थानीय व्यक्ति शामिल नहीं है। अत:, हम ऐसा महसूस करते हैं कि यह पक्षपातपूर्ण है। कासरगोड़ जिले में एक बहुत बड़ा आन्दोलन किया जा रहा है यह केवल कासरगोड़ अथवा केरल का प्रश्न नहीं है अपितु यह संपूर्ण मानवता का प्रश्न है।

महोदय, 2-3 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चे बोल और चल नहीं पाते। 18-20 वर्ष की आयु वर्ग वाली महिलाएं विवाह नहीं कर पाती है। वे पारिवारिक जीवन नहीं जी पाती क्योंकि उनमें विषमताएं होती है। इस प्रकार से वे कैंसर, दमा, तपेदिक और अन्य रोग से पीड़ित रहती है।

इसी दौरान, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इसे अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। परन्तु अब उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से अपना दृष्टिकोण देने को कहा है। अतएव यह न केवल मेरा संपूर्ण राज्य, अपितु संपूर्ण मानव समुदाय का अनुरोध है कि एन्डोसलफन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। केन्द्र और राज्य सरकारें इन गरीब लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करें। उन्हें चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है। मृतकों के परिवार को मुआवजा दिया जाए। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए मनोरंजन केन्द्र बनाने की आवश्यकता है। उन्हें रोजगार के अवसर भी मुहैया कराएं जाएं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर तुरन्त कार्रवाई की जाए।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): मान्यवर, देश में भगवान परशुराम जयंती का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाओं के अनुरूप परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित किया है। भगवान परशुराम जी का जन्म विक्रम संवत 262 में दिन बुधवार, रोहणी नक्षत्र, अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल पक्ष में हुआ था। भगवान परशुराम जी आदिवंश संस्थापक महर्षि भृगजी स्वयं परमपिता ब्रह्म जी के

मानसपुत्र थे। भृगवंश के बारे में श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा – महर्षिरणं भृगुरह एवं कवि नामुशनाकवि।

भगवान परशुराम के पिता जमादाग्नि और देवी रणुका माता थी। भगवान परशुराम ने शिवतप से वेद, वेदांग, नागपाश, ब्रह्ममास्त्र, आग्नेय, वायवसास्त, आग्नेय, गाधपर्य, वारुण, जम्माकास्त, गदा, त्रिशुल, आत्मसैन्य का ज्ञान प्राप्त किया था।

संसार में साहित्य में प्रभु परशुराम जैसा-शस्त्र, शास्त्र, सृजन शांति, संघर्ष व सर्वोत्तम समन्वयकारी संत नहीं मिलता। भगवान श्री राम के द्वारा परशुराम संहरतवाय. स्त्रोतम् में श्री परशुराम की महिमा का वर्णन किया गया है। राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने भगवान परशुराम के बारे में कहा है–

''कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा
रण में कुटिल काम सम क्रोधी तप में महासूर्य जैसा।।
यह भारत है उसी महामुनी परशुराम बलशाली का
भृगु के परम् पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रण पाली का॥

भगवान परशुराम जी के जन्मदिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर, मध्य प्रदेश का बीना नगर एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। यह अनाज की प्रमुख मंडी है तथा कृषि यंत्रों का निर्माण भी यहां होता है और निर्यात केन्द्र भी है, किन्तु यहां दूरदर्शन का केन्द्र नहीं है। लम्बे समय से यहां की जनता के द्वारा एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की मांग की जा रही है। यहां के नागरिकों को केवल संचालकों की मर्जी पर निर्भर रहना पड़ता है और कई सालों से इस संबंध में मांग की जा रही है। बीना के एक तरफ खुरई है। खुरई में भी दूरदर्शन केन्द्र है। गंजवासुदा में भी दूरदर्शन केन्द्र हैं। लेकिन आश्चर्य है कि एक तरफ हम विकास की बातें कर रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे स्थान हैं, जहां दूरदर्शन केन्द्र नहीं होने के कारण वहां के नागरिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अत: मैं केन्द्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बीना नगर के नागरिकों की कठिनाइयों को अनुभव करते हुए एक दूरदर्शन केन्द्र प्रारंभ कराने में सहयोग करें।

[अनुवाद]

श्री के.वी. तंगबालु (सेलम): महोदय, मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र सेलम के संबंध में अति महत्वपूर्ण तत्कालिक मामला उठाने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

सेलम इस्पात संयंत्र लाभ कमाते हुए कार्य कर रहा है। इस संयंत्र का विस्तार करने की बहुत आवश्यकता है। इसमें न केवल सेलम जिले के व्यक्तियों की मांग है अपितु यह तमिलनाडु राज्य की मांग भी है। जैसा की मैंने और सं.प्र.ग. नेतृत्व ने भी व्यक्तियों को सूचित किया कि 650 करोड़ रुपये के निवेश से हॉट रोलिंग मिल तथा कोल्ड़ रोलिंग मिल लगाकर संयंत्र का विस्तार किया जाएगा।

महोदय, हॉट और कोल्ड़ रोलिंग मिल लगाने संबंधी मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने पर मैं माननीय इस्पात और खान मंत्री श्री राम विलास पासवान का धन्यवाद करता हूं। इस संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि मैसर्स दस्तूर एंड कंपनी पहले ही 'सेल' तथा इस्पात मंत्रालय को व्यवहार्यता प्रतिवेदन जमा करवा चुकी है। तमिलनाडु के 40 सदस्य और स.प्र.ग. के सभी नेता इस संबंध में माननीय इस्पात और खान मंत्री, श्री राम विलास पासवान को संयुक्त रूप से ज्ञापन दे चुके हैं। तथापि विगत डेढ़ वर्ष से देरी हो रही है।

मैं माननीय इस्पात और खान मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे तमिलनाडु के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई और देरी किए बिना संबंधित प्राधिकारियों को सेलम में हॉट और कोल्ड़ रोलिंग मिल लगाने के कार्य का कार्यान्वयन करने को कहें।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़): माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सदन में बहुत ही सैंसिटिव इश्यू को उठाने का समय दिया।

महोदय, उत्तर प्रदेश इस समय एक भयावह बीमारी से ग्रस्त है। उत्तर प्रदेश में एनसिफेलाइटिस बीमारी, महामारी का रूप ले चुकी है। वहां एक महीने में 126 मौतें हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद अलीगढ़ की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि कस्बा जलाली, हरदुआगंज और भोडासी में एक सप्ताह में 26 मौते हो चुकी हैं। इस बीमारी के प्रति वहां की सरकार विशेष संज्ञान नहीं ले रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे लोक सभा हो या विधान सभा, आम जनता ने हमें अपने सुख-दर्द की आवाज सदन में उठाने के लिए चुनकर भेजा है और यदि हम उसकी आवाज नहीं उठाएंगे, तो हम अपने कर्तव्य के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बीमारी का इलाज उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रहा है। इसकी दवाएं बहुत महंगी हैं। जब आदमी को यह बीमारी होती है, तो वह

[चौधरी विजेन्द्र सिंह]

महंगी दवाएं न खरीदने के कारण अपना इलाज नहीं करा पाता है। यह छूत की बीमारी जैसी है। इसलिए वहां डाक्टर जाने में हिचक रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस एवं गोरखपुर में लगभग 98 मौतें इस बीमारी से हुई हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि वह इस बीमारी के प्रति संज्ञान ले और स्पेशल जांच कराए कि यह बीमारी आखिर है क्या? क्या यह दिमागी बुखार जिसे एनसिफलाइटिस कहते हैं यह है अथवा मलेरिया? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया भाषण न दें।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह: महोदय, इस बीमारी के बारे में वहां बहुत भ्रम फैला हुआ है। कोई कहता है कि यह दिमागी बुखार है और कोई कहता है कि यह मलेरिया है। वहां इस बीमारी के लिए आवश्यक दवाओं का अभाव है। इस कारण रोगियों का इलाज नहीं हो रहा है और दवाओं के अभाव में उनकी मृत्यु हो रही है। वहां डाक्टर नहीं जा रहें, दवाएं नहीं मिल रही हैं। इंसान की जान बहुत कीमती होती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। हमें अपने क्षेत्र की जनता ने चुनकर अपने सुख-दर्द की जानकारी सदन के माध्यम से सरकार को देने के लिए यहां भेजा है। यह बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। मेरा निवेदन है कि इस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल निर्देशित किया जाए। *...(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, माननीय सदस्य बिलकुल ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को इस बीमारी का संज्ञान लेने के लिए तत्काल निर्देशित किया जाए। *...(व्यवधान)*

चौधरी विजेन्द्र सिंह: सभापति जी, यह बहुत सेंसिटिव इश्यू है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इससे बहुत सारी मौतें हुई हैं, लेकिन आज तक वहां के अधिकारियों ने इस बीमारी के प्रति संज्ञान नहीं लिया है। दवाओं का इंतजाम नहीं होने के कारण इस बीमारी से ग्रस्त लोग आए दिन मौत के घाट उतर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बीमारी से छूटकारा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बीमारी के प्रति तत्काल संज्ञान ले और केन्द्र सरकार यहां से डाक्टरों की स्पेशल टीम भेजे, जो जांच करें कि आखिर यह क्या बीमारी है और उसके अनुरूप इस बीमारी पर काबू पाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया भाषण न दे। बीमारी के बारे में आप पहले ही बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह: सभापति जी, वहां पीने के पानी की भी जांच कराई जाए। मैं इस विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि आप केन्द्र सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को इस बीमारी का संज्ञान लेने के लिए निर्देशित करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश को इस बीमारी से छुटकारा मिल सके।

महोदय, मैं अंत में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि इस बीमारी के कारण जो आम लोग मरे हैं जिससे उनके घरों में कोई कमाने वाला नहीं रहा, उनके परिवारों को कम से कम 5-5 लाख रुपए प्रति परिवार मुआवजा दिया जाए ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं पुन: आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सीता राम यादव (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, बिहार प्रान्त के हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनवरसा एन.एच. 77 चार लेन स्वीकृत हो चुका है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिया जा चुका है। हाजीपुर-मुजफ्फरपुर के प्रथम फेज की निविदा 6 महीने पहले हो चुकी है। मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनवरसा तक द्वितीय फेज की डी.पी.आर. तैयार है। विदित है कि बाढ़ के कारण सीतामढ़ी पूरे देश से साल के चार महीने कटा रहता है। उपरोक्त पथ के बन जाने से इस क्षेत्र की आम जनता को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनवरसा पथ का कार्य अविलम्ब शुरु कराया जाये।

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): मैं सरकार का ध्यान देशभर में कार्यरत आंगनबाड़ी अध्यापकों और कार्यकर्ताओं की दयनीय दशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आंगनबाड़ी अध्यापक और कार्यकर्ता आधारभूत शिक्षा, पोषण मुहैया कराने और ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यरत माताएं अपनी पारिवारिक आय में सहयोग दे सकती है क्योंकि वे अपने बच्चों की देखभाल का दायित्व आंगनबाड़ी स्टाफ पर छोड़ सकती है। आंगनबाड़ी अध्यापकों को सामान्य अध्यापकों से अधिक घंटों तक कार्य करना पड़ता है। यह सोचनीय है और नोट करते हुए दुख है कि सामाजिक प्रतिबद्धता और निष्ठा के

बावजूद भी उन्हें बहुत कम भगुतान किया जाता है और उनके साथ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से भी बदत्तर ढंग से व्यवहार किया जाता है।

हाल ही में मैंने त्रिवेन्द्रम में आंगनवाड़ी अध्यापकों, कार्यकर्ताओं और स्टाफ के लिए एक संघर्ष प्रारंभ किया है। 5 हजार से भी अधिक आंगनवाड़ी स्टाफ ने इसमें भाग लिया। उनकी मांग औचित्यपूर्ण है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए मानदेय बढ़ाएं और उनके लिए एक पेंशन योजना बनाए। मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि सरकार इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक और गंभीरता से विचार करें। धन्यवाद।

डा. के.एस. मनोज (अल्लेपी): मैं केरल के स्वतंत्रता सेनानियों की दयनीय दशा की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

दीवान, श्री सी.पी. रामास्वामी अय्यर के साम्राज्यवादी शासन को समाप्त करने तथा त्रावणकोर में एक जिम्मेदार सरकार के गठन की मांग को लेकर केरल के पुन्नापरा और वायालर जिले में पुन्नापरा-वायालर संघर्ष वर्ष 1946 में हुआ। मछुआरों, जूट कारखाना कामगारों, कृषकों, कृषि कामगारों और सभी कार्यों से जुड़े लोगों ने इस संघर्ष में भाग लिया। कई व्यक्तियों को कठोर कारावास दिया गया और कई व्यक्तियों को भूमिगत जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया। यह संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक भाग था। राज्य सरकार ने इस संघर्ष को स्वतंत्रता संघर्ष के एक भाग के रूप में मान्यता दी और उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता देकर उन्हें पेंशन तथा स्वतंत्रता सेनानियों को दिए जाने वाले अन्य कल्याण सुविधाएं दी।

श्री देवगौड़ा के प्रधानमंत्री काल के दौरान जब श्री इंद्रजीत गुप्त गृह मंत्री थे; तब केन्द्र सरकार ने भी पुन्नापरा-वायालर संघर्ष को स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में मान्यता प्रदान की। कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों ने केन्द्रीय स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिए आवेदन किया है जो संघर्ष में बहुत अधिक पीड़ित हुए थे।

स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना (एसएसएसपी स्कीम) 1980 के अंतर्गत सम्मान पेंशन पाने के अर्ह मानदंडों में एक मानदंड यह भी था कि व्यक्ति छह महीने या इससे अधिक की अवधि तक जेल में रहा हो। पर, इसके लिए संसद जेल अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार से प्राथमिक साक्ष्य प्रमाण पत्र मिलना कठिन है। और दूसरे सदस्य के रूप में पूर्व विधान सभा सदस्यों या पूर्व संसद सदस्यों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र भी केन्द्र सरकार द्वारा अमान्य कर दिए गए और इस तरह जिन लोगों ने अपना आवेदन जमा कराए हैं उसे नामंजूर कर दिया गया है। माननीय केरल उच्च न्यायालय ने एक याचिका ओ. पी. सं. 35698/2002 में फैसला सुनाया था कि राज्य सरकार से पेंशन पाने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानी केन्द्र सरकार से भी पेंशन पाने के लिए पात्र है।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जिन लोगों की पहचान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में की है और उन्हें अपनी ओर से पेंशन दी है। उन पर केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के लिए भी विचार किया जाना चाहिए और इसके लिए मार्ग निर्देशों में तदनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): सभापति महोदय, अफसोस की बात है कि गन्ना मूल्य निर्धारण के लिए भारत सरकार द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह निराशाजनक है। यह अवैज्ञानिक है क्योंकि सरकार बिजली, पानी, श्रम, उर्वरक आदि पर आने वालों खर्चों पर विचार नहीं करती है। ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिन्हें कृषि और खाद्य के क्षेत्र में अनुभव और जानकारी नहीं हैं उन्हें ही गन्ना मूल्य निर्धारण के लिए कहा जाता है। भारत सरकार को चाहिए कि वह इस पुरानी प्रक्रिया को बंद करे अन्यथा गन्ना उत्पादकों की जीविका खतरे में पड़ सकती है।

सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से वास्तविक तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी सहित सभी खर्चों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या केवल 4 प्रतिशत है। उन्हें प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसानों की जिनकी आबादी देश की कुल आबादी की 69 प्रतिशत है, पिछले कई दशकों से उनकी उपेक्षा हुई है। यदि स्थिति इसी तरह से बनी रही तो गन्ना उत्पादकों को भी अन्य किसानों की तरह आत्महत्या करनी पड़ेगी। गत वर्ष 2004-2005 में उत्पादकता दर 8 प्रतिशत था और गन्ने की दर 73 रुपए से बढ़कर 74.50 रु. हुई। यह वृद्धि बहुत ही कम है और ऐसा चीनी मिल मालिकों द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है। जिन अधिकारियों ने गन्ना मूल्य का निर्धारण किया है उन्होंने किसी भी सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया है। गन्ना उत्पादकों के साथ होने वाले इस तरह के अन्याय को तत्काल रोका जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि भारत सरकार गन्ना उत्पादकों के बचाव में आगे आएं।

गन्ना उत्पादकों का कुल खर्च प्रति एकड़ 38,000/- रु. है। इसमें श्रमिकों की मजदूरी, पानी, बिजली, कीटनाशक, बीज और

*मूलत: कन्नड़ में दिए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एम. शिवन्ना]

उर्वरक आदि के खर्च शामिल है। किसान औसतन प्रति एकड़ 45 टन गन्ना का उत्पादन कर सकता है। गत वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित एस.एम.पी. 750 रु. प्रति टन था। इस तरह उठाया गया कदम अनुचित और न्याय से परे था। यदि उत्पादकता 8 प्रतिशत है तो गन्ना का एस.एम.पी. प्रति टन कम से कम 1000 रु. होना चाहिए। एस.एम.पी. प्रतिवर्ष सक्षम अधिकारियों द्वारा वैज्ञानिक तरीकों से बढ़ाया जाना चाहिए। मूल्य निर्धारण में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को शामिल किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री शिवन्ना, कृपया समाप्त करें। आप का समय समाप्त हो चुका है।

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, मैं 3 मिनट का समय और लूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश (कनकपुरा): महोदय, मैं अब देश में गन्ना उत्पादकों के करूण दशा के बारे में अपनी चिन्ता को व्यक्त करने के लिए माननीय सदस्य के साथ संबंद्ध करती हूं। उन्हें न्याय मिलना चाहिए।

श्री एम. शिवन्ना: कर्नाटक में वैज्ञानिक तरीके से एसएमपी निर्धारित करने यह मांग 10 साल पुरानी है। दुर्भाग्य से केन्द्र ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया है। प्रतिवर्ष 0.75 प्रतिशत या एक प्रतिशत जैसी मामूली वृद्धि का कोई आधार नहीं है और यह अवैज्ञानिक है। अत: मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी आंखे खोले और वास्तविकता को देखें। प्रतिवर्ष एसएमपी में कम से कम 4 से 5 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि इस वर्ष से गन्ना का एस.एम.पी. 1000 रु. से अधिक होना चाहिए और प्रतिवर्ष यह उत्पादकों के खर्चों में होने वाली वृद्धि के हिसाब से बढ़ाना चाहिए क्योंकि यह खर्च तकरीबन 4 से 5 प्रतिशत तक आएंगे।

यह कर्नाटक के गन्ना उगाने वाले किसानों की चिर लंबित मांग है।

महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश: महोदय, यह समस्या किसानों से संबंधित है। यह गन्ना उगाने वाले किसानों के लिए गन्ने का मूल्य दिए जाने के संबंध में है। महोदय हम इससे सहबद्ध होना चाहते है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, श्री गिरधारी लाल भार्गव।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, मैं भी अपने आप को इससे सहबद्ध करता हूं।

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश: महोदय, मैं भी अपने आपको इस मामले से सहबद्ध करती हूं।

सभापति महोदय: क्या आप दोनों इस मामले से अपने-अपने को सहबद्ध कर रहे है?

श्री मधुसूदन मिस्त्री: हां, महोदय।

सभापति महोदय: ठीक है, आप लोगों ने अपने-अपने को इससे सहबद्ध किया है पर यह किसी सुचना के बिना है। यह सही तरीका नहीं है। मैं इसके लिए एक विशेष मामले के रूप में अनुमति दे रहा हूं। परन्तु आपको पहले सूचना देनी थी जो आपने नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, मेरा बहुत छोटा-सा अनुरोध है और वह यह है कि जयपुर शहर में केन्द्रीय पुरातत्व विभाग का रामनिवास बाग में विश्व प्रसिद्ध एक संग्रहालय है। जिसे देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। संग्रहालय में प्रवेश के लिए टिकट भी दिया जाता है। लेकिन कई वर्षों से इस संग्रहालय के आधे भाग को मरम्मत के नाम पर बंद किया हुआ है। जिसके कारण पर्यटकों को घोर निराश होती है और उनके मन में जो भाव है कि वहां पर अनमोल और अनोखी वस्तुएं देखने को मिलती हैं, उन चीजों को देखने से उन्हें वंचित रहना पड़ता है। वहां पर अनमोल धातुएं हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक दूर-दूर से आते हैं। यदि उसको बंद कर दिया गया तो वहां पर्यटक आने बंद हो जाएंगे। चूंकि पुरातत्व विभाग केन्द्र सरकार के अधीन है, इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि संग्रहालय के जिस भाग को बंद किया हुआ है, उसे तुरन्त खोला जाए।

मैं सदैव आपकी आज्ञा का पालन करता हूं इसलिए मुझे हमेशा बोलने का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश की दो महत्वपूर्ण बीमारियों की ओर दिलाना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थनगर तथा आस-पास के संपूर्ण जनपदों में इस समय दो बीमारियां भयंकर रूप से फैली हुई हैं – एक मनुष्य जनित जापानी इनसैपलाइटिस है जिससे अब तक संपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक हजार से अधिक मौतें हो चुकी हैं।

इसके बावजूद प्रदेश और केन्द्र सरकार की ओर से जो पहल होनी चाहिए, वह अभी तक नहीं हो पाई है। इस संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यहां कहा था कि पांच विषाणुजनित बीमारियों के लिए केन्द्र सरकार पूरी तरह मदद करेगी, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं की गई है। दूसरी तरफ वहां की फसल पर इस समय पायरिया नाम का एक कीड़ा लगा हुआ है। गन्ने की 50 लाख हैक्टेयर से अधिक की फसल पायरिया कीट से पूरी तरह नष्ट होने के कगार पर पहुंची हुई है। इसकी रोकथाम के लिए न प्रदेश सरकार की ओर से और न ही केन्द्र सरकार की ओर से कोई व्यवस्था हुई है। वह कीड़ा गन्ने के बाद मकई, धान तथा और भी तमाम प्रकार की फसलों को नष्ट करता जा रहा है। किसान तबाही की ओर जा रहा है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां अभी तक किसानों ने आत्महत्या नहीं की है। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की गन्ने की नकदी फसल नष्ट हो गई, तो वहां का किसान भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों की तरह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पायरिया नाम का जो कीटाणु भयंकर तरीके से फसल नष्ट करता जा रहा है, जिसने लाखों हेक्टेयर की फसल को नष्ट कर दिया है, उसकी रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार एक स्पैशल टीम भेजे और जो भी आवश्यक सुविधा हो, वह प्रदेश सरकार को दे। अगर आवश्यकता पड़े तो हवाई छिड़काव करने की व्यवस्था संपूर्ण क्षेत्रों में करें।

स्वास्थ्य मंत्री जी ने जापानी इनसैपलाइटिस के बारे में कहा था कि हम इसे केन्द्रीय सूची में लेकर पूरी सहायता देंगे। इनसैपलाइटिस के साथ-साथ पायरिया कीट पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार पूरी मदद करे।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): सभापति महोदय, शासन की समस्त परियोजनाओं तथा आयोग में, केन्द्र सरकार के समस्त शासकीय, अशासकीय विभागों में, बैंकों, उपक्रमों आदि सभी में जो आदेश और नियम तथा सर्कुलर जारी किए जाते हैं, वे अधिकतर अंग्रेजी में होते हैं। हिन्दी भाषी क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि में अनुवादक नहीं होने के कारण उनको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। *...(व्यवधान)* चाहे एनजीओज के मामले हो, ग्रामीण विकास के मामले हों, सिंचाई की सुविधा हो, उद्योग धंधे हों या अन्य प्रकार की शासकीय नियमावली या कानून हो, केन्द्र सरकार या अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा अंग्रेजी में सर्कुलर आदि देने के कारण विकास की गति धीमी हो जाती है। अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और वे कम पढ़े-लिखे होते हैं। डीएम या कलैक्टर स्तर के लोग उसे कम समझते हैं और अनुवाद भी अपने-अपने ढंग से अनुवाद करते हैं। *...(व्यवधान)* इस दृष्टिकोण से केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि सभी योजनाओं के जो सर्कुलर अंग्रेजी में जारी होते हैं, उन्हें हिन्दी में जारी किए जाएं। हिन्दी मातृभाषा है और इस पर ध्यान देते हुए सभी सर्कुलर और आदेश आदि हिन्दी में जारी किए जाएं जिससे आम लोगों को समझने में सुविधा हो। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि हिन्दी भाषा को प्राथमिकता दी जाए और आदेश जारी किया जाए।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): सभापति महोदय, 1984 के सिख विरोधी दंगों में जो लोग बुरी तरह से मारे गये, उनके परिवार वालों के आंसू अभी तक थम नहीं रहे हैं। इस संबंध में कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया है लेकिन उन बातों से भी उनको राहत नहीं मिली है। नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम आये हैं। *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: यह क्या है? यह विशेष उल्लेख नहीं है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस मामले पर पहले भी सदन में चर्चा हो चुकी है। आपको किसी नाम का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़: टी.वी. पर हमने देखा है। यह रिकार्ड है। *...(व्यवधान)* यह बहुत बड़ा इश्यू है। *...(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: यह कोई मामला नहीं है। सभापति महोदय, नानावती कमीशन वाला मामला खत्म हो गया है। *...(व्यवधान)*

श्री हरिभाऊ राठौड़: आपके लिए खत्म हो गया होगा।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: वे जो कह रहे हैं, उन पर मैं आपत्ति करता हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़: इन दंगों में जिनके नाम हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: किसी नाम का उल्लेख न करें, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़: हमारी मांग है कि मरने वाले लोगों के परिवार वालों को हर्जाने के तौर पर कम से कम 25 लाख रुपये देने चाहिए क्योंकि आज उनके बच्चे बड़े हो गये हैं, शादी लायक हो गये हैं। उनके घर में जो कमाने वाला व्यक्ति था, वह मर गया है। उनको देखने वाला कोई नहीं है। जिन लोगों को जला दिया गया, लूटा गया, उन पीड़ित परिवार को ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़: पीड़ित परिवार को अभी कुछ मुआवजा नहीं मिला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़: हमारी मांग है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए आप पेंशन योजना चालू कीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस मुद्दे पर सदन में वर्तमान सत्र के दौरान पहले ही विस्तार से चर्चा हो चुकी है। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़: मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। जिन लोगों का घर लूट गया, प्रापर्टी लूटी गयी, उनके लिए हाई कोर्ट ने एक लाख 23 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक यह रुपया नहीं दिया। हादसे के बाद सरकार ने उनके बच्चों को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था लेकिन वह भी नहीं दी। जैसा कि विदित है कि उस हादसे के दौरान अधिकांश गुरुद्वारों, पवित्र ग्रंथों को असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया था। अत: सभी गुरुद्वारों, मस्जिद, मंदिर, चर्च आदि पवित्र स्थानों के साथ लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं इसलिए उनकी पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह विशेष उल्लेख का दुरुपयोग है।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री करुणाकर रेड्डी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आप मत बोलिए। श्री करुणाकर रेड्डी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री रेड्डी आप बोलिए।

...*(व्यवधान)**

श्री जी. करुणाकर रेड्डी (बेल्लारी): धन्यवाद, महोदय मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान, विशेषकर रेलवे मंत्रालय की ओर दिलाना चाहता हूं। बेल्लारी शहर के मेरे बेल्लारी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, में लगभग पांच से छह रेलवे समपार है। उसमें भी दो रेलवे समपार अर्थात एल.सी. संख्या 110 और एल सी संख्या 114 बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर सड़क उपरिपुर (आर ओ बी) निर्माण करने की तत्काल आवश्यकता है। माल गाड़ी यातायात में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप रेलवे फाटक बार-बार बंद हो जाते हैं, जिसके कारण आम जनता, विशेषकर स्कूली बच्चे और कार्यालय जाने वाले बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि पिछले वर्ष 2004 में तत्कालीन रेल राज्य मंत्री ने सत्यनारायण पेट गेट पर एल.सी. संख्या 114 पर आर ओ बी हेतु आधारशिला रखी थी, परन्तु डेढ़ वर्ष के बाद भी कोई काम शुरु नहीं किया गया है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, इस संबंध में, मैंने रेल मंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात की थी। मैंने उन्हें पत्र भी लिखा था परन्तु आज तक मुझे रेल मंत्री से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। यहां तक कि मुझे रेल मंत्रालय से कोई पावती पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: अत: महोदय, मैं केन्द्र सरकार, विशेषकर रेल मंत्रालय से यह मांग और निवेदन करता हूं कि एल.सी. संख्या 110 और एल.सी. संख्या 114 पर आर.ओ.बी. का कार्य बिना विलम्ब किए तत्काल आरंभ करें। रेल मंत्रालय को बेल्लारी से 800 से 1000 करोड़ रुपये प्राप्त होते है। अत: मैं सरकार से तत्काल परियोजना पर कार्य करने का निवेदन करता हूं।

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मैं केन्द्रीय मंत्रालय का ध्यान दिनांक अगस्त 16-31, 2005 के यूनियन टेरिटरी इंडपेंडेट में प्रकाशित गंभीर सुरक्षा-खतरा संबंधी समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, भारत सरकार ने विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए विभिन्न व्यापारी वर्ग को स्मार्ट कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। इसका आशय देश के विभिन्न विभागों में भिन्न स्तरों पर विद्यमान कदाचार को रोकना है। इस स्मार्ट कार्ड कंपनी ने जघन्य अपराध किया है और अन्य संस्थाओं को बहुत सारे बोगस कार्ड दिए है। एक निजी कंपनी, स्मार्ट चीप लिमिटेड (एससीएल) को स्मार्ट कार्ड आपूर्ति का ठेका दिया गया था। आरंभ में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय परिवहन विभाग के सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करना चाहता था। और एससीएल के माध्यम से सामान्य उपभोक्ता को जारी ऐसे कार्डों की बेहतर सुरक्षा और आसान प्रचालन का आश्वासन दिया। परन्तु यह कार्ड आपूर्ति करने वाली कंपनी द्वारा योजना भारी दुरुपयोग का साधन बन गई है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री पी.एस. गढ़वी: यह कंपनी प्रमाणिक और सही व्यक्तियों को कार्ड की आपूर्ति करने के बजाय अवैध गतिविधियों का आश्रय ले रही है। ऐसा पता लगा है कि कंपनी ने अलगाववादियों तथा असामाजिक तत्वों को स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में वाहन चालकों को जारी किए जाने वाले कार्ड बांग्लादेशियों और अनेक आतंकवादी संगठनों को जारी किए हैं।

कंपनी ने अप्रैल, 2004 में केन्द्र में अपने राजनैतिक संपर्कों के बल पर भारतीय सेना से ठेका भी प्राप्त किया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। जब भी आप विशेष उल्लेख करते हैं, उसे संक्षेप में कहिए। आपको संपूर्ण भाषण नहीं पढ़ना चाहिए।

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय सेना की कैंटीन और किराना प्रबंधन प्रणाली को सुचारू बनाना था। कंपनी ने मछुआरों को भी कार्ड जारी किए। यह प्रबल संभावना है कि अनेक कार्ड पाकिस्तान जैसे विदेशी देश की गुप्तचर सेवा आईएसआई को जारी हो गए हों। इस कंपनी की कुछ राजनैतिक दलो और आला नौकरशाहों के साथ साठ गांठ के कारण, यह कंपनी पूरे देश में निर्बाध रूप से कार्य रही है। यह हमारे देश के लिये गंभीर खतरा है। भारत सरकार को इन सभी गतिविधियों को रोकने हेतु तत्काल कदम उठाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव (मैनपुरी): सभापति महोदय, आज आपने इस मंच पर बोलने के लिए जो मुझे मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं केन्द्र सरकार का ध्यान छात्र संघ के चुनावों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भारत का लोकतंत्र दुनिया के सबसे अच्छे लोकतांत्रिक देशों में से एक है और हर भारतीय को अपनी इस लोकतांत्रिक परम्परा पर गर्व है और उसका एहसास है। आजादी के समय छात्रों और नौजवानों ने जो आंदोलन चलाए, जो संघर्ष किये और जो कुर्बानियां और बलिदान दिये ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: चूंकि वह एक मात्र वक्ता है और यह इनका अनन्य भाषण है, इन्हें बोलने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव: सर, मेरा पहला स्पेशल मेंशन हैं, इसलिए मुझे बोलने का मौका दीजिए। आजादी के समय से लेकर देश के निर्माण में और आपातकाल के दौर में छात्रों और नौजवानों ने जो आंदोलन चलाए और उन आंदोलनों के पीछे जो कारण था, छात्र संघ बहाली की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां एक ओर देश तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं का गठन कर रहा है, वहां दूसरी ओर छात्रों की आवाज उठाने वाला छात्र मंत्र होता है। अधिकांश केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आज छात्रसंघ पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, चाहे बीएचयू हो या जामिया मिलिया या फिर लखनऊ का डा. अम्बेडकर विश्वविद्यालय। यही

[श्री धर्मेन्द्र यादव]

स्थिति देश के तमाम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अपील करना चाहता हूं और यह छात्रों की आवाज है कि केन्द्र सरकार के जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें छात्रसंघों की बहाली करने की कृपा करें।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर, रेडक्रास सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और भारतीय रेडक्रास सोसाइटी उसी का भारतीय स्वरूप है, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके प्रतीक चिह्न का नियमानुसार प्रयोग नहीं हो रहा है और उसका व्यापक दुरुपयोग किया जा रहा है। पिछले दिनों जब गुजरात में भूकम्प की त्रासदी आई थी, उस समय बहुत-से ऐसे लोग थे जो अपनी गाड़ियों पर सहायता सामग्री लेकर प्रभावित क्षेत्रों में गए, उनकी गाड़ियों पर रेडक्रास सोसाइटी ऑफ इण्डिया के प्रतीक चिह्न लगे हुए थे। इसकी वजह से सहायता और सेवा कार्यों में भारी असुविधा और दुविधा का सामना करना पड़ा। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टप्रद स्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिए भारतीय रेडक्रास सोसाइटी यह चाहती है कि उसके प्रतीक चिह्न का प्रयोग केवल सेना की चिकित्सा कोर और भारतीय रेडक्रास सोसाइटी की ही गाड़ियों पर किया जाए। इसलिए मैं मांग करता हूं कि भारतीय रेडक्रास या अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास सोसाइटी के चिन्हों के प्रयोग पर रोक लगे।

जेनेवा कन्वेंशन में प्रतीक चिह्न के दुरुपयोग के लिए 500 रुपए तक जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि एक तो इसके प्रतीक चिह्न का दुरुपयोग रोका जाए अगर फिर भी कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यान स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के एक भाग के रूप में कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर हुबली और हरिहर के मध्य 110 कि.मी. लंबी सड़क के निर्माण से संबंधित मामले, जिससे संबंधित कार्य मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चल रहा है, की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह बात मेरी जानकारी में आई है कि निर्धारित और मानक मिट्टी (भोरम) जो कि आमतौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क बिछाने हेतु उपयोग में आती है, के स्थान पर ठेकेदार सारे सुरक्षा मानकों को ताक पर रख कर जलाशय से निकली मिट्टी का उपयोग कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप अधिकतर स्थानों पर गड्ढे पड़ गये हैं। मानसून में पानी जमा हो जाता है और ठेकेदार द्वारा इस्तेमाल किए गये खराब मिट्टी के कारण 110 किमी की संपूर्ण सड़क पर असंख्य गड्ढे देखे जा सकते हैं। आरंभ में, इस सड़क को पूरा करने की समय सीमा सितम्बर, 2003 थी। इसकी समय सीमा बार-बार 2004 और 2005 तक बढ़ाई गयी थी और पुन: इसे 2006 तक बढ़ाया गया है। यह एक प्रथम दृष्टया मामला है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने न केवल सड़क बनाने के कार्य को समय पर पूरा न करने बल्कि बार-बार एक्सटेंशन लेने में कांट्रेक्टर के साथ सांठ-गांठ की है। इस कार्य को पूरा करने में हुए विलंब के कारण अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं। अत: मैं माननीय मंत्री के माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि इस सड़क मार्ग का कार्य तत्काल पूरा किया जाए।

दूसरा, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शिगांव कस्बे में एक बस स्टैंड है, जहां एक फ्लाई-ओवर बन रहा है। बस-स्टैंड के नजदीक कोई कैटल पास अथवा अंडर ब्रिज नहीं है। शिगांव कस्बे के लोग लंबे समय से अंडर ब्रिज और कैटल पास के निर्माण की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए हड़ताल भी की है। इस संबंध में, मैंने माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से निविदा संबंधी करार और डिजाइन की प्रतियां देने का अनुरोध किया है। मुझे अब तक इनकी प्रतियां नहीं मिली हैं। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मुझे इनकी प्रतियां तत्काल दी जाएं और यह भी अनुरोध करता हूं कि यह कार्य भी तत्काल पूरा किया जाए।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कि देश में लेवी चावल की खरीद खाद्य मंत्रालय भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से करता है। लेकिन मेरे राज्य, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय पूल का 60 प्रतिशत लेवी चावल उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से केन्द्र सरकार की खरीद होती है। इससे हमारे मिल मालिक और किसान, दोनों ही परेशान हो रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं वे, उत्तर प्रदेश में 60 प्रतिशत लेवी चावल का क्रय कर रहे हैं। इसके कारण किसान और मिल मालिक दोनों परेशान हो रहे हैं और शोषण का शिकार हो रहे हैं। दूसरे प्रमुख राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भारतीय खाद्य निगम सारा लेवी के चावल की खरीद कर रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में भी सारे लेवी के चावल की खरीद भारतीय खाद्य निगम के द्वारा हो, जिससे भ्रष्टाचार और मिडिलमैन को रोका जा सके।

[अनुवाद]

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम): सभापति महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं विशाखापत्तनम स्थित बी.एच.वी.पी. के

पुनरूज्जीवन का उल्लेख करना चाहता हूं। द-भारत हेवी वेसल्स एंड प्लेट्स लिमिटेड आंध्र प्रदेश में स्थापित सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। यह विशाखापत्तनम और उसके आसपास सहायक और अनुषंगी इकाइयों के रूप में औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें हजारों परिवारों को नौकरियां मिली हुई है।

बी.एच.वी.पी. को एक वर्ष पहले बी.आई.एफ.आर. के पास विचारार्थ भेजा गया था और आंध्र प्रदेश सरकार ने बिक्री कर, म्युनिसीपल टैक्स और अन्य देयताओं में छूट की घोषणा भी की थी, लेकिन कंपनी को दोबारा शुरु नहीं किया गया। अत: मैं यू.पी.ए. सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बी.एच.वी.पी. के पुनरूज्जीवन पर विचार करे और इसके लिए विशेष पैकेज दे।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। यह गुजरात को ए आर डब्ल्यू एस पी-डी डी पी के अंतर्गत निधियों के अपर्याप्त आबंटन से संबंधित है।

महोदय, गुजरात को केवल 1.4 लाख रु. ही आवंटित किए गए हैं, जबकि अन्य राज्यों को अधिक राशि आबंटित की गई है। अत: भारत सरकार ने निधियों के आबंटन हेतु मानदंडों का पर्याप्त पालन नहीं किया है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह निधियों के आबंटन के मानदंडों की समीक्षा करे और देखे कि गुजरात राज्य को उसका उचित दावा मिले।

सभापति महोदय: अब, 9.30 बजे के पश्चात प्राप्त सूचनाओं को लिया जाएगा। इसे विशेष मामले के रूप में लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): सभापति महोदय, मेरे सामने एक अत्यंत ज्वलंत प्रश्न आया है, जिसे मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के सीमांत जिले पिथौरागढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तिब्बत (चीन) तथा नेपाल से लगी हुई हैं, इस जिले की मुन्सयारी, धारचूला व डीडीहाट तहसीलें पूर्व से ही भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्र में शामिल हैं।

इस वर्ष जुलाई माह से लगातार अतिवृष्टि व बादल फटने के कारण तथा नदी की बाढ़ के कारण मदकोद मुन्स्यारी तथा धारचूला क्षेत्र में कई किलोमीटर सड़क धंस गई है और सैंकड़ों मकान ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अनेक लोगों की मृत्यु हो चुकी है व हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि बह चुकी है। सड़क यातायात ठप है तथा दूरसंचार व्यवस्था भी भंग हो गई है। मैं स्वयं भी वहां नहीं पहुंच पाया। यही स्थिति डीडीहाट, कनालीछीना, मूनाकोट आदि क्षेत्र की भी है। अनेक पुल भी बह चुके हैं।

राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा राहत व बचाव कार्य अत्यंत धीमी गति से हो रहा है। तेल, गैस व खाद्यान्न का अभाव हो गया है, जिससे लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करूंगा कि इस स्थिति को सामान्य बनाने हेतु केन्द्र से आपदा राहत हेतु विशेष सहायता प्रदान की जाए व स्थिति को सामान्य बनाने हेतु वहां की सरकार को निर्देश देने के साथ-साथ केन्द्रीय एजेंसीज को भी तैनात किया जाए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, अत: केन्द्र सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे।

[अनुवाद]

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम): सभापमि महोदय, देश में अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर लगभग 1,50,000 लाइसेंसधारी कुली कार्यरत हैं जो यात्रियों के सामानों की ढुलाई कर उससे होने वाली आमदनी पर पूरी तरह आश्रित हैं। राज्य सरकार के उस फैसले से जिसमें पार्सल बुकिंग सेवा का निजीकरण करने का निर्णय किया गया था, समस्या पहले ही गंभीर हो गई थी। क्योंकि इससे लाइसेंसधारी कुलियों के लिए काम की उपलब्धता कम हो गई थी।

रात्रि 8.00 बजे

अब वर्तमान सरकार के निर्णय से स्थिति और भी भयावह हो गई है। इस निर्णय के तहत रेल यात्रियों द्वारा ले जाए जा रहे सामानों के मामले में विनियम लाए गए हैं। इसमें सामानों की ढुलाई की मात्रा को घटाकर आधा कर दिया गया है और ब्रेक वैनों में ले जाए जाने वाले सामानों का वजन 150 कि.ग्रा. तक सीमित कर दिया गया है।

लाइसेंसधारी कुलियों की नियुक्ति स्क्रीनिंग और पुलिस जांच के बाद ही होती हैं और लाइसेंस शुल्क के रूप में उनसे प्रति माह रेलवे द्वारा एक निर्धारित राशि ली जाती है। कुलियों के रूप में उनके कामों के अलावा रेलवे के कार्यालयों दिशा-निर्देशों के अनुरूप अन्य सभी तरह के भी काम कराए जा रहे है। किन्तु उन्हें नौकरी संबंधी कोई सुरक्षा या सांविधिक सेवा लाभ नहीं दिए जाते हैं। लाइसेंसधारी कुली सरकार से अपनी शिकायतों को दूर करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं।

[श्री एस. अजय कुमार]

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे हजारों गरीब कुलियों और उनके परिवारों की दुर्दशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए समुचित उपाय करें। साथ ही इस क्षेत्र से ठेके के श्रमिकों को हटाएं।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): इन दिनों दिल्ली से भुवनेश्वर तक सीधी उड़ान सेवा है–निश्चय ही, यह एअरबस सर्विस है। भुवनेश्वर के लिए इस एअर बस सर्विस का प्रस्थान समय सुबह 11.30 बजे है और भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए प्रस्थान समय दोपहर 2.10 बजे है। अफसोस के साथ मैं यहां कहना चाहता हूं कि आगमन और प्रस्थान का यह समय हमेशा बाधित रहता है। मसलन, दिल्ली से हो या भुवनेश्वर से यह कभी दो घंटे तो कभी तीन घंटे विलंब से उड़ान भरती है। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय नागर विमानन मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वे इंडियन एअरलाइन्स को इस बात का निर्देश दे कि दिल्ली से भुवनेश्वर तक की इस उड़ान का परिचालन नियमित समय से हो। जैसाकि आप भी जानते होंगे कि भुवनेश्वर देश के पर्यटक स्थलों में से एक है। पर्यटक बड़ी संख्या में इस विशेष विमान सेवा का उपभोग करते हैं, क्योंकि भवनेश्वर से दिल्ली तक यह एकमात्र उड़ान सेवा है। अत: जाहिर है कि जब यह विलंब से उड़ान भरती है, तो भुवनेश्वर से दिल्ली तक की यात्रा करने वाले पर्यटकों और अधिकारियों को काफी कठिनाई होती है। अधिकारियों को केंद्र सरकार के यहां स्थित कार्यालयों में उपस्थित होना पड़ता है और साथ ही, पर्यटकों के भी अपनी रुचि के स्थानों पर भ्रमण के लिए समय निश्चित होता है।

इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इंडियन एअर लाइन्स को इस बात का निर्देश दें कि दिल्ली से भुवनेश्वर तक की उड़ान भरने वाली इस विशेष विमान सेवा का प्रचालन नियमित और समय से हो, नहीं तो वे इसका समय बदल दें। जब हमेशा इस ही उड़ान में विलंब ही किया जाता है तो उड़ान भरने की समय-सारणी का मतलब क्या रह जाता है? अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इंडियन एअरलाइन्स को इस बात का निर्देश दे कि समय-सारणी का पालन किया जाए, नहीं तो यदि इसमें कोई कठिनाई है, तो इसकी समय-सारणी बदल दी जाए।

सभापति महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.04 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार 24 अगस्त, 2005/2 भाद्र, 1927 (शक) को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध–I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम	381
2.	श्री कृष्णा मुरारी मोघे	382
3.	श्री कुलदीप बिश्नोई	383
4.	डा. धीरेन्द्र अग्रवाल श्री सुनिल कुमार महतो	384
5.	श्री निखिल कुमार श्री अधीर चौधरी	385
6.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	386
7.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	387
8.	श्री राजनरायन बुधौलिया श्री हरिभाऊ राठौड़	388
9.	श्री वाई.जी. महाजन श्रीमती किरण माहेश्वरी	389
10.	श्री एस. अजय कुमार श्री ए. वी. बेल्लारमिन	390
11.	श्री अनन्त गुढ़े श्री मदन लाल शर्मा	391
12.	प्रो. महादेवराव शिवनकर मोहम्मद शाहिद	392
13.	श्री जुएल ओराम	393
14.	श्री कमला प्रसाद रावत	394
15.	प्रो. रासा सिंह रावत	395
16.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	396
17.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	397
18.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	398
19.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	399
20.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	400

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	4019, 4103
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3949, 4001, 4052, 4119, 4129
3.	अहीर, श्री हंसराज जी.	4002
4.	अजय कुमार, श्री एस,	4033, 4064, 4126
5.	अप्पादुरई, श्री एम,	3987
6.	आठवले, श्री रामदास	4096, 4111
7.	"बचदा", श्री बची सिंह रावत	3948, 4102
8.	बंसल, श्री पवन कुमार	3946, 4037
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	4010, 4054, 4076, 4130
10.	बर्मन, श्री हितेन	3947
11.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	3988
12.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3969, 4019, 4103
13.	भक्त, श्री मनोरंजन	4006, 4101, 4114, 4128, 4136
14.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3992
15.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	4030
16.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	4004
17.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	4009, 4017, 4056
18.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	4086
19.	चन्देल, श्री सुरेश	4080, 4100, 4112, 4127, 4133

1	2	3
20.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	4049
21.	चौरे, श्री बापू हरी	3928, 4023, 4118, 4123
22.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3930, 3984, 4037
23.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3973, 4055
24.	चिन्ता मोहन, डा.	3959, 3974, 3989
25.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	3999, 4045
26.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	3993
27.	चौधरी, श्री अधीर	4016, 4030, 4057
28.	चर्चील, श्री अलीमाऊ	4090
29.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	4044
30.	धनराजू, डा. के.	3971, 4027
31.	डोम, डा. रामचन्द्र	4086
32.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	4053
33.	गमांग, श्री गिरिधर	3941, 4012
34.	गांधी, श्रीमती मेनका	4096
35.	गंगवार, श्री संतोष	3931, 4015, 4062
36.	गोहेन, श्री राजेन	3991
37.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	3966, 4110
38.	गुढ़े, श्री अनंत	4035, 4044
39.	जगन्नाथ, डा. एम.	3977, 4034
40.	झा, श्री रघुनाथ	3985
41.	जोशी, श्री प्रहलाद	3970
42.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3952
43.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	4085
44.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3964, 3999
45.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3933, 4008, 4073, 4079, 4131
46.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4030, 4042
47.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	3981
48.	"ललन", श्री राजीव रंजन सिंह	3959, 4038
49.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	4109
50.	महाजन, श्री वाई.जी.	4009
51.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3967, 4065, 4070
52.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	3999, 4020, 4058
53.	मल्लिकार्जुनैया श्री एस.	3953, 4026, 4066
54.	माने, श्रीमती निवेदिता	4007, 4053
55.	मनोज कुमार, श्री	3998
56.	मनोज, डा. के.एस.	3997
57.	मसूद, श्री रशीद	3972
58.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	3935, 4022, 4067
59.	मिडियम, डा. बाबू राव	4097
60.	मिश्रा, डा. राजेश	4003, 4103
61.	मोदी, श्री सुशील कुमार	3957
62.	मोधे, श्री कृष्णा मुरारी	4028, 4063, 4121, 4132
63.	मो. ताहिर, श्री	4005, 4051
64.	मोहिते, श्री सुबोध	3936
65.	मोल्लाह, श्री हन्नान	4083, 4106
66.	नागपाल, श्री हरीश	3953

1	2	3
67.	नायक, श्री ए. वेंकटेश	4094
68.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	3958
69.	नायक, श्री अनन्त	3943, 4014, 4068
70.	नायक, श्रीमती अर्चना	4095
71.	निहाल चन्द्र, श्री	4098
72.	निखिल कुमार, श्री	4030
73.	ओराम, श्री जुएल	4013, 4059, 4074, 4134
74.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3986, 4039, 4120
75.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3939, 4021
76.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	4055
77.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4018, 4037, 4061, 4075
78.	पटैरिया, श्रीमती नीता	4029
79.	पाठक, श्री ब्रजेश	3940, 4011, 4060, 4072, 4077
80.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3960, 4105
81.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	3956
82.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	4104
83.	पटले, श्री शिशुपाल	3942
84.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	3975, 4040, 4116
85.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3978, 4036, 4065
86.	प्रसाद, श्री लालमणि	4087
87.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	3944
88.	राजेन्द्र कुमार, श्री	3965

1	2	3
89.	रामदास, प्रो. एम.	4082, 4131
90.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3929, 4050, 4113, 4124, 4135
91.	राणा, श्री काशीराम	3995
92.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3955, 4044, 4071, 4122
93.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3984, 4009
94.	रावत, श्री अशोक कुमार	4051
95.	रावत, श्री कमला प्रसाद	4041, 4069
96.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	4081
97.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3974, 4032
98.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3983, 4036
99.	सज्जन कुमार, श्री	3979
100.	सांगवान, श्री किशन सिंह	4092
101.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3968
102.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	3954, 4024
103.	सरोज, श्री तूफानी	3980
104.	सत्पथी, श्री तथागत	4000
105.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3963
106.	सेन, श्रीमती मिनाती	4019
107.	सेठ, श्री लक्ष्मण	4086
108.	शाहिद, मोहम्मद	4051
109.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	4089
110.	शर्मा, श्री मदन लाल	4035
111.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	4001, 4031, 4117, 4125
112.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	4005, 4051
113.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	3996

1	2	3
114.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3967
115.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	4084
116.	सिंह, श्री दुष्यंत	3937, 4048
117.	सिंह, श्री गणेश	3945, 3950, 4001, 4028, 4108, 4117
118.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	4053, 4098, 4099
119.	सिंह, श्री मोहन	3951
120.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3927
121.	सिंह, डा. राम लखन	3976
122.	सिंह, श्री रेवती रमन	4088
123.	सिंह, श्री सीताराम	4091
124.	सिंह, श्री सुग्रीव	4019, 4061, 4075, 4078
125.	सिंह, श्री उदय	3982
126.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	3994, 4107
127.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	4108
128.	सुब्बारायण, श्री के.	3962
129.	सुगावनम, श्री ई. जी.	4073
130.	सुमन, श्री रामजीलाल	3974, 3989, 4038
131.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3934
132.	ठुक्कर, श्री वी.के.	3983, 4043
133.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3939
134.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4053, 4129
135.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	4001, 4046
136.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3984, 4037
137.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3978
138.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	4093, 4095
139.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3949, 4001, 4047, 4115
140.	वाघमारे, श्री सुरेश	3938
141.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3973, 4055
142.	यादव, श्री बालेश्वर	3932
143.	यादव, श्री गिरिधारी	3990, 4043, 4070
144.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3961, 4025

अनुबंध–II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	
वाणिज्य और उद्योग	:	384, 389, 390, 392, 393, 398
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
गृह	:	383, 385, 388, 396
मानव संसाधन विकास	:	381, 382, 386, 391, 395, 399, 400
संसदीय कार्य	:	
लघु उद्योग	:	394
जनजातीय कार्य	:	
शहरी विकास	:	
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	387.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	3933, 3942, 3970, 3988, 4026, 4055, 4077, 4121, 4126, 4132
वाणिज्य और उद्योग	:	3930, 3940, 3943, 3953, 3956, 3959, 3965, 3967, 3968, 3969, 3972, 3974, 3984, 3993, 3999, 4001, 4003, 4008, 4011, 4013, 4014, 4016, 4017, 4018, 4027, 4037, 4042, 4044, 4051, 4053, 4062, 4071, 4091, 4119, 4124, 4133
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	3954, 4024, 4086
गृह	:	3927, 3928, 3929, 3936, 3945, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3955, 3957, 3958, 3961, 3963, 3978, 3983, 3990, 3995, 4000, 4004, 4005, 4012, 4020, 4021, 4022, 4030, 4032, 4034, 4036, 4046, 4052, 4057, 4058, 4059, 4064, 4065, 4070, 4073, 4074, 4084, 4087, 4096, 4102, 4105, 4110, 4111, 4113, 4116, 4136
मानव संसाधन विकास	:	3934, 3935, 3937, 3938, 3971, 3975, 3986, 3987, 3989, 3991, 3994, 3997, 4004, 4010, 4015, 4019, 4028, 4031, 4035, 4040, 4045, 4049, 4056, 4061, 4063, 4067, 4075, 4076, 4078, 4079, 4080, 4082, 4083, 4085, 4088, 4092, 4094, 4100, 4101, 4103, 4106, 4107, 4112, 4115, 4122, 4123, 4125, 4127, 4134
संसदीय कार्य	:	4069
लघु उद्योग	:	3998, 4009, 4041, 4047
जनजातीय कार्य	:	3941, 3964, 3980, 4002, 4012, 4029, 4048, 4089, 4093, 4097, 4108, 4109, 4114, 4118, 4128, 4130
शहरी विकास	:	3931, 3932, 3939, 3944, 3960, 3962, 3966, 3973, 3976, 3977, 3979, 3982, 3985, 3992, 3996, 4007, 4023, 4025, 4033, 4038, 4039, 4043, 4050, 4060, 4066, 4068, 4072, 4090, 4095, 4098, 4099, 4117, 4129, 4131, 4135
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	3946, 3952, 3981, 4006, 4054, 4081, 4104, 4120.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/12/20/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसिएट्स, प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।